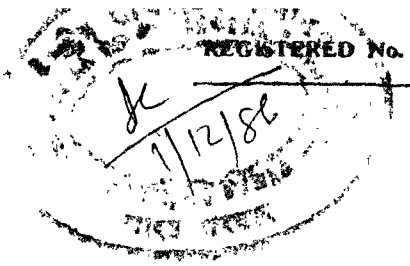
रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D N.)-72





भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 356] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1986/भाद्रपद 13, 1908

No. 356] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 1986/BHADRA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1986

आय-कर

का.आ. 654 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(1) नियम 5कक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

धारा 32 खक (5) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट।

5कख निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा की रिपोर्ट, जिसे धारा 32 कख की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत करना अपेक्षित है,

प्ररूप सं. 3कक में होगी।" ;

(2) नियम 6ककख में, "प्ररूप स. 3कक" शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर "प्ररूप स 3कख" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(3) विद्यमान प्ररूप स. 3कक को प्ररूप स. 3कख के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन:संख्यांकित प्ररूप स. 3कख के पहले निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"प्ररूप स. 3कक

(नियम 5कख देखिए)

भाग 1

ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 32कख (5) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

1 †मैं / हम रिपोर्ट करता हूं / करते है कि ----------
(निर्धारिती का नाम और पता)
---------- की कानूनी संपरीक्षा ----------अधिनियम,
(स्थायी लेखा स.)
---------- के उपबंधों के अनुसरण में †मैंने/हमने मैसर्स ---- ने की थी और मैं/हम उक्त संपरीक्षा रिपोर्ट, तारीख ---------- की एक प्रति, ------ को समाप्त होने वाले वर्ष के संपरीक्षा लाभ और हानि लेखा /आय और व्यय विवरण की एक-एक प्रति के साथ तथा ------- को विद्यमान संपरीक्षा तुलन-पत्र की एक प्रति और सुसगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेजों के साथ, सलग्न †करता हूं / करते हैं।

धारा 32 कख (5) के परन्तुक के अधीन अपेक्षित एक अतिरिक्त रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग 3 में प्रस्तुत की गई है।

†मेरी / हमारी राय में तथा †मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा †मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस प्ररूप के भाग 3 में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान ---------- ‡(हस्ताक्षरित)
तारीख ----------,
टिप्पण:--,

1. †जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए।
2. जहां इस रिपोर्ट में अधिकथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक है या सशर्त है वहां रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन किया जाएगा।
3. ‡यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जाएगी,--
 (i) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में कोई चार्टर्ड अकाउन्टेंट; या
 (ii) कोई व्यक्ति जो, किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है, या
 (iii) कोई व्यक्ति जो, किसी अन्य विधि के अनुसार, सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा करने का हकदार है।

भाग 2

उस मामले में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा नहीं की गई है, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 32 कख(5) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

1 †मैंने / हमने ----------
(निर्धारिती का नाम और पता
---------- के ---------- को विद्यमान तुलन-पत्र तथा
(स्थायी लेखा सं.)
उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा/ आय और व्यय विवरण की संपरीक्षा की है और वे ---------- स्थित मुख्यालय और --------- स्थित शाखाओं पर रखी गई लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

†मैंने / हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जोकि †मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। †मेरी / हमारी राय में, जहां तक कि लेखा पुस्तकों के †मेरे / हमारे परीक्षण से पता चलता है, निर्धारिती के मुख्यालय और शाखाओं में समुचित लेखा पुस्तकें, नीचे दिए गए टिप्पणों के अधीन रहते हुए, रखी गई हैं।

†मेरी / हमारी राय में तथा †मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा †मुझे / हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखा,---

(i) तुलन-पत्र की दशा में, ऊपर नामित निर्धारिती के कारबार की तारीख ---------- को विद्यमान कार्यों का, और

(ii) लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय विवरण की दशा में, ऊपर नामित निर्धारिती के, तारीख -------- को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए, लाभ या आय या हानि का, सत्य और ठीक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

धारा 32 कख के अधीन कटौतियों के दावे के लिए सत्यापन हेतु अपेक्षित विशिष्टियां इस प्ररूप के भाग 3 में दी गई हैं। †मेरी / हमारी राय में तथा †मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और †मुझे/ हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भाग 3 में दी गई विशिष्टियां सत्य और ठीक हैं।

(हस्ताक्षरित),,
†लेखापाल

स्थान ----------
तारीख ----------
टिप्पण:

1. †जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए।
2. जहां इस रिपोर्ट में अधिकथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक है या सशर्त है वहां रिपोर्ट में उसके कारणों का कथन किए जाएगा।
3. ‡यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी गई जाएगी,--
 (i) चार्टर्ड अकाउन्टेंट, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में कोई चार्टर्ड अकाउन्टेंट, या
 (ii) कोई व्यक्ति जो, किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, उस राज्य के रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है।

भाग 3

धारा 32 कख के अधीन कटौती के लिए दावे से संबंधित विशिष्टियों का विवरण

1. परीक्षा की गई लेखा पुस्तकें।
2. लेखाकन के लिए प्रयुक्त पद्धति (कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्व वर्ष में ठीक पहले अपनाई गई लेखाकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है)।
3. क्या पार्श्व कारबार या वृत्ति के संबंध में पृथक लेखे रखे जाते है।
4. यदि ऊपर मद 3 का उत्तर सकारात्मक है तो (इस बात को ध्यान में लाए बिना कि निर्धारिती कंपनी है या नहीं) कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें।
 कंपनी अधिनियम, 1956 की छठी अनुसूची के भाग 2 और 3 की अपेक्षाओं के अनुसार संगणित लाभ की रकम।
 घटा: धारा 32 कख के अधीन कटौती के लिए दावे से संबंधित लाभ और हानि लेखा या आय और व्यय विवरण में नामे खाते डाली गई अवक्षयण की रकम

 जोड़ कीजिए: धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसार संगणित अवक्षयण की रकम।
 जोड़ रकम----------

5. यदि पृथक लेखे नहीं रखे जाते है या उपलब्ध नहीं है तो कृपया दर्शाएं,
 (i) पार्श्व कारबार या वृत्ति का कुल विक्रय, आवर्त और सकल प्राप्तियां;

(ii) निर्धारिती के कारबार के या वृत्ति का कुल विक्रय, व्यापार-शवर्त और सकल प्राप्तियां, और

(iii) धारा 32कख के उपबन्धों के अनुसार संगणित पात्र कारबार या वृत्ति का अनुपातनः लाभ ।

6. "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान कर से प्रभार्य आय में से स्कीम के अनुसार विकास बैंक में निक्षिप्त रकमें (कृपया खाता सं., संबंधित विकास बैंक की शाखा और निक्षेपों की तारीखें और रकमें दर्शाएं) ।

7. मद 6 में निर्दिष्ट खाते में से निकासियां, निकासियों की तारीखें और रकमों सहित ।

8. मद 7 में निर्दिष्ट निकासियों के प्रयोजन ।

9. ऊपर मद 7 में निर्दिष्ट निकासियों में से उपयोग में लाई गई रकमें और उन प्रयोजनों की बाबत ब्यौरे जिनके लिए तथा वे तारीखें जिनके रकमें उपयोग में लाई गई ।

10. पूर्व वर्ष के दौरान धारा 32कख और स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विकास बैंक में से निकाली गई किन्तु उपयोग में न लाई गई रकमें ।

11. "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय में से (ऊपर मद 7 में निर्दिष्ट से भिन्न) रकमें जो धारा 32 कख और स्कीम के उपबन्धों के अनुसार उपयोग में लाई गई ।

12. क्या धारा 32कख और स्कीम के उपबंधों के अनुसार अर्जित—किसी आस्ति का पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय किया गया या अन्यथा अंतरण किया गया । यदि उत्तर सकारात्मक है तो कृपया प्रत्येक आस्ति की बाबत पृथक रूप से अर्जन की तारीख, अर्जन की लागत, विक्रय या अंतरण की तारीख, विक्रय या अंतरण का प्रतिफल और उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें आस्ति या विक्रय या अंतरण किया गया, दर्शाएं ।

13. धारा 32कख के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम ।

हस्ताक्षरित

टिप्पण :—

(1) "पात्र कारबार या वृत्ति" का वही अर्थ है जो धारा 32कख-(2) में है ।

(2) "विकास बैंक" का वही अर्थ है जो धारा 32कख के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ।

(3) ऊपर उल्लिखित "स्कीम" विनिधान निजेप स्कीम, 1986 के प्रति निर्देश करती है ।

(4) रिपोर्ट के इस भाग पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं जो रिपोर्ट के भाग 1 या भाग 2 पर हस्ताक्षर करता है ।

(5) कृपया लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न करें । यदि पात्र कारबार या वृत्ति के लिए पृथक लेखे रखे जाते हैं या लाभ और हानि लेखा / आय और व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र तैयार कारबार के लिए पृथक-पृथक संलग्न किए जा सकते हैं ।" ।

[सं. 6895/फा.सं. 142/68/86-टीपीएल]

बी. डी. वल्लाकर, निदेशक (टीपी एल)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

टिप्पण:— मूल नियम अधिसूचना स. का.आ. 969 तारीख 26-3-62 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

का.आ.ए 2029, तारीख 30-6-1962, 2565 तारीख 9-8-1962 2508 तारीख 30-8-1963, 511 तारीख 4-2-1964, 2567 तारीख 27-7-1964, 3660 तारीख 13-10-1964, 169 तारीख 4-1-1965, 591 तारीख 15-2-1965, 860 तारीख 8-3-1965, 1086 तारीख 30-3-1965, 1886 तारीख 10-6-1965, 2153 तारीख 2-7-1965, 2704 तारीख 27-8-1965 189 तारीख 13-1-1966, 2451 तारीख 10-8-1966, 598 तारीख 13-2-1967, 846 तारीख 10-3-1966, 1949 तारीख 28-5-1967, 2460 तारीख 22-7-1967, 3218 तारीख 6-9-1967, 4588 तारीख 21-12-1967, 813 तारीख 29-2-1968, 1112 तारीख 18-3-1966, 1856 तारीख 22-5-1968, 2751 तारीख 2-8-1968, 2883 तारीख 24-8-1968, 3949 तारीख 25-9-1968, 624 तारीख 14-2-1969, 625 तारीख 14-2-1969, 2000 तारीख 2-5-1969, 2005 तारीख 24-5-1969, 4427 तारीख 29-10-1969, 152 तारीख 9-1-1970, 719 तारीख 23-2-1970, 3398 तारीख 14-10-1970, 3769 तारीख 18-11-70 4001 तारीख 16-12-1970, 1917 तारीख 20-2-1970, 1997 तारीख 11-5-1971, 2168 तारीख 28-5-1971, 2272 तारीख 31-5-1971, 5595 तारीख 30-12-1971, 175(अ) तारीख 3-3-1972, 436(अ) तारीख 21-6-1972, 573(अ) तारीख 1-9-1972, 708(अ) तारीख 15-11-1972, 159(अ) तारीख 20-3-1973, 160(अ) तारीख 20-3-1973, 369(अ) तारीख 2-7-1973, 128(अ) तारीख 28-5-1974, 291(अ) तारीख 14-5-1974, 567 (अ) तारीख 21-9-1974, 615(अ) तारीख 17-10-1974, 627(अ) तारीख 2-11-1974, 725(अ) तारीख 19-12-1974, 25(अ) तारीख 10-1-1975, 295(अ) तारीख 1-7-1975, 534(अ) तारीख 24-9-1975, 543(अ) तारीख 26-9-1975, 710(अ) तारीख 18-12-1975, 134(अ) तारीख 23-2-1976, 197(अ) तारीख 15-3-1976, 266(अ) तारीख 31-3-1976, 275(अ) तारीख 1-4-1976, 420(अ) तारीख 19-6-1976, 615(अ) तारीख 16-9-1978, 842(अ) तारीख 30-12-1976, 18(अ) तारीख 12-1-1977, 23(अ) तारीख 18-1-1977, 210(अ) तारीख 25-3-1977, 640(अ) तारीख 27-8-1977, 665(अ) तारीख 9-9-1977, 677(अ) तारीख 22-9-1977, 720(अ) तारीख 11-10-1977, 730(अ) तारीख 18-10-1977, 827(अ) तारीख 8-12-1977, 24(अ) तारीख 18-1-1978, 178(अ) तारीख 17-3-1978, 222(अ) तारीख 31-3-1978, 351(अ) तारीख 24-5-1978 355(अ) तारीख 25-5-1978, 363(अ) तारीख 29-5-1978, 433(अ) तारीख 7-7-1978, 464(अ) तारीख 25-7-1978, 725(अ) तारीख 23-12-1978, 58(अ) तारीख 30-1-1979, 416(अ) तारीख 20-3-1979, 324(अ) तारीख 30-5-1979, 416(अ) तारीख 21-7-1979, 607(अ) तारीख 29-10-1979, 608(अ) तारीख 29-10-1979, 641(अ) तारीख 6-11-1979, 40(अ) तारीख 19-1-1980, 351(अ) तारीख 26-5-1980, 396(अ) तारीख 12-6-1980, 434(अ) तारीख 18-6-1980, 562(अ) तारीख 24-7-1980, 695(अ) तारीख 29-8-1980, 832(अ) तारीख 1-10-1980, 894(अ) तारीख 17-11-1980, 931(अ) तारीख 1-12-1980, 46(अ) तारीख 22-1-1981, 47(अ) तारीख 22-1-81 118(अ) तारीख 20-2-1981, 139(अ) तारीख 28-2-1981, 396(अ) तारीख 30-5-1981, 492(अ) तारीख 19-6-1981, 558(अ) तारीख 14-7-1981, 618(अ) तारीख 1-8-1981, 324 (अ) तारीख 21-11-1981, 104(अ) तारीख 27-2-1982, 268(अ) तारीख 12-4-1982, 365(अ) तारीख 27-5-1982 372(अ) तारीख 29-5-1982, 433(अ) तारीख 21-6-1982, 448(अ) तारीख 26-6-1982 472(अ) तारीख 2-7-1982, 546(अ) तारीख 31-7-1982, 128 (अ) तारीख 21-2-1983, 131(अ) तारीख 23-2-1983, 146(अ) तारीख 26-2-1983, 151(अ) तारीख 28-2-1983, 152(अ) तारीख 28-2-1983, 274(अ)

तारीख 31-3-1983, 381(अ) तारीख 2-6-1983, 600(अ) तारीख 19-8-1983, 789(अ) तारीख 1-11-1983, 825(अ) तारीख 18-11-1983, 34(अ) तारीख 21-1-1984, 572(अ) तारीख 24-7-1984, 757(अ) तारीख 1-10-1984, 824(अ) तारीख 7-11-1984, 952(अ) तारीख 21-12-1984, 65(अ) तारीख 31-1-1985, 91(अ) तारीख 4-2-1985, 205(अ) तारीख 19-3-85, 529(अ) तारीख 17-7-1985 568(अ) तारीख 31-7-1985, 602(अ) तारीख 12-9-1985, 838(अ) तारीख 19-11-1985 901(अ) तारीख 18-12-1985 937(अ) तारीख 31-12-1985 1(अ) तारीख 3-1-1986, 147(अ) तारीख 31-3-1986, 148(अ) तारीख 31-3-1986, 412 (अ) तारीख 9-7-1986, 413(अ) तारीख 9-7-1986 ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1986

INCOME-TAX

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1987.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(1) after rule 5AA, the following rule shall be inserted, namely :—

"Report of audit of accounts to be furnished under section 32AB(5).

"5AB. The report of audit of the accounts of an assessee, which is required to be furnished under sub-section (5) of section 32AB shall be in Form No. 3AA" ;

(2) in rule 6AAB, for the words, figure and letters "Form No. 3AA", the words, figure and letters "Form No. 3AB" shall be substituted ;

(3) the existing Form No. 3AA shall be renumbered as Form No 3AB, and before Form No. 3AB as so renumbered, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM NO. 3AA

(See rule 5AB)

PART I

Audit report under section 32AB(5) of the Income-tax Act, 1961 in a case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law

I*|We have to report that the statutory audit of

(name and address of the assessee)

(Permanent Account No.)

us|M|s._____, in pursuance of the provisions of the_____Act, and I*|we annex hereto a copy of the audit report dated _____ along with a copy of the audited profit and loss account*|income and expenditure statement for the year ended on_____and a copy of the audited balance sheet as at_____ —along with the documents declared by the relevant Act to be part of, or annexed to the profit and loss account*|income and expenditure statement and the balance sheet.

A further report as required under the proviso to section 32AB(5) is furnished in Part III of this Form.

In my*|our opinion and to the best of my*|our information and according to explanations given to me*|us, the particulars given in Part III of this Form are true and correct.

**(Signed)

Place_____

Date_____

Notes :

1. *Delete whichever is not applicable.
2. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.
3. **This report has to be given by—
 (i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) ; or
 (ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State ; or
 (iii) any person who is, by virtue of any other law, entitled to audit the accounts of the assessee for the relevant previous year.

PART II

Audit report under section 32AB(5) of the Income-tax Act, 1961 in a case where the accounts of the business or profession of a person have not been audited under any other law

I*|We have examined the balance sheet of— —. (name

and address of the assessee)

(Permanent Account No.) as at— —and the profit and loss account*|income and expenditure statement for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained at the head office at— —and branches at _____.

I*|We have obtained all the information and explanations which to the best of my*|our knowledge and belief were necessary for the purposes of the

audit. In *my|our opinion, proper books of account have been kept by the head Office and the branches of the assessee so far as appears from *my|our examination of books, subject to the comments given below :

In *my|our opinion and to the best of *my|our information and according to explanations given to *me|us, the said accounts give a true and fair view :—

(i) in the case of the balance sheet, of the state of the abovenamed assessee's affairs as at———— ————, and

(ii) in the case of the *profit and loss account| the income and expenditure statement, of the profit or the income or loss of the abovenamed assessee for the accounting year ending on————————.

The particulars required for verification of the claim for deduction under section 32AB are given in Part III of this form. In *my|our opinion and to the best of *my|our information and according to the explanation given to *me|us, the particulars given in Part III hereof are true and correct.

Place————————

Date————————

(Signed)
**Accountant

Notes :

1. *Delete whichever is not applicable.
2. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.
3. **This report has to be given by :—
 (i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) ; or
 (ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of sub section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.

PART III

Statement of particulars relating to the claim for deduction under section 32AB

1. Books of account examined.
2. Method of accounting employed (please indicate whether there is any change from the method of accounting employed in the immediately preceding previous year).
3. Whether separate accounts in respect of eligible business or profession are maintained.
4. If the answer to item 3 above is in the affirmative, please indicate (irrespective of whether the assessee is a company or not),—

The amount of profit computed in accordance with the requirements of Parts II and III of the Sixth Schedule to the Companies Act, 1956.

Plus : Amount of depreciation debited in the audited profit and loss account or income and expenditure statement.

Gross amount

Less : Amount of depreciation computed in accordance with the provisions of section 32(1).

Net amount

5. In case separate accounts are not maintained or are not available, please indicate,—
 (i) total sales, turn-over and gross receipts of the eligible business or profession ;
 (ii) total sales, turn-over and gross receipts of the assessee's business or profession, and
 (iii) the proportionate profit of the eligible business or profession computed in accordance with the provisions of section 32AB.
6. The amounts deposited out of income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession", during the previous year with the Development Bank in accordance with the Scheme. (Please indicate the account number, the branch of the concerned Development Bank and the dates and amounts of the deposits).
7. Withdrawals made from the account referred to in item 6 with dates and amounts of withdrawals.
8. Purposes for which the withdrawals referred to in Item 7 were made.
9. The amounts utilised out of the withdrawals referred to in Item 7 above with details regarding the purposes for which and the dates on which the amounts were utilised.
10. The amounts withdrawn from the Development Bank but not utilised during the previous year for the purposes specified in section 32AB and the Scheme.
11. The amounts (other than those referred to in Item 7 above) out of income chargeable to tax under the head "Profits and gains of business or profession", utilised in accordance with the provisions of section 32AB and the Scheme.
12. Whether any asset acquired in accordance with the provisions of section 32AB and the Scheme is sold or otherwise transferred during the previous year. If the answer is in the affirmative, please indicate separately

in respect of each asset, the date of acquisition, the cost of acquisition, date of sale or transfer, consideration for sale or transfer and the names of persons to whom the asset was sold or transferred.

13. The amount of deduction permissible in accordance with the provisions of section 32AB.

*(Signed)

Notes :

(1) "Eligible business or profession" has the same meaning as that under section 32AB(2).

(2) "Development Bank" has the same meaning as that in clause (b) of the Explanation to section 32AB.

(3) The "Scheme" mentioned above refers to the Investment Deposit Account Scheme, 1986.

(4) *This Part of the report is to be signed by the person signing Part I or Part II of the report.

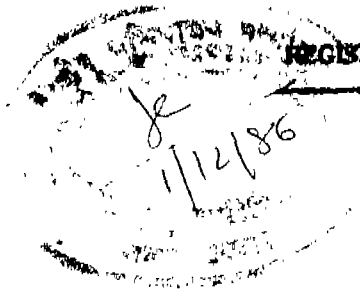
(5) Please attach the profit and loss account/ income and expenditure statement and the balance sheet to this report. If separate accounts are maintained for eligible business or profession, the profit and loss account/income and expenditure statement and balance sheet may be attached separately for such business.".

[No. 6895/F. No. 142/68/86-TPL]
V. D. WAKHARKAR, Director (TPL)
Central Board of Direct Taxes

NOTE : Principal rules were published under Notification No. S.O. 959 dated 26-3-1962 and subsequently amended by S.O. No.2029 dated 30-6-1962, 2565 dated 9-8-1962, 2508 dated 30-8-1963, 511 dated 4-2-1964, 2567 dated 27-7-1964, 3660 dated 13-10-1964, 169 dated 4-1-1965, 591 dated 15-2-1965, 360 dated 8-3-1965, 1086 dated 30-3-1965, 1886 dated 10-6-1965, 2153 dated 2-7-1965, 2704 dated 27-8-1965, 189 dated 13-1-1966, 2451 dated 10-8-1966, 598 dated 13-2-1967, 846 dated 10-3-1967, 1949 dated 28-5-1967, 2460 dated 22-7-1967, 3218 dated 6-9-1967, 4588 dated 21-12-1967, 313 dated 29-2-1968, 1112 dated 18-3-1968, 1856 dated 22-5-1968, 2751 dated 7-8-1968, 2883 dated 24-8-1968, 3494 dated 25-9-1968, 624 dated 14-4-1969, 625 dated 14-2-1969, 2000 dated 23-5-1969, 2005 dated 24-5-1969, 4427 dated 29-10-1969, 5056 dated 29-11-1969, 152 dated 9-1-1970, 719 dated 23-2-1970, 3398 dated 14-10-1970, 3769 dated 18-11-1970 4001 dated 16-12-1970, 1917 dated 20-2-1971, 1996 dated 11-5-1971, 2168 dated 28-5-1971, 2272 dated 31-5-1971, 5595 dated 30-12-1971, 175(E) dated 6-3-1972, 436(E) dated 21-6-1972, 573(E) dated 1-9-1972, 708(E) 15-11-1972, 159(E) dated 20-3-1973, 160(E) dated 20-3-1973, 369(E), dated 2-7-1973, 128(E) dated 28-2-1974, 291(E) dated 14-5-1974, 567(E) dated 21-9-1974, 615(E) dated 17-10-1974, 627(E) dated 2-11-1974, 725(E) dated 19-12-1974, 25(E) dated 10-1-1975, 295(E) dated 1-7-1975, 534(E) dated 24-9-1975, 543(E) dated 26-9-1975, 710(E) dated 18-12-1975, 134(E) dated 23-2-1976, 197(E) dated 15-3-1976, 266(E) dated 31-3-76, 275(E) dated 1-4-1976, 420(E) dated 19-6-1976, 615(E) dated 16-9-1976, 842(E), dated 30-12-1976, 18(E) dated 12-1-1977, 23(E) dated 18-1-1977, 210(E) dated 5-3-1977, 640(E) dated 27-8-1977, 665(E) dated 9-9-1977, 677(E) dated 22-9-1977, 720(E) dated 14-10-1977, 730(E) dated 18-10-1977, 827(E) dated 8-12-1977, 24(E) dated 18-1-1978, 178(E), dated 17-3-1978, 222(E) dated 31-3-1978, 351(E) dated 24-5-1978, 355(E) dated 25-5-1978, 362(E) dated 29-5-1978, 433(E) dated 7-7-1978, 464(E) dated 24-7-1978, 725(E) dated 23-12-1978, 58(E) dated 30-1-979, 146(E) dated 20-3-1979, 324(E) dated 30-5-1979, 416(E) dated 21-7-1979, 607(E) dated 29-10-1979, 608(E) dated 29-10-1979, 609(E) dated 29-10-1979, 641(E) dated 6-11-1979, 40(E) dated 19-1-1980, 351(E) dated 26-5-1980, 396(E) dated 12-6-1980, 434(E) dated 18-6-1980, 562(E) dated 24-7-1980, 695(E) dated 29-8-1980, 832(E) dated 1-10-1980, 864(E) dated 17-11-1980, 931(E) dated 1-12-1980, 46(E) dated 22-1-1981, 47(E) dated 22-1-1981, 118(E) dated 20-2-1981, 139(E) dated 28-2-1981, 396(E) dated 30-5-1981, 492(E) dated 19-6-1981, 558(E) dated 14-7-1981, 618(E) dated 1-8-1981, 824(E) dated 21-11-1981, 104(E) dated 27-2-1982, 268(E) dated 12-4-1982, 365(E) dated 26-5-1982, 372(E) dated 29-5-1982, 433(E) dated 21-6-1982, 448 (E), dated 26-6-1982, 472(E) dated 2-7-1982, 546(E) dated 31-7-1982, 128(E) dated 21-2-1983, 131(E) dated 23-2-1983, 146(E) dated 26-2-1983, 151(E) dated 26-2-1983, 152(E) dated 28-2-1983, 274(E) dated 31-3-1983, 388(E) dated 2-6-1983, 600(E) dated 19-8-1983, 789(E) dated 1-11-1983, 825(E) dated 18-11-1983, 34(E) dated 21-1-1984, 527(E) dated 24-7-1984, 757(E) dated 1-10-1984, 824(E) dated 7-11-1984, 952(E) dated 21-12-1984, 65(E) dated 31-1-1985, 91(E) dated 4-2-1985, 205(E) dated 19-3-1985, 529(E) dated 17-7-1985, 568(E) dated 31-7-1985, 602(E) dated 12-8-1985, 838(E) dated 19-11-1985, 901(E) dated 18-12-1985, 937(E) dated 31-12-1985, 1(E) dated 3-1-1986, 147(E) dated 31-3-1986, 145(E) dated 31-3-1986, 412(E) dated 9-7-1986, 413(E) dated 9-7-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1986/ भाद्रपद 13, 1908
No. 357] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 1986/BHADRA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1986

आय कर

का. आ. 655 (अ):—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अक्तूबर, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में भाग 10ख के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 10ग

अध्याय 20ग के अधीन स्थावर सम्पत्ति का

क्रय

प्रतिफल के मितिकाटा मूल्य के अवधारण के लिए ब्याज की दर।

48ग—धारा 269 पग के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) या उपखण्ड (2) के अधीन प्रतिफल के मितिकाटा मूल्य के अवधारण के लिए ब्याज की दर आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

समुचित प्राधिकारी की अधिकारिता।

48घ जहां कोई स्थावर सम्पत्ति दो या अधिक समुचित प्राधिकारियों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर स्थित है, वहां वह समुचित प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के अन्दर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार करने वाले अधिकारी का कार्यालय जो ऐसी सम्पत्ति के संबंध में अन्तरण के किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए हकदार है, अवस्थित है, ऐसी सम्पत्ति के संबंध में अध्याय 20ग के अधीन समुचित प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित प्राधिकारी होगा।

स्थावर सम्पत्ति का मूल्य।

48ङ —धारा 269 पग की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति का मूल्य दस लाख रुपए से अधिक की उस सम्पत्ति का प्रकट प्रतिफल होगा।

धारा 269 पग (3) के अधीन दिए जाने वाले विवरण।

48ङ—(1) धारा 269 पग की उपधारा (3) के अधीन समुचित प्राधिकारी को दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्ररूप सं. 37ग्ग में होगा और वह उसमें उपवर्णित रीति में, उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्तरण के प्रत्येक पक्षकार द्वारा या उनमें से किसी भी ऐसे पक्षकार द्वारा जो स्वयं की ओर से और अन्य पक्षकारों की ओर से कार्य कर रहा है, हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

(2) प्ररूप सं. 37ज में विवरण—

(क) ऐसे मामले में जहां अन्तरण का करार 1 अक्तूबर, 1986 से पूर्व किया गया है, वहां 16 अक्तूबर, 1986 से पूर्व; और

(ख) ऐसे मामलों में जो खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उस दिन से जिसको अन्तरण का करार किया गया है, 15 दिन की समाप्ति से पूर्व,

समुचित प्राधिकारी को दो प्रतियों में दिया जाएगा।" ।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 37ज़ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"प्ररूप सं. 37ञ

(नियम 48 ठ देखिए)

धारा 269 पग के अधीन समुचित प्राधिकारी को दिए जाने वाले स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण का विवरण

मैं / हम

अन्तर (कों) का नाम और पता (पते)

.....

.....

.....

अन्तरिति (यों) का नाम और पता (पते) को

.....

.....

में अवस्थित सम्पत्ति का अन्तरण करना चाहता हूं /चाहते हैं

.....

.....

उपरोक्ता सम्पत्ति के अन्तरण का कुल प्रकट प्रतिफल

(शब्दों में)

(.....) है।

(अंको में)

उक्त सम्पत्ति के अन्तरण के लिए करार की विशिष्टयां इस विवरण के उपाबंध में दी गई हैं।

सत्यापन

मेरी/हमारी राय में और मेरे/हमारे सर्वोतम ज्ञान और जानकारी के अनुसार ऊपर और इसके उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सही और सत्य हैं।

अन्तरक	अन्तरिति
1. का पुत्र, की पुत्री, की पत्नी	1. का पुत्र, की पुत्री, की पत्नी
2. का पुत्र, की पुत्री, की पत्नी	2. का पुत्र, की पुत्री, की पत्नी
3. का पुत्र, की पुत्री, की पत्नी	3. का पुत्र, की पुत्री, की पत्नी

*टिप्पण

अन्तरक (कों) या अन्तरिति (यों) के पते में किसी भी परिवर्तन की संसूचना लिखित रूप में तुरन्त उस समुचित प्राधिकारी को दी जाएगी जिसको अन्तरण का यह विवरण दिया गया है

उपाबंध

स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के लिए करार की विशिष्टियां

1. अंतरक (कों) की विशिष्टियां :—

(i) नाम

(ii) पिता का नाम

(iii) वर्तमान पता (पते)

(क) नाम सहित गली/मार्ग सं.

(ख) परिक्षेत्र

(ग) पिन कोड सहित शहर/नगर

(घ) जिला

(ङ) राज्य

(च) दूरभाष सं., यदि कोई हो,

(iv) स्थायी पता (पते)

(क) नाम सहित गली/मार्ग सं.

(ख) परिक्षेत्र

(ग) पिन कोड सहित शहर/नगर

(घ) राज्य

(ङ) दूरभाषा सं., यदि कोई हो,

(v) पी ए. एन/वार्ड/शहर/जिला जहां आयकर के लिए निर्धारित की गई

2. अंतरिती (यों) की विशिष्टियां

(i) नाम

(ii) पिता का नाम

(iii) वर्तमान पता (पते)

(क) नाम सहित गली/मार्ग सं.

(ख) परिक्षेत्र

(ग) पिन कोड सहित शहर/नगर

(घ) जिला

(ङ) दूरभाष सं., यदि कोई हो,

(iv) स्थायी पता (पते)

(क) नाम सहित गली/मार्ग सं.

(ख) परिक्षेत्र

(ग) पिन कोड सहित शहर/नगर

(घ) जिला

(ङ) दूरभाषा सं., यदि कोई हो,

(v) पी ए एन/वार्ड/शहर/जिला जहां आयकर के लिए निर्धारित की गई

3. अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति के अधिभोग में के व्यक्ति और उनके ब्यौरे:

(i)

(ii)

(iii)

4. सम्पत्ति और प्रतिफल में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने ब्यौरो और उनके आधारों का विनिर्देश:—

(i)

(ii)

(iii)

5. अंतरक द्वारा सम्पत्ति के अर्जन का ढंग

(i) कृपया यह उल्लेख करें कि क्या संपत्ति हि. अ. कु. के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर आस्तियों के विवरण/पर किसी दान या वसीयत के अधीन/अर्जन, उत्तराधिकार या न्यागमन द्वारा अथवा किसी फर्म, व्यक्तियों के निकाय या व्यक्तियों के किसी अन्य संगम के विघटन पर आस्तियों के वितरण पर/किसी कंपनी के परिसमापन पर आस्तियों के वितरण/पर प्रतिसंहरणीय या अप्रतिसंहरणीय न्यास के लिए किसी अन्तरण के अधीन समामेलन की किसी स्कीम में किसी शेयरधारक द्वारा किसी अंतरण, के अधीन सन्निर्मित की गई है क्रय की गई है अर्जित की गई है।

(ii) अंतरण द्वारा या पूर्व स्वामी द्वारा सम्पत्ति के अर्जन की लागत यदि सम्पत्ति का अर्जन ऊपर विनिर्दिष्ट अन्य ढंगों के अधीन किया गया है :

(iii) अंतरक द्वारा सम्पत्ति के अर्जन की तारीख :

6. उक्त सम्पत्ति के अंतरण के लिए लिखित करार की तारीख (करार की एक प्रति कृपया इसके साथ संलग्न करें)

7. अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति के ब्यौरे :—
अंतरित की जाने वाली सम्पत्ति का वर्णन, अवस्थिति और अन्य विशिष्टियां

(i) भूमि :

(ii) भवन :

(iii) संयंत्र और मशीनरी :

(iv) फर्नीचर और उससे संलग्न फिक्सचर :

(v) अन्य आस्तियां :

8. अंतरित की जाने के लिए प्रस्तावित हित या अधिकार की प्रकृति:

कृपया यह उपदर्शित करें कि क्या सम्पत्ति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) स्वामित्व, या

(ii) सहकारी सोसाइटी की सदस्यता, या व्यक्तियों का संगम या कोई कंपनी (कृपया शेयरों की संख्या और उनका मूल्य उपदर्शित करें), या

(iii) पट्टा, या

(iv) सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53क या किसी भी प्रकृति के किसी करार या ठहराव में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी संविदा के भागतः पालन में लिया गया या प्रतिधारित किया गया कब्जा का अधिकार।

9. अंतरण के लिए प्रतिफल की विशिष्टियां :—

(i) यदि अंतरण विक्रय द्वारा किया गया है तो कृपया विभिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए करार के अनुसार प्रतिफल का उल्लेख करें

(क) ——————

(ख) ——————

(ग) ——————

(घ) ——————

(ङ) ——————

(ii) यदि अंतरण किसी वस्तु के लिए विनिमय के माध्यम से किया गया है तो कृपया उस कीमत का उल्लेख करें जो अन्तरण के लिए करार की तारीख को खुले बाजार में उस वस्तु के विक्रय से प्राप्त होगी;

(iii) यदि अंतरण किसी वस्तु और धनराशि के लिए विनिमय के माध्यम से किया गया है तो कृपया उस कीमत का उल्लेख करें जो उस वस्तु से अंतरण के लिए करार की तारीख को खुले बाजार में विक्रय पर प्राप्त होगी और ऐसी धनराशि।

(iv) यदि अंतरण पट्टे के माध्यम से किया गया है तो कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें :

(क) पट्टे की अवधि :

(ख) प्रीमियम की रकम :

(ग) दी जाने वाली प्रीमियम की आवर्त:

(घ) यदि पट्टा केवल किराये के प्रतिफल में है तो किराये के रूप में देय कुल धन का और किराये की भाग रूप में उसका गठन करने वाली सेवाओं या वस्तुओं की रकम का उल्लेख करें ।

(ङ) यदि पट्टा प्रीमियम और किराये के लिए प्रतिफल स्वरूप है तो कृपया प्रीमियम की कुल रकम, सेवाओं के लिए किराये और रकम या किराये की भाग रूप या उसका गठन करने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें।

(v) यदि अंतरण के लिए पूर्ण या भागतः प्रतिफल ऐसी किसी तारीख को जो अंतरण के लिए करार की तारीख के पश्चात् आती हो, देय है तो निम्नलिखित का उल्लेख करें—

(क) संपत्ति के अंतरण के लिए करार की तारीख,

(ख) तारीख (तारीखें) जिसको प्रतिफल देय है,

(ग) नियम 48 ङ के अनुसार अंतरण के लिए करार की तारीख को प्रतिफल का मितिकाटा मूल्य ।

(vi) ऐसे मामलों में जो मद (i) से (v) के अंतर्गत नहीं आते हैं, कृपया प्रतिफल की रकम का उल्लेख करें ।

10. रजिस्ट्रार का पता जहां करार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

अंतरक अंतरिती

टिप्पण:

(i) यदि प्ररूप में ब्यौरे देने के लिए स्थान अपर्याप्त है तो पृथक शीट संलग्न की जा सकती है ।

(ii) उपाबंध में विवरण हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है ।

[सं. 6896/फा. सं. 134/6/86-टी पी एल]
वी. डी. वखारकर, निदेशक (टी पी एल)
केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

टिप्पणी :— मूल नियम, अधिसूचना सं. फा. आ. 969 तारीख 26-3-62 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए:—

का. आ. सं. 2029, तारीख 30-6-1962, 2565 तारीख 9-8-1962, 2508 तारीख 30-8-1963, 511 तारीख 4-2-1964, 2567 तारीख 27-7-1964, 3660 तारीख 13-10-1964, 169 तारीख 4-1-1965, 591 तारीख 15-2-1965, 860 तारीख 8-3-1965, 1086 तारीख 30-3-1965, 1886 तारीख 10-6-1965, 2153 तारीख 2-7-1965, 2704 तारीख 27-8-1965, 189 तारीख 13-1-1966, 2451 तारीख 10-8-1966, 598 तारीख 13-2-1967, 846 तारीख 10-3-1967, 1949, तारीख 28-5-1967, 2460 तारीख 22-7-1967, 3218 तारीख 6-9-1967, 4588 तारीख 21-12-1967, 813 तारीख 29-2-1968, 1112 तारीख 18-3-1968 1856 तारीख 22-5-1968, 2751 तारीख 2-8-1968, 2883 तारीख 24-8-1968, 3949 तारीख 28-9-1968, 624 तारीख 14-2-1969, 625 तारीख 14-2-1969, 2000 तारीख 23-5-1969, 2005 तारीख 24-5-1969, 4427 तारीख 29-10-1969, 152 तारीख 9-1-1970, 719 तारीख 23-2-1970, 3398 तारीख

14-10-1970, 3769 तारीख 18-11-1970, 4001 तारीख 16-12-1970, 1917 तारीख 20-2-1970, 1997 तारीख 11-5-1971, 2168 तारीख 28-5-1971, 2272 तारीख 31-5-1971, 5595 तारीख 30-12-1971, 175 (अ) तारीख 3-3-1972, 436 (अ) तारीख 21-6-1972, 573 (अ) तारीख 1-9-1972, 708 (अ) तारीख 15-11-1972, 159 (अ) तारीख 20-3-1973, 160 (अ) तारीख 20-3-1973, 369 (अ) तारीख 2-7-1973, 128 (अ) तारीख 28-5-1974, 219 (अ) तारीख 14-5-1974, 567 (अ) तारीख 21-9-1974, 615 (अ) तारीख 17-10-1974, 627 (अ) तारीख 2-11-1974, 725 (अ) तारीख 19-12-1974, 25 (अ) तारीख 10-1-1975, 295 (अ) तारीख 1-7-1975, 534(अ) तारीख 24-9-1975, 543 (अ) तारीख 26-9-1975, 710 (अ) तारीख 18-12-1975, 134 (अ) तारीख 23-2-1976, 197 (अ) तारीख 15-3-1976, 266 (अ) तारीख 31-3-1976, 275 (अ) तारीख 1-4-1976, 420 (अ) तारीख 19-6-1976, 615 (अ) तारीख 16-9-1978, 842 (अ) तारीख 30-12-1976, 18(अ) तारीख 12-1-1977, 23(अ) तारीख 18-1-1977, 210(अ) तारीख 25-3-1977, 640 (अ) तारीख 27-8-1977, 665 (अ) तारीख 9-9-1977, 677 (अ) तारीख 22-9-1977, 720 (अ) तारीख 14-10-1977, 730 (अ) तारीख 18-10-1977, 827 (अ) तारीख 8-12-1977, 24(अ) तारीख 18-1-1978, 178 (अ) तारीख 17-3-1978, 222(अ) तारीख 31-3-1978, 351 (अ) तारीख 24-5-1978, 355 (अ) तारीख 25-5-1978, 363(अ) तारीख 29-5-1978, 433 (अ) तारीख 7-7-1978, 464 (अ) तारीख 24-7-1978, 725 (अ) तारीख 23-12-1978, 58(अ) तारीख 30-1-1979, 416 (अ) तारीख 20-3-1979, 324(अ) तारीख 30-5-1979, 416 (अ) तारीख 21-7-1979, 607 (अ) तारीख 29-10-1979, 608 (अ) तारीख 29-10-1979, 641 (अ) तारीख 6-11-1979, 40(अ) तारीख 19-1-1980, 351 (अ) तारीख 26-5-1980, 396(अ) तारीख 12-6-1980, 434 (अ) तारीख 18-6-1980, 562 (अ) तारीख 24-7-1980, 695(अ) तारीख 29-8-1980, 832 (अ) तारीख 1-10-1980, 894 (अ) तारीख 17-11-1980, 931 (अ) तारीख 1-12-1980, 46(अ) तारीख 22-1-1981, 47 (अ) तारीख 22-1-1981, 118 (अ) तारीख 20-2-1981, 139 (अ) तारीख 28-2-1981, 396 (अ) तारीख 30-5-1981, 492 (अ) तारीख 19-6-1981, 558 (अ), तारीख 14-7-1981, 618 (अ) तारीख 1-8-1981, 824 (अ) तारीख 21-11-1981, 104 (अ) तारीख 27-2-1982, 268 (अ) तारीख 12-4-1982, 365 (अ) तारीख 27-5-1982 372(अ) तारीख 29-5-1982, 433 (अ) तारीख 21-6-1982, 448 (अ) तारीख 26-6-1982, 472 (अ) तारीख 2-7-1982, 546 (अ) तारीख 31-7-1982, 128 (अ) तारीख 21-2-1983, 131(अ) तारीख 23-2-1983, 146 (अ) तारीख 26-2-1983, 151 (अ) तारीख 28-2-1983, 152 (अ) तारीख 28-2-1983, 274 (अ) तारीख 31-3-1983, 388 (अ) तारीख 2-6-1983, 600(अ) तारीख 19-8-1983, 789 (अ) तारीख 1-11-1983, 825 (अ) तारीख 18-11-1983, 34 (अ) तारीख 21-1-1984, 572(अ) तारीख 24-7-1984, 757 (अ) तारीख 1-10-1984, 824 (अ) तारीख 7-11-1984, 952 (अ) तारीख 21-12-1984, 65(अ) तारीख 31-1-1985, 91(अ) तारीख 4-2-1985, 205(अ) तारीख 19-3-1985, 529 (अ) तारीख 17-7-1985, 568 (अ) तारीख 31-7-1985, 602(अ) तारीख 12-8-1985, 838 (अ) तारीख 19-11-1985, 901 (अ) तारीख 18-12-1985, 937 (अ) तारीख 31-12-1985, 1 (अ) तारीख 3-1-1986, 147 (अ) तारीख 31-3-1986, 148 (अ) तारीख 31-3-1986, 412 (अ) तारीख 9-7-1986, 413 (अ) तारीख 9-7-1986, 654 (अ) तारीख 4-9-1986.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1986

INCOME-TAX

S.O. 655(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1986.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter refered to as the principal rules), after Part XB, the following Part shall be inserted, namely :—

"PART XC"

PURCHASE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER CHAPTER XXC.

Rate of interest for determination of discounted value of consideration.

48I. The rate of interest for determination of the discounted value of consideration under sub-clause (1) or sub-clause (2) of clause (b) of section 269UA shall be eight per cent per annum.

Jurisdiction of appropriate authority.

48J. Where any immovable property is situate with in the local limits of the jurisdiction of two or more appropriate authorities, the appropriate authority within whose jurisdiction the office of the registering officer appointed under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), who is entitled to register any document of transfer in respect of such property, is situate, shall be the appropriate authority to perform the function of appropriate authority under Chapter XXC in relation to such property.

Value of immovable property.

48K. The value of any immovable property for the purpose of sub-section (1) of section 269UC shall be the apparent consideration of that property exceeding ten lakh rupees.

Statement to be furnished under section 269UC (3).

48L. (1) The statement required to be furnished to the appropriate authority under sub-section (3) of section 269UC shall be in Form No. 37I and shall be signed and verified in the manner indicated therein by each of the parties to the transfer refered to in sub-section (1) of that section or by any of the parties to such transfer acting on behalf of himself and on behalf of the other parties.

(2) The statement in Form No. 37I shall be furnished, in duplicate, to the appropriate authoirty :—

(a) before the 16th day of October, 1986 in a case where the agreement for transfer is entered into before the 1st day of October, 1986; and

(b) before the expiry of 15 days from the day on which the agreement for transfer is entered into, in cases not covered by clause (a).".

3. In Appendix II to the principal rules, after Form No. 37H, the following Form shall be inserted namely :—

"FORM NO. 371

(See rule 48L)

Statement of transfer of immovable property to be furnished to the appropriate sauthority under section 269UC.

I/We, ...

[Name (s) andaddress(es) of the transferor(s)]

.....

.....

Intend to transfer the immovable property located at.....

.....

to.....[Name(s) and address(es) of the transferee(s)].....

.....

.....

The total apparent consideration for the transfer of the above property is.....

(in words)

(.....) The particulars of the agreement for transfer (in figures)

of the said property are furnished in the Annexure to this statement.

VERIFICATION

In my/our opinion and to the best of my/our knowledge and information, the particulars furnished above and in the Annexure hereto are true and correct.

Transferor(s)	Transferee(s)
1. S/o, D/o, W/o	1. S/o, D/o, W/o
2. S/o, D/o, W/o	2. S/o, D/o, W/o
3. S/o, D/o, W/o	3. S/o, D/o, W/o

*NOTE

Any change in the address of the transferor(s) or the transferee(s) should be communicated in writing immediately to the appropriate authority to whom this statement of transfer has been furnished.

ANNEXURE

Particulars of the agreement for transfer of immovable property

1. Particulars of the transferor (s):—

(i) Name(s)

(ii) Father's name

(iii) Present address(es

(a) Lane|Street No. with name

(b) Locality

(c) City|Town with PINCODE

(d) District

(e) State

(f) Telephone No, if any.

(iv) Permanent address(es)

(a) Lane|Street No. with name

(b) Locality

(c) City|Town with PINCODE

(d) State

(e) Telephone No., if any.

(v) PAN|Ward|City|District where assessed to income-tax

2. Particulars of transferee(s):—

(i) Name(s)

(ii) Father's name

(iii) Present address(es)

(a) Lane|Street No. with name

(b) Locality

(c) City|Town with PINCODE

(d) District

(e) Telephone No., if any.

(iv Permanent address(es)

(a) Lane|Street No. with name

(b) Locality

(c) City|Town with PINCODE

(d) District

(e) Telephone No., if any

(v) PAN|Ward|City|District where assessed to income-tax

3. Persons in occupation of the property sought to be transferred and details thereof :—

(i)

(ii)

(iii)

4. Persons interested in the property and in the consideration specifying their shares and basis thereof :—

(i)

(ii)

(iii)

5. Mode of acquisition of the property by the transferor :—

(i) Please state whether the property has been constructed|purchased|acquired on distribution of assets on the total or partial partition of HUF|under a gift or will|by acquisi-

tion, inheritance or devolution|on any distribution of assets on the dissolution of firm, body of individuals or other association of persons|on any distribuion of assets on the liquidation of a company|under a transfer to a revocable or irrevocable trust| under any transfer by a shareholder in a scheme of amalgamation :

(ii) Cost of acquisition of the property by the transferor or by the previous owner if the property has been acquired under other modes mentioned above :

(iii) Date of acquisition of property by the transferor:

6. Date of written agreement for transfer of the said property (A copy of the agreement may please be enclosed):

7. Details of the property sought to be transferred:- Description, location and other particulars of the property sought to be transferred.

(i) Land:

(ii) Building(s):

(iii) Plant and machinery:

(iv) Furniture and fixture attached:

(v) Other assets:

8. Nature of interest or right proposed to be transferred: Please indicate whether the property consists of :—

(i) ownership, or

(ii) membership of cooperative society, or association of persons, or a company (Please indicate the number of shares and their value), or

(iii) lease, or

(iv) right to possession taken or retained in part performance of a contract of the nature refered to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1882 or any agreement or arrangement of whatever nature.

9. Particulars of consideration for transfer :—

(i) If the transfer is by sale, please state the consideration as per the agreement for transfer of various assets

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(ii) If the transfer is by way of exchange for a thing(s) please state the price that such thing(s) would fetch on sale in the open market on the date of agreement for transfer:

(ii) If the transfer is by way of exchange for a thing(s) and a sum of money, please state the price that such thing(s) would fetch on sale in the open market on the date of agreement for transfer and such sum of money :

(iv) If the transfer is by way of lease, please state:

(a) the period of lease

(b) the amount of premium

(c) the frequency of premium to be paid

(d) if the lease is in consideration of rent only, please state the aggregate of the money(s) payable by way of rent; and the amounts for services or things forming part of, or constituting, the rent

(e) if the lease is for consideration for premium and rent, please state the aggregate of the amount of the premium, the rent and the amounts for services, or things forming part of, or constituting, the rent :—

(v) If the whole or a part of the consideration for transfer is payable on any date falling after the date of agreement for transfer, please state :—

(a) date of agreement for transfer of the property,

(b) date(s) on which consideration is payable,

(c) discounted value of consideration on the date of agreement for transfer as per rule 48I.

(vi) In a case not covered by items (i) to (v) please state the amount of consideration :—

10. Address of the Registrar where the agreement is required to be registered :—

Signature
Transferor(s)

Signature
Transferee(s)

NOTE

(i) Where the space for furnishing the details in the Form is not adequate, separate sheets may be attached.

(ii) The statement in the Annexure can be either in Hindi or in English.

[No. 6896|F. No. 134|6|86-TPL]

V. D. WAKHARKAR, Director (TPL-II)
Central Board of Direct Taxes

Note.—Principal rules were published under Notification No. S.O. 969 dated 26-3-1962 and subsequently amended by S.O. No. 2029 dated 30-6-1962, 2565 dated 9-8-1962, 2508 dated 30-8-1963, 511 dated 4-2-1964, 2567 dated 27-7-1964, 3660 dated 13-10-1964, 169 dated 4-1-1965, 591 dated 15-2-65 360 dated 8-3-1965, 1086 dated 30-3-1965, 1886 dated 10-6-65 2153 dated 2-7-1965, 2704 dated 27-8-1965, 189 dated 13-1-66, 2451 dated 10-8-1966, 598 dated 13-2-1967, 846 dated 10-3-1967, 1949 dated 28-5-1967, 2460 dated 22-7-1967, 3218 dated 6-9-1967, 4588 dated 21-12-1967, 313 dated 29-2-1968, 1112 dated 18-3-1968, 1856 dated 22-5-1968, 2751 dated 2-8-1968, 2883 dated 24-8-1968, 3494 dated 25-9-1968, 624 dated 14-2-1968, 625 dated 14-2-1969, 2000 dated 23-5-1969, 2005 dated 24-5-1969, 4427 dated 29-10-1969, 5056 dated 29-12-1969, 152 dated 9-1-1970, 719 dated 23-2-1970, 3398 dated 14-10-1970, 3769 dated 18-11-1970, 4001 dated 16-12-70, 1917 dated 20-2-1971, 1996 dated 11-5-1971, 2168 dated 28-5-1971, 2272 dated 31-5-1971, 5595 dated 30-12-1971, 175(E) dated 6-3-1972, 436(E) dated 21-6-1972, 573(E) dated 1-9-1972, 708(E) dated 15-11-1972, 159(E) dated 20-3-1973, 160(E) dated 20-3-1973, 369(E) dated 2-7-1973, 128(E) dated 28-2-1974, 291(E) dated 14-5-1974, 567(E) dated 21-9-1974, 615(E) dated 17-10-1974, 627(E) dated 2-11-1974, 725(E) dated 19-12-1974, 25(E) dated 10-1-75, 295(E) dated 1-7-1975, 534(E) dated 24-9-1975, 543(E) dated 26-9-1975, 710(E) dated 18-12-1975, 134(E) dated 23-2-1976, 197(E) dated 15-3-1976, 266 (E) dated 31-3-1976, 275(E) dated 1-4-1976, 420(E) dated 19-6-1976, 615(E) dated 16-9-1976, 842(E) dated 30-12-1976, 18(E) dated 12-1-1977, 23(E) dated 18-1-1977, 210(E) dated 5-3-1977, 640(E) dated 27-8-1977, 665(E) dated 9-9-1977, 677(E) dated 22-9-1977, 720(E) dated 14-10-1977, 730(E) dated 18-10-1977, 827(E) dated 8-12-1977, 24(E) dated 18-1-1978, 178(E) dated 17-3-1978, 222(E) dated 31-3-1978, 351(E) dated 24-5-1978, 355(E) dated 25-5-1978, 362(E) dated 29-5-1978, 433(E) dated 7-7-1978, 464(E) dated 24-7-1978, 725(E) dated 23-12-1978, 58(E) dated 30-1-1979, 146(E) dated 20-3-1979, 324(E) dated 30-5-1979, 416(E) dated 21-7-1979, 607(E) dated 29-10-1979, 608(E) dated 29-10-1979, 609(E) dated 29-10-1979, 641(E) dated 6-11-1979, 40(E) dated 19-1-1980, 351(E) dated 26-5-1980, 396(E) dated 12-6-1980, 434(E) dated 18-6-1980, 562(E) dated 24-7-1980, 695(E) dated 29-8-1980, 832(E) dated 1-10-1980, 864(E) dated 17-11-1980, 931(E) dated 1-12-1980, 46(E) dated 22-1-1981, 47(E) dated 22-1-1981, 118(E) dated 20-2-1981, 139(E) dated 28-2-1981, 396(E) dated 30-5-1981, 492(E) dated 19-6-1981, 558(E) dated 14-7-1981, 618(E) dated 1-8-1981, 824(E) dated 21-11-1981, 104(E) dated 27-2-1982, 268(E) dated 12-4-1982, 365(E) dated 27-5-1982, 372(E) dated 29-5-1982, 433(E), dated 21-6-1982, 448(E) dated 26-6-1982, 472(E) dated 2-7-1982, 546(E) dated 31-7-1982, 128(E) dated 21-2-1983, 131(E) dated 23-2-1983, 146(E) dated 26-2-1983, 151(E) dated 28-2-1983, 152(E) dated 28-2-1983, 274(E) dated 31-3-1983, 388(E) dated 2-6-1983, 600(E) dated 19-8-1983, 789(E) dated 1-11-1983, 825(E) dated 18-11-1983, 34(E) dated 21-1-1984, 527(E) dated 24-7-1984, 757(E) dated 1-10-1984, 824(E) dated 7-11-1984, 952(E) dated 21-12-1984, 65(E) dated 31-1-1985, 91(E) dated 4-2-1985, 205(E) dated 19-3-1985 529(E) dated 17-7-1985, 568(E) dated 31-7-1985, 602(E) dated 12-8-1985, 838(E) dated 19-11-1985, 901(E) dated 18-12-1985, 937(E) dated 31-12-1985, 1(E) dated 3-1-1986, 147(E) dated 31-3-1986, 148(E) dated 31-3-86, 412(E) dated 9-7-1986, 413(E) dated 9-7-1986, 654 (E) dated 4-9-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 1986/भाद्रपद 13, 1908
No. 358] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 4, 1986/BHADRA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

आदेश सं. 62/85-88

खुला सामान्य लाइसेंस सं. 19/86

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1986

का. आ. 656 (अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त व्यापार क्षेत्रों और निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में स्थित एककों द्वारा विनिर्मित "बहिष्कृत माल" को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयात करने के लिए अगला आदेश होने तक, सामान्य अनुमति देती है, अर्थात् :—

1. सभी व्यक्तियों को "बहिष्कृत माल" के आयात करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

2. "बहिष्कृत माल" शब्द में वे उत्पाद आती हैं जिनमें विशिष्ट विनिर्माण की त्रुटि है और इस प्रकार से मुक्त व्यापार क्षेत्रों और निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में एककों की घोषणा के अनुसार निर्यात करने के योग्य नहीं है। "बहिष्कृत माल" में उप-मानकीकृत उत्पाद भी शामिल है लेकिन इसमें अतिरिक्त पुर्जे, औजार, छीजन (वेस्ट) अथवा सह-उत्पाद शामिल नहीं है। "बहिष्कृत माल" का निष्चय करने के लिए निम्नलिखित गाइडलाइनों को अपनाया जाए:—

(1) एकक को यह सत्यापित करना चाहिए कि इसके उत्पादों के विनिर्माण में एकक द्वारा लगाया गया माल या प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी की कमी के कारण "बहिष्कृत माल" का होना अपरिहार्य था।

(2) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इसकी स्वीकृति के समय एकक द्वारा "बहिष्कृत माल" पर "बहिष्कृत" की मोहर लगाई जाए और बीजक पर भी "बहिष्कृत" लिखा जाए।

(3) सीमा शुल्क सहायक समाहर्ता और केन्द्रीय आबकारी जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे एकक आते हैं उनकी संतुष्टि के लिए कि "बहिष्कृत" का निर्णय किया जाएगा। सहायक समाहर्ता यह निश्चय करेगा कि निम्नलिखित के संदर्भ में अमुक मद बहिष्कृत है :—

(क) क्रेता द्वारा विशिष्टिकृत कोटि नियंत्रण मापदण्ड,

(ख) एकक की आंतरिक कोटि नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट; और

(ग) अन्य तकनीकी राय जिसे यह आवश्यक समझे।

आर. एल. मिश्र, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात
[फाइल सं. 6/40/85-ईपीसी)]
मंजुला सुब्राह्मणियम,
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं
निर्यात कृते मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMRCE

(Import Trade Control)

ORDER NO. 62|85-88

OPEN GENERAL LICENCE NO. 19|86

New Delhi, the 4th September, 1986

S.O. 656(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby give general permission till further orders to import into the Demestic Tariff Area "rejects" manufactured by the units located in Free Trade Zones and Export Processing Zones subject to the following conditions; namely :—

1. 'Rejects' shall be permitted to be imported by all persons.

2. The term 'Rejects' shall cover the products which have definite manufacturing defect and as such are not exportable as per declaration of the units in Free Trade Zones and Export Processing Zones. 'Rejects, shall include sub-standard products but shall not include spares, tools, wastes or bye-Products. The following guidelines may be observed for determining 'rejects'.

(i) the unit must certify that the 'rejects' were unavoidable on account of flaws of technology, techniques or material deployed by the unit in the manufacture of its products.

(ii) the 'rejects' are also invoiced and stamped by the unit as "REJECTS" at the time of clearance into the Domestic Tariff Area;

(iii) the 'rejects' shall be established as such to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and Central Excise having jurisdiction over such Units. The Assistant Collector may decide that an item is a 'reject' with reference to :—

(a) the quality control yardsticks specified by the buyer,

(b) the report of the internal quality control department of the unit, and

(c) other technical opinion which he may consider necessary.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports
[F| No. 6|40|85-EPC]
MANJULA SUBRAMANIAM, Jt. Chief Controller of Imports and Exports for Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1986/भाद्र 14, 1908
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1986/BHADRA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1986

का. आ. 657(अ).—केन्द्रीय खाद्य मानक समिति, (जिस इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् अपनी प्रक्रिया और अपने कारबार के संव्यवहार का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय खाद्य मानक समिति (प्रक्रिया और कारबार संव्यवहार) उपविधि, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समिति की बैठकों का समय और स्थान :—समिति की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जो समय-समय पर, समिति के अध्यक्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् अध्यक्ष कहा गया है) द्वारा अवधारित किया जाए।

3. समिति की बैठकों को बुलाए जाने की शक्ति :—अध्यक्ष किसी भी समय समिति की बैठक बुला सकेगा और वह ऐसा तब भी करेगा जब समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप में उसके पास एक अभ्यपेक्षा प्रस्तुत की जाती है और बुलाए जाने के लिए प्रस्तावित बैठक में विचार विमर्श किए जाने वाले विषय का विनिर्देश किया जाता है।

4. बैठक के लिए सूचना :—(1) समिति की प्रत्येक बैठक की बाबत इक्कीस पूर्ण दिन से अन्यून की सूचना उसके ऐसे प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी जो उस समय भारत में है।

(2) समिति के किसी सदस्य को उपरोक्त सूचना की तामील यह तो किसी व्यक्ति के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसे प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा समिति के सचिव को लिखित रूप में समुचित उसके नवीनतम पते पर भेजेगा/टेलीग्राम द्वारा की जा सकेगी।

(3) समिति के किसी सदस्य को उपरोक्त सूचना देने के किसी आनुषंगिक लोप से समिति की ऐसी किसी बैठक में लिया गया कोई विनिश्चय या पारित संकल्प अधिविधिमान्य नहीं होगा।

(4) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष द्वारा समिति की बैठक सात पूर्ण दिन से अन्यून की संक्षिप्त सूचना पर बुलायी जा सकेगी

यदि अध्यक्ष की यह राय है कि प्रस्तावित बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाला विषय इस प्रकार का है जिस पर समिति द्वारा शीघ्रता से विचार किए जाने की अपेक्षा है।

5. गणपूर्ति :—(1) जब तक कि समिति के एक तिहाई सदस्य समिति की बैठक में उपस्थित नहीं होते तब तक समिति में किसी कारबार का व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि बैठक को बुलाए जाने के लिए नियत समय के आधे घंटे के अन्दर गणपूर्ति नहीं होती है तो वह उसी दिन उस समय तक स्थगित ले जाएगी जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे ।

(3) खंड (1) में किसी बात के हुए होते भी, यदि ऐसी स्थगित बैठक में भी गणपूर्ति नहीं है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति हो गी ।

6. समिति की बैठकों में अध्यक्ष द्वारा सभापतित्व किया जाना :—(1) समिति का अध्यक्ष जब उपस्थित हो तब वह समिति की सभी बैठकों में सभापतित्व करेगा ।

(2) यदि किसी भी कारण से, अध्यक्ष बैठक में उपस्थित न हो तो अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य समिति की बैठक में सभापतित्व करेगा ।

7. बैठक का स्थगन :—(1) अध्यक्ष, समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्यों की सहमति से समय-समय पर बैठक स्थगित कर सकेगा।

(2) अध्यक्ष की सहमति के बिना ऐसी किसी स्थगित बैठक में उस बैठक के लिए कार्यसूची में सम्मिलित कारबार से भिन्न कोई कारबार नहीं किया जाएगा ।

8. मतदान:—(1) समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ।

(2) समिति में विचार के लिए प्रस्तुत सभी विषयों का विनिश्चय ऐसी बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और किसी विवाद्यक पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उक्त बैठक में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा ।

9. कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार :—(1) ऐसे किसी कारबार का जिसका अध्यक्ष की राय में समिति की अगली बैठक से पूर्व संव्यवहार करना समिति के लिए आवश्यक है, संव्यवहार उपविधि 4 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट रीति में और नवीनतम पते पर उस समय भारत में उपस्थित समिति के सभी सदस्यों को कागज पत्रों के परिचालन द्वारा किया जा सकेगा और ऐसे परिचालन द्वारा सदस्यों के बहुमत से लिया गया कोई विनिश्चय या पारित संकल्प वैसे ही प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो वह यथास्थिति, समिति की बैठक में लिया गया हो या पारित किया गया हो ।

(2) जब खंड (1) में वर्णित कोई कागज पत्र परिचालन द्वारा सदस्यों को भेजे जाते हैं तो 30 पूर्ण दिन से अन्यून की अवधि सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी और ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उक्त कागज पत्र इस प्रकार भेजे जाते हैं ।

(3) जहां कोई संकल्प परिचालित किया जाता है वहां परिचालन के परिणाम समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किये जाएंगे ।

10. कारबार का अभिलेख :—समिति द्वारा संव्यवहृत सभी कारबार का एक अभिलेख जिसके अन्तर्गत कार्यवृत्तों का जारी किया जाना भी है बनाए रखा जाएगा । अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित उक्त कार्यवृत्तों को उस तारीख से जिसको कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं, 30 दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनके अनुमोदन या टिप्पणी के लिए परिचालित किया जाएगा । कार्यवृत्तों पर प्राप्त टिप्पणी को, यदि कोई हो, उक्त कार्यवृत्तों की पुष्टि के लिए समिति की अगली बैठक में रखा जाना चाहिए।

[सं. पी. 15016/10/82-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) पी. एफ. ए.]
एस. वी. सुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, 5th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 657(E).—In exercise of the Powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and after previous approval of the Central Government, the Central Committee for Food Standards (hereinafter refered to as the Committee) hereby makes the following Bye-laws for regulating its procedure and transaction of its business, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Bye-laws may be called the Central Committee for Food Standards (Procedure and Transaction of Business) Bye-laws, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Time and place of meetings of the Committee.—The Committee shall meet at such time and place as the Chairman of the Committee (hereinafter referred to as the Chairman) may from time to time determine.

3. Power to call meeting of the Committee.—The Chairman may, at any time, call a meeting of the Committee and shall also do so, if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than fifty per cent of the members of the Committee specifying the subject of discussion at the meeting proposed to be called.

4. Notice for meeting .—(1) A notice of not less than twenty-one clear days' in respect of every meeting of the Committee, shall be given to each of its members who is for the time being in India.

(2) The aforesaid notice may be served on any member of the Committee either through a person or by registered post or by telegram sent to each such member at his latest address intimated by him in writing to the Secretary of the Committee.

(3) Any incidnetal omission to give the aforesaid notice to any of the members of the Committee shall not invalidate any decision taken or resolution passed at any such meeting of the Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in clause (1), a meeting of the Committee may be called by the Chairman at a shorter notice of not less than seven

clear days if he is of opinion that the matter to be discussed at the purposed meeting is of such a nature that it requires to be considered urgently by the Committee.

5. Quorum.—(1) No business shall be transacted at a meeting of the Committee unless at least one-third of its members are present.

(2) If there is no quorum within half an hours from the time appointed for holding the meeting, the same shall stand adjourned till such time on the same day as the Chairman may decide.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (1), if there is no quorum at any such adjourned meeting also, members present at the meeting shall form the quorum.

6. Chairman to preside at meetings of the Committee.—(1) The Chairman of the Committee shall, when present, preside at all meetings of the Committee.

(2) If for any reason, the Chairman is not present in an meeting, any other member duly authorised by the Chairman shall preside at the meeting of the Committee.

7. Adjournment of meeting.—(1) The Chairman may, with the consent of the members present at any meeting of the Committee adjourn the meeting from time to time.

(2) No business other than the business included in the agenda for that meeting shall be transacted at any such adjourned meeting except with the consent of the Chairman.

8. Voting.—(1) Each member of the Committee shall have one vote.

(2) All matters submitted for consideration at a meeting of the Committee shall be decided by a majority of the members present and voting at such meeting; and in case of equality of votes on an issue, the Chairman or the person presiding at the said meeting shall have second or casting vote.

9. Transaction of business by circulation of papers.—(1) Any business, which in the opinion of the Chairman, is necessary for the Committee to transact before the next meeting of the Committee may be transacted by circulation of papers sent to all the members of the Committee, for the time being in India, in the manner and at the latest address as is specified in clause (2) of bye-law 4, and any decision taken or resolution passed by a majority of the members through such circulation shall be as affectual and binding as if it has been taken or, as the case may be, passed at a meeting of the Committee.

(2) When any papers mentioned in clause (1) are sent to the members by circulation, a period of not less than 30 clear days shall be allowed for the receipt of replies from the members and such period shall be counted from the date on which the said papers are so sent.

(3) Where a resolution is circulated, the results of circulation shall be communicated to all the members of the Committee.

10. Record of business.—A record of all business transacted by the Committee, shall be maintained including the issue of the minutes. The said minutes duly approved by the Chairman shall be circulated to all the members, for their approval or comments within 30 days of the date of which the minutes are issued. Comments received on the minutes, if any, should be put up at the next meeting of the Committee for confirmation of the said minutes.

[No. P. 15016|10|82-PH(F&N)|PFA]
S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1986/भाद्रपद 14, 1908
No. 360] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1986/BHADRA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1986

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 658(अ):—आयात एवम् निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः —

1. (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 11वां संशोधन आदेश, 1986 कहा जाए।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग "ख" की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 24-क के सामने प्रवृष्टि के लिए निम्नलिखित प्रवृष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः :—

"कथ (कोस्टस लाप्पा सिहन सोसुरिया लाप्पा-सी.बी.सी 1. एस्टेरेसिया), निजी भूमि मे उत्पादित तथा इससे व्युत्पन्न"

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात व निर्यात
[सं. ई(सी) ओ, 1977/ए एम(326)/फाइल सं. 48(4)/85-ई-2]

पाद टिप्पणी :—मुख्य आदेश अर्थात् निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के राजपत्र (असाधारण), के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-ii में पृष्ठ 1271 पर अधिसूचना एस ओ संख्या 254(ई) दिनांक 24-3-77 द्वारा प्रकाशित किया गया था और समय-समय पर संशोधित किया गया।

अंतिम संशोधन सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम(325), दिनांक 17 जुलाई, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3 उप खण्ड-ii में प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 5th September, 1986

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 658(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) Eleventh Amendment Order, 1986.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule I, in Part 'B', for the entry against serial number 24A, the following entry shall be substituted, namely :—

"Kuth (Costus lappa Syn. Saussurea lappa—C.B.Cl. Asteraceae) cultivated in private lands, and its derivatives".

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.
[No. E(C)O, 1977|AM(326)|F. No. 48(4)|85-E-II]

Footnote : Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977, published vide Notification S.O No. 254E dated 24-3-1977, published in Gazette of India, 1977, (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) Page 1271, as amended from time to time.

The last amendment No. E(C)O, 1977|AM(325) dated 17th July 1986 in Part II, Section 3, Sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 1986/भाद्र 14, 1908
No. 361] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1986/BHADRA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1986

का.आ. 659 (अ) :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय कर नियम, 1962 के नियम 3 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में मद (1) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जहां निर्धारिती दावा करता है और आय-कर अधिकारी का समाधान हो जाता है कि पूर्वोक्त आधार पर निकाली गई राशि आय-सुविधा के उचित किराए मूल्य से अधिक है, वहां निर्धारिती को प्राप्त परिलब्धि का मूल्य ऐसे उचित किराए मूल्य तक सीमित होगा ;"।

[फा. सं. 6897/एफ सं. 142/58/86-टी पी एल]
बी. डी. बकरकर, निदेशक, (टी. पी. एल.-2)

टिप्पण :—मूल नियम, अधिसूचना सं. का. आ. 969 तारीख 26-3-62 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

का. आ. सं. 2029, तारीख 30-6-1962, 2565 तारीख 9-8-1962, 2508 तारीख 30-8-1963, 511 तारीख 4-2-1964, 2567 तारीख 27-7-1964, 3660 तारीख 13-10-1964, 169 तारीख 4-1-1965, 591 तारीख 15-2-1965, 860 तारीख 8-3-1965, 1086 तारीख 30-3-1965, 1886 तारीख 10-6-1965, 2153 तारीख 2-7-1965, 2704 तारीख 27-8-1965, 189 तारीख 13-1-1966, 2451 तारीख 10-8-1966, 598 तारीख 13-2-1967, 846 तारीख 10-3-1967, 1949 तारीख 28-5-1967, 2460 तारीख 22-7-1967, 3218 तारीख 6-9-1967, 4588 तारीख 21-12-1967, 813 तारीख 29-2-1968, 1112 तारीख 18-3-1966, 1856 तारीख 22-5-1968, 2751 तारीख 2-8-1968, 2883 तारीख 24-8-1968, 3949 तारीख 25-9-1968, 624 तारीख 14-2-1969, 625 तारीख 14-2-1969 2000 तारीख 23-5-1968, 2005 तारीख 24-5-1969, 4427 तारीख 29-10-1969, 152 तारीख 9-1-1970, 719 तारीख 23-2-1970

3398 तारीख 14-10-1970, 3769 तारीख 18-11-1970, 4001 तारीख 16-12-1970, 1917 तारीख 20-2-1970, 1997 तारीख 11-5-1971, 2168 तारीख 28-5-1971, 2272 तारीख 31-5-1971, 5595 तारीख 30-12-1971, 175 (अ) तारीख 3-3-1972, 436 (अ) तारीख 21-6-1972, 573 (अ) तारीख 1-9-1972, 708 (अ) तारीख 15-11-1972, 159 (अ) तारीख 20-3-1973, 160 (अ) तारीख 20-3-1973, 369 (अ) तारीख 2-7-1973, 128 (अ) तारीख 28-5-1974, 291 (अ) तारीख 14-5-1974, 567 (अ) तारीख 21-9-1974, 615 (अ) तारीख 17-10-1974, 627 (अ) तारीख 2-11-1974, 725 (अ) तारीख 19-12-1974, 25 (अ) तारीख 10-1-1975, 295 (अ) तारीख 1-7-1975, 534 (अ) तारीख 24-9-1975, 543 (अ) 26-9-1975, 7 10 (अ) तारीख 18-12-1975, 134 (अ) तारीख 23-2-1976, 197 (अ) तारीख 15-3-1976, 266 (अ) तारीख 31-3-1976, 275 (अ) तारीख 1-4-1976, 420 (अ) तारीख 19-6-1976, 615 (अ) तारीख 16-9-1978, 842 (अ) तारीख [30-12-1976, 18 (अ) तारीख 12-1-1977, 23 (अ) तारीख 18-1-1977, 210 (अ) तारीख 25-3-1977, 640 (अ) तारीख 27-8-1977, 665 (अ) तारीख 9-9-1977, 677 [(अ)] तारीख [22-9-1977, 720 (अ) तारीख 14-10-1977, [730 (अ) तारीख 18-10-1977, 827 (अ) तारीख 8-12-1977, 24 (अ) तारीख 18-1-1978, 178 (अ) तारीख 17-3-1978, 222 (अ) तारीख 31-3-1978, 351 (अ) तारीख 24-5-1978, 355 (अ) तारीख 25-5-1978, 363 (अ) तारीख 29-5-1978, 433 (अ) तारीख 7-7-1978, 464 (अ) तारीख 24-7-1978, 725 (अ) तारीख 23-12-1978, 58 (अ) तारीख 30-1-1979, 416 [(अ)] तारीख [20-3-1979, 324 (अ) तारीख 30-5-1979, 416 [(अ)] [तारीख 21-7-1979, 607 (अ) तारीख 29-10-1979, 608 (अ) तारीख 29-10-1979, 641 (अ) तारीख 6-11-1979, 40 (अ) तारीख 19-1-1980, 351 (अ) तारीख 26-5-1980, 396 (अ) तारीख 12-6-1980, 434 (अ) तारीख 18-6-1980, 562 (अ) तारीख 24-7-1980, 695 (अ) तारीख 29-8-1980, 832 (अ) तारीख 1-10-1980, 894 (अ) तारीख 17-11-1980, 931 (अ) तारीख 1-12-1980, 46 (अ) तारीख 22-1-1981, 47 (अ) तारीख 22-1-1981, 118 (अ) तारीख 20-2-1981, 139 (अ) तारीख 28-2-1981, 396 (अ) तारीख 30-5-1981, 492 (अ) तारीख 19-6-1981, 558 (अ) तारीख 14-7-1981, 618 (अ) तारीख 1-8-1981, 824 (अ) तारीख 21-11-1981, 104 (अ) तारीख 27-2-1982, 268 (अ) तारीख 12-4-1982, 365 (अ) तारीख 27-5-1982 372 (अ) तारीख 29-5-1982, 433 (अ) तारीख 21-6-1982, 448 (अ) तारीख 26-6-1982, 472 (अ) तारीख 2-7-1982, 546 (अ) तारीख 31-7-1982, 128 (अ) तारीख 21-2-1983, 131 (अ) तारीख 23-2-1983, 146 (अ) तारीख 26-2-1983, 151 (अ) तारीख 28-2-1983, 152 (अ) तारीख 28-2-1983, 274 (अ) तारीख 31-3-1983, 388 (अ) तारीख 2-6-1983, 600 (अ) तारीख 19-8-1983, 789 (अ) तारीख 1-11-1983, 825 (अ) तारीख 18-11-1983, 34 (अ) तारीख 21-1-1984, 572 (अ) तारीख 24-7-1984, 757 (अ) तारीख 1-10-1984, 824 (अ) तारीख 7-11-1984, 952 (अ) तारीख 21-12-1984, 65 (अ) तारीख 31-1-1985, 91 (अ) तारीख 4-2-1985, 205 (अ) तारीख 19-3-1985, 529 (अ) तारीख 17-7-1985, 568 (अ) तारीख 31-7-1985, 602 (अ) तारीख 12-8-1985, 838 (अ) तारीख 19-11-1985, 901 (अ) तारीख 18-12-1985, 937 (अ) तारीख 31-12-1985, 1 (अ) तारीख 3-1-1986, 147 (अ) तारीख 31-3-1986, 148 (अ) तारीख 31-3-1986 412 (अ) तारीख 9-7-1986, 413 (अ) तारीख 9-7-1986, 654 (अ) तारीख 4-9-1986, 655 (अ) तारीख 4-9-1986

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

Income-Tax

New Delhi, the 5th September, 1986

S. O. 659 (B) :—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1987.

2. In rule 3 of the Income-tax Rules, 1962, in clause (a), in sub-clause (ii), to item (1), the following proviso shall be added, namely :

"Provided that where the assessee claims and the Income-tax Officer is satisfied that the sum arrived at on the aforesaid basis exceeds the fair rental value of the accommodation, the value of the perquisite to the assessee shall be limited to such fair rental value ;"

[No. 6897 (F. No. 142/58/86-TPL]
V. D. WAKHARKAR, Director (TPL-II)

Note: Principal rules were published under Notification No. S.O. 969 dated 26-3-1962 and subsequently amended by S. O. No. 2029 dated 30-6-1962, 2565 dated 9-8-1962, 2508 dated 30-8-1963, 511 dated 4-2-1964, 2567 dated 27-7-1964, 3660 dated 13-10-1964, 169 dated 4-1-1965, 591 dated 15-2-1965, 360 dated 8-3-1965, 1086 dated 30-3-1965, 1886 dated 10-6-1965, 2153 dated 2-7-1965, 2704 dated 27-8-1965 189 dated 13-1-1966 2451 dated 10-8-1966, 598 dated 13-2-1967, 846 dated 10-3-1967, 1949 dated 28-5-1967, 2460 dated 22-7-1967, 3218 dated 6-9-1967, 4588 dated 21-12-1967 313 dated 29-2-1968, 1112 dated 18-3-1968, 1856 dated 22-5-1968, 2751 dated 2-8-1968, 2883 dated 24-8-1968, 3494 dated 25-9-1968, 624 dated 14-2-1969, 625 dated 14-2-1969, 2000 dated 23-5-1969, 2005 dated 24-5-1969, 4427 dated 29-10-1969, 5056 dated 29-12-1969, 152 dated 9-1-1970 719 dated 23-2-1970, 3398 dated 14-10-1970, 3769 dated 18-11-1970 4001 dated 16-12-1970, 1917 dated 20-2-1971, 1996 dated 11-5-1971, 2168 dated 28-5-1971, 2272 dated 31-5-1971, 5595 dated 30-12-1971, 175(E) dated 6-3-1972, 436(E) dated 21-6-1972, 573(E) dated 1-9-1972, 708 (E) dated 15-11-1972 159(E) dated 20-3-1973, 160(E) dated 20-3-1973, 369 (E) dated 2-7-1973, 128(E) dated 28-2-1974, 291(E) dated 14-5-1974 567 (E) dated 21-9-1974 615(E) dated 17-10-1974 627(E) dated 2-11-1974, 725(E) dated 19-12-1974 25(E) dated 10-1-1975 295(E) dated 1-7-1975 534(E) dated 24-9-1975 543 (E) dated 26-9-1975 710(E) dated 18-12-1975 134(E) dated 23-2-1976 197(E) dated 15-3-1976, 266(E) dated 31-3-1976, 275(E) dated 1-4-1976 420(E) dated 19-6-1976 615(E) dated 16-9-1976 842(E) dated 30-12-1976 18(E) dated 12-1-1977 23(E) dated 18-1-1977 210(E) dated 5-3-1977 640(E) dated 27-8-1977 665(E) dated 9-9-1977 677(E) dated 22-9-1977, 720(E) dated 14-10-1977, 730(E) dated 18-10-1977, 827(E) dated 8-12-1977, 24(E) dated 18-1-1978, 178(E) dated 17-3-1978, 222(E) dated 31-3-1978, 351(E) dated 24-5-1978, 355(E) dated 25-5-1978, 362(E) dated 29-5-1978, 433(E) dated 7-7-1978, 464(E) dated 24-7-1978, 725(E) dated 23-12-1978, 58(E) dated 30-1-1979, 146(E) dated 20-3-1979, 324(E)

dated 30-5-1969, 416(E) dated 21-7-1979, 607(E) dated 29-10-1979, 608(E) dated 29-10-1979, 609(E) dated 29-10-1979 641(E) dated 6-11-1979, 40(E) dated 19-1-1980, 351(E) dated 26-5-1980, 396(E) dated 12-6-1980, 434(E) dated 18-6-1980, 562(E) dated 24-7-1980, 695(E) dated 29-8-1980, 832(E) dated 1-10-1980, 864(E) dated 17-11-1980 931 (E) dated 1-12-1980, 46(E) dated 22-1-1981, 47(E) dated 22-1-1981, 118(E) dated 20-2-1981, 139(E) dated 28-2-1981, 396(E) dated 30-5-1981, 492(E) dated 19-6-1981, 558(E) dated 14-7-1981, 618(E) dated 1-8-1981 824(E) dated 21-11-1981 104(E) dated 27-2-1982 268(E) dated 12-4-1982, 365(E) dated 27-5-1982 372(E) dated 29-5-1982, 433(E) dated 21-6-1982 448(E) dated 26-6-1982, 472(E) dated 2-7-1982, 546(E) dated 31-7-1982, 128(E) dated 21-2-1983, 131(E) dated 23-2-1983 146(E) dated 26-2-1983, 151(E) dated 28-2-1983, 152(E) dated 28-2-1983, 274(E) dated 31-3-1983 388(E) dated 2-6-1983, 600(E) dated 19-8-1983, 789(E) dated 1-11-1983, 825(E) dated 18-11-1983, 34(E) dated 21-1-1984, 527(E) dated 24-7-1984, 757(E) dated 1-10-1984, 824(E) dated 7-11-1984, 952(E) dated 21-12-1984, 65(E) dated 31-1-1985, 91(E) dated 4-2-1985, 205(E) dated 19-3-1985, 529(E) dated 17-7-1985, 568(E) dated 31-7-1985, 602(E) dated 12-8-1985, 838(E) dated 19-11-1985. 901(E) dated 18-12-1985, 937 (E) dated 31-12-1985, 1(E) dated 3-1-1986, 147(E) dated 31-3-1986 148(E) dated 31-3-1986, 412(E) dated 9-7-1986, 413(E) dated 9-7-1986, 654(E) dated 4-9-1986, 655(E) dated 4-9-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-78 REGISTERED No. D. (D.L.) 78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1986/भाद्रपद 17, 1908
No. 362] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1986/BHADRA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

[(विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त 1986

का.आ. 660(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग का जिन की प्रबलता, और पैक आकार उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, को पुनरीक्षित अधिकतम कीमत जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है, नियत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रेडनीसोलोन टिकिया	5 मि.ग्रा./टिकिया	1000 का आधान	173.77
2.	प्रेडनीसोलोन टिकिया	5 मि.ग्रा./टिकिया	10×10 की स्ट्रिप	19.22
3.	प्रेडनीसोलोन टिकिया	5 मि.ग्रा./टिकिया	10 की स्ट्रिप	1.92
4.	प्रेडनीसोलोन टिकिया	5 मि.ग्रा./टिकिया	500 की बोतल	86.90

[सं. 9(27)/86-डीII]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, the 25th August, 1986

S.O. 660(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table hereto annexed as therevised leader price, exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations, specified in the corresponding entry inclu comn(2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entry in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulations	Strength	Pack Size	Leader Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prednisolone Tab.	5mg/Tab.	1000's Container	173.77
2.	Prednisolone Tab.	5mg/Tab.	10 x 10 Strip	19.22
3.	Prednisolone Tab.	5mg/Tab.	10's Strip	1.92
4.	Prednisolone Tab.	5mg/Tab.	500's Bottle	86.90

[No. 9(27)/86-D. II]

आदेश

का.आ. 661(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी में स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग, जिनकी प्रबलता और पैक आकार उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, की अग्रणी कीमत, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है, नियत करती है ।

सारणी

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हाइड्रोकार्टिसोन एसिटेट इंजैक्शन	25 मि.ग्रा./मि.लि.	5 मि.लि. वायल	6.47
2.	हाइड्रोकार्टिसोन एसिटेट इंजैक्शन	25 मि.ग्रा./मि.लि.	1 मि.लि. वायल	3.24
3.	प्रेडनिसोलोन एसिटेट इंजैक्शन	20 मि.ग्रा./मि.लि.	3 मि.लि. वायल	4.09

[सं. 9(27)/86-डी.-II]

आर.एस. माथुर, संयुक्त सचिव और
विकास आयुक्त (औषधि)

ORDER

S.O. 661(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below, as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in corresponding entry in column (2) of said Table with the strength and pack sizes specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Leader phice (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hydrocortisone Acetate Inj.	25mg/ml	5ml vial	6.47
2.	Hydrocortisone-Acetate Inj.	25mg/ml	1ml vial	3.24
3.	Prednisolone Acetate Inj.	20mg/ml	3ml vial	4.09

[No. 9(27)/86-D. II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 1986/भाद्रा 18, 1908
No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1986/BHADRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(अन-भूतल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1986

का. आ. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 36, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण को अधिकतम सुरक्षित लदान भार तथा ट्रेलर के आयामों सहित अनुमोदन प्रदान करती है :

अनुसूची

1. ट्रैक्टर की चैसिस संख्या	60705	
2. ट्रैक्टर की इंजन संख्या	आर एम 4330	
3. ट्रेलर की चैसिस संख्या	एच ई डब्ल्यू/डब्ल्यू टी 0006	
4. सुझाया गया भार		
लदान रहित भार	46.4 टन	
आय भार	220 टन	
कुल लदान भार	266.4 टन	
5. आयाम	कुल लम्बाई	48.704 मीटर
	कुल चौड़ाई	3.210 मीटर
	कुल ऊंचाई	3.380 मीटर
6. वाहन का प्रकार	लोबैड, टीयरिंग टाइप ट्रेलर मैसर्स मीरा इंजीनियरिंग वर्क्स एंड 6×4 धरोनी क्राफ्ट अन्तर ट्रैक्टर द्वारा निर्मित है।	
7 स्वामित्व	सुरेश कुमार लारी ट्रांसपोर्ट, मद्रास	

उपर्युक्त छूट ऊपर विवेचित आर्टिकुलेटिड वाहनों के संदर्भ में, अधिभार नियत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी गई है :—

1) राज्य सरकार द्वारा इंगित मार्गों के सभी स्ट्रक्चर क्योंकि असुरक्षित हैं अतः उन पर विभागीय इंजीनियरों की संतुष्टि के अनुसार गतिरोधक अथवा दिशा निर्देश बनाए जाएं।

2) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के शहर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मौजूद स्ट्रक्चरों पर गतिरोधक बनाए जाएं। जब भी इन गतिरोधकों की मरम्मत का कार्य किया जाए तो हारिजान्टल रनर्स तथा स्टील प्लेटों सहित साथ-साथ मिली हुई स्टील क्रिब्स का प्रयोग किया जाए ताकि लोड ट्रांसमिशन में एक रूपता रहे।

3) सड़क पर गतिरोधक तथा दिशा निर्देश बनाने का कार्य ट्रांसपोर्टर के अपने जोखिम व लागत पर तथा इस विभाग के विभागीय इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार किया जाए।

4) ट्रांजिट के दौरान राजमार्ग एंव ग्रामीण कार्य विभाग का प्रतिनिधि भी लिया जाए जो सहायक विभागीय इंजीनियर से निम्न पद का न हो। ट्रांसपोर्टर द्वारा पायलटिंग प्रबन्ध किया जाए।

5) वाहन की चालन क्षमता का पता लगाने के लिए स्ट्रक्चरों पर गतिरोधक का कार्य पूरा होने के पश्चात परीक्षण हेतु खाली स्थिति में वाहन का एक चक्कर लगाया जाए।

6) वाहन के आवागमन के कार्यक्रम की सूचना सम्बद्ध विभागीय इंजीनियरों को कम से कम 10 दिन पहले दे दी जाए तथा उनकी क्लीयरेंस भी ली जाए।

7) सड़क की सतह के टूट फूट हो जाने की दशा में ट्रांसपोर्टरों के अपने जोखिम और लागत पर उसकी उचित मरम्मत का कार्य किया जाए।

8) यह आश्वस्त किया जाए कि इस वाहन के चलते समय कोई अन्य वाहन सड़क पर न हो।

9) अधिकतम एक्सिल भार तथा न्यूनतम लदान भार अनुसूची में दी गई सीमाओं से अधिक न हो।

10) कुल लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 48.704 मी०, 3.210 मी., 3.380 मी. से अधिक नहीं हो।

11) ट्रांजिट के दौरान उक्त कम्बीनेशन्ज अथवा उनके कान्टैन्टस द्वारा की जाने वाली क्षति के लिए राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग उत्तरदायी नहीं है।

12) वाहनों के आवागमन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सड़क एवं सड़क स्ट्रक्चर को सभी टूट फूट के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी तथा वह राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मूल्यांकित की गई सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगी।

13) उक्त वाहन ट्रैफिक की सामान्य गति के साथ बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है।

14) वाहनों की एक्स्ट्रीमिटीज का स्पष्टतया संकेत करने के लिए सभी आवश्यक चेतावनी सिग्नलों यथा दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्तियों की व्यवस्था की जाए।

15) स्वीकृत अनुमति अब केवल सड़कों के उन्हीं भागों पर लागू होगी जो राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के न्यायाधिकार के अंतर्गत आती हैं तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य विभागों से सम्बद्ध सड़कों और सड़क स्ट्रक्चरों पर अपने वाहनों के प्रचालन की अनुमति संबंधित प्राधिकारियों की कंपनी द्वारा ली जाए।

16) यह अनुमति इस आदेश के जारी होने की तिथि से केवल एक वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होनी चाहिए।

17) वाहनों के लिए इस अनुमति की मंजूरी राजमार्गों एवं ग्रामीण कार्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों को इन वाहनों के आवागमन को स्थगित करने अथवा विनियमित करने की छूट नहीं देती जो सड़क एवं सड़क स्ट्रक्चरों की दशा को ध्यान में रखते हुए स्थिति की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं।

18) यह अनुमति इस शर्त में स्वीकार की गई है कि आवेदक को मंजूर किए गए अधिकतर भार के लिए अतिरिक्त कर भी अदा करना होगा।

[आर टी-11011/7/86 ; टी एजी]
बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1986

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 36 of Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby accords approval to the registration of following vehicles with the maximum safe laden weight and dimensions of the trailer mentioned in the schedule appended hereto :—

SCHEDULE

1. Chassis number of tractor	60705	
2. Engine number of tractor	RM4336	
3. Chassis number of trailer	HEW-WT-0006.	
4. Recommended load :		
Unladen weight	46.4 tonnes.	
Pay load	220 tonnes.	
GLW	266.4 tonnes.	
5. Dimensions	Overall length 48.704 mts. Overall width 3.210 mts. Overall height 3.380 mts.	
6. Type of vehicle	Lowbed, tearing type trailer manufactured by M/s Meera Engineering Works and 6×4 Throny Craft Antar tractor.	
7. Owned by :	Suresh Kumar Lorry Transport, Madras.	

2. The above relaxation for the purpose of assigning higher weight limit in respect of the articulated vehicles the description of which is indicated above, is given on the basis of following conditions :—

(1) All the structures on the routes indicated by the State Government being unsafe shall be propped or diversion formed to the satisfaction of Departmental Engineers.

(2) All the existing structures within City limit of NH4 should be propped. Whenever propping is restored to, it shall be done with closely packed steel cribs with horizontal runners and steel plates so as to ensure uniform load transmission.

(3) Propping of the structures or formation of diversion road should be done by the transport at his risk and cost and to the satisfaction of the Divisional Engineers of this Department.

(4) A representative of Highways and Rural Works Department not below the rank of Asstt. Divisional Engineer should be taken along during the transit. Piloting arrangements should be made by the transporter.

(5) For assessing the manoeurability of the vehicle, a trial run in empty condition should be made after carrying out propping of structures.

(6) The programme of movement of the vehicle should be intimated at least ten days in advance to the Divisional Engineers concerned and their clearance should be obtained.

(7) In the event of damages to the road crust, proper rectification should be carried out by the transporters at his risk and cost.

(8) It should be ensured that no other vehicle is on the structure while this vehicle is moved.

(9) The maximum axle weight and minimum laden weight shall not exceed the limits indicated in the schedule.

(10) The overall length, width, height shall not be more than 48.704m, 3.210m, 3.380 m. respectively.

(11) The Highways and Rural Works Department is not responsible for any damage that may be sustained either by the said combination or their contents during the transit.

(12) The Company shall be responsible for all damages caused to the road and the road structures either directly or indirectly due to the movement of the vehicles and they shall be liable for all damages as assessed by the Highways and Rural Works Department.

(13) The said vehicles shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(14) All the necessary warning signals such as red flag in the day time and red lights in the night time shall be provided to indicate the extremities of the vehicles clearly.

(15) The permission granted now shall apply only to the portions of the roads lying within the jurisdiction of Highways and Rural Works Department and permission for plying their vehicles over roads and road structures vested with the local bodies and other departments in the route if any has to be obtained by the Company from the concerned authorities.

(16) This permission shall be valid only for a period of one year from the date of issue of this order.

(17) The grant of this permission to vehicles does not prevent the local officers of Highways and Rural Works Department from regulating or stopping the movement of these vehicles depending upon the exigencies of the situations and having regard to the condition of the road and road structures.

(18) This permission is granted on condition that the petitioner should pay additional tax also for the higher weight permitted.

[RT-11011/7/86-TAG]

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 1986/भाद्र 18, 1908
No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 9, 1986/BHADRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1986

का.आ. 663(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 24 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तत्कालीन नौवहन परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 539(ई) दिनांक 22 सितम्बर, 1979, में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कालम 2 में कर्नाटक राज्य से संबंधित मद संख्या 8 के सामने की तालिका में वर्ग समूह "सी टी" के बाद, वर्ग समूह "सी आर", "सी बी", "सी एम", "सी एस" तथा "सी एल" जोड़ा जायेगा ।

[आर.टी.-11011/4/86-टी.ए.जी.]
बी.आर. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1986

S.O. 663 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S.O.No. 539 (E) dated 22nd September, 1979 as amended from time to time, namely :—

In the said notification in the Table against item No. 8 relating to the State of Karnataka in column 2, after the group of letters "CT" the group of letters "CR", "CB", "CM", "CS" and "CL" shall be added.

[RT-11011/4/86-TAG]
B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1986/भाद्र 19, 1908
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1986/BHADRA 19, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 664(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"नियम 11 (1) सरकारी सेवक इस नियम के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार कराने का या यथास्थिति भारत के भीतर या बाहर, चिकित्सीय उपचार कराने पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार होगा ।

(2) भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार कराने का इच्छुक सरकारी सेवक, उस विभाग/मंत्रालय के माध्यम से जिसमें वह सरकारी सेवक कार्य करता है, अपना आवेदन इस नियम के अधीन स्थापित स्थायी समिति को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में देगा ।

(3) सरकारी सेवक अपना या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य का नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कोई चिकित्सा भारत से बाहर कराना चाहता है, इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के बाहर चिकित्सीय उपचार कराने के लिए पात्र होगा :—

सारणी

(1) हृदयवाहिका शल्यचिकित्सा;

(2) गुर्दा प्रत्यारोपण;

(3) अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण;

(4) जोड़ प्रतिस्थापन एवं शल्य चिकित्सा;

(5) अस्थिसन्धान प्रत्यारोपण;

(6) कैंसर चिकित्सा एवं अन्वेषित संबंधी विकास, जैसे मोनो क्लोनल तथा मोनोक्लोनिक एंटीबॉडीज;

(7) सम्पूर्ण-वाहिका शल्यचिकित्सा एवं लेजर — शल्य चिकित्सा;

(8) लैसर उपचार जिसके बाद शल्यचिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहती;

(9) नेत्र चिकित्सा संबंधी मामलों में अरगान, त्रिप्टन तथा वाई. ए. जी. लैसर से उपचार;

(10) पराश्रव्य स्तब्धता तरंग द्वारा शरीर में अतिरिक्त पत्थरी दूर करना ।

(4) केन्द्रीय सरकार (उपनियम 3) की सारणी में विनिर्दिष्ट उपचार सुविधाओं की सूची का समय-समय पर पुनर्विलोकन करने के लिए सक्षम होगी और उसमें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिवर्धन या लोप कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(5) केन्द्रीय सरकार इस नियम के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार के मामलों पर विचार करने और उसकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति गठित कर सकेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

(ख) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संयोजक)

(6) भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उचित विचार करने के पश्चात् यदि स्थायी समिति का समाधान हो जाता है कि इस बीमारी की चिकित्सा केवल भारत से बाहर की जा सकती है, तो वह आवेदन पर अपनी मंजूरी देते हुए संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय को, जहां आवेदक सरकारी सेवक कार्यरत है, प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी और संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय उस प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी समिति द्वारा निर्धारित, पद्धति के अनुसार संबंधित सरकारी सेवक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का भारत से बाहर चिकित्सा कराने पर होने वाले आवश्यक व्यय का वहन करेगा ।

(7) केन्द्रीय सरकार भारत से बाहर कराए गए चिकित्सीय उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति को प्राधिकृत करने के लिए सक्षम होगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार सेवक द्वारा नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा के लिए पूर्व मंजूरी नहीं ली जा सकी थी ;

परन्तु इस नियम के अधीन यह तब जब कि भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूरी करता हो ।

(8) स्थायी समिति, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के साथ एक परिचर के जाने की सिफारिश कर सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि भारत से बाहर चिकित्सा करवा रहे सरकारी सेवक अथवा उसके कुटुम्ब के सदस्य के हित में ऐसा करना आवश्यक है और वह इस प्रकार उपगत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का भी पात्र होगा ।

(9) स्थायी समिति, भारत से बाहर चिकित्सीय उपचार के आवेदन के प्राप्त हो जाने पर यदि यह समझती है कि उक्त बीमारी की चिकित्सा के लिए पर्याप्त सुविधा भारत के भीतर किसी चिकित्सा संस्था में उपलब्ध है तो वह इस निष्कर्ष को रिकार्ड करेगी और भारत के भीतर ऐसी चिकित्सा संस्था में ऐसी बीमारी की चिकित्सा प्राधिकृत करेगी जिसके पश्चात् किसी चिकित्सा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

(10) उपनियम (9) के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्थायी समिति के परामर्श में समय-समय पर ऐसी संस्थाओं के नाम, ऐसी बीमारियों के नाम तथा ऐसी संस्थाओं में उपलब्ध चिकित्सा की किस्में अधिसूचित करेगा ।

(11) उपचार के लिए व्यय और पात्रता का वह मापमान जिसके लिए कोई सरकारी सेवक या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य हकदार होगा, तत्समय प्रवृत्त किसी सहायता चिकित्सीय परिचर्या स्कीम के अधीन विदेश मंत्रालय में तत्समान ग्रेड की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के व्यय और पात्रता के मापमान के समान होगा ।

[सं. एस-14025/26/85-एम एस]
पी. अप्पर. दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 664(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Services (Medical Attendance) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely :—

"Rule 11 (1). A Government servant shall be eligible to obtain medical treatment outside India or, as the case may be, to claim reimbursement of the cost of medical treatment obtained inside or outside India in accordance with the provisions of this rule.

(2) A Government servant desirous of availing of medical treatment outside India may make an application through the Department/Ministry to which the Government servant is attached to the Standing Committee established under this rule in the form specified by the Standing Committee.

(3) A Government servant desiring to avail of medical treatment outside India for himself or for a member of his family for any treatment specified in the Table below shall, subject to the other provisions of this rule, be eligible for medical treatment outside India :

TABLE

(i) Cardio Vascular Surgery;

(ii) Kidney transplant;

(iii) Other organ transplants;

(iv) Joint replacements and surgery;

(v) Bone marrow transplant;

(vi) Certain types of medical and oncological disorder, such as Luekaentia and neo-plastic conditions,

(vii) Micro vascular surgery and Neuro surgery;

(viii) Treatment with Laser which obviates the need of open surgery;

(ix) Treatment with Argon, Krypton and Yag Laser in Opthalmic cases;

(x) Extra corporeal stone disintegration by ultrasonic shock waves.

(4) It shall be competent for the Central Government to review from time to time the list of treatment facilities as specified in the Table to sub-rule (3) and make such additions or deletions as it may deem fit by notification in the Official Gazette.

(5) The Central Government may, for purposes of this rule, constitute a Standing Committee consisting of —

(a) the Director General of Health Services in the Ministry of Health in the Central Government,

(b) the Director General of Armed Forces Medical Services,

(c) the Director General of the Indian Council of Medical Research, and

(d) the Joint Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare (Convenor) for purposes of considering and recommending to the Central Government cases for medical treatment outside India.

(6) On receipt of an application for medical treatment outside India, the Standing Committee may, if after due consideration, satisfied that the ailment or treatment can be treated only outside India, issue a certificate to the concerned Department or Ministry to which the applicant Government servant is attached conveying its approval of the application and the concerned Department or Ministry shall, on the strength of that certificate incur necessary expenditure in getting the Government servant concerned or the member of his family treated outside India in accordance with the procedure laid down by the Standing Committee.

(7) It shall be competent for the Central Government to authorise reimbursement of expenditure on medical treatment obtained outside India if it is satisfied that its prior approval could not be obtained by the Central Government servant due to circumstances beyond control.

Provided that the Government servant fulfils all other conditions relating to medical treatment outside India under this rule.

(8) The Standing Committee may, if it is satisfied that in the interest of the Government servant or the member of his family obtaining treatment abroad it is essential so to do, recommend one attendant to accompany the Government servant or the member of his family, as the case may be, and the expenditure so incurred shall also be eligible for reimbursement.

(9) Where the Standing Committee, on receipt of an application for medical treatment outside India consider that adequate facility for treatment of the ailment sought to be treated is available in any medical institution within India, it shall record such a finding and authorise treatment of such ailment in such medical institution within India whereupon the cost of such treatment shall be reimbursed.

(10) For purposes of sub-rule (9), the Ministry of Health in consultation with the Standing Committee shall, from time to time, notify the names of such institutions along with the ailments and the types of treatment available in such institutions.

(11) The scale of expenditure and the eligibility for treatment for which a Government servant or a member of his family shall be entitled, shall be identical to the scale of expenditure and the eligibility of an official of the Indian Foreign Service of the corresponding grade in the Ministry of External Affairs under any Assisted Medical Attendance Scheme for the time being in force."

[No. S-14025/26/85-MS]
P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1986/भाद्रपद 19, 1908
No. 366] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1986/BHADRA 19, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 665 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्प्रवास नियम, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उत्प्रवास नियम, 1983 में, नियम 25 में, "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "दो हजार" रखा जाएगा ।

[सं. ओ-11025(52)/85-उ. II]
ए. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 665 (E) :—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1983 :

1. Short Title and Commencement : (1) These Rules may be called the Emigration (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Emigration Rules, 1983 in rule 25, for the words "one thousand and five hundred" the words "two thousands" shall be substituted.

[No. Z-11025 (52) |85-Emig.II]
A. K. TANDON, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1986/भाद्र 19, 1908
No. 367] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1986/BHADRA 19, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 666(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) चौथा संशोधन, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 की अनुसूची में, गृह मंत्रालय शीर्षक के नीचे क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"9	असम राइफल्स	उपमहानिदेशक/ महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक"

[सं. 23/3/85-पब्लिक]
एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 2297, तारीख 3 नवम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 3406, तारीख 24 अक्तूबर, 1970 द्वारा किया गया और उनका निम्नलिखित द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है —

1. का. आ. सं. 1270 तारीख 27-3-1971
2. का. आ. सं 1271 तारीख 27-3-1971
3. का. आ. सं. 1521 तारीख 10-4-1971
4. का. आ. सं. 1668 तारीख 24-4-1971
5. का. आ. सं. 2996 तारीख 11-8-1971.
6. का. आ. सं. 3408 तारीख 15-9-1971
7. का. आ. सं. 5079 तारीख 3-11-1971
8. का. आ. सं. 5239 तारीख 23-11-1971
9. का. आ. सं. 5252 तारीख 29-11-1971
10. का. आ. सं. 5594 तारीख 30-12-1971
11. का. आ. सं. 210(अ) तारीख 18-3-1972
12. का. आ. सं. 299(अ) तारीख 18-4-1972
13. का आ. सं. 327(अ) तारीख 29-4-1972
14. का. आ सं. 513(अ) तारीख 31-7-1972
15. का. आ. सं. 568(अ) तारीख 30-8-1972
16. का. आ. सं. 716(अ) तारीख 18-11-1972
17. का. आ. सं. 23(अ) तारीख 17-1-1973
18. का. आ. सं. 354(अ) तारीख 25-6-1973
19. का. आ. सं. 2683 तारीख 22-9-1973

20. का. आ. सं. 507(अ) तारीख 19-9-1973
21. का. आ. सं. 519(अ) तारीख 26-9-1973
22. का. आ. सं. 552(अ) तारीख 19-10-1973
23. का. आ. सं. 724(अ) तारीख 1-12-1973
24. का. आ. सं. 263(अ) तारीख 26-4-1974
25. का. आ. सं. 321(अ) तारीख 24-5-1974
26. का. आ. सं. 265(अ) तारीख 18-6-1975
27. का. आ. सं. 140(अ) तारीख 25-2-1976
28. का. आ. सं. 195(अ) तारीख 15-3-1976
29. का. आ. सं. 348(अ) तारीख 14-5-1976
30. का. आ. सं. 480(अ) तारीख 19-7-1976
31. का. आ. सं. 493(अ) तारीख 24-7-1976
32. का. आ. सं. 599(अ) तारीख 6-9-1976
33. का. आ. सं. 698(अ) तारीख 30-10-1976
34. का. आ. सं. 19(अ) तारीख 12-1-1977
35. का. आ. सं. 228(अ) तारीख 10-3-1977
36. का. आ. सं. 2255(अ) तारीख 24-3-1977
37. का. आ. सं. 408(अ) तारीख 23-6-1977
38. का. आ. सं. 603(अ) तारीख 2-8-1977
39. का. आ. सं. 649(अ) तारीख 3-9-1977
40. का. आ. सं. 320(अ) तारीख 12-5-1978
41. का. आ. सं. 419(अ) तारीख 30-6-1978
42. का. आ. स. 2914 तारीख 7-10-1976
43. का आ. स. 598(अ) तारीख 19-10-1978
44. का. आ. स. 576 तारीख 17-2-1979
45. का. आ. सं. 1020 तारीख 24-3-1979
46. का. आ. सं. 338(अ) तारीख 7-6-1979
47. का. आ. सं. 3569 तारीख 27-10-1979
48. का. आ. सं. 852(अ) तारीख 18-12-1979
49. का. आ. सं. 245(अ) तारीख 11-4-1980
50. का. आ. सं. 543(अ) तारीख 7-7-1981
51. का. आ. सं. 768(अ) तारीख 23-10-1981
52. का. आ. सं. 917(अ) तारीख 28-12-1981
53. का. आ. सं. 428(अ) तारीख 13-6-1983
54. का. आ. सं. 563(अ) तारीख 8-8-1983
55. का. आ. सं. 639(अ) तारीख 5-9-1983
56. का. आ. स. 795(अ) तारीख 7-11-1983
57. का. आ. सं. 174(अ) तारीख 21-3-1984
58. का. आ. सं. 1(अ) तारीख 3-1-1984
59. का. आ. सं. 2 तारीख 5-1-1985
60. का. आ. सं. 799(अ) तारीख 30-10-1985
61. का. आ. सं. 46(अ) तारीख 4-2-1986

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 666(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Fourth Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, under the heading "MINISTRY OF HOME AFFAIRS", for serial number 9 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"9. Assam Rifles

Deputy Director General| Inspector General|Deputy Inspector General."

[No. 23|3|85-Public]

S. R. ARYA, Jt. Secy.

Note :—Principal rules published vide notification number 2297, dated the 3rd November, 1958, Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Subsequently amended vide notification number 3406 dated the 24th October, 1970, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) have been amended from time to time vide :—

1. S.O. No. 1270 dated 27-3-1971.
2. S.O. No. 1271 dated 27-3-1971.
3. S.O. No. 1521 dated 10-4-1971.
4. S.O. No. 1668 dated 24-4-1971.
5. S.O. No. 2996 dated 11-8-1971.
6. S.O. No. 3408 dated 15-9-1971.
7. S.O. No. 5079 dated 3-11-1971.
8. S.O. No. 5239 dated 23-11-1971.
9. S.O. No. 5252 dated 29-11-1971.
10. S.O. No. 5594 dated 30-12-1971.
11. S.O. No. 210(E) dated 18-3-1972.
12. S.O. No. 299(E) dated 18-4-1972.
13. S.O. No. 327(E) dated 29-4-1972.
14. S.O. No. 513(E) dated 31-7-1972.
15. S.O. No. 568(E) dated 30-8-1972.
16. S.O. No. 716(E) dated 18-11-1972.
17. S.O. No. 23(E) dated 17-1-1973.
18. S.O. No. 354(E) dated 25-6-1973.
19. S.O. No. 2683 dated 22-9-1973.
20. S.O. No. 507(E) dated 19-9-1973.
21. S.O. No. 519(E) dated 26-9-1973.
22. S.O. No. 552(E) dated 19-10-1973.
23. S.O. No. 724(E) dated 1-12-1973.
24. S.O. No. 263(E) dated 26-4-1974.
25. S.O. No. 321(E) dated 24-5-1974.
26. S.O. No. 265(E) dated 18-6-1975.
27. S.O. No. 140(E) dated 25-2-1976.
28. S.O. No. 195(E) dated 15-3-1976.

29. S.O. No. 348(E) dated 14-5-1976.
30. S.O. No. 480(E) dated 19-7-1976.
31. S.O. No. 493(E) dated 24-7-1976.
32. S.O. No. 599(E) dated 6-9-1976.
33. S.O. No. 698(E) dated 30-10-1976.
34. S.O. No. 19(E) dated 12-1-1977.
35. S.O. No. 228(E) dated 10-3-1977.
36. S.O. No. 255(E) dated 24-3-1977.
37. S.O. No. 408(E) dated 23-6-1977.
38. S.O. No. 603(E) dated 2-8-1977.
39. S.O. No. 649(E) dated 3-9-1977.
40. S.O. No. 320(E) dated 12-5-1978.
41. S.O. No. 419(E) dated 30-6-1978.
42. S.O. No. 2914 dated 7-10-1978.
43. S.O. No. 598(E) dated 19-10-1978.
44. S.O. No. 575 dated 17-2-1979.
45. S.O. No. 1020 dated 24-3-1979.
46. S.O. No. 338(E) dated 7-6-1979.
47. S.O. No. 3569 dated 27-10-1979.
48. S.O. No. 852(E) dated 18-12-1979.
49. S.O. No. 245(E) dated 11-4-1980.
50. S.O. No. 543(E) dated 7-7-1981.
51. S.O. No. 768(E) dated 23-10-1981.
52. S.O. No. 917(E) dated 28-12-1981.
53. S.O. No. 428(E) dated 13-6-1983.
54. S.O. No. 563(E) dated 8-8-1983.
55. S.O. No. 639(E) dated 5-9-1983.
56. S.O. No. 795(E) dated 7-11-1983.
57. S.O. No. 174(E) dated 21-3-1984.
58. S.O. No. 1(E) dated 3-1-1984.
59. S.O. No. 2 dated 5-1-1985.
60. S.O. No. 799(E) dated 30-10-1985.
61. S.O. No. 46(E) dated 4-2-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 1986/भाद्र 20, 1908
No. 368] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 1986/BHADRA 20, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1986

का. आ. 667(अ) :—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 36, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित ट्रैक्टर-ट्रैलर कम्बीनेशन्ज के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान करती है, जिनका ब्यौरा संलग्न अनुसूची में किया गया है।

अनुसूची

1. ट्रेलर और ट्रैक्टर का प्रकार	मैसर्स गोल्डहाफर फारज्यूगपार्क जी एम बी एच एण्ड कम्पनी, मैनिन्गन पश्चिम जर्मनी द्वारा निर्मित हाइड्रालिक हैवी ड्यूटी ट्रेलर और तीन एक्सल फौरवरड कंट्रोल ट्रक ट्रैक्टर ।
2. स्वामित्व	मैसर्स ए वी सी, इन्डिया, बम्बई ।
3. ट्रेलर का ब्यौरा :—	

क्रम सं.	चेसिस सं.	लदान रहित भार कि. ग्रा. में	सकल लदान भार (आर एल डब्ल्यू) कि. ग्रा.	सकिसल भार कि. का.	ट्रेलर की चौड़ाई एम एम	ट्रेलर की लम्बाई एम एम	ट्रेलर और ट्रैक्टर की कुल लम्बाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14090 14091	31200	240000	30000	3000	15030	22770
2.	14090 14092	31200	240000	30000	3000	15030	22770
3.	14091 14092	31200	240000	30000	3000	15030	22770
4.	14090 14091 14092	46800	360000	30000	3000	21030	28770
5.	14090 14088	39000	300000	30000	3000	18030	25770
6.	14091 14088	39000	300000	30000	3000	18030	25770
7.	14092 14088	39000	300000	30000	3000	18030	25770
8.	14090 14089	39000	300000	30000	3000	18030	25770
9.	14091 14089	39000	300000	30000	3000	18030	25770
10.	14092 14089	39000	300000	30000	3000	18030	25770
11.	14088 14089	46800	360000	30000	3000	21030	28770
12.	14090 14089 14088	62400	480000	30000	3000	27030	34770

2. उपर्युक्त छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि :—

(I) ट्रैक्टर-ट्रेलर का प्रचालन किफायती तौर पर किया जाए,

(II) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित विभिन्न सड़कों पर लगाए गए लदान प्रतिबंध पर निगरानी रखी जाएगी तथा वाहन को सड़क पर लाते समय हर बार इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी, इस प्रकार की प्रत्येक गतिविधि सड़क प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दी जायेगी और सुरक्षा की दृष्टि से मानिटर की जायेगी ।

(III) लदे हुए वाहनों को सड़क के ऊपर बने हुए पुलों पर से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा नदियों/नालों को पार करने के लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग के निर्देशन के अनुसार आवेदकों को अपना प्रबंध स्वयं करना होगा,

(IV) वाहन द्वारा सभी खतरे सूचक झंडों और बत्तियों का प्रदर्शन किया जाए, विशेष रूप से ऐसे वाहन के आगे और पीछे एक-एक वाहन हो जिस पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो कि भारी लदान वाला वाहन गुजर रहा है,

(V) सड़क की चौड़ाई के साथ-साथ ट्रेलरों के युग्मकों को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(VI) वाहन के आवागमन के कार्यक्रम की सूचना सम्बद्ध विभागीय इंजीनियरों को कम से कम 10 दिन पहले दे दी जाय तथा उनकी क्लीयरेंस भी ले ली जाय ।

(VII) यह सुनिश्चित किया जाए कि इस वाहन के चलते समय कोई अन्य वाहन सड़क पर न हो।

(VIII) ट्रांजिट के दौरान उक्त कम्पोनेन्ट्स अथवा उनके कन्टेन्टस द्वारा की जाने वाली क्षति के लिए राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग उत्तरदायी नहीं है।

(IX) उक्त वाहन ट्रैफिक की सामान्य गति में बिना कोई रुकावट डाले चलाया जायेगा ।

(X) वाहन राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्धारित की गई गति पर ही चलाये जायेंगे ।

[फा. सं. टी. डब्ल्यू./टी. जी. एम. (54)/85]
बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

New Delhi, the 11th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 667 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 36 of the Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby accords approval to the registration of following tractor trailer combinations, the description of which is given in the schedule appended hereto :—

SCHEDULE

1. Type of trailer & Tractor — Hydraulic heavy duty trailers and three axled forward control truck tractor manufactured by M/s Goldhofer Fahrzeugwerk GMBH and Company, Memmingen, West-Germany.

2. Owned by — M/s. ABC, India Limited, Bombay.

3. Description of trailer : —

S. No.	Chassis number	Unladen weight in Kgs.	Gross laden weight (RLW) Kgs.	Axle weight Kgs.	Width of trailer mm	Length of trailer mm	Overall length of trailer & tractors
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14090 14091	31200	240000	30000	3000	15030	22770
2.	14090 14092	31200	240000	30000	3000	15030	22770
3.	14091 14092	31200	240000	30000	3000	15030	22770
4.	14090 14091 14092	46800	360000	30000	3000	21030	28770
5.	14090 14088	39000	300000	30000	3000	18030	25770
6.	14091 14088	39000	300000	30000	3000	18030	25770
7.	14092 14088	39000	300000	30000	3000	18030	25770
8.	14099 14089	39000	300000	30000	3000	18030	25770
9.	14091 14089	39000	300000	30000	3000	18030	25770
10.	14092 14089	39000	300000	30000	3000	18030	25770
11.	14088 14089	46800	360000	30000	3000	21030	28770
12.	14090 14089 14088	62400	480000	30000	3000	27030	34770

2. The above relaxation is subject to the condition that :—

(i) the operation of the tractor-trailers shall be done only sparingly;

(ii) load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities will be observed and permission of such authorities will be obtained everytime the vehicle is put on the roads. Each of such movement will be approved and closely monitored by the road authorities from safety point of view.

(iii) the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads and the applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/nallas as directed by the Public Works Department of the State.

(iv) the vehicle should display all danger flags and lights, preferably the vehicle should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

(v) coupling of trailers along the width of the road shall not be permitted.

(vi) the programme of the movement of the vehicle should be intimated at least ten days in advance to the Divisional Engineers concerned and their clearance obtained.

(vii) it should be ensured that no other vehicle is on the structure while this vehicle is moved.

(viii) The Highways and Rural Works Department is not responsible for any damage that may be sustained either by the said combination or their contents during the transit.

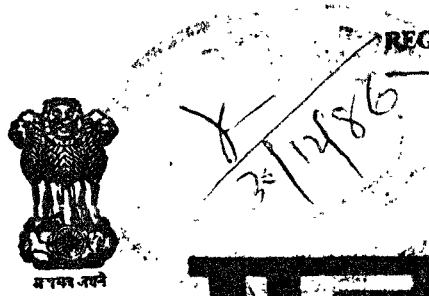
(ix) The said vehicle shall be moved wihout any hindrance to the normal flow of traffic.

(x) The vehicle shall be moved at a speed recommended by the State Highways and Rural Works Department.

[File No. TW/TGM(54)/85]
B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 369] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/भाद्रपद 21, 1908
No. 369] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 668(अ).—केन्द्रीय सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 31(अ), तारीख 30 जनवरी, 1986 द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट को, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा स्थापित अन्य निकाय तथा तथाकथित मिजो नेशनल आर्मी भी है, विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 63 (अ), तारीख 21 फरवरी, 1986 द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण गठित किया जिसमें गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस.एन. फूकन को रखा गया,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना को 25 फरवरी, 1986 को उक्त अधिकरण को यह अधिनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया कि उक्त संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण था या नहीं;

और उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 जुलाई, 1986 को एक आदेश किया ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसरण में, उक्त आदेश को प्रकाशित करती है ।

[फा. सं. 8/10/86-एन ई I]
आर. वासुदेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 668(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the Mizo National Front including the other bodies set up by it and the

so called Mizo National Army to be unlawful associations vide Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 31(E), dated the 30th January, 1986;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act constituted vide Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 63(E), dated the 21st February, 1986, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Shri Justice S. N. Phukan, Judge of the Gauhati High Court;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act referred the said Notification to the said Tribunal on the 25th February, 1986, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an Order on the 29th July, 1986;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Order.

ORDER

Mizoram, the land of music and dance is situated in the southern most tip of the North-East India surrounded by two foreign countries, namely, Burma and Bangladesh. The love of the Mizo people, for music is well known, but unfortunately, in the year 1986, a group of Mizo people threw away their guitar and took to arms. To tackle the problem, the Government of India have had to take various steps including the help of the provisions of Section 3 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act No. 37 of 1967), for short, 'the Act'. Notifications had to be issued as many as five times under section 3 of the Act. The life of a Notification is only for two years from the date on which the Notification becomes effective. The Notifications were duly referred to by the Government of India to the Tribunals constituted under Section 4 of the said Act, and, the learned Tribunals declared that there were sufficient causes for declaring the Organisations, namely, Mizo National Front, for short, 'MNF', Mizo National Army and other bodies set up by them as unlawful Organisations.

The present Notification was issued on the 30th January, 1986 giving particulars as required under Section 3 of the Act, and, this Tribunal was duly constituted in terms of Section 4. Reference was also made with the time prescribed by the relevant section and, this Tribunal's sittings held on 5th and 6th May, 1986 directed the Government of India, Government of Assam, Government of Manipur, Government of Tripura and the Administration of Mizoram to publish duly the notices on the Mizo National Front and other bodies. The report was received and the notices were found to be duly published as required under the provisions of the Act and rules framed thereunder.

None appears for the Mizo National Front and/or its allied bodies, and as such, this Tribunal decided to proceed with the matter ex-parte. On 21-7-86, the sitting of the Tribunal was held at 3, Teen Murti Lane, New Delhi, and Mr. A. R. Borthakur, Senior Counsel (assisted by Mr. P. Borthakur, Advocate) for the Government of India prayed for time as the question whether the impunged Notification would be cancelled or not was under active consideration of the Government of India in view of the settlement arrived at with MNF leader, Mr. Laldenga by the Government of India. Prayer was allowed and the 28th July, 1986 was fixed for hearing of the matter.

On 28th July, 1986, an affidavit was filed on behalf of the Government of India by Mr. Borthakur, learned Counsel. Mr. Borthakur also submitted that the matter may be taken up for hearing/orders on the 29th July, 1986.

Today, a petition has been filed by Mr. Borthakur on behalf of the Government of India, Ministry of Home Affairs stating, inter alia, that in view of the recent developments in Mizoram leading to the signing of an accord by the Government of India with Shri Laldenga, the MNF leader, the Government of India proposes to review the entire issue including cancellation of the Notification. It is further prayed that this Tribunal may not pass any order at this stage. A copy of the Memorandum of Settlement dated 30th June, 1986 between the Government of India and the MNF is also placed before me in support of the above submission.

Mr. Borthakur has referred to the provisions of the Act and submits that this being a delicate matter and considering the facts and circumstances of the case, no order needs be pased at this stage. I accept the contention of Mr. Borthakur, and, I am of the opinion that in national interest and also for smooth implementation of the Memorandum of Settlement, no order needs to be passed. I also need not examine whether there was sufficient cause for declaring MNF and other allied bodies to be unlawful by the Government of India by the Notification in question.

In this connection, I would like to quote the observations of my noble and learned brother, Mr. Hansaria, from his order dated 27-5-1982. He observed "I part with the hope that the present would be the last occasion of doing this exercise and there would be a political solution of the problem soon. It is this cherished desire which had led me to go into the causes of unrest in my humble way and to make my observations at appropriate places to see that peaceful Mizoram finds its rightful place in the body politic of tis great country".

I sincerely hope and trust that the section of people of Mizoram who took to arms earlier will now throw away their arms and take back their guitar and thereby usher in a new era of peace and tranquility in Mizoram in the larger interest of the country.

The Reference is disposed of accordingly.

S. N. PHUKAN, Judge

Dated, the 29th July, 1986.

[F. No. 8|10|86-NEI]
R. VASUDEVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D.-(D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/भाद्र 21, 1908
No. 370] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

कंपनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का. आ. 669(अ):—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 22क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 65(अ), तारीख 21 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (क) में "उद्योग रहित जिला" उल्टे कोमाओं और शब्दों के स्थान पर 'प्रवर्ग' 'क' जिला' उल्टे कोमा, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।,

[फा. सं. 5/20/82-एम.1]
आई. एल. नागपाल, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, 12th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 669 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Company Affairs, No. S.O. 65 (E), dated the 21st February, 1986, namely :—

In clause (a) of the first paragraph of the said notification, for the inverted commas and words 'No industry District' the inverted Commas, letter and words 'Category 'A' District' shall be substituted.

[F. No. 5|20|82-M.I]
I. L. NAGPAL, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 371] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/भाद्र 21, 1908
No. 371] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

[विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय]

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1986

का. आ. 670(अ) : केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के आदेशों को, जहां तक उनका संबंध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है, अधिक्रांत करते हुए, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग की जिसकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तम्भ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित है, पुनरीक्षित अधिकतम कीमत के रूप में जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं है नियत करती है :—

अनुसूची

आदेश संख्या और तारीख	सूत्रयोग		
1	2	3	4
का. आ. सं. 312(अ) तारीख 21 अप्रैल, 1981	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल 250 मि. ग्रा./कैप्सूल	10 की बोतल/स्ट्रिप	
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल 250 मि. ग्रा./कैप.	4 की बोतल/स्ट्रिप	
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल 500 मि. ग्रा./कैप.	4 की बोतल/स्ट्रिप	
	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल 500 मि. ग्रा./कैप.	8 की बोतल/स्ट्रिप	

1	2	3	4
का. आ. सं. 313(अ) तारीख 21 अप्रैल, 1981	एम्पीसिलीन एनहाइड्रस कैपसूल 250 मि. ग्रा./कैप. 500 मि. ग्रा./कैप. एम्पीसीलिन एनहाइड्रस शर्बत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	4 की बोतल/स्ट्रिप 10 की बोतल/स्ट्रिप 10 की स्ट्रिप/बोतल 40 मि. लि. बोतल 60 मि. लि. बोतल	
का. आ. सं. 427(अ) तारीख 18 जून, 1982	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस ग्रेन्यूलस 250 मि. ग्रा./5 मि. लि. (एम्पीसीलिन एनहाइड्रस प्रपूंज के 2.5 ग्राम वाले शर्बत के लिए 32.5 ग्रा. एम्पीसिलिन एनहाइड्रस)	50 मि. लि. बोतल	
का. आ. सं. 916(अ) तारीख 17 दिसम्बर, 1983	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट पैड, शुष्क शर्बत	10 मि. ग्रा./मि. लि.	10 मि. लि. बोतल
	एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट शुष्क शर्बत एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट शुष्क शर्बत एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट शुष्क शर्बत एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैपसूल प्रोबेनिसिड मुखी घोल सहित एम्पीसीलिन	250 मि. ग्रा./5 मि. लि. " 125 मि. ग्रा./5 मि. लि. 500 मि./कैप. एक खुराक में एम्पीसीलिन एनहाइड्रस 2.5 ग्रा. + प्रोबेनसिड 1 ग्रा.	40 मि. लि. बोतल 60 मि. लि. बोतल 40 मि. लि. बोतल 10 की स्ट्रिप/बोतल 1 खुराक की बोतल

सारणी

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता (आधार रूप में)	पैक आकार	अधिकतम कीमत रु.
1	2	3	4	5
1.	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट	कैपसूल 250 मि. ग्रा./कैप.	4 की बोतल/स्ट्रिप	6.40
2.	"	250 मि. ग्रा.	16 की बोतल/स्ट्रिप	22.81
3.	"	100 की बोतल/स्ट्रिप		142.34
4.	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल	500 मि. ग्रा./कैप.	4 की बोतल/स्ट्रिप	11.90
5.	"	"	8 की बोतल/स्ट्रिप	21.37
6.	"	"	10 की स्ट्रिप/बोतल	28.44
7.	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस कैप्सूल	250 मि. ग्रा./कैप.	4 की बोतल/स्ट्रिप	7.32
8.	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस कैप्सूल	"	10 की स्ट्रिप/बोतल	16.25
9.	"	500 मि. ग्रा./कैप.	10 की स्ट्रिप/बोतल	30.71
10.	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस शर्बत	125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	40 मि. लि. बोतल	8.82
11.	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस शर्बत	125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	60 मि. लि. बोतल	11.92
12.	एम्पीसीलिन एनहाइड्रस ग्रेन्यूल्स	250 मि. ग्रा./5 मि. लि. (एम्पीसीलिन एनहाइड्रस प्रपूंज के 2.5 ग्रा. वाले शर्बत के लिए 32.5 ग्रा. एम्पीसीलिन एनहाइड्रस)	50 मि. लि. बोतल	18.00
13.	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट पिंड, शुष्क शर्बत	100 मि. ग्रा./मि. लि.	10 मि. लि. बोतल	7.66
14.	एम्पीसीलिन ट्राइहाइड्रेट शुष्क शर्बत	125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	40 मि. लि. बोतल	8.32
15.	"	250 मि. ग्रा./5 मि लि	40 मि. लि बोतल	13.55
16.	"	"	60 मि लि. बोतल	19.66
17.	प्रोबेनसिड मुखीय घोल सहित एम्पीसीलिन	एक खुराक में एम्पीसीलिन एनहाइड्रस 2.5 ग्रा. + प्रोबेनसिड 1 ग्रा.	1 खुराक की बोतल	23.68

[सं. 9(28)/80-जी II]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1986

S.O. 670 (E) :—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Orders of the Government of India, specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, in so far as they relate to the formulations specified in column (2) of the said Schedule, the Central Government hereby fixes the prices specified in column (5) of the Table hereto annexed, as the revised leader prices exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified, respectively in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof :-

SCHEDULE

Number and date of the Order	Formulations		
1	2		
S.O. No. 312(E) dated the 21st April, 1981.	Ampicillin Trihydrate Capsule 250mg/Cap.		16's Bottle/Strip
	Ampicillin Trihydrate Capsule 250mg/Cap.		4's Bottle/Strip
	Ampicillin Trihydrate Capsule 250mg/Cap.		100's Bottle/Strip
	Ampicillin Trihydrate Capsule 500mg/Cap.		4's Bottle/Strip
	Ampicillin Trihydrate Capsule 500mg/Cap.		8's Bottle/Strip
S.O. No. 313(E), dated the 21st April, 1981.	Ampicillin Anhydrous Capsules 250mg/Cap.		4's Bottle/Strip
			10's Bottle/Strip
		500mg/Cap.	10's Strip/Bottle
	Ampicillin Anhydrous Stryup 125mg/5ml		40ml Bottle
			60ml Bottle
S.O. No. 427(E), dated the 19th June, 1982	Ampicillin Anhydrous Granules 750mg/5ml		50ml Bottle
	(32.5gm. of Ampicillin Anhydrous for Syrup containing 2.5gm of Ampicillin Anhydrous Bulk).		
S.O. No. 916(E), dated the 17th December, 1983.	Ampicillin Trihydrate Paed. Dry Syrup	100mg/ml	10ml Bottle
	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	250mg/5ml	40ml Bottle
	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	250mg/5ml	60ml Bottle
	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle
	Ampicillin Trihydrate Capsules	500mg/Cap.	10's Strip/Bottle
	Ampicillin with probencid oral suspension	One dose contains Ampicillin Anhydrous 2.5gm probencid 1gm.	1 dose Bottle

TABLE

Sr. No.	Name of the formulations	Strength (as base)	Pack Size	Leader Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Ampicillin Trihydrate Capsule	250mg/cap.	4's Bottle/Strip	6.40
2.	Ampicillin Trihydrate Capsule	250mg/cap.	16's Bottle/Strip	22.81
3.	Ampicillin Trihydrate Capsule	250mg/cap.	100's Bottle/Strip	142.34
4.	Ampicillin Trihydrate Capsule	500mg/cap.	4's Bottle/Strip	11.90
5.	Ampicillin Trihydrate Capsule	500mg/cap.	8's Bottle/Strip	21.37
6.	Ampicillin Trihydrate Capsule	500mg/cap.	10's Strip/Bottle	28.44
7.	Ampicillin Anhydrous Capsule	250mg/cap.	4's Bottle/Strip	7.32
8.	Ampicillin Anhydrous Capsule	250mg/cap.	10's Strip/Bottle	16.25
7.	Ampicillin Anhydrous Capsule	500mg/cap.	10's Strip/Bottle	30.71
10.	Ampicillin Anhydrous Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle	8.82

1	2	3	4	5
11.	Ampicillin Anhydrous Syrup	125mg/5ml	60ml Bottle	11.92
12.	Ampicillin Anhydrous Granules	250mg./5ml (32.5gm. of Ampicillin Anhydrous for Syrup containing 2.5gm of Ampicillin Anhydrous Bulk).	50ml Bottle	18.00
13.	Ampicillin Trihydrate Paed. Dry Syrup	100mg/ml	10ml Bottle	7.66
14.	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle	8.32
15.	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	250mg/5ml	40ml Bottle	13.55
16.	Ampicillin Trihydrate Dry Syrup	250mg/5ml	60ml Bottle	19.66
17.	Ampicillin with probencid oral suspension	One dose contains Ampicillin Anhydrous 2.5gm probencid 1gm.	1 dose Bottle	23.68

[No. 9(28)/86-D. II]

का. आ. 671(अ) : केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के मंत्रालयों को, जहां तक उनका विशेष उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है, अधिक्रांत करते हुए, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग की जिसकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तम्भ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित है, पुनरीक्षित अधिकतम कीमत के रूप में जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं हैं नियत करती है :—

अनुसूची

आदेश सं. और तारीख	सूत्रयोग		
1	2		
का. आ. सं. 655(अ) तारीख 13 सितम्बर, 1983	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल	250 मि. ग्रा./कैप्सूल 3 की बोतल/स्ट्रिप	
	,,	,,	6 की बोतल/स्ट्रिप
	,,	,,	12 की बोतल स्ट्रिप
	,,	,,	500 मि. ग्रा./कैप्सूल की बोतल/स्ट्रिप
	,,	,,	500 मि. ग्रा./कैप्सूल 6 की बोतल/स्ट्रिप
	,,	शर्बत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि./40 मि. ली की बोतल	
	,,	शर्बत 250 मि. ग्रा./5 मि. लि./40 मि. लि. की बोतल	
का. आ. सं. 916(अ) तारीख 17 दिसम्बर 1983	,,	शुष्क शर्बत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि. 30 मि. लि. बोतल	
	,,	शर्बत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि./60 मि. लि. बोतल	

सारणी

क्र. सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता (आधार रूप में)	पैक आकार	अग्रणी कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
1.	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	कैप्सूल 250 मि. ग्रा./कैप्सूल	3 की बोतल/स्ट्रिप	6.66
2.	,,	कैप्सूल 250 मि. ग्रा./कैप्सूल	6 की बोतल स्ट्रिप	12.32
3.	,,	कैप्सूल 250 मि. ग्रा./कैप्सूल	12 की बोतल/स्ट्रिप	23.10
4.	,,	कैप्सूल 500 मि. ग्रा./कैप्सूल	3 की बोतल/स्ट्रिप	11.84
5.	,,	कैप्सूल 500 मि. ग्रा./कैप्सूल	6 की बोतल/स्ट्रिप	20.88
6.	,,	शर्बत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	40 मि. लि. बोतल	9.75
7.	,,	शर्बत 250 मि.ग्रा./5 मि.लि.	46 मि.लि. बोतल	16.38
8.	,,	शुष्क शर्बत 125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	30 मि. लि. बोतल	7.83
9.	,,	125 मि. ग्रा./5 मि. लि.	60 मि. लि. बोतल	13.84

[सं. 9(28)/86-डी II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

ORDER

S.O. 671(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the Orders of the Government of India specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, in so far as they relate to the formulations specified in column (2) of the said Schedule, the Central Government hereby fixes the prices specified in column (5) of the Table hereto annexed, as the revised leader prices exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified, respectively, in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof :

SCHEDULE

Number and date of the Order	Formulations		
S.O. No. 655(E) dated the 13th September, 1983.	Amoxycillin Trihydrate Caps.	250mg/Cap.	3's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	250mg/Cap.	6's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	250mg/Cap.	12's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	500mg/Cap.	3's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Caps.	500mg/Cap.	6's Bottle/Strip
	Amoxycillin Trihydrate Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle
	Amoxycillin Trihydrate Syrup	250mg/5ml	40ml Bottle
S.O. No. 916(E) dated the 17th December, 1983.	Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	30ml Bottle
	Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	60ml Bottle

TABLE

S. No.	Name of the formulations	Strength (as base)	Pack Size	Leader Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Amoxycillin Trihydrate Capsule	250mg/Capsule	3's Bottle/Strip	6.66
2.	Amoxycillin Trihydrate Capsule	250mg/Capsule	6's Bottle/Strip	12.32
3.	Amoxycillin Trihydrate Capsule	250mg/Capsule	12's Bottle/Strip	23.10
4.	Acmoxycillin Trihydrate Capsule	500mg/Capsule	3's Bottle/Strip	11.84
5.	Amoxycillin Trihydrate Capsule	500mg/Capsule	6's Bottle/Strip	20.88
6.	Amoxycillin Trihydrate Syrup	125mg/5ml	40ml Bottle	9.75
7.	Amoxycllin Trihydrate Syrup	250mg/5ml	40ml Bottle	16.38
8.	Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	30ml Bottle	7.83
9.	Amoxycillin Dry Syrup	125mg/5ml	60ml Bottle	13.84

[No. 9(28)/86-D. II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner(Drugs)

794 GI/86—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/भाद्र 21, 1908
No. 372] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

[विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय]

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1986

आदेश

का. आ. 672(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 840 (अ), तारीख 4 अक्तूबर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त आदेश की सारणी में क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
1.	एसिटाजोलामाइड	672.00

[सं. 8(22)/80-औ. II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, 12th September, 1986

ORDER

S.O. 672 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 840 (E), dated the 4th October, 1980, namely :

In the said Order in the Table for serial number 1 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"1.	Acetazolamide	672.00"

[No. 8 (22) |80-Drug.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. and Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1986/भाद्र 21, 1908
No. 373] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 12, 1986/BHADRA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 673(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयान मत्स्यन विनियम) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 560(अ) तारीख 5 अगस्त, 1983 की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पुलिस उप अधीक्षक के रैंक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों को

उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है या नहीं और उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

[सं. 29012/8/82-एफवाई (टी-1)]
बी. सी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 12th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 673(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981), hereinafter referred to as the said Act, and all other powers enabling in this behalf and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) No. S. O. 560 (E), dated the 5th August, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the police officers of and above the rank of Deputy Superintendent of Police of the Union Territory Administration of the Andaman and Nicobar Islands to exercise all powers under sub-section (1) of section 9 of the said Act for the purpose of ascertaining whether or not the requirements of the said Act have been complied with and also to exercise the powers of authorised officer under sub-section (1) of section 19 of the said Act.

[No. 29012|8|82-Fy(T-1)]
B. C. SARMA, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1986/भाद्रपद 24, 1908
No. 374] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 1986/BHADRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1986

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 674 (अ) : भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) के असाधारण अंक में भारत सरकार परिवहन मंत्रालय (जल भूतल-परिवहन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 667 (अ) से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्न अनुसूची को रखा जाए।

अनुसूची

"1. ट्रैक्टर का प्रकार (5 मजबूत)	मैसर्स गोलदहाकर कारखुगपार्क जी. एम. बी. एच. एंड कम्पनी, वैलिंगन पश्चिम जर्मनी द्वारा निर्मित हाइड्रालिक ड्रैवी ब्यूटी ट्रैक्टर।
2. ट्रैक्टर का प्रकार	मैसर्स एम. ए. एन. द्वारा निर्मित तीन एक्सल फौरवरड कंट्रोल।
3. स्वामित्व	मैसर्स ए. बी. सी. इंडिया लिमिटेड बम्बई।

4. ट्रेलर का ब्यौरा :

क्रम सं.	चैसिस सं.	लदान रहित भार कि. ग्रा. में	एक्सिल लदान भार (भारएलडब्ल्य) किग्रा	एक्सिल भार कि. ग्रा.	ट्रेलर की चौड़ाई एम एम	ट्रेलर की लम्बाई एम एम	ट्रेलर और ट्रैक्टर की कुल लम्बाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14090	15600	12000	30000	3000	9030	16770
2.	14091	15600	12000	30000	3000	9030	16770
3.	14092	15600	12000	30000	3000	9030	16770
4.	14088	23400	18000	30000	3000	12030	19770
5.	14089	23400	18000	30000	3000	12030	19770

5. ट्रैक्टर का ब्यौरा — एम. ए. एन. मैक (40-440 बी. एफ. ए. टी. जी. 2)

(i) चैसिज संख्या — डब्ल्यू एम ए. 5480029 एफ 003083
इंजिन संख्या — 458 5090 069 6123

(ii) चैसिज संख्या — डब्ल्यू. एम. ए. 5480030 एफ 003084
इंजन संख्या — 458 5090 070 6123

(iii) हर एक का फंट एक्सल भार — 8500 कि. ग्रा.
हर एक का रियर एक्सल भार — 16000 कि. ग्रा."

[फा. सं. टी. डब्ल्यू./टी. जी. एम (54)/85]
बी. भार. चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

New Delhi, the 15th September, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 674 (E).—In the Government of India, Ministry of Transport (Department of Surface Transport) Notification No. 667 (E) published in the Extraordinary issue of Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated 11th September, 1985, the schedule appended thereto shall be substituted as under:—

SCHEDULE

1. Type of trailer (5 nos.) — Hydraulic heavy duty trailers manufactured by M/s Goldhofer Fehrzeugwerk GMBH and Company, Memmingen, West Germany.
2. Type of tractor (Prime Mover; (2 nos.) — Three axled forward control manufactured by M/s M.A.N.
3. Owned by — M/s ABC India Limited, Bombay.
4. Description of trailers:—

S. No.	Chassis number	Unladen weight in Kgs.	Gross laden weight in Kgs.	Axle weight in Kgs.	Width in mm.	Length in mm.	Overall length of Tractor† Trailer in mm.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14090	15600	12000	30000	3000	9030	16770
2.	14091	15600	12000	30000	3000	9030	16770
3.	14092	15600	12000	30000	3000	9030	16770
4.	14088	22400	18000	30000	3000	12030	19770
5.	14089	23400	18000	30000	3000	12030	19770

5. Description of tractors	—	MAN Make (40—440 DFAT/G-2)
(i) Chassis No.	—	WMA 5480029 F003083
Engine No.	—	458 — 5090 — 069 — 6123
(ii) Chassis No.	—	WMA 5480030 F003084
Engine No.	—	458 — 5090 — 070 — 6123
Front axle load of each	—	8500 Kgs.
Rear axle load of each	—	16000 Kgs.

[File No. TW/TM (54)/85].

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-33 REGISTERED No. D. (D.L.) 33

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 1986/भाद्र 24, 1908
No. 375] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 15, 1986/BHADRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 675(अ) —चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि श्री रविंद्र बी गौडलकर जिन्हें भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय (जल-भूतल परिवहन विभाग) की अधिसूचना सं. 815 (अ) दिनांक 7 नवम्बर, 1985 के माध्यम से मोदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुरमांव डाक लेबर बोर्ड (इसके बाद उक्त बोर्ड कहा जाएगा) में सदस्य नियुक्त किया गया था, अब

से गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4, उप नियम (5) के खण्ड (v) के अनुसरण में गोदी श्रमिकों के प्रतिनिधि नहीं रहे।

अतः अब, उक्त नियम के नियम 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस बोर्ड में रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एल डी जी/6/85-यू एस (एल)]
पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Transport Wing)

New Delhi, the 15th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 675 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that Shri Ravindra V. Gaundalkar, appointed as a member of the Mormugao Dock Labour Board (hereinafter referred to as the said Board), representing the dock workers, by the notification of the Government of India in the Ministry of Transport (Department of Surface Transport) No. S.O. 815-E, dated the 7th November, 1985, has ceased to be a representative of the dock workers in pursuance of clause (v) of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 ;

Now, therefore, in pursuance of rule 4 of the said rules, the Central Government hereby notifies the vacancy in the said Board.

[F. No. LDG|6|85-US (L)]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1986/भाद्रपद 26, 1908
No. 376] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 17, 1986/BHADRA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 676(अ):—केन्द्रीय सरकार, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1981 (1981 का 29) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 जून, 1981 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) के पृष्ठ 733-734 पर वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार की दिनांक 11 जून, 1981 की संख्या का.आ. 432 (अ) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नोक्त क्रम संख्या व प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"7. श्री वी. के. मेहरोत्रा,
महा प्रबंधक (आयोजना),
भारतीय स्टेट बैंक,
स्थानीय प्रधान कार्यालय,
लखनऊ"।

[फाइल सं. 22/10/80 डब्ल्यू. टी (खण्ड)]
चरन दास चीमा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 17th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 676(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the British India Corporation Limited (Acquisition of Shares) Act, 1981 (29 of 1981), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 432(E), dated the 11th June, 1981, published at pages 733—734 of Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th June, 1981, namely :—

In the said notification, for serial number 7 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"7. Shri V. K. Mehrotra,
General Manager (Planning),
State Bank of India,
Local Head Office
Lucknow."

[File No. 22|10|80-WT (Pt.)]
C. D. CHEEMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-71



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377] नई दिल्ली, वीरवार सितम्बर 18, 1986/भाद्र 27, 1908
No. 377] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 1986/BHADRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1986

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 677 (अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) के दिनांक 16 मार्च, 1976 के का. आ. 1051 (अ.) में निहित भारत सरकार के आदेशों में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उपर्युक्त आदेश में निहित परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित स्टाम्प शुल्क की दरें निम्नलिखित स्रोतों से पूंजी के आहरण अथवा प्राप्त करने के लिए विनिधि-पत्रों अथवा प्रोमिसरी नोटों की अवधि पर लागू नहीं होंगी :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लेने पर :—

(क) प्रामाणिक वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक लेन-देनों के लिए,

(ख) आवश्यक कृषि प्रचालनों अथवा फसल के विपणन के लिए, अथवा

(ग) कुटीर तथा लघु उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन कार्यकलापों के लिए ;

(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक से प्रामाणिक निर्यात-आयात लेन-देनों के लिए और इस प्रकार के दस्तावेजों पर उक्त अनुच्छेद 13 में उपर्युक्त मदों (ख) और (ग) के सामने विनिर्दिष्ट दरों के 1/5 भाग के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगेगा।

स्पष्टीकरण—1 :—परन्तुक के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "कृषि प्रचालनों" शब्दावली में पशु-पालन तथा कृषि प्रचालनों के साथ संयुक्त रूप से किए जाने वाले सम्बद्ध कार्यकलाप भी शामिल है;

(ख) "फसल" में कृषि-प्रचालनों के उत्पाद भी शामिल है;

(ग) "फसल के विपणन" शब्दावली में कृषि उत्पादकों अथवा ऐसे उत्पादकों के किसी संगठन द्वारा फसल के विपणन से पूर्व उस पर की जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल है।

स्पष्टीकरण—2 —जहां कहीं आवश्यक समझा जाएगा, प्रभार्य शुल्क को अगले पांच पैसे तक पूर्णांक में परिवर्तित किया जाएगा।"

[संख्या 39/86—स्टाम्प (फा. सं. 33/62/84-वि. क.)]

एल. के. राठौड़, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th September, 1986

ORDER

STAMPS

S.O. 677(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S. O. 199 (E), dated the 16th March, 1976, namely :—

In the said Order, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

'Provided that the rates of stamp duty mentioned above shall not apply to usance Bills of Exchange or Promissory notes drawn or made for securing finance,—

(i) from the Reserve Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, State Financial Corporations, Commercial Banks and Co-operative Banks for—

(a) bona fide commercial or trade transactions,

(b) seasonal agricultural operations or the marketing of crops, or

(c) production or marketing activities of cottage and small scale industries;

(ii) from the Export-Import Bank of India for bona fide export-import transactions;

and such instruments shall bear the rates of stamp duty at one-fifth of the rates specified against the said items (b) and (c) in the said article 13.

Explanation 1.—For the purposes of the proviso—

(a) the expression "agricultural operations" includes animal husbandry and allied activities jointly undertaken with agricultural operations;

(b) "Crops" include products of agricultural operations;

(c) the expression "marketing of crops' includes the processing of crops prior to marketing by agricultural producers of any organisation of such producers.

Explanation 2.—The duty chargeable shall, wherever necessary, be rounded off to the next five paise.'

[No. 39/86-Stamps F. No. 33/62/84-ST]

L. K. RATHOD, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 1986/भाद्र 27, 1908
No. 378] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 1986/BHADRA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 678 (अ) :—चूंकि श्री जी० थी० रागे जिन्हे भारत सरकार के भूतपूर्व नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. 535 (अ), दिनांक 18 जुलाई, 1985 द्वारा गोदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांडला डॉक लेबर बोर्ड (इसके बाद उक्त बोर्ड कहा जाएगा) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि श्री जी० वी० रागे उक्त बोर्ड में गोदी श्रमिकों के प्रतिनिधि नहीं रहे;

और चूंकि उक्त बोर्ड में एक स्थान रिक्त हो गया है,

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4, के नियम (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा. स. एलडीके/6/85-यू एस (एल)]
पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 678 (E) :—Whereas Shri G. V. Rage was appointed as a member of the Kandla Dock Labour Board (hereinafter referred to as the said Board) representing the dock workers by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping & Transport, (Transport Wing), No. S. O. 535 (E), dated 18th July, 1985;

And whereas the Central Government is of the opinion that Shri G. V. Rage has ceased to be representative of the dock workers on the said Board;

And whereas a vacancy has occurred in the said Board;

Now, therefore, in pursuance of rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDK|6|85-US (L)]
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्र 28, 1908
No. 379] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

सार्वजनिक सूचना

का.आ. 679(अ):—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना/जोनल योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के मामले में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अन्दर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने या सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

संशोधन :—

"जोन डी-3 के अन्तर्गत आने वाले लगभग 2648.18 वर्ग गज क्षेत्रफल का भूमि उपयोग "सरकारी और अर्द्ध सरकारी सुविधाओं" (धोबी घाट और विद्युत सब-स्टेशन स्थल) और "परिचालन" से "सरकारी उपयोग" (वकीलों का चेम्बर) में बदला जाना प्रस्तावित है, जो उत्तर की ओर शैक्षणिक संस्था (विधि संस्थान), दक्षिण और पूर्व की ओर रिहायशी (सरकारी बंगले) और पश्चिम की ओर सार्वजनिक उपयोगिता (विद्युत सब-स्टेशन) से घिरा है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्यशील दिनों को उप निदेशक, मुख्य योजना, विकास मीनार, छठी मंजिल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के पास उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ० 20(6)/84-एम.पी.]

एम.पी. जैन, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 19th September, 1986

PUBLIC NOTICE

S.O. 679 (E):—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/ Zonal Plan for Delhi, is hereby published for pulbic information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION

"The land use of an area measuring about 2648.18 sq. yds. falling in zone D-3 and bounded by Educational Institution (Law Institute) towards its North, residential (Government Bungalows) towards South and East and Public Utility (Electric Sub-Station) towards West is proposed to be changed from 'Public and Semi-Public Facilities' (Dhobi Ghat and Electric Sub-Station site) and 'Circulation' to 'Governmental use' (Lawyers Chamber)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred to above.

[No. F. 20(6)/84-M.P.]

M. P. JAIN, Secy.
Delhi Development Authority

830 GI/86

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्रपद 28, 1908
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 430/86–सीमा-शुल्क

का.आ. 680(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 35/86—सीमा-शुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1986 को अधिक्रांत करते हुए, गुजरात राज्य में पंचमहल जिले के ग्राम जम्बूपुर को भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है।

[फा.सं. 473/354/85–सी.शु.-7]

एम. मायकल, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 19th September, 1986

NOTIFICATION

No. 430|86-CUSTOMS

S.O. 680 (E) :—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of Central Board of Excise and Customs No. 35|86-CUSTOMS, dated the 15th February, 1986, the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Chandrapura in Panchmahal District in the State of Gujarat to be a warehousing station.

[F. No. 473|354|85-CUS. VII]

M. MICHAEL, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 1986/भाद्र 29, 1908
No. 381] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 20, 1986/BHADRA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 681(अ):— केन्द्रीय सरकार, कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन अधिनियम, 1986 (1986 का 27) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अक्टूबर, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसकी उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. 11021/1/85-सी. एस. डब्ल्यू]

बी. एस. दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 19th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 681 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Coal Mines Labour Welfare Fund (Repeal) Act, 1986 (27 of 1986), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1986 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 11021/1/85-CSW]

V. S. DUBEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 382] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 1986/भाद्रपद 31, 1908
No. 382] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 22, 1986/BHADRA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

कलकत्ता, दिनांक 22 सितम्बर, 1986.

अधिसूचना

का. आ. 682(अ):—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. आर. बासु, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा बी. ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सेंटीमीटर × 67.5 सेंटीमीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सेंटीमीटर × 67.5 सेंटीमीटर सिला, 1020 ग्राम प्रति बोरा, 6 × 6, 3-सीसे शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. (सं. भा. मा. : 2566—1984 अद्यतन

संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिनिर्माणी कीमत 709.90 रूपया प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय सितम्बर, 1986 महीने के दौरान किया जायेगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एकमात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिनिर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फाइल सं. 8/1/86-जूट]

बी. आर. बासु, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

Calcutta, the 22nd September, 1986.

NOTIFICATION

S.O 682 (E) :—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, B. R. Basu, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 709.90 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 112.4 Cms. × 67.5 Cms. Hd. W. I. P. 112.0 Cms. × 67.5 Cms. Hd. 1020 Cms. per bags, 6 × 8, 3-blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS : 2566-1984 as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of September, 1986.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983, and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|1|86-Jute]

B. R. BASU, Jute Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-22

REGISTERED No. D. (D.M.)-22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 1986/आश्विन 1, 1908
No. 383] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 1986/ASVINA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1986

का. आ. 683 (अ):—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम 1957 में, नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"22. लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित लेखा को तैयार करना और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना ।

(1) आयोग वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से तीन मास के भीतर, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के लेखा को, उसकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयोग के अनुरोध पर और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा प्रस्तुत करने की तारीख को उतनी अवधि तक जो सरकार ठीक समझे बढ़ा सकेगी ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार ने उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ा दिया है वहां, आयोग के लेखा, उसकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित, बढ़ाई गई अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे । केन्द्रीय सरकार, आयोग के लेखा को उसकी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 31 दिसम्बर तक रखवाएगी ।

(4) यदि किसी कारण से वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट उप-नियम (3) मे यथा उपबंधित 31 दिसम्बर तक नहीं रखी

जा सकती है तो केन्द्रीय सरकार उस तारीख से तीस दिन के भीतर या संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के अधिवेशन होने के यथास्थिति, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, उन कारणों को स्पष्ट करते हुए एक कथन रखेगी कि लेखा और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट 31 दिसम्बर से पूर्व सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी थी।"

[सं. 3(3)/86-के वी आई (1)]

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

नोट :—मुख्य नियम सरकारी अधिसूचना, उत्पादन मंत्रालय के एस. आर. ओ. संख्या 1006 दिनांक 30 मार्च, 1957 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए थे :—

(1) भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड (3) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 1198 दिनांक 24-10-1959,

(2) भारत के राजपत्र भाग-2 खण्ड (3) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. एस. ओ. 4080 दिनांक 18-11-1964

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 1986

S.O. 683(E).—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Khadi and Village Industries Commission Rules 1957, for the rule 22, the following rule shall be substituted, namely :—

"2. Preparation and submission of accounts with audit report to the Central Government.

(1) The Commission shall, within three months from the close of the financial year, submit to the Central Government, the accounts of the Commission as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon.

(2) The Central Government may, on the request of the Commission, and in consultation with the Comptroller and Auditor General, extend the date of submission of the accounts by such period as the Government may think fit.

(3) Where the Central Government has, under sub-rule (2), extended the period of submission, the accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be submitted to the Central Government within the extended period. The Central Government shall cause the accounts of the Commission, together with the audit report thereon, to be laid before each House of Parliament by 31st December.

(4) If for any reason the annual accounts and audit report cannot ge laid before 31st December as provided in sub-rule (3), the Central Government shall lay within thirty days from the date or as soon as either House of Parliament meets, whichever is later, a statement explaining the reasons why the accounts and audit report could not be laid on the Table of the House, before the 31st December."

[No. 3(3)/86-KVI(1)]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

NOTE :—The principal rules were published in the Gazette of India vide Government notification, Ministry of Production, No. SRO 1006 dated 30th March 1987, and was subsequently amended by :—

(i) Government notification No. G.S.R. 1198 dated 24-10-1959 published in the Gazette of India Part II Section (iii).

(ii) Government Notification No. S.O. 4080 dated 18-11-1964 published in the Gazette of India, Part II, Section (iii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1986/आश्विन 2, 1908
No. 384] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1986/ASVINA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1986

का. आ. 684(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट समुचित प्राधिकरण गठित करती है, प्रत्येक प्राधिकरण में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित तीन व्यक्ति होंगे जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अध्याय 20ग के अधीन समुचित प्राधिकरण के कृत्य करेंगे ।

सारणी

समुचित प्राधिकरण	समुचित प्राधिकरण के सदस्यों का नाम और पदनाम	स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1. समुचित प्राधिकरण दिल्ली	(i) श्री के. आर. गुप्ता आय-कर आयुक्त (ii) श्री ए. पी. सक्सेना आय-कर आयुक्त (iii) श्री ए. शंकरन मुख्य इंजीनियर	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
2. समुचित प्राधिकरण मुम्बई	(i) श्री पी. जी. गांधी आय-कर आयुक्त (ii) श्री एस. एस. आर. इनामदार आय-कर आयुक्त	मुम्बई नगर निगम अधिनियम, (1888 का अधिनियम सं. 3) के अर्थान्तर्गत "बृहत्तर मुम्बई" में समाविष्ट क्षेत्र

(1)	(2)	(3)
	(iii) श्री ए.सी. पंचदरी मुख्य इंजीनियर	
3. समुचित प्राधिकरण कलकत्ता	(i) श्रीमती एल. रामसुब्रमण्यम आयकर आयुक्त (ii) श्री एस. कानन आय-कर आयुक्त (iii) श्री टी. एस. रत्तम मुख्य इंजीनियर	पश्चिमी बंगाल नगर और ग्राम (योजना और विकास) अधिनियम, 1979) 1979 का अधिनियम 13) के अधीनतर्गत कलकत्ता महानगर क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र ।
4. समुचित प्राधिकरण मद्रास	(i) श्री एन. आर. शिवस्वामी, आय-कर आयुक्त (ii) श्री के. सुब्रमणियन आय-कर आयुक्त (iii) श्री ए. के. सिंघल मुख्य इंजीनियर	तमिलनाडु नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1971 (1972 का अधिनियम सं. 35) के अधीनतर्गत "मद्रास महानगर योजना क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1986 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 316/48/86-धनकर]
ए. के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 24th September, 1986

S.O. 684(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 269 UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby constitutes the appropriate authorities specified in column (1) of the Table below, each consisting of three persons mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to perform the functions of the appropriate authorities under Chapter XXC of the said Act, within the local limits specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

Appropriate Authority	Name and Designation of the members of the Appropriate Authority	Local limits
1	2	3
1. Appropriate Authority Delhi.	(i) Shri K.R. Gupta Commissioner of Income-tax. (ii) Shri A.P. Saxena Commissioner of Income-tax. (iii) Shri A. Sankaran Chief Engineer.	The Union territory of Delhi.
2. Appropriate Authority Bombay.	(i) Shri P.G. Gandhi Commissioner of Income-tax. (ii) Shri S.S.R. Inamdar Commissioner of Income-tax. (iii) Shri A.C. Panchdari Chief Engineer.	The areas comprised in "Greater Bombay" within the meaning of the Bombay Municipal Corporation Act (Act No. 3 of 1888).
3. Appropriate Authority Calcutta.	(i) Shrimati L. Ramasubramanayam Commissioner of Income-tax. (ii) Shri S. Kanan Commissioner of Income-tax (iii) Shri T.S. Ratnam Chief Engineer.	The areas comprised in "Calcutta Metropolitan Area" within the meaning of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (Act No. 13 of 1979).
4. Appropriate Authority Madras.	(i) Shri N.R. Sivaswamy Commissioner of Income-tax. (ii) Shri K. Subramanian Commissioner of Income-tax. (iii) Shri A.K. Singhal, Chief Engineer.	The areas comprised in "Madras Metropolitan Planning Area" within the meaning of the Tamil Nadu Town and Country Planning Act 1971 (Act No. 35 of 1972).

2. This notification shall come into force on the 1st day of October 1986.

[F. No. 316/48/86-WT]
A. K. Singh, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-18 REGISTERED No. D (D.L.)-18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1986/आश्विन 2, 1908
No. 385] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 24, 1986/ASVINA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 685(अ) :—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 (1968 का 45) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्वर्ण नियंत्रण (फार्म, फीस तथा विविध मामले) नियम, 1968 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को स्वर्ण नियंत्रण (फार्म, फीस तथा विविध मामले) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1986 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकार के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. स्वर्ण नियंत्रण (फार्म, फीस तथा विविध मामले) नियम, 1968 में नियम 13 में, उप-नियम (2) के खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :—

"(ख) बाउचर जारी किए जाने की तारीख"

[संख्या 4/86-फा. सं. 132/2/85-स्व. नि. II]

ए. सी. सल्डाना, अपर सचिव

नोट :—मूल नियम, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) में संख्या 307, दिनांक 1 सितम्बर, 1986/10 भाद्र, 1908 (शक) में प्रकाशित हुए ।

मूल नियमों में संशोधन किए गए, देखिए अधिसूचनाएं :—

(i) का. आ. सं. 19, दिनांक 10-12-70
(ii) का. आ. सं. 725(अ), दिनांक 21-12-72
(iii) का. आ. सं. 765(अ), दिनांक 27-12-72
(iv) का. आ. सं. 607(अ), दिनांक 20-10-75
(v) का. आ. सं. 625 (अ), दिनांक 31-10-75
(vi) का. आ. सं. 143(अ), दिनांक 27-2-76
(vii) का. आ. सं. 280(अ), दिनांक 31-3-77
(viii) का. आ. सं. 99(अ), दिनांक 14-2-78
(ix) का. आ. सं. 446(अ), दिनांक 1-8-79
(x) का. आ. सं. 743(अ), दिनांक 14-10-82
(xi) का. आ. सं. 223 (अ), दिनांक 1-5-86

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 685 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Form, Fees and Miscellaneous Matters) (2nd Amendment) Rules, 1968.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous matters) Rules, 1968, in rule 13, for clause (b) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) date of issue of voucher".

[No. 4|86 F. No. 132|2|85-GC.II]
A. C. SALDANHA, Addl. Secy.

Note :—Principal Rules published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3(ii) No. 307 dated 1st September, 1968|Bhadra 10, 1980 (Saka).

Principal Rules amended Vide Notification :—

(i) S.O. 19 dated 10-12-70
(ii) S.O. 725 (E) dt. 21-12-72
(iii) S.O. 765 (E) dt. 27-12-72
(iv) S.O. 607 (E) dt. 20-10-75
(v) S.O. 625 (E) dt. 31-10-75
(vi) S.O. 143 (E) dt. 27-2-76
(vii) S.O. 280 (E) dt. 31-3-77
(viii) S.O. 99 (E) dt. 14-2-78
(ix) S.O. 446 (E) dt. 1-8-79
(x) S.O. 745 (E) dt. 14-10-82
(xi) S.O. 223 (E) dt. 1-5-86,

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (DN)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1986/आश्विन 2, 1908
No. 386] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 24, 1986/ASVINA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 686(अ) :—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45), की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उसकी यह राय होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा उचित है, वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग), भारत

सरकार की दिनांक 18 मई, 1970 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के का. आ. 1753 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में मौजूदा क्रम संख्या (5) के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(v) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 में यथा-परिभाषित कोई निगमित बैंक," ।

[सं. 5/86 (फा. सं. 131/9/86-स्व. नि.]

ए. सी. सल्दाना, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 68(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control), Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No S.O. 1753, dated the 18th May, 1970, namely :—

ing serial No. shall be substituted, namely :—

In the said notification, for the existing serial No. (v), the follow-

"(v) a co-operative bank as defined in section 5, read with clause (c) of section 56, of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949),".

[No. 5|86 (F. No. 131|9|86-GC)]

A. C. SALDANHA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1986/आश्विन 2, 1908
No. 387] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 24, 1986/ASVINA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 687 (अ).—बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 24 मई, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 297(अ) में संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि., कानपुर के

संबंध में अधिस्थगन की कालावधि को 24 नवम्बर, 1986 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है और आगे बढ़ाती है ।

[सं. 17/2/86-बी.ओ. III]

शरद केलकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 24th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 687 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. S.O. 297(E), dated the 24th May, 1986, hereby extends the period of moratorium in respect of the Hindustan Commercial Bank Limited, Kanpur for a further period upto and inclusive of the 24th day of November, 1986.

[No. 17|2|86-B.O. III]

S. M. KELKAR, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एव.)-72 REGISTERED No. D. (D.A.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 1986/आश्विन 3, 1908
No. 388] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 1986/ASHVIN 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल-भूतल परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 688(अ) :— केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 36, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण को अधिकतम सुरक्षित लदान भार तथा ट्रेलर के आयामों सहित अनुमोदन प्रदान करती है :—

अनुसूची

1. लदान रहित भार	19480 किलोग्राम
2. आयाम	कुल लम्बाई 7.99 मीटर कुल चौड़ाई 3.48 मीटर कुल ऊंचाई 3.31 मीटर
3. वाहन का प्रकार	टेम्पेस्ट आर-25 एच यू टी डी अगला दुम्प
4. स्वामित्व	हिन्दुस्तान मोटर्स लि.

2. उपर्युक्त छूट ऊपर विवेचित आर्टिकुलेटिड वाहनों के संदर्भ में, अधिक भार नियत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी गई है :—

1. ट्रांजिट के दौरान उक्त वाहनों अथवा उनके कन्टेन्टस द्वारा उत्पन्न किसी प्रकार की क्षति के लिए राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग उत्तरदायी नहीं है।

2. वाहनों के आवागमन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सड़क एवं सड़क स्ट्रक्चर की सभी टूट-फूट के लिए हिन्दुस्तान मोटर्स लि. जिम्मेवार होगी तथा वह राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मूल्यांकित की गई सभी क्षतियों के लिए उत्तरदायी होगी।

3. उक्त वाहनों ट्रैफिक की सामान्य गति के साथ बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है।

4. वाहनों की एक्स्ट्रीमिटीज का स्पष्टतया संकेत करने के लिए सभी आवश्यक चेतावनी सिग्नलों तथा दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्तियों की व्यवस्था की जाए।

5. स्वीकृत अनुमति अब केवल सड़कों के उन्हीं भागों पर लागू होगी जो राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के न्यायाधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा स्थानीय निकायों एवं मार्ग में आने वाले अन्य विभागों यदि कोई है उनसे सम्बद्ध सड़कों और सड़क स्ट्रक्चरों पर अपने वाहनों के प्रचालन की अनुमति कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से ली जाए।

6 यह अनुमति के बल एक वर्ष तक के लिए बैध होनी चाहिए।

7. वाहनों के लिए इस अनुमति की मंजूरी राजमार्गों एवं ग्रामीण कार्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों को इन वाहनों के आवागमन को स्थगित करने अथवा विनियमित करने की छूट नहीं देती जो सड़क एवं

सड़क स्ट्रक्चरों की दशा को ध्यान में रखते हुए स्थिति की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं।

8. इन विशेष ट्रिपों के लिए गति सीमा 16 कि. मी. प्रति घं. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. कमजोर घोषित किए गए सड़क स्ट्रक्चरों पर इस वाहन के प्रचालन को मनाही है। इस प्रकार के मामलों में घोड़ों का प्रयोग किया जाए।

10 यह मंजूर की गई अनुमति हिन्दुस्तान मोटर्स लि. द्वारा निर्मित माडल आर 25 एच 4 टी थी रियर डम्प पर लागू होगी।

11. वाहन एक दिन में छः से अधिक बार परिचालित नहीं किए जाएं।

12 लगातार आवागमन नहीं होना चाहिए।

14. पुल अथवा पुलिया पर एक डम्पर के चलते समय कोई अन्य वाहन सड़क पर नहीं होना चाहिए अर्थात पुल अथवा पुलिया पर एक समय में एक वाहन से अधिक नहीं हो।

13. आवागमन से पूर्व फर्म इंजिन और चेसिस सं. की सूचना राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण कार्य विभाग को भेजेगी।

[सं. आर टी -11011/9/86 - टी ए जी]

बी.आर.चव्हाण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

New Delhi, the 25th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 36 of Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby accords approval to the registration of following vehicles with the maximum safe laden weight and dimensions of the trailer mentioned in the schedule appended hereto :—

SCHEDULE

1. Unladen weight	19430 Kgs.
2. Dimensions	Overall length 7.99 mts. Overall width 3.48 mts. Overall height 3.31 mts.
3. Type of vehicle	Terex R-25 H4TD Rear Dump.
4. Owned by	Hindustan Motors Ltd.

2. The above relaxation for the purpose of assigning higher weight limit in respect of the articulated vehicles, the description of which is indicated above, is given on the basis of following conditions :—

1. (i) The Highways and Rural Works Department is not responsible for any damage that may be sustained either by the said vehicles or their contents consequent during the transit.

(ii) Hindustan Motors Limited shall be responsible for all damages caused to the road and the road structures either directly or indirectly due to the movement of the vehicles and they shall be liable for all damages as assessed by the Highways and Rural Works Department.

(iii) The said vehicles shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(iv) All the necessary warning signals such as red flags in the day time and red lights in the night time shall be provided to indicate the extremeties of the vehicles clearly.

(v) The permission granted now shall apply only to the portions of the roads lying within the jurisdiction of Highways and Rural Works Department and permission for plying these vehicles over roads and road structures vested with the local bodies and other departments in the route, if any, has to be obtained by the company from the authorities concerned.

(vi) This permission shall be valid only for a period of one year.

(vii) The grant of this permission of the vehicles does not prevent the local officers of Highways and Rural Works Department from regulating or stopping the movement of these vehicles depending upon the exigencies of the situations and having regard to the condition of the road and road structures.

(viii) for such special trips, the speed limit shall not exceed 16 km. p.h.

(ix) Plying of the vehicle is restricted on road structures such as those declared weak. In such cases, diversions shall be used.

(x) The permission granted shall apply to the Model R. 25 H4TD Rear Dumps manufactured by Hindustan Motors Limited.

(xi) The vehicles shall be moved not more than six times per day.

(xii) There shall be no movement on consecutive days.

(xiii) There shall not be any other vehicles on the structure while one dumper is moving on a bridge or culvert, i.e. there shall not be more than one vehicle on a bridge or culvert at a time.

(xiv) The firm shall report the engine and chassis numbers to the officers of the Highways and Rural Works Department in advance before movement.

[No. RT-11011/9/86-TAG]

B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 389] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्रपद 28, 1908
No. 389] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

शुद्धि-पत्र

का.आ. 689(अ) :—भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 जुलाई, 1986 के पृष्ठ 1 और 2 पर प्रकाशित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 429(अ) तारीख 18 जुलाई, 1986 में,—

(क) पृष्ठ 1 पर, प्रारंभिक पैरा की पंक्ति 5 में, "अन्य" के स्थान पर "अनन्य" पढ़े ;

(ख) पृष्ठ 1 पर, प्रारंभिक पैरा के अंत में पंक्ति 10 में "(एफ एन एल-III/3/86)" के स्थान पर "(एफ एन एल. III/3/86)" पढ़ें ;

(ग) पृष्ठ 1 पर, अनुसूची के स्तम्भ 1 मे "नाम" शीर्ष के नीचे पंक्ति 6 में "एन ज" के स्थान पर "एन जे" पढ़ें ;

(घ) पृष्ठ 1 पर, अनुसूची के स्तंभ 2 "अक्षांश" के नीचे,—
(i) पंक्ति 1 में '190° 33' 18"' के स्थान पर '19° 33'18"' पढ़ें ; और
(ii) पंक्ति 11 में '19°34' 35"' के स्थान पर '19° 34' 25"' पढ़ें ;

(ङ) पृष्ठ 1 पर, अनुसूची के स्तभ 2 में "रेखांश" शीर्ष के नीचे पंक्ति 1 में '710° 18' 17"' के स्थान पर '71 °18' 17"' पढ़ें ;

(च) पृष्ठ 2 पर "मुम्बई खुले समुद्र उत्तर में प्रक्षेत्र" शीर्ष के नीचे स्तभ 1 में,—
(i) पंक्ति 5 में, "डब्ल्यू आई ए स्त" के स्थान पर "डब्ल्यू आई एन" पढ़ें ;
(ii) स्तंभ 3 में पंक्ति 1 से 4 के सामने "प्रक्षेत्र के चार कोनों के निर्देशांक" शब्दों से पहले " } " पढ़ें ;
(iii) स्तंभ 3 में पंक्ति 5 से 8 के सामने " } वही" पढ़ें ;

(छ) पृष्ठ 2 पर, "मुम्बई खुले समुद्र उत्तर में जलमेरी प्लेटफार्म" शीर्ष के नीचे स्तभ 2 की पंक्ति 5 में—
'19° 21' 1"' के स्थान पर '19°20' 1"' पढ़ें ;

[एफ एन एल. 111/3/86]
पे. श्रीनिवास राव, निदेशक

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th September, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 689(E) :—In the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. S.O. 429(E), dated the 18th July, 1986 published at pages 2 and 3 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Sec. 3-Sub-Section (ii) dated the 18th July, 1986,—

At page 2,—

(a) in line 11 *for* "he Schedule"
read "the Schedule";

(b) under the heading "SCHEDULE",—

(1) in line 19, for "PLATFORM", *read* "PLATFORMS";

(2) under the column "Lat.",—

(i) against SF, *for* " 19° 2′ 54″ ", *read* " 19.20′54″ ";

(ii) against SI, *for* " 19° 26′ 4″", *read* " 19° 26′ 40″ ";

(iii) against SK, *for* " 19° 27′3″", *read* " 19° 27′30″ ";

(iv) against SM, *for* " 192° 3′ 33″"; *read* 19°23′33″ ";

(v) against SS, *for* " 19° 2′22″", *read* " 19° 20′22″ ";

(3) under the Column "Long."—

(i) against NB, *for* " 71° 18″17″ ", *read* " 71° 18′17″ ";

(ii) against NE, *for* " 17° 19′52″ ", *read* "71° 19′52″ ";

(iii) against SE, *for* " 71° 2′01″ ", *read* " 71° 20′01″ ";

(iv) against SG, *for* " 71° 22′ 47″ " *read* "71° 22′45″ ";

(v) against SI, *for* " 71° 2′37″ ", *read* " 71° 20′37″ ";

(vi) against ST, *for* " 71° 2′33″ ", *read* "71° 20′33″ ";

At page 3, —

(a) under the heading "COMPLEX IN BH NORTH", in Column 3,—

(i) against NA, NF and BHN,

for	"71° 18′1″	*read*	"71° 18′12″
	71° 18′17″		71° 18′17″
	71° 18′12″		71° 18′12″
	71° 18′17″",		71° 18′17″"

(ii) against NC and WIN,

for	"71° 19′25″	*read*	"71° 19′25″
	71° 19′29″		71° 19′29″
	71° 19′25″		71° 19′25″
	71° 19′29″",		71° 19′29″

(b) under the heading "COMPLEX IN BOMBAY HIGH SOUTH,—

(i) in column 1, in line 2 *for* "BH", *read* "BHS";

(ii) in column 3, against SA, BHS, SLQ and WIS,

for	"71° 21′30″ Coord-	*read*	"71° 21′30″ Coordi-
	71° 21′39″ inates		71° 21′39″ nates
	71° 21′3″ of Four		71° 21′30″ of four
	71° 21′39″ courses",		71° 21′39″ corners.",

(c) under the heading "WATER INJECTION PLATFORMS IN BH NORTH", in column 2,—

(i) against WI4, *for* "19° 33′29″," *read* " 19° 33′09″";

(ii) against Panna, *for* "19° 20′19″ ", *read* "19° 20′1″";

(iii) against South Bassein, *for* "19° 21′50″ ", *read* "19° 12′50″ ".

[No. F. L.-111/3/86]

Dr. P. SREENIVASA RAO, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 1986/आश्विन 3, 1908
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 25, 1986/ASVINA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

श्रम मंत्रालय

(अधिसूचना)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1986

का. आ. 690 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के उप सचिव श्री शिव कुमार को 26 सितम्बर, 1986 से पहली अक्तूबर, 1986 तक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं. एस-11011/2/84 उत्प्रवास-2]
ए. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1986

S.O. 690 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri Shiv Kumar, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Labour to be the registering authority with effect from 26th September, 1986 to 1st October, 1986.

[No. S-11011(2)/84-Emig. II]

A. K. TANDON, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1986/आश्विन 4, 1908
No. 391] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1986/ASHVINA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1986

आदेश सं. 63/1985—88

का. आ. 691(अ).—आयात, एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस. ओ. 165(ई), दिनांक 1 अप्रैल, 1988 के अधीन

प्रकाशित करके] सामान्य लाइसेंस सं. 15/86, दिनांक 1 अप्रैल, 1986 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद सं. 10 और उसके सामने प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

[फा. सं. आई पी सी/3/17/85-खंड-2]

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

टिप्पणी:—मूल आदेश सं. एस. ओ. 165(ई), दिनांक 1 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 26th September, 1986

Order No. 63/1985—88

S.O. 691(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment in the Open General Licence number 15/86 dated the 1st April, 1986, published under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 165(E) dated the 1st April, 1986, namely :—

In the schedule to the said notification, item No. 10 and the entries there under shall be omitted.

[File No. IPC/3/17/85-Vol.II]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

NOTE : The principal Order was published vide Number S.O. 165(E) dated 1st April, 1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1986/आश्विन 5, 1908
No. 392] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1986/ASHVINA 5, 190

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 692 (अ).—राष्ट्रपति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से उक्त, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, राज्य सभा के उस सदस्य का स्थान भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान

पर 15 अप्रैल, 1986 को सेवा निवृत्त हुआ था, एक सदस्य को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं।

[फा. सं. 13(2)/86-विधायी-II]
स. रामय्या, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 27th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 692 (E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, a member for filling the seat of the member of the Council of States who retired on the 15th April, 1986 on the expiration of his term of office.

[F. No. 13 (2) |86-Leg.II]
S. RAMAIAH, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72

REGISTERED No. D. (D.L.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1986/आश्विन 7, 1908
No. 393] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1986/ASVINA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1986

आदेश

का. आ. 693 (अ) — केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 934 (अ) तारीख 2 दिसम्बर, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, पेक्लिटिन इंजेक्शन से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ 5 में, "10.11" अंकों के स्थान पर "13.74" अंक रखे जाएंगे।

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 2 दिसम्बर, 1980 के पृष्ठ 1828 पर पैट्रोलियम, रसायन और पैट्रोरसायन मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 934(अ) तारीख 2 दिसम्बर, 1983 के अधीन प्रकाशित किया गया और उसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii) के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 891 (अ) तारीख 23 अक्तूबर, 1984 के साथ पठित भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 5 दिसम्बर, 1983 के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 888(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 1983।

[सं 9 (16)/86—डी. II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 29th September, 1986

ORDER

S.O. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs

(Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals ond Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 934 (E), dated the 2nd December, 1980, namely :—

In the table annexed to the said order, against serial number 2 relating to "Pethidine Inj." in column 5, the figures "10.11", the figures "13.74" shall be substituted.

NOTE : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary. Part II, Section 3(ii) dated 2nd December, 1980 at pages 1828-29 vide Government notification, Ministry of Petroleum, Chemicals and Petrochemicals, (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 934(E) dated 2nd December, 1983 and was subsequently amended by,

(1) Government notification No. S.O. 888 (E) dated 3rd December, 1983 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated 5th December, 1983 at page 3, read with Government notification No. S.O. 891(E) dated 23rd October, 1984 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) at pages 1-2.

[No. 9(16)|86-D.II]
R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1986/आश्विन 7, 1908
No. 394] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1986/ASVINA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1986

आदेश

का.आ. 694(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का. आ. 972(अ) तारीख 15 दिसम्बर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"2. फेनोबार्बिटोन 586.16।"

[सं. 8(37)/79-डी-II]

आर.एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 29th September, 1986

ORDER

S.O. 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 972(E), dated the 15th December, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said Order for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

"2. Phenobarbitone 586.16.".

[No. 8 (37)/79-D.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.S.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1986/आश्विन 7, 1908
No. 395] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 29, 1986/ASVINA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1986

का.आ. 695 (अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सलाहकार समिति गठित करती जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्रीमती ज्ञानम् कृष्णन
2. डाक्टर रमेश वैश
3. श्री पी.आर. रॉय

4. डाक्टर ए. गांगुली

2. सलाहकार समिति के सदस्य 1 अक्तूबर, 1986 से दो वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेंगे ।

[फा.सं. 3/1/85-सी.एल.V]
आर.डी. मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1986

S.O. 695 (E).—In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following persons as members, namely :—

1. Mrs. Gnanam Krishnan
2. Dr. Ramesh Vaish
3. Shri P. R. Roy
4. Dr. A. Ganguly.

2. The members of the Advisory Committee shall hold office for a period of two years with effect from 1st October, 1986.

[File No. 3/1/85-C.L.V.]
R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/87

REGISTERED No. D. (DN) 72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1986/आश्विन 8, 1908
No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 30, 1986/ASVINA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

का. आ. 696(अ) :— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश 1977* का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल, खान योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1986 है।

(2) यह 10 अक्तूबर, 1986 को प्रवृत्त होगा।

2. दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के पैरा 4 के उप पैरा (1) में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	नगरों का प्रवर्ग	निम्नलिखित की दशा में क्विंटलों में स्टाक की सीमाएं थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	टिप्पण
"(ii) खाने योग्य तिलहन जिसमें मूंगफली भी है।	प्रवर्ग क	1500	100	1. सभी खाने योग्य तिलहन कुल मिलाकर
	प्रवर्ग ख	1000	75	
	प्रवर्ग ग	500	50	
				2. मूंगफली छिलका सहित या बीज के लिए विनिर्दिष्ट सीमा का 75 प्रतिशत लागू होगा।"

फा. सं. 24 (4)/85 – ई. सी. आइ.
एस. बी. एम. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

*निम्नलिखित द्वारा संशोधित :—

का. आ. सं. 64(अ), तारीख 4-2-78
का. आ. सं. 400(अ), तारीख 26-6-78
का. आ. सं. 536(अ), तारीख 20-9-79
का. आ. सं. 10(अ), तारीख 7-1-1982
का. आ. सं. 740(अ), तारीख 17-10-1983
का. आ. सं. 465(अ), तारीख 14-6-1985

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 30th September, 1986

S.O. 696 (E) :——In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977,* namely:——

1. (1) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) (Amendment) Order, 1986.

(2) It shall come into force on the 10th day of October, 1986.

2. In the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977, in sub-paragraph (1) of paragraph 4, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:—

Category of cities	Stock-limits in quintals in the case of Wholesaler	Retailer	Remarks
"(ii) Edible Oilseeds including groundnut in shell.	Category A 1500	100	1. All edible oilseeds taken together
	Category B 1000	75	
	Category C 500	50	2. For groundnut kernel or seed, 75% of the limits specified shall apply."

[F. No. 24(4)/85-ECR]

S.V.M. TRIPATHI, Jt. Secy.

*Amended vide S.O.No. 64(E) dt. 4-2-78
S.O.No. 400(E) dt. 26-6-78
S.O.No. 536(E) dt. 20-9-79
S.O.No. 10(E) dt. 7-1-82
S.O.No. 740(E) dt. 17-10-83
S.O.No. 456(E) dt. 14-6-85

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1986/आश्विन 8, 1908
No. 397] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 30, 1986/ASVINA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1986

का. आ. 697(अ) :—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस विषय पर सभी पूर्व अधिसूचनाओं को, जहां तक उनका संबंध राजस्थान राज्य से है, अतिष्ठित करते हुए, राजस्थान सरकार की सहमति से, उस सरकार को, निम्नलिखित के अधीन, केन्द्रीय सरकार के कृत्य, अर्थात्:—

(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कृत्य, सिवाय उन कृत्यों के जो उक्त अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (i) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य हैं, और

(2) राजस्थान राज्य में संघ के प्रयोजनों के लिए अर्जन के संबंध में, भूमि अर्जन (कंपनी) नियम, 1963 के अधीन कृत्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन सौंपते हैं, अर्थात् :—

(क) राजस्थान सरकार, ऐसे कृत्यों को करने में, ऐसे साधारण और विशेष निदेशों का अनुपालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर जारी करे; और

(ख) कृत्यों के इस प्रकार सौंपे जाने पर भी, केन्द्रीय सरकार, यदि किसी मामले में ऐसा करना ठीक समझती है तो, उक्त कृत्यों में से किसी को स्वयं कर सकती है।

[सं. 13011/24/85-एल आर डी]
जगदीश चन्द्र जेतली, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1986

S.O. 697 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all previous notifications on the subject in so far as they relate to the State of Rajasthan, the President, with the consent of the Government of Rajasthan, hereby entrusts to that Government, the functions of the Central Government under :—

(i) the land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) except the functions exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 55 of the said Act ; and

(ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963, in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in the State of Rajasthan..

Subject to the following conditions namely :—

(a) that in the exercise of such functions, the Government of Rajasthan shall comply with such general and

special directions as the Central Government may, from time to time, issue; and

(b) that notwithstanding the entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[F. No. 13011|24|85-LRD]

J. C. JETLI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 398] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 1986/आश्विन 8, 1908
No. 398] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 30, 1986/ASVINA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

शुद्धिपत्र

का.आ. 698 (अ):—भारत सरकार के नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय में दिनांक 22 जून, 1985 को भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में पृष्ठ 3254 पर प्रकाशित दिनांक 10 जून, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2834 में से "धारा 177ए, 365 (2) और 434 ए के प्रावधानों को छोड़कर" हटा दिया जाए।

[फा. सं. एस डब्ल्यू/13-एम एस एल (2)/85-एम ए]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

(Shipping Wing)

New Delhi, the 30th September, 1986

CORRIGENDUM

S.O. 698 (E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 2834, dated the 10th June, 1985, published at page 3254 of the Gazette of India Part II Section 3 (ii), dated the 22nd June, 1985, omit "except the provisions of section 177A, 365 (2) and 434A".

[SW|13-MSL (2) |85-MA]

P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 1986/आश्विन 9, 1908
No. 399] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1986/ASVINA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1986

का. आ. 699(अ) :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1977 में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4 निरीक्षण फीस :— प्रति परेषण न्यूनतम 30/— रु. के अधीन रहते हुए, निर्यातकर्ता अभिकरण को निम्नलिखित दर से निरीक्षण फीस के रूप में फीस का संदाय करेगा, अर्थात् :—

मदें	परेषणानुसार निरीक्षण के लिए (संशोधित प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अधीन अनुमोदित यूनिटों से भिन्न)	संशोधित प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अधीन किए गए निरीक्षण के लिए
	प्रति कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए पैसे	प्रति कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए पैसे
प्रशीतित झींगा (सभी प्रकार के)	छब्बीस (26)	तेरह (13)
प्रशीतित समुद्री झींगा (सभी प्रकार के)	छत्तीस (36)	अट्ठारह (18)
प्रशीतित कटल मछली	दस (10)	पांच (5)
प्रशीतित स्क्विड	दस (10)	पांच (5)
प्रशीतित ऑक्टोपस	दस (10)	पांच (5)"

[फाइल सं. 2(1)/85 – ई आई एंड ई पी]

पाद टिप्पण :—मूल नियम का. आ. 4008 तारीख 31-12-1977 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

1979 का का. आ. 2701
1980 का का. आ. 2167
1985 का का. आ. 764(ई)

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st October, 1986

S.O. 699(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1977, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Inspection fee.—Subject to a minimum of Rs. 30 for each consignment, a fee at the following rates shall be paid by the exporters to the agency as inspection fee, namely :—

Items	For consignmentwise inspection (other than units approved under modified inprocess quality control system)	For inspection carried out under modified inprocess quality control system
	(Paise per Kg. or part thereof)	(Paise per Kg. or part thereof)
Frozen Shrimps (All types)	Twenty-six	Thirteen
Frozen Lobsters (All types)	Thirty-six	Eighteen
Frozen Cuttle Fish	Ten	Five
Frozen Squids	Ten	Five
Frozen Promfrets	Ten	Five "

[File No. 2(7)|85-EI&EP]

Footnote :—Principal rules were published vide S.O. 4008 dated 31-12-1977 and amended by :

S.O. 2701 of 1979
S.O. 2167 of 1980
S.O. 764(E) of 1985

का. आ. 700(अ) :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डिब्बा-बंद मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिब्बा बंद मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डिब्बा बंद मछली और मछली उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. निरीक्षण फीस :—

(i) जब निरीक्षण नियम 5(क) और (ग) के आधार पर किया जाता है तो प्रति कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 10 पैसे की दर से, और

(ii) जब निरीक्षण नियम 5(ख) के आधार पर किया जाता है तो प्रति कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए 20 पैसे की दर से,

निर्यातकर्ता अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में संदाय करेगा।"

[फाइल सं. 2(1)/85-ई आई एंड ई पी]

*पाद टिप्पण :—

मूल अधिसूचनाएं तारीख 12-2-1983 के का. आ. 862 तारीख 12-2-1983 के का. आ. 863 द्वारा प्रकाशित हुई और 1985 के का. आ. 763(ई) द्वारा संशोधित की गई।

S.O. 700(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1983*, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall some into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1983, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

"8. Inspection fee—at the rate of —

(i) ten paise per kg. or part thereof when the inspection is carried out on the basis of rule 5(a) and (c); and

(ii) twenty paise per kg. or part thereof when the inspection is carried out on the basis

of rule 5(b), shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee."

[File No. 2(1)|85-EI&EP]

*Footnote :

Principal notification was published vide S.O. 862 dated 12-2-1983 and S.O. 863 dated 12-2-1983 and amended by S.O. 763(E) of 1985.

का. आ. 701(अ) :— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशीतित मेंढक की टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशीतित मेंढक की टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रशीतित मेंढक की टांगों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 में, नियम 3 के पैरा (9) में "घ निरीक्षण की प्रक्रिया" शीर्षक के नीचे उप पैरा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) निरीक्षण फीस :— प्रति परेषण न्यूनतम 30 रु. के अधीन रहते हुए निर्यातकर्ता, अभिकरण को परेषणानुसार निरीक्षण प्रणाली के अधीन किए गए निरीक्षण के लिए प्रति कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए अठारह पैसे की दर से और संशोधित प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अधीन किए गए निरीक्षण के लिए प्रति कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए नौ पैसे की दर से निरीक्षण फीस के रूप में फीस का संदाय करेगा।"

[फाइल सं. 2(1)/85 – ई आई एंड ई पी]
डी. पी. बागची, संयुक्त सचिव

*पाद टिप्पण:—मूल नियम का. आ. 1890 तारीख 9-6-1979 द्वारा प्रकाशित और 1984 का का. आ. 92 1985 का का. आ. 765 (ई) द्वारा संशोधित हुए।

S.O. 701(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Frozen Frog Legs (Quality Control and Inspection) Rules, 1979*, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Frozen Frog Legs (Quality Control and Inspection) Amendment, Rules, 1986;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Frozen Frog Legs (Quality Control and Inspection) Rules, 1979, in rule 3, under the heading "D. Procedure of Inspection" in paragraph (9), for sub-paragaraph (c) the following shall be substituted, namely :—

"(c) Inspection fee—Subject to a minimum of Rs. 30 for each consignment, a fee at the rate of eighteen paise per kg. or part therefor inspection carried out under consignmentwise inspection system and a fee at the rate of nine paise per kg. or part thereof for inspection carried out under Modified Inprocess Quality Control System, shall be paid by the exporters to the agency as inspection fee."

[File No. 2(7)|85-EI&EP]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

*Footnote.—The principal rules were published vide S.O. 1890 dated 9-6-1979 and amended by S.O. 92 of 1984 and S.O. 765(E) of 1985.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 400] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 1986/आश्विन 9, 1908
No. 400] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1986/ASHVINA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. 702(अ) :—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) प्ररूप सं० 35 में,—

(i) "अपीलार्थी को" शब्दों से आरम्भ होने वाले और "भेजी जाए" शब्दों से समाप्त होने वाले स्तम्भ के पूर्व निम्नलिखित स्तम्भ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "जहां किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई अपील, किसी सहायक अपील आयुक्त या आयुक्त (अपील) के पास अपीलार्थी के मामले में लंबित है वहां निम्नलिखित की बाबत ब्यौरा दें—

(क) वह सहायक अपील आयुक्त या आयुक्त (अपील) जिसके पास अपील लंबित है;

(ख) वह निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील की गई है;

(ग) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसे किस आय-कर अधिकारी ने पारित किया;

(घ) आय-कर अधिकारी ने वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिनियम की किस धारा और उपधारा के अधीन पारित किया था और उस आदेश की तारीख क्या है";

(ii) टिप्पणी में, मद 6 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"7. यदि अपीलें, एक निर्धारण वर्ष से अधिक के संबंध में लंबित हैं तो प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत अलग-अलग विशिष्टियां दी जाएं।"

(ख) प्ररूप सं. 36 के टिप्पणों में, मद 1 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :—

"1. अपील का आवेदन तीन प्रतियों में होना चाहिए और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दो प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए), आय-कर अधिकारी मुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए तथ्यों के विवरण यदि कोई हों, की दो प्रतियां, और—

(क) शास्ति उद्गृहीत करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में सुसंगत निर्धारण आदेश की दो प्रतियां;

(ख) धारा 144क के साथ पठित धारा 143 (3) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, धारा 144क के अधीन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के निदेशों की दो प्रतियां;

(ग) धारा 144ख के साथ पठित धारा 143 (3) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, निर्धारण आदेश के प्रारूप की दो प्रतियां और धारा 144ख के अधीन सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के आदेशों की दो प्रतियां;

(घ) धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, मूल निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, की दो प्रतियां होनी चाहिएं ।

[सं. 6943/फा.सं. 142/75/86-टी पी एस]
बी डी वाखरकर, निदेशक (टी पी एल II)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

टिप्पण :—मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 969 तारीख 26-3-62 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

का.आ.स. 2029, तारीख 30-6-1962, 2565 तारीख 9-8-1962, 2568 तारीख 30-8-1963, 511 तारीख 4-2-1964, 2567 तारीख 27-7-1964, 3660 तारीख 13-10-1964, 169 तारीख 4-1-1965, 591 तारीख 15-2-1965, 860 तारीख 6-5-1965, 1086 तारीख 30-5-1965, 1886 तारीख 10-6-1965 2153 तारीख 2-7-1965, 2704 तारीख 27-8-1965, 189 तारीख 15-1-1966, 2451 तारीख 10-8-1966, 598 तारीख 18-2-1967, 846 तारीख 10-3-1967, 1940 तारीख 28-5-1967, 2460 तारीख 22-7-1967, 3218 तारीख 6-9-1967, 4538 तारीख 21-12-1967, 813 तारीख 29-2-1968, 1112 तारीख 18-3-1968, 1356 तारीख 22-5-1968, 2751 तारीख 3-8-1968, 2883 तारीख 24-8-1968, 3949 तारीख 28-9-1968, 621 तारीख 14-2-1969, 625 तारीख 14-2-1969, 2000 तारीख 23-5-1969, 2005 तारीख 24-5-1969, 4427 तारीख 24-10-1969, 152 तारीख 9-1-1970, 719 तारीख 23-7-1970, 3398 तारीख 14-10-1970, 3769 तारीख 18-11-1970, 4001 तारीख 16-12-1970, 1917 तारीख 20-3-1970 1997 तारीख 11-5-1971, 2168 तारीख 28-5-1971, 2272 तारीख 31-5-1971, 5597 तारीख 30-12-1971, 175(अ) 3-3-1972, 436(अ) तारीख 21-6-1972, 573(अ) तारीख 1-9-1972, 708(अ) तारीख 15-11-1972, 159(अ) तारीख 20-3-1973, 160(अ) तारीख 20-3-1973, 369(अ) तारीख 2-7-1973, 128(अ) तारीख 28-5-1974, 201(अ) तारीख 14-5-1974, 567(अ) तारीख 21-9-1974 615(अ) तारीख 17-10-1974, 627(अ) तारीख 2-11-1974, 725(अ) तारीख 19-12-1974, 25(अ) तारीख 10-1-1975, 293(अ) तारीख 1-7-1975, 534(अ) तारीख 24-9-1975, 543(अ) 26-9-1975, 710(अ) तारीख 18-12-1975, 134(अ) तारीख 2-2-1976, 197(अ) तारीख 15-3-1976, 266(अ) तारीख 31-3-1976, 275(अ) तारीख 1-4-1976, 420(अ) तारीख 19-6-1976, 615(अ) तारीख 16-9-1978, 842(अ) तारीख 30-12-1976, 18(अ) तारीख 12-1-1977, 23(अ) तारीख 18-1-1977, 210(अ) तारीख 25-3-1977, 640(अ) तारीख 27-8-1977, 665(अ) तारीख 9-9-1977, 677(अ) तारीख 22-9-1977, 720(अ) तारीख 14-10-1977, 730(अ) तारीख 18-10-1977, 827(अ) तारीख 8-12-1977, 24(अ) तारीख 18-1-1978, 178(अ) तारीख 17-5-1978, 222(अ) तारीख 3-3-1978, 351(अ) तारीख 24-5-1978, 355(अ) तारीख 25-5-1978, 636(अ) तारीख 29-5-1978, 433(अ) तारीख 7-7-1978, 464(अ) तारीख 24-7-1978, 725(अ) तारीख 23-12-1978, 58(अ) तारीख 30-1-1979, 416(अ) तारीख 20-3-1979, 324(अ) तारीख 30-5-1979, 416(अ) तारीख 21-7-1979, 607(अ) तारीख 29-10-1979, 608(अ) तारीख 29-10-1979 641(अ) तारीख 6-11-1979, 49(अ) तारीख 19-1-1980, 351(अ) तारीख 26-5-1980, 396(अ) तारीख 12-6-1980, 434(अ) तारीख 18-6-1980, 562(अ) तारीख 24-7-1980, 695(अ) तारीख 29-8-1980, 832(अ) तारीख 1-10-1980, 894(अ) तारीख 17-11-1980 931(अ) तारीख 1-12-1980, 46(अ) तारीख 22-1-1981, 47(अ) तारीख 22-1-1981, 118(अ) तारीख 20-2-1981, 139(अ) 28-3-1981, 396(अ) तारीख 30-5-1981, 492(अ) तारीख 19-6-1981, 558(अ) तारीख 14-7-1981, 618(अ) तारीख 1-8-1981, 824(अ) तारीख 21-11-1981, 104(अ) तारीख 27-2-1982, 268(अ) तारीख 12-4-1982, 365(अ) तारीख 27-5-1982, 372(अ) तारीख 29-5-1982, 433(अ) तारीख 21-6-1982, 448(अ) तारीख 26-6-1982, 472(अ) तारीख 2-7-1972, 546(अ) तारीख 31-7-1982, 128(अ) तारीख 21-2-1983, 131(अ) तारीख 23-2-1983, 148(अ) तारीख 28-2-1983, 151(अ) तारीख 28-2-1984, 152(अ) तारीख 28-21933, 271(अ) तारीख 31-8-1983, 368(अ) तारीख 2-6-1983 600(अ) तारीख 19-8-1983, 739(अ) तारीख 1-11-1983, 825(अ) तारीख 18-11-1983, 34(अ) तारीख 21-1-1984, 572(अ) तारीख 24-7-1984, 757(अ) तारीख 1-10-1984, 824(अ) तारीख 7-11-1984, 952(अ) तारीख 21-12-1984, 65(अ) तारीख 31-1-1985, 91(अ) तारीख 4-2-1985, 205(अ) तारीख 16-3-1985, 520(अ) तारीख 17-7-1985, 563(अ) तारीख 31-7-1985, 602(अ) तारीख 12-8-1985, 838(अ) तारीख 19-11-1985, 901(अ) तारीख 18-12-1985, 937(अ) तारीख 31-12-1985, 1(अ) तारीख 3-1-1986, 147(अ) तारीख 31-3-1986, 148(अ) 31-3-1986, 412(अ) तारीख 9-7-1986, 413(अ) तारीख 9-7-1986, 654(अ) तारीख 4-9-1986, 655(अ) तारीख 4-9-1986, 659(अ) तारीख 5-9-1986 ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st October, 1986

NOTIFICATION

INCOME-TAX

S.O. 702(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Ninth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in Form No. 35,—

(i) before the column beginning with the words "Address to" and ending with the words "to the appellant", the following column shall be inserted, namely :—

"Where an appeal in relation to any other assessment year is pending in the case of the appellate with any Appellate Assistant Commissioner or Commissioner (Appeals), give the details as to the—

(a) Appellate Assistant Commissioner or Commissioner (Appeals), with whom the appeal is pending ;

(b) assessment year in connection with which the appeal has been preferred;

(c) Income-tax Officer passing the order appealed against;

(d) section and sub-section of the Act, under which the Income-tax Officer passed the order appealed against and the date of such order" ;

(ii) in the Notes, after item 6, the following item shall be inserted, namely :—

"7. If appeals are pending in relation to more than one assessment year separate particulars in respect of each assessment year may be given.";

(b) in Form No. 36, in the Notes, for item 1, the following item shall be substituted, namely :—

"1. The memorandum of appeal must be in triplicate and should be accompanied by two copies (at least one of which should be a certified copy) of the order appealed against, two copies of the relevant order of the Income-tax Officer, two copies of the grounds of appeal before the first appellate authority, two copies of the statement of facts, if any, filed before the said appellate authority, and also—

(a) in the case of an appeal against an order levying penalty, two copies of the relevant assessment order;

(b) in the case of an appeal against an order under section 143 (3) read with section 144A, two copies of the directions of the Inspecting Assistant Commissioner under section 144A;

(c) in the case of an appeal against an order under section 143(3) read with section 144B, two copies of the draft assessment order and two copies of the directions of the Inspecting Assistant Commissioner under section 144B;

(d) in the case of an appeal against an order under section 143 read with section 147, two copies of the original assessment order, if any.".

[No. 6943|F. No. 142|75|86-TPL]

V. D. WAKHARKAR, Director (TPL-II)
Central Board of Direct Taxes

Note :—Principal rules were published under Notification No. S.O. 969 dated 26-3-1962 and subsequently amended by S.O. No. 2029 dated 30-6-1962, 2565 dated 9-8-1962, 2508 dated 30-8-1963, 511 dated 4-2-1964, 2567 dated 27-7-1964, 3660 dated 13-10-1964, 169 dated 4-1-1965, 591 dated 15-2-1965, 360 dated 8-3-1965, 1086 dated 30-3-1965, 1886 dated 10-6-1965, 2153 dated 2-7-1965, 2704 dated 27-8-1965 189 dated 13-1-1966, 2451 dated 10-8-1966, 598 dated 13-2-1967, 846 dated 10-3-1967, 1949 dated 28-5-1967, 2460 dated 22-7-1967, 3218 dated 6-9-1967, 4588 dated 21-12-1967, 313 dated 29-2-1968, 1112 dated 18-3-1968, 1856 dated 22-5-1968, 2751 dated 2-8-1968, 2883 dated 24-8-1968, 3494 dated 25-9-1968, 624 dated 14-2-1969, 625 dated 14-2-1969, 2000 dated 23-5-1969, 2005 dated 24-5-1969, 4427 dated 29-10-1969, 5056 dated 29-12-1969, 152 dated 9-1-1970, 719 dated 23-2-1970, 3398 dated 14-10-1970, 3769 dated 18-11-1970, 4001 dated 16-12-1970, 1917 dated 20-2-1971, 1996 dated 11-5-1971, 2168 dated 28-5-1971, 2272 dated 31-5-1971, 5595 dated 30-12-1971, 175(E) dated 6-3-1972, 436(E) dated 21-6-1972, 573(E) dated 1-9-1972, 708(E) dated 15-11-1972, 159(E) dated 20-3-1973, 160(E) dated 20-3-1973, 369(E) dated 2-7-1973, 128(E) dated 28-2-1974, 291(E) dated 14-5-1974, 567(E) dated 21-9-1974, 615(E) dated 17-10-1974, 627(E) dated 2-11-1974, 725(E) dated 19-12-1974, 25(E) dated 10-1-1975, 295(E) dated 1-7-1975, 534(E) dated 24-9-1975, 543(E) dated 26-9-1975, 710(E) dated 18-12-1975, 134(E) dated 23-2-1976, 197(E) dated 15-3-1976, 266(E) dated 31-3-1976, 375(E) dated 1-4-1976, 420(E) dated 19-6-1976, 615(E) dated 16-9-1976, 842(E) dated 30-12-1976, 18(E) dated 12-1-1977, 23(E) dated 18-1-1977, 210(E) dated 5-3-1977, 640(E) dated 27-8-1977, 665(E) dated 9-9-1977, 677(E) dated 22-9-1977, 720(E) dated 14-10-1977, 730(E) dated 18-10-1977, 827(E) dated 8-12-1977, 24(E) dated 18-1-1978, 178(E) dated 17-3-1978, 222(E) dated 31-3-1978, 351(E) dated 24-5-1978, 355(E) dated 25-5-1978, 362(E) dated 29-5-1978, 433(E) dated 7-7-1978, 464(E) dated 24-7-1978, 725(E) dated 23-12-1978, 58(E) dated 30-1-1979, 146(E) dated 20-3-1979, 324(E) dated 30-5-1979, 416(E) dated 21-7-1979, 607(E) dated 29-10-1979, 608(E) dated 29-10-1979, 609(E) dated 29-10-1979, 641(E) dated 6-11-1979, 40(E) dated 19-1-1980, 351(E) dated 26-5-1980, 396(E) dated 12-6-1980, 434(E) dated 18-6-1980, 562(E) dated 24-7-1980, 695(E) dated 29-8-1980, 832(E) dated 1-10-1980, 864(E) dated 17-11-1980, 931(E) dated 1-12-1980, 46(E) dated 22-1-1981, 47(E) dated 22-1-1981, 118(E) dated 20-2-1981, 139(E) dated 28-2-1981, 396(E) dated 30-5-1981, 492(E) dated 19-6-1981, 558(E) dated 14-7-1981, 618(E) dated 1-8-1981, 824(E) dated 21-11-1981, 104(E) dated 27-2-1982, 268(E) dated 12-4-1982, 365(E) dated 27-5-1982, 372(E) dated 29-5-1982, 433(E) dated 21-6-1982, 448(E) dated 26-6-1982, 472(E) dated 2-7-1982, 546(E) dated 31-7-1982, 128(E) dated 21-2-1983, 131(E) dated 23-2-1983, 146(E) dated 26-2-1983, 151(E) dated 28-2-1983, 152(E) dated 28-2-1983, 274(E) dated 31-3-1983, 388(E) dated 2-6-1983, 600(E) dated 19-8-1983, 789(E) dated 1-11-1983, 825(E) dated 18-11-1983, 34(E) dated 21-1-1984, 527(E) dated 24-7-1984, 757(E) dated 1-10-1984, 824(E) dated 7-11-1984, 952(E) dated 21-12-1984, 65(E) dated 31-1-1985, 91(E) dated 4-2-1985, 205(E) dated 19-3-1985, 529(E) dated 17-7-1985, 568(E) dated 31-7-1985, 602(E) dated 12-8-1985, 838(E) dated 19-11-1985, 901(E) dated 18-12-1985, 937(E) dated 31-12-1985, 1(E) dated 3-1-1986, 147(E) dated 31-3-1986, 148(E) dated 31-3-1986, 412(E) dated 9-7-1986, 413(E) dated 9-7-1986, 654(E) dated 4-9-1986, 655(E) dated 4-9-1986, 659(E) dated 5-9-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)-72

REGISTERED No. D. (D.M.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 401] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 1986/आश्विन 9, 1908
No. 401] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1986/ASVINA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

धन-कर

का. आ. 703(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 में,—

(क) प्रारूप 6 में,—

(i) "धन-कर अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, जहां-जहां वे आते हैं, "/मूल्यांकन अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "धन-कर अधिकारी जिसने वह आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है" से संबंधित स्तम्भ के पश्चात्, निम्नलिखित स्तम्भ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"जहां किसी आस्ति का मूल्यांकन, मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है वहां ऐसे मूल्यांकन अधिकारी का पदनाम और पता";

(iii) "*अपील में किस असंतोष का दावा किया गया है" से संबंधित स्तम्भ के पश्चात्, निम्नलिखित स्तम्भ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**यदि अपीलार्थी के मामले में किसी अन्य निर्धारण वर्ष की बाबत कोई अपील किसी सहायक आयुक्त (अपील)/आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है तो निम्नलिखित को बाबत ब्यौरे दीजिए :—

(क) सहायक आयुक्त (अपील)/आयुक्त (अपील) जिसके पास अपील लंबित है;

(ख) निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील की गई है ;

(ग) धन-कर अधिकारी/मूल्यांकन अधिकारी जिसने वह आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अपील की गई है;

(घ) अधिनियम की वह धारा और उपधारा जिसके अधीन धन-कर अधिकारी/मूल्यांकन अधिकारी ने वह आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तथा ऐसे आदेश की तारीख;

(i) "ध्यान दें" शीर्ष के सामने मद 5 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6. **यदि अपीलें एक से अधिक निर्धारण वर्ष की बाबत लंबित हैं तो प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत पृथक विशिष्टियां दी जाएं।";

(ख) प्ररूप घ में,—

(i) मद 4 और 5 में "धन-कर अधिकारी" शब्दों के पश्चात् "/मूल्यांकन अधिकारी" शब्द क्रमशः अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) मद 5 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5क. जहां किसी आस्ति का मूल्यांकन, मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है वहां ऐसे मूल्यांकन अधिकारी का पदनाम और पता";

(iii) "कृपया ध्यान दें" शीर्ष के सामने मद 1 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1. अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होना चाहिए और उसके साथ उस आदेश की दो प्रतियां (जिसमें से एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए) जिसके विरुद्ध अपील की गई है,

धन-कर अधिकारी/मूल्यांकन अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां, उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष मामले के तथ्यों को, यदि कोई है, दो प्रतियां और निम्नलिखित भी भेजे जाने चाहिए :—

(क) शास्ति के उद्ग्रहण के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, सुसंगत निर्धारण आदेश की दो प्रतियां;

(ख) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 के साथ पठित धारा 16(3) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, मूल निर्धारण आदेश की, यदि कोई है, दो प्रतियां।"

[सं. 6944/फा. सं. 142/75/86-टी. पी. एल.]

बी. डी. वखारकर, निदेशक (टी.पी.एल.-2)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

टिप्पणी :—मूल नियमों को 18-10-1957 की अधिसूचना सं. कानूनी विनियम एवं आदेश सं. 3384 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 27-1-1961 के का. आ. सं. 271, 30-4-63 के 798, 28-9-64 के 1473, 4-6-68, के 2064, 2-7-68 के 2432, 10-3-70 के 1026, 1-9-70 के 2881, 1-9-70 के 2882, 26-2-71 के 999, 25-2-72 के 165, 21-6-72 के 437, 15-11-72 के 707, 17-3-71 के 154, 31-3-73 के 187, 4-6-73 के 327, 4-1-74 के 21, 8-10-74 के 599, 19-12-74 के 726, 30-12-74 के 739, 30-9-75 के 559, 1-3-76 के 147, 31-3-76, के 267, 3-11-67 के 702, 15-11-76 के 732, 12-1-77 के 16, 15-2-77 के 166, 14-10-77 के 721, 7-7-78 के 434, 11-9-78 के 554, 30-3-79 के 169, 29-10-79 के 610, 10-1-80 के 41, 28-1-80 के 75, 28-2-81 के 119, 30-5-81 के 397, 19-6-1981 के 493, 22-2-83 के 130 (अ) और 31-3-83 के 273(अ), 12-3-84 के 158(अ), 1-10-84 के 758(अ), 21-12-84 के 951(अ), 26-12-84 के 958 (अ), 19-9-85 के 685(अ) द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st October, 1986

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Wealth-tax Rules, 1957,—

(a) in Form E,—

(i) after the words "Wealth-tax Officer", wherever they occur, the words "Valuation Officer" shall be inserted;

(ii) after the column relating to "Wealth-tax Officer passing the order appealed against", the following column shall be inserted, namely :—

"Where valuation of any asset has been referred to the Valuation Officer, designation and address of such Valuation Officer";

(iii) after the column relating to "Relief claimed in appeal", the following column shall be inserted, namely :—

"**Where an appeal in relation to any other assessment year is pending in the case of the appellant with any Appellate Assistant Commissioner/ Commissioner (Appeals), give the details as to the,—

(a) Appellate Assistant Commissioner/ Commissioner (Appeals) with whom the appeal is pending;

(b) assessment year in connection with which the appeal has been preferred.

(c) Wealth-tax Officer/Valuation Officer passing the order appealed against;

(d) section and sub-section of the Act, under which the Wealth-tax Officer/ Valuation Officer passed the order appealed against and the date of such order";

(iv) in the Notes, after item 5, the following item shall be inserted, namely :—

"6. *[If appeals are pending in relation to more than one assessment year, separate particulars in respect of each assessment year may be given." ;

(b) in Form F,—

(i) in items 4 and 5, after the words "Wealth-tax Officer", the words "Valuation Officer" shall, respectively, be inserted ;

(ii) after item 5, the following item shall be inserted, namely :—

"5A. Where valuation of any asset has been referred to the Valuation Officer, designation and address of such Valuation Officer" ;

(iii) in the Notes, for item 1, the following item shall be substituted, namely :—

"1. The memorandum of appeal must be in triplicate and should be accompanied by two copies (at least one of which should be a certified copy) of the order appealed against, two copies of the relevant order of the Wealth-tax Officer/Valuation Officer, two copies of the grounds of appeal before the first appellate authority, two copies of the statement of facts, if any, filed before the said appellate authority, and also—

(a) in the case of an appeal against an order levying penalty, two copies of the relevant assessment order ;

(b) in the case of an appeal against an order under section 16(3) read with section 17 of the Wealth-tax Act, 1957, two copies of the original assessment order, if any.".

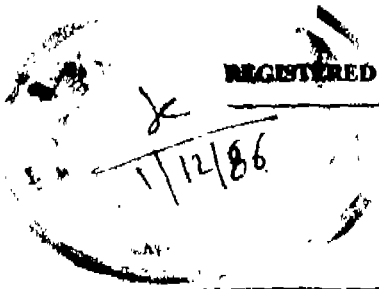
[No. 6944/F. N. 142/75/86-TPL]
V. D. WAKHARKAR, Director (TPL-II)
Central Board of Direct Taxes

Note.—Principal rules were published under Notification No. S.R.O. 3384 dated 18-10-1957 and subsequently amended by S.O. No. 271 dated 27-1-1961, 798 dated 30-4-1963, 1473 dated 28-9-1964, 2064 dated 4-6-1968, 2432 dated 2-7-1986, 1026 dated 10-3-1970, 286 dated 1-9-1970, 2882 dated 1-9-1970, 999 dated 26-2-1971, 165 dated 25-2-1972, 437 dated 21-6-1972, 707 dated 15-11-1972, 154 dated 17-3-1973, 187 dated 31-3-1973, 327 dated 4-6-1973, 21 dated 4-1-1974, 599 dated 8-10-1974, 726 dated 19-12-1974, 739 dated 30-12-1974, 559 dated 30-9-1975, 147 dated 1-3-1976, 267 dated 31-3-1976, 702 dated 3-11-1976, 732 dated 5-11-1976, 16 dated 12-1-1977, 166 dated 15-2-1977, 721 dated 14-10-1977, 434 dated 7-7-1978, 554 dated 11-9-1978, 169 dated 30-3-1979, 610 dated 29-10-1979, 41 dated 19-1-80, 75 dated 28-1-1980, 119 dated 29-2-1981, 397 dated 30-5-1981, 493 dated 19-6-1981, 130(E) dated 22-2-1983 and 273(E) dated 31-3-1983, 158(E) dated 12-3-1984 758(E) dated 1-10-1984, 951(E) dated 21-12-1984, 958(E) dated 26-12-84, 658(E) dated 19-9-1985.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72





भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 402] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 1986/आश्विन 9, 1908

No. 402] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1986/ASHVINA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

दान-कर

का.आ. 704 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दान-कर नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम दान-कर (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दान-कर नियम, 1958 में—

(क) प्ररूप घ में,—

(i) "**अपील में किस अनुतोष का दावा किया गया है" से संबंधित स्तंभ के पश्चात निम्नलिखित स्तंभ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"**यदि अपीलार्थी के मामले में किसी अन्य निर्धारण वर्ष की बाबत कोई अपील किसी सहायक आयुक्त (अपील)/आयुक्त (अपील) के समक्षलंबित है तो निम्नलिखित की बाबत ब्यौरा, दें :—

(क) सहायक आयुक्त (अपील)/आयुक्त जिसके पास अपील लंबित है,

(ख) निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील की गई है;

(ग) जिसके विरुद्ध अपील की गई है उसे पारित करने वाला दान-कर अधिकारी

(घ) अधिनियम की वह धारा या उपधारा, जिसके अधीन दान-कर अधिकारी ने यह आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है तथा ऐसे आदेश की तारीख";

(ii) टिप्पणों में, मद 3 के पश्चात निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"4. **यदि अपीलें एक से अधिक निर्धारण वर्ष की बाबत लंबित हैं तो प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत पृथक विनिष्टियां दी जाएं।";

(ख) प्ररूप ज में, टिप्पणों में मद 1 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :—

"1. अपील का ज्ञापन तीन प्रतियों में होना चाहिए और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दो प्रतियां (जिन में से कम से कम एक प्रमाणित होनी चाहिए), दान-कर अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां, प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों

की दो प्रतियां, तथ्यों के कथन की यदि कोई हो, दो प्रतियां संलग्न होनी चाहिए तथा उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल की जानी चाहिए और साथ ही,—

(क) शास्ति के उद्ग्रहण के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, मुलंगत निर्धारण आदेश की दो प्रतियां;

(ख) दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 16 के साथ पठित धारा 15(3) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, मूल निर्धारण आदेश, यदि कोई है, की दो प्रतियां" ।

[सं. 6945/फा.सं. 142/75/86-टी.पी.एल]
वी.डी. वाखरकर, निदेशक 'टीपीएल-II'
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

टिप्पणी: मूल नियम दान-कर मैनुअल, 1982 के संस्करण में प्रकाशित किए गये थे, जिसका प्रकाशन निरीक्षण निदेशालय (मुद्रण तथा प्रकाशन) आयकर विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हंस भवन, नई दिल्ली-110002 द्वारा किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st October, 1986

NOTIFICATION

GIFT TAX

S.O. 704(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Gift-tax Rules, 1958 namely :—

1. (1) These rules may be called the Gift-tax (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gift-tax Rules, 1958,—

(a) in Form D,—

(i) after the column relating to "*Relief claimed in appeal", the following column shall be inserted, namely :—

"**Where an appeal in relation to any other assessment year is pending in the case of the appellant with any Appellate Assistant Commissioner|Commissioner (Appeals), give the details as to the,—

(a) Appellate Assistant Commissioner| Commissioner (Appeals) with whom the appeal is pending ;

(b) assessment year in connection with which the appeal has been preferred ;

(c) Gift-tax Officer passing the order appealed against ;

(d) section and sub-section of the Act, under which the Gift-tax Officer passed the order appealed against and the date of such order" ;

(ii) in the Notes, after item 3, the following item shall be inserted, namely :—

"4. **If appeals are pending in relation to more than one assessment year, separate particulars in respect of each assessment year may be given." ;

(b) in Form H, in the Notes, for item 1, the following item shall be substituted, namely :—

"1. The memorandum of appeal must be in triplicate and should be accompanied by two copies (at least one of which should be a certified copy) of the order appealed against, two copies of the relevant order of the Gift-tax Officer, two copies of the grounds of appeal before the first appellate authority, two copies of the statement of facts, if any, filed before the said appellate authority, and also,—

(a) in the case of an appeal against an order levying penalty, two copies of the relevant assessment order ;

(b) in the case of an appeal against an order under section 15(3) read with section 16 of the Gift-tax Act, 1958, two copies of the original assessment order, if any.".

[No. 6945|F. No. 142|75|86-TPL]
V. D. WAKHARKAR, Director (TPL-II)
Central Board of Direct Taxes

Note.—The Principal Rules were published in the Gift Tax Manual, 1982 edition brought out by the Directorate of Inspection (Printing and Publications), Income-tax Department, Central Board of Direct Taxes, Hans Bhavan, New Delhi-110002.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 1986/ASHVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 29 सितम्बर 1986

अधिसूचनाएं

का. आ. 705(अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1799 दि. 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी. बि. बि.	
राय बरेली	महाराज गंज	सेम रौता	सांझ- गांव	553 543	0-5-0 0-3-0	

[सं. O-14016/95/84—ओ एन जी-डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM
& NATURAL GAS

New Delhi, the 29th September, 1986

NOTIFICATIONS

S.O. 750(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. No. 1799 dated 6-4-86 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Somra-uta	Manjh Gaon	553	0-5-0	
				543	0-3-0	

[No. O-14016/95/84-ONG-D.4]

का. आ. 706 (अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1798 तारीख 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी. बी. बी.	
राय बरेली	महाराज गंज	बछरावां	सैदपुर बेहटा	72	0-2-0	

[सं. O-14016/95/84-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 706(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. No. 1798 dated 26-4-86 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area In Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Bachh Rawan	Saidpur Behta	72	0-2-0	

[No. O-14016/95/84-ONG-D.4]

का. आ. 707(अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1795 तारीख 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक केस अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बि.बि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	बछरावां	जलाल-पुर	992	0-2-0	

[सं. O-14016/95/84-ओ एन जी-डी.4]

S.O. 707(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. No. 1795 dated 26-4-86 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Bachh Rawan	Jalal Pur	992	0-2-0	

[No. O-14016/75/84-ONG-D.4]

का. आ. 708 (अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1797 दिनांक 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
					बी.बि.वि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	बछरांवा	रसूलपुर	703	0–0–6	
				663	0–0–5	

[सं. O–14016/95/84-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 708(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1797 dated 26-4-86 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals P pelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1952(50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the scheule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Talisil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
					B-B-B-	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Bachh Rawan	Rasool Pur	703	0-0-6	
				663	0-0-5	

[No. O-14016/95/84-ONG-D.4]

का. आ. 709(अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 1796 तारीख 16-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार के उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
					बी.बि.वि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	सेम-रौता	भदयर-पुर	76	0–1–8	

[सं. O–14016/95/84-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 709(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1796 dated 16-4-86 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1062), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area in acres	Remarks
					B-B-B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Sem-rauta	Bhaiya-pur	76	0-1-8	

[No O-14016/95/84-ONGD-4]

का. आ. 710(अ):— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1770 दि. 15-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
फरुखाबाद	छिब्रामऊ	तालग्राम	झूसी नगर	510	0-0-2	

[सं. O-14016/110/85-जी पी]

S.O. 710(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1770 dated 15-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government direct that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
Farukhabad	Chhibramau	Talgram	Jhusi Nagar	510	0-02	

[No. O-14016/110/85-GP]

का. आ. 711(अ):—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1791 दिनांक 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाय अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
					बी.बि.बि	
राय-	महाराज	बछरांवा	मैना-	598	0–1–10	
बरेली	गंज		हार	152	0–5–0	
			कटरा	531	1–0–0	

[सं. O–14016/379/84–जी पी]

S.O. 711(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1791 dated 26-4-86 under subsection (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot no.	Area in acres	Remarks
					B-B-B	
Rae	Mahraj	Bach-	Main-	598	0-1-10	
Bareli	Ganj	hrawan	ahar	152	0-5-0	
			Katra	531	1-0-0	

[No. O–14016/329/84–GP]

का. आ. 712(अ):—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय, पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 432 तारीख 14-1-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील छबड़ा

गांव	खसरा सं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
भौरा	1	0	00	30
	2	0	30	29
	3	0	08	02
	4	0	49	41
	11	0	23	17
	14	0	38	31

1	2	3	4	5
भौंरा (आर.)	15	0	04	75
	35	0	34	76
	43	0	30	29
	44	0	30	96
	47/295	0	02	29
	46	0	27	92
	45	0	04	46
	38	0	25	56
	50	0	01	47
	51	0	02	97
	52	0	39	79
	54	0	26	73
	55	0	34	16
	53	0	21	98
	1/295	0	01	49

[सं. ओ-14016/552/84-जी पी]

S.O. (E). –712 Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S. O. 432 dated 14-1-85 under subsection (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified the schedule appended to that notification for the purpose laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by subsection (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State: Rajasthan District: Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
BHONRA				
	1	0	00	30
	2	0	30	29
	3	0	08	02
	4	0	48	41
	11	0	23	17
	14	0	38	31
	15	0	04	75
	35	0	34	76
	43	0	30	29
	44	0	30	96
	47/295	0	02	29
	46	0	27	92
	45	0	04	46
	38	0	25	56
	50	0	01	47
	51	0	02	97
	52	0	39	79
	54	0	26	73
	55	0	34	16
	53	0	21	98
	1/295	0	01	49

[No. O-14016/552/84-GP]

का. आ. 713 (अ) :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की उपधारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1773 तारीख 16-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बी.वि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	बछरांवा	मलपुर	199	0-0-2	
				415	0-10-0	

[सं. ओ-14016/240/84-जी पी]

S.O. 713(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1773 dated 16-4-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distri	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Bachhrawan	Malpur	199	0-0-2	
				415	0-10-0	

[No. O-14016/240/84-GP]

का. आ. 714 (अ):— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1758 तारीख 16-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट सं.	क्षेत्रफल	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.वि.बी	
राय-बरेली	महाराज गंज	बछरावां	बनावां	1732	0-0-12	

[सं. ओ-14016/161/84-जी पी]

S.O. 714(E):—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1758 dated 16-4-86 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Bachh rawan	Ban-nawan	1732	0-0-12	

[No. O-14016/214/84-GP]

का. आ. 715 (अ):— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1776 तारीख 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2 3	4	5	6	7
				बी.बि.बी.	
राय-	महाराज बछरावां	घुर्रेडी	1631	0-1-2	
बरेली	गंज		2234	0-0-5	

[सं. O-14016/164/84—जी पी]

S.O. 715(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1776 dated 26-4-86 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), th Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquires for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rai Bareli	Mahraj Ganj	Bachh-rawan	Thul-endi	1631	0-1-2	
				2234	0-0-5	

[No. O-14016/164/84-GP]

का. आ. 716 (अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1777 तारीख 16-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी. बि. बि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	सेम-रौता	समसपुर हलोर	1425	0-3-5	

[सं. O-14016/163/84—जी पी]

S.O. 716 (E)—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G. S.O. 1777 dated 16-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (I) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquires for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Dis-trict	Tahsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area in acres	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mah-raj-Ganj	Sem-rauta	Sam-aspur Halor	1425	0-3-5	

[No. O-14016/163/84—GP]

का. आ. 717 (अ) :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1708 तारीख 15-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय-बरेली	महाराज गंज	इन्हौना	रत-बलिया	853	0-1-0	
				1156	0-2-0	
			मझार	1165	0-0-3	

[सं. O-14016/4/84—जी पी]

S.O. 717 (E)—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 1708 dated 15-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this Notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this Notification hereby acquires for laying the pipeline;

And, further, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mah-raj Ganj	In-hauna	Rat-valiya	853	0-1-0	
				1156	0-2-0	
			Majhar	1165	0-0-3	

[No. O-14016/4/84—G.P.]

का. आ. 718 (अ):— यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 1710 दि. 15-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बि.बि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	सेम-रौता	फोटवा	1253	0—1—0	
			मोहम-बाबाद	1267	0—0—5	
				1151	0—3—0	
				1122	0—8—0	

[सं. O—14016/4/84-जी पी]

S.O. 718 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum N.G. S.O. 1710 dated 15-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Mah-raj Ganj	Sem-rauta	Kotwa	1253	0-1-0	
			Moh-amda-Bad	1267	0-0-5	
				1151	0-3-0	
				1122	0-8-0	

[No. O—14016/4/84—G. P.]

का. आ. 719 (अ):— यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1709 तारीख 15-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बि.बि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	सेम-रौता	सेम-रौता	203	0–1–0	
				209	0–0–5	

[सं. O–14016/4/84—जी पी]

S.O. 719 (E).— Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N. G. S.O. 1709 dated 15-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 196), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Secton 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government direct that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No,	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rae Bareli	Mah-raj Ganj	Sem-rauta	Sem-rauta	203	B-B-B	
				209	0-1-0	
					0-0-5	

[No. O—14016/4/84—G. P.]

का. आ. 720 (अ):— यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1592 तारीख 9-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने की प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	बी.बि.बि	
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	गुन्नौर	रजपुरा	भकरौली	543	0–6–10	
				546	0–0–1	
				545	0–1–1	
				544	0–2–0	
				537	0–8–10	
				538	0–6–0	
				535	1–5–15	
				534	0–3–10	
				533	0–2–15	
				532	0–0–10	
				417	0–0–5	
				435	0–0–1	
				436	0–3–5	
				520	0–1–15	
				438	0–7–5	
				439	0–6–15	
				440	0–13–10	
				441	0–17–15	
				442	0–3–0	
				443	0–1–10	
				444	0–2–0	

1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	गुन्नौर	राजपुरा	भकरौली	445	0–3–5	
				453	1–2–0	
				446	0–1–5	
				452	0–15–5	
				449	0–9–15	
				450	0–4–5	
				470	0–0–15	
				475	0–3–5	
				476	1–3–10	
				484	0–0–15	
				483	0–0–10	
				485	2–6–0	
				493	0–5–0	
				492	0–9–15	
				489	1–18–0	
				490	0–1–5	
				501	0–9–15	
				343	0–6–0	
				338	0–2–5	
				339	1–8–0	
				340	0–6–10	
				341	0–2–5	
				502	0–0–5	
				344	0–4–5	
			सम्पूर्ण योग =	45	17–17–8	बीघा

[सं. O–14016/552/86—जी पी]

S.O. 720 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum N. G. S.O. 1592 dated 9-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bigha	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Badaun	Gunnour	Rajpura	Bhakrauli	543	0-6-10	
				546	0-0-1	
				545	0-1-1	
				544	0-2-0	
				537	0-8-10	
				538	0-6-0	
				535	1-5-15	
				534	0-3-10	
				533	0-2-15	
				532	0-0-10	
				417	0-0-5	
				435	0-0-1	
				436	0-3-5	
				520	0-1-15	
				438	0-7-5	
				439	0-6-15	
				440	0-13-10	
				441	0-17-15	
				442	0-3-0	
				443	0-1-10	
				444	0-2-0	
				445	0-3-5	
				453	1-2-0	
				446	0-1-5	
				452	0-15-5	
				449	0-9-15	
				550	0-4-5	
				470	0-0-15	
				475	0-3-5	
				476	1-3-10	
				484	0-0-15	
				483	0-0-10	
				485	2-6-0	
				493	0-5-0	
				492	0-9-15	
				489	1-18-0	
				490	0-1-5	
				501	0-9-15	
				343	0-6-0	
				338	0-2-5	
				339	1-8-0	
				340	0-6-10	
				341	0-2-5	
				502	0-0-5	
				344	0-4-5	
			Total =	45	17-17-8 Bigha	

[No. O–14016/552/86 G.P]

का. आ. 721 (अ):– यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1785 तारीख 16-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बि.बि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	हरदोई	तौली	1017	0–0–2	
				588	0–0–3	
				888	0–0–2	
				826	0–5–0	

[सं. O–14016/158/84—जी पी]

S.O. 721(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum N. G. S.O. 1785 dated 16-4-86 under sub-section(1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplimentary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Rae Bareli	Maharaj Ganj	Hardoi	Tauli	1017	0-0-2	
				588	0-0-3	
				888	0-0-2	
				826	0-5-0	

[No. O—14016/158/84-G. P.]

का. आ. 722(अ):– यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं 1591 तारीख 9-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	बी.बि.बी.	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	गुन्नौर	राजपुरा	कैल	17	0–0–2	
				16	0–19–12	
				15	0–0–8	
				14	0–16–7	
				13	0–4–9	
				12	0–6–6	
				11	1–10–11	
				9	0–15–8	
				10	0–0–3	
				42	0–1–1	
				61	1–17–2	
				71	0–0–14	
				73	0–8–5	
				72	1–3–13	
				88	0–0–3	
				60	0–0–18	
				53	0–1–11	
				56	0–6–10	
				59	0–4–14	
			योग	19	8–18–17	बीघा

[सं. O–14016/551/86—जी पी

S.O. 722(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N. G. S.O. 1591 dated 9-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplimentary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B-B-B	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Gunnaur	Raj Pura	Kail	17	0-2-2	
				16	0-19-12	
				15	0-0-8	
				14	0-16-7	
				13	0-4-9	
				12	0-6-.6	
				11	1-10-11	
				9	0,15-18	
				10	0-0-3	
				42	0-1-1	
				61	1-17-2	
				71	0-4-14	
				73	0-8-5	
				72	1-3-13	
				88	0-0-3	
				60	0-0-18	
				53	0-1-11	
				56	0-6-10	
				59	0-4-14	
			Total	19	8-18-17	Bigha

[No. O—14016/551/86—G. P.]

का. आ. 723(अ):—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1758 तारीख 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल बी०वि०वि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.वि.वि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	बछरावां	बछरावां	4542	0–19–4	

[सं. O–14016/238/84—जी पी]

S.O. 723(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G. S.O. 1769 dated 16-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres B.B.B.	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Bareli	Mahraj Ganj	Bachh Rawan	Bachh Rawan	4542	0 19 4	

[No. O-14076/238/84-G. P.]

का. आ. 724 (अ):— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ सं. 1722 तारीख 15-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे, उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.वि.वि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	सेम-रौता	जमु-रावां	1920	0–0–2	
				1892	0–0–5	

[सं. O–14016/15/84—जी पी]

S.O. 729 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum N.G. S.O. 1722 dated 15-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying peipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, **the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;**

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H·B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B B B	
Rai Bareli	Mahraj Ganj	Sema-raula	Jamu-ravan	1910	0 0 2	
				1892	0 0 5	

[No. O-14016/15/84-G .P.]

का. आ. 725 (अ):— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1733 तारीख 26-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे, उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी. बि. बि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	सेम-रौता	पहनाशा	395	0—0—10	
				377	0—0—5	
				363	0—0—5	
				243	0—11—0	

[सं. O—14016/316/84—जी पी]

S.O. 725(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum N.G. S.O. 1733 dated 26-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appeneded to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, **the Central Government hereby declares that the**

right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Semrauta	Pahnansha	395	0 0 10	
				377	0 0 5	
				363	0 0 5	
				243	0 11 0	

[No. O-14016/316/84-G.P.]

का. आ. 726 (अ):— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1725 तारीख 15-4-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे, उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक वाद अनुसूची
एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
					बी.बि.वि.	
राय-बरेली	महाराज गंज	इन्हौना	बन-भरिया	2448	0-0-5	
				2491	0-0-9	

[सं. O-14016/160/84—जी पी]

S.O. 726(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & N.G.S.O. 1725 dated 15-4-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And, further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)
H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B B B	
Rae Bareli	Mahraj Ganj	Inhauna	Ban Bhariya	2448	0 0 5	
				2491	0 0 9	

[No. O-14016/160/84-GP]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (DL)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 404] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 404] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 1986/ASVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1986

का.आ. 3727 (अ).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 (1970 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अनुसरण में कतिपय विश्वविद्यालयों में से आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से, इन विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के संकाय या विभाग (किसी भी नाम से ज्ञात) के सदस्यों द्वारा अपने में से ही छह सदस्य निर्वाचित किए गए हैं ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259 तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात

उक्त अधिसूचना की सारणी में "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत (1) काकतिया विश्वविद्यालय (2) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय (3) महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (4) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, (5) जीवाजी विश्वविद्यालय, और (6) मुम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों के सामने क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4
काकतिया विश्वविद्यालय वारंगल	1. डा. डी. रंगाचार्य, आचार्य ए.एस. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वारंगल	आयुर्वेद	28-4-86
गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	1. जाला कनक सिंह खिमाभाई उपाचर्य श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय धनवन्तरी मन्दिर जामनगर	आयुर्वेद	28-4-86
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	1. डा. अनन्तानन्द प्रधानाचार्य, महिला आयुर्वेदिक महाविद्यालय खानपुर, कलां (सोनीपत)	आयुर्वेद	21-4-86

1	2	3	4
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	1. श्री सच्चिदानन्द उपाध्याय, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रीवा	आयुर्वेद	10-2-86
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	1. डा. वेणी माधव शास्त्री, प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	आयुर्वेद	25-4-86
मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	1. वैद्य श्रीराम शर्मा 46, रिज रोड, मुम्बई-400006	आयुर्वेद	12-9-86

[सं. वी. 26013/4/84-ए.ई.]
एस.के. आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1986

S.O. 727(E).—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), (hereinafter referred to as the said Act), six members from the Ayurveda system of medicine from certain Universities have been elected from amongst themselves by the members of the Faculty or Department (by whatever name called) of the Ayurveda system of medicine in those Universities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 3259, dated the 21st August, 1971, namely:—

In the said notification, in the table, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", against the entries relating to (1) Kakatiya University, (2) Gujarat Ayurved University, (3) Maharshi Dayanand University, (4) Awadesh Pratap Singh University, (5) Jiwaji University and (6) Bombay University, the following entries shall respectively, be substituted, namely:—

1	2	3	4
"Kakatiya University, Warangal	1. Dr. D. Ranga Chary Professor, A.L. Govt. Ayurvedic College, Warangal.	Ayurveda	28-4-1986
Gujarat Ayurved University Jamnagar.	1. Zala Kanaksinh Khimabhai, Reader, Shri Gulabkunverba Ayurved College, Dhanvantri Mandir, Jamnagar.	Ayurveda	28-4-1986
Maharshi Dayanand University, Rohtak.	1. Dr. Anantanand Principal, Mahila Ayurvedic College, Khanpur, Kalan (Sonepat).	Ayurved	21-4-1986
Awadesh Pratap Singh University, Rewa.	1. Sh. Sachchidanand Upadhyay, Principal, Govt. Ayurvedic College, Rewa.	Ayurveda	10-2-1986
Jiwaji University Gwalior.	1. Dr. Veni Madhav Shastri, Principal. Govt. Ayurveda College, Gwalior.	Ayurveda	25-4-1986
Bombay University, Bombay.	1. Vd. Shriram Sharma, 46, Ridge Road, Bombay-400006.	Ayurvada	12-9-1986"

[No. V. 26013/4/84-AE
S.K. ALOK, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 405] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 3, 1986/ASVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 3 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 728 (अ):— केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 471 (अ) सं. 5 प्रशा० 7/78 एस. ए. एफ. ई. एम. ए. तारीख 28 जुलाई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में स्तम्भ (1) में "श्रीमती एम. बाला सुब्रमणियन" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "कुमारी उषा सम्भाग" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 6949 सं. 299/67/85-आ. क. (आई. एन. पी. III)]

बी. पी. पन्त, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd October 1986

ORDER

S.O. 728(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27, of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 471(E) [No. 5|Admn. (7)|78-Safema], dated the 28th July, 1978, namely :—

In the Table below the said order, under Column (1), for the words and letter "Smt. M. Balasubramanian", the words "Miss Usha Savara", shall be substituted.

[No. 6949 F. No. 229|67|85-I.T. (INV. III)]
D. P. PANTA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 406] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 406] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 1986/ASVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(वार्षिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

बीमा

का.आ. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 1986 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

(3) यह उन सब कर्मचारियों को लागू होगी जो—

(i) इस स्कीम के प्रारम्भ होने की तारीख को निगम अथवा कम्पनी के पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी काडर में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, और

(ii) जो इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् निगम अथवा कंपनी द्वारा उस रूप में नियुक्त किए जाते हैं,

किन्तु यह उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी –

(क) जो 1 अप्रैल, 1983 को या उसके पश्चात् वर्ग 1 अधिकारी के रूप में प्रोन्नत हो गए हैं या विकास कर्मचारिवृन्द के रूप में संपरिवर्तित हो गए हैं;

(ख) जो नियोजन की विनिर्दिष्ट संविदा के अधीन नियोजित किए गए हैं, या

(ग) जो अंशकालिक रूप में नियोजित है, या

(घ) जिनका इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पूर्व त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम 1974 के पैरा 13 में,

उपपैरा (2) में खण्ड (ii) में, "या 36,000 रुपये" अंकों तथा अन्यों और "जो भी कम हो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 102/2/86-बीमा-IV]
ए.के. पाण्डया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 3rd October, 1986

NOTIFICATION

INSURANCE

S.O. 729(E).—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Schemes further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1983.

(3) It shall apply to all employees—

(i) who are whole time employees in supervisory, clerical and subordinate staff cadre of the Corporation or of the Company on the date of commencement of this Scheme; and

(ii) who are appointed as such by the Corporation or the Company after the date of commencement of this Scheme;

but shall not apply to persons—

(a) who have been promoted as Class I Officers or converted as Development Staff on or after the 1st day of April, 1983;

(b) who are employed under specific contracts of employment; or

(c) who hold part-time employment; or

(d) whose resignation had been accepted or whose services had been terminated before teh date of publication of this Scheme in the Official Gazette.

2. In paragraph 13 of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service or Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, in sub-paragraph (2), clause (ii) the words and figures "of Rs. 36000 whichever is less" shall be omitted.

[F. No. 102|2|86-Ins. IV]

A. K. PANDYA. Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 1986/आश्विन 11, 1908
No. 407] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 3, 1986/ASHVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 730(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ सत्तासीवां संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) नियम 3 में,—

(i) उपनियम (1) में, "उपनियम (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (2), (3) और (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(2) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) जहां किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए मंजूरी देना अपेक्षित है वहां—

(क) यदि वह सरकारी सेवक है तो उस विभाग द्वारा, जो उस सेवा के जिसका वह सदस्य है, काडर का नियंत्रक प्राधिकारी है, और किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जिसमें वह, अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था;

(ख) यदि वह, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक से भिन्न कोई लोक सेवक है तो, उस संगठन से प्रशासनिक रूप से संबंधित विभाग द्वारा जिसमें वह अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा था; और

(ग) किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जो, उस अधिनियम को, जिसके अधीन अभिकथित अपराध किया गया है; लागू करता है :

परन्तु, जहां ऐसे अभिकथित किए गए अपराधों के लिए एक से अधिक अधिनियम के अधीन मंजूरी अपेक्षित है, वहां वह विभाग जो, ऐसे अधिनियमों में से किसी को लागू करता है, ऐसे सभी अधिनियमों के अधीन मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा ।

(4) राष्ट्रपति, उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेंगे कि किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मंजूरी दी जाएगी ।"

2. द्वितीय अनुसूची में--

(1) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "क. खाद्य विभाग" उप शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"1. नागरिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निपटान तथा सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीनी, चावल और गेहूं का क्रय भी";

(2) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "घ. संस्कृति विभाग" उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"13. रत्न और आभूषण संग्रहालय";

(3) "कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय", शीर्ष के नीचे "क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" उपशीर्ष के नीचे, भाग 3 "सतर्कता और अनुशासन" में प्रविष्टि 20 में, उपप्रविष्टि (ख) और उसके नीचे "टिप्पण" का लोप किया जाएगा।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-कैब.]
दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (one hundred and eighty seventh Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(I) In rule 3,—

(i) In sub-rule (1), for the word, brackets and figure, "sub-rule (2)", the words, brackets and figures "sub-rules (2), (3) and (4)" shall be substituted;

(ii) After sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(3) Where sanction for the prosecution of any person for any offence is required to be accorded—

(a) If he is a Government servant, by the Department which is the Cadre Controlling authority for the service of which he is a member, and in any other case, by the Depatment in which he was working at the time of commission of the alleged offence; and

(b) If he is a public servant other than a Government servant, appointed by the Central Government, by the Department administratively concerned with the organisation in which he was workng at the time of commission of the alleged offence; and

(c) In any other case, by the Department which administers the Act under which alleged offence is committed :

Provided that where, for offences alleged to have been committed, sanction is required under more than one Act, it shall be competent for the Department which administers any of such Acts to accord sanction under all such Acts.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) the President may, by general or special order, direct that in any case or class of cases the sanction shall be accorded by the Department of Personnel and Training."

(II) In the [illegible] Schedule,—

(i) under the heading "Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya Aur Nagrik Poorti Mantralaya)" under the sub-heading "A. Department of Food (Khadya Vibhag)", for entry 1, the following shall be substituted namely :—

"1. Purchase of food stuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat."

(ii) under the heading "Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)", under the sub-heading "D. Department of Culture (Sanskriti Vibhag)", after entry 13, the following shall be inserted, namely:—

"13A. Museum of Gems and Jewellery;".

(iii) under the heading "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmic, Lok Shikayat Tatha Pension, Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Personnel and Training (Karmic Aur Prashikshan Vibhag)", in Part III "Vigilance and Discipline", in entry 20, sub-entry (b) and the "Note" thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[No. 74|2|1|86-Cab]
DEEPAK DAS GUPTA Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 1986/आश्विन 14, 1908
No. 408] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1986/ASVINA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 731(ई):—केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा (2) की उपधारा (क) के अनुसरण में, कृषि जलवायु संबंधी दशाओं को, जो विद्यमान हैं, या जिनके विद्यमान होने की सम्भावना है, गन्ने की मात्रा को जो पिराई के लिए उपलब्ध है, या जिसके उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा अन्य सुसंगत तथ्यों

को ध्यान में रखते हुए, चीनी वर्ष 1986-87 के लिए तारीख पन्द्रह नवम्बर, 1986 को 'नियत दिन' के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 1-2/86-एन एस यू]
वी. लक्ष्मी रत्न, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES
(Department of Food)

New Delhi, the 6th October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 731(E).—In pursuance of Sub-section (a) of Section 2 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978), the Central Government hereby specifies, having regard to the agro-climatic conditions prevailing or likely to prevail, the quantity of cane available or likely to be available for crushing and other relevant factors, the fifteenth day of November, 1986 as the 'appointed day', for the sugar year 1986-87.

[No. 1-2/86-NSU]

V. LAKSHMI RATAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 409] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 1986/आश्विन 14, 1908
No. 409] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1986/ASVINA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 732(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) पांचवां संशोधन नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 के नियम 2 में, खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(16) शहरी विकास मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता एकक से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस एकक में सहायक सतर्कता अधिकारी द्वारा अथवा"

[संख्या 23/5/86-पब्लिक]
एन. पी. नवानी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 2297 तारीख 3 नवम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 3406, तारीख 24 अक्तूबर, 1970 द्वारा किया गया और उनका निम्नलिखित द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है :

1. का. आ. सं. 1270 तारीख 27-3-1971
2. का. आ. सं. 1271 तारीख 27-3-1971
3. का. आ. सं. 1521 तारीख 10-4 1971
4. का. आ. सं. 1668 तारीख 24-4-1971
5. का. आ. सं. 2996 तारीख 11-8-1971
6. का. आ. सं. 3408 तारीख 15-9 1971
7. का. आ. सं. 5079 तारीख 3-11 1971
8. का. आ. सं. 5239 तारीख 23-11-1971
9. का. आ. सं. 5252 तारीख 29-11-1971
10. का. आ. सं. 5594 तारीख 30-12-1971
11. का. आ. सं. 210(अ) तारीख 18-3-1972
12. का. आ. सं. 299(अ) तारीख 18-4-1972
13. का. आ. सं. 327(अ) तारीख 29-4-1972

14. का. आ. सं. 513(अ) तारीख 31-7-1972
15. का. आ. सं. 568(अ) तारीख 30-8-1972
16. का. आ. सं. 716(अ) तारीख 18-11-1972
17. का. आ. सं. 23(अ) तारीख 17-1-1973
18. का. आ. सं. 354(अ) तारीख 25-6-1973
19. का. आ. सं. 2683 तारीख 22-9-1973
20. का. आ. सं. 507(अ) तारीख 19-9-1973
21. का. आ. सं. 519(अ) तारीख 26-9-1973
22. का. आ. सं. 552(अ) तारीख 19-10-1973
23. का. आ. सं. 724(अ) तारीख 1-12-1973
24. का. आ. सं. 263)अ) तारीख 26-4-1974
25. का. आ. सं. 321(अ) तारीख 24-5-1974
26. का. आ. सं. 265(अ) तारीख 18-6-1975
27. का. आ. सं. 140(अ) तारीख 25-2-1976
28. का. आ. सं. 195(अ) तारीख 15-3-1976
29. का. आ. सं. 348(अ) तारीख 14-5-1976
30. का. आ. सं. 480(अ) तारीख 19-7-1976
31. का. आ. सं. 493(अ) तारीख 24-7-1976
32. का. आ. सं. 599(अ) तारीख 6-9-1976
33. का. आ. सं. 698(अ) तारीख 30-10-1976
34. का. आ. सं. 19(अ) तारीख 12-1-1977
35. का. आ. सं. 228(अ) तारीख 10-3-1977
36. का. आ. सं. 2255(अ) तारीख 24-3-1977
37. का. आ. सं. 408(अ) तारॉख 23-6-1977
38. का. आ. सं. 603(अ) तारीख 2-8-1977
39. का. आ. सं. 649(अ) तारीख 3-9-1977
40. का. आ. सं. 320(अ) तारीख 12-5-1978
41. का. आ. सं. 419(अ) तारीख 30-6-1978
42. का. आ. सं. 2914 तारीख 7-10-1978
43. का. आ. सं. 598(अ) तारीख 19-10-1978
44. का. आ. सं. 576 तारीख 17-2-1979
45. का. आ. सं. 1020 तारीख 24-3-1979
46. का. आ. सं. 338(अ) तारीख 7-6-1979
47. का. आ. सं. 3569 तारीख 27-10-1979
48. का. आ. सं. 852(अ) तारीख 18-12-1979
49. का. आ. सं. 245(अ) तारीख 11-4-1980
50. का. आ. सं. 543(अ) तारीख 7-7-1981
51. का. आ. सं. 768(अ) तारीख 23-10-1981
52. का. आ. सं. 917(अ) तारीख 28-12-1981
53. का. आ. सं. 428(अ) तारीख 13-6-1983
54. का. आ. सं. 563(अ) तारीख 8-8-1983
55. का. आ. सं. 639(अ) तारीख 5-9-1983
56. का. आ. सं. 795(अ) तारीख 7-11-1983
57. का. आ. सं. 174(अ) तारीख 21-3-1984
58. का. आ. सं. 1(अ) तारीख 3-1-1984
59. का. आ. सं. 2 तारीख 5-1-1985
60. का. आ. सं. 799(अ) तारीख 30-10-1985
61. का. आ. सं. 46(अ) तारीख 4-2-1986

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 3rd October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 732(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and Other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and Other Instruments) Fifth Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Rule 2 of the Authentication (Orders and Other Instruments) Rules, 1958, for clause (16), the following clause shall be substituted, namely:—

"(16) in the case of orders and other instruments relating to the Administrative Vigilance Unit in the Ministry of Urban Development, by an Assistant Vigilance Officer in that Unit; or"

[No. 23|5|86-Public]
N. P. NAWANI, Jt. Secy.

Note:—Principal rules published vide Notification No. 2297, dated the 3rd November, 1958, Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii). Subsequently amended vide Notification No. 3406 dated the 24th October, 1970, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) have been amended from time to time vide :—

1. SO No. 1270 dated 27-3-1971
2. SO No. 1271 dated 27-3-1971
3. SO No. 1521 dated 10-4-1971
4. SO No. 1668 dated 24-4-1971
5. SO No. 2996 dated 11-8-1971
6. SO No. 3408 dated 15-9-1971
7. SO No. 5079 dated 3-11-1971
8. SO No. 5239 dated 23-11-1971
9. SO No. 5252 dated 291-11-1971
10. SO No. 5594 dated 30-12-1971
11. SO No. 210(E) dated 18-3-1972
12. SO No. 299(E) dated 18-4-1972
13. SO No. 327(E) dated 29-4-1972
14. SO No. 513(E) dated 31-7-1972
15. SO No. 568(E) dated 30-8-1972
16. SO No. 716(E) dated 18-11-1972
17. S.O. No. 23(E) dated 17-1-1973
18. SO No. 354(E) dated 25-6-1973
19. SO No. 2683 dated 22-9-1973
20. SO No. 507(E) dated 19-9-1973

21. SO No. 519(E) dated 26-9-1973
22. SO No. 552(E) dated 19-10-1973
23. SO No. 724(E) dated 1-12-1973
24. SO No. 263(E) dated 26-4-1974
25. SO No. 321(E) dated 24-5-1974
26. SO No. 265(E) dated 18-6-1975
27. SO No. 140(E) dated 25-2-1976
28. SO No. 195(E) dated 15-3-1976
29. SO No. 348(E) dated 14-5-1976
30. SO No. 480(E) dated 19-7-1976
31. SO No. 493(E) dated 24-7-1976
32. SO No. 599(E) dated 6-9-1976
33. SO No. 698(E) dated 30-10-1976
34. SO No. 19(E) dated 12-1-1977
35. SO No. 228(E) dated 10-3-1977
36. SO No. 255(E) dated 24-3-1977
37. SO No. 408(E) dated 23-6-1977
38. SO No. 603(E) dated 2-8-1977
39. SO No. 649(E) dated 3-9-1977
40. SO No. 320(E) dated 12-5-1978
41. SO No. 419(E) dated 30-6-1978
42. SO No. 2914 dated 7-10-1978
43. SO No. 598(E) dated 19-10-1978
44. SO No. 576 dated 17-2-1979
45. SO No. 1020 dated 24-3-1979
46. SO No. 388(E) dated 7-6-1979
47. SO No. 3569 dated 27-10-1979
48. SO No. 852(E) dated 18-12-1979
49. SO No. 245(E) dated 11-4-1980
50. SO No. 543(E) dated 7-7-1981
51. SO No. 768(E) daetd 23-10-1981
52. SO No. 917(E) dated 28-12-1981
53. SO No. 428(E) dated 13-6-1983.
54. SO No. 563(E) dated 8-8-1983
55. SO No. 639(E) dated 5-9-1983
56. SO No. 795(E) dated 7-11-1983
57. SO No. 174(E) dated 21-3-1984
58. SO No. 1(E) dated 3-1-1984
59. SO No. 2 dated 5-1-1985
60. SO No. 799(E) dated 30-10-1985
61. SO No. 46(E) dated 4-2-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 1986/आश्विन 15, 1908
No. 410] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 7, 1986/ASVINA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1986

आदेश

का. आ. 733 (अ) :—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने की शक्तियों का प्रयोग धान की डंठल किस्म के पशु चारे के संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भी उस राज्य में करेगी।

2. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के लिये लागू रहेगा ।

[सं. 81-4/86-सी.ए.-4/एल.डी.-2]
पी. वी. शेनोय, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 7th October, 1986

ORDER

S.O. 733(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under Clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of the paddy straw variety be exercisable also by the Government of the State of Tamil Nadu in that State.

2. This order shall remain in force for the period of 6 months commencing from the date of its publication in the Gazette of India.

[No. 81-4/86 CA. IV/LD. II]
P. V. SHENOI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1986/आश्विन 16, 1908
No. 411] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 8, 1986/ASVINA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 731 (अ)—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 64(अ) तारीख 10 अक्तूबर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) वेस्ट बंगाल फर्मास्युटिकल एण्ड फाईटो कैमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., इलाको हाउस (दूसरी मंजिल) 1 और 2 बेवोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स डा. पाल लोठमेन (इंडिया) लि., कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1978 से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 793(अ) तारीख 9 नवम्बर, 1981 सं. का. आ 312(अ) तारीख 8 मई, 1982, सं का. आ 789 (अ) तारीख, 9 नवम्बर, 1982, सं का. आ. 801(अ) तारीख 10 नवम्बर, 1983, सं० का. आ. 364(अ) तारीख 8 मई, 1984, सं. का आ 825(अ) तारीख 9 नवम्बर, 1984, सं. का आ. 926 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1981 और स. का. आ. 104(अ) तारीख 8 फरवरी, 1985 और सं. का. आ. 596(अ) तारीख, 8 अगस्त, 1985, स का. आ. 730 (अ) तारीख 8 अक्तूबर, 1985, सं. का आ 180 (अ) तारीख 9 अप्रैल, 1986, स का. आ. 205 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 1986, सं का आ 217(अ) तारीख 8 मई, 1986, स. का आ. 303(अ) दिनांक 26 मई, 1986 और सं. का. आ. 314(अ) दिनांक 6 जून, 1986, सं. का. आ. 368 (अ) दिनांक 19 जून, 1986, स. का. आ. 410(अ) दिनांक 8 जुलाई, 1986 एवं का० आ. 419 (अ) दिनांक 11 जुलाई, 1986 तथा सं. का आ. 184(अ) दिनांक 8 अगस्त, 1986, द्वारा उद्योग, विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुज्ञा से उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 8 अक्तूबर, 1986 तक, जिसमें यह तारीख सम्मिलित है, सात वर्ष ग्यारह माह की अवधि के लिए करने रहने के लिए समय समय पर निदेश दिये थे।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि जन साधारण के हित में समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध सात वर्ष ग्यारह माह की समाप्ति की अवधि के पश्चात करता रहे, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था और उससे ऐसे प्रबन्ध को छः माह की और अवधि के लिए बनाये रखने की प्रार्थना की थी।

और उक्त उच्च न्यायालय के अपने आदेश तारीख 30 सितम्बर, 1986 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छः माह की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दी थी।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश छः माह तक की, जिसमें 8 अप्रैल, 1987 की तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 4 (2) / 80 सी. यू. एस.]

ए. वी. गोकाक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 8th October, 1986

ORDER

S.O. 734(E).—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 641(E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Haco, House, (2nd Floor), 1 and 2, Barboourne Road, Calcuta-700001, (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years commencing on the 10th November, 1978;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 793(E), dated the 9th November, 1981, S.O. 312(E), dated the 8th May, 1982, S.O. 789(E), daed the 9th November, 1982, S.O. 801(E), dated the 10th November, 1983, S.O. 364(E), dated the 8th May, 1984, S.O 825(E), dated the 9th November, 1984, S.O. 926(E), dated the 7th December, 1984, S.O. 104(E) dated the 8th February, 1985, S.O. 596(E), dated the 8th August, 1985, S.O. 730(E) dated the 8th October, 1985, S.O. 180(E), dated the 9th April, 1986, S.O. 205(E), dated 23rd April, 1986, S.O. 247(E), dated the 8th May, 1986, S.O. 303(E), dated 26th May, 1986, SO. 344(E), dated the 6th June, 1986, S.O 368(E) dated 19th June, 1986, S.O. 410(E), dated 8th July, 1986, S.O. 419(E), dated 11th July, 1986 and S.O. 484(E), dated 8th August, 1986 the Central Government with the permission of the High Court at Calcutta under Section 18 FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of seven years and eleven months upto and inclusive of the 8th October, 1986;

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of Seven years and eleven months made an application under the proviso to sub-section (ii) of the Section 18 FA of the said Act to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months;

And, whereas the said High Court, by its order dated 30th September, 1986, permitted the said authorised person to continue to manage the said Industrial undertaking for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18 FA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 8th April, 1987.

[File No. 4(2)|80-CUS]

A. V. GOKAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. मी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 412] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1986/आश्विन 16, 1908
No. 412] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 8, 1986/ASVINA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 735(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग के आदेश संख्या का.आ. 471(अ) सं. 5/प्रशा.(7)/78 एस.ए. एफ. ई.एम.ए. तारीख 28 जुलाई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में स्तम्भ (1) में "कुमारी ऊषा सावारा" शब्दों के स्थान पर "श्रीमती एम बाला सुब्रमणियन" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

[सं. 6957 सं. 299/67/85-आ.का. (आई.एम.वी.-III)]
एस. के. राय, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th October, 1986

ORDER

S.O. 735(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27, of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 471(E) No. 5|Admn. (7)|78-Safema dated the 28th July, 1978, namely :—

In the Table below the said order, under column (1), for the words "Miss Usha Savara", the words and letters "Smt. M. Balasubramanian", shall be substituted.

[No. 695; F. No. 299|67|85-I.T. (INV. III]

S. K. ROY, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 1986/आश्विन 22, 1908
No. 413] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 1986/ASVINA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली 14 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 736 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 427(अ) दिनांक 19 जून, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में क्रम संख्या 8 से 10 व उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रति स्थापित की जाएंगी ; अर्थात् :—

सारणी

1	2	3	4	5
"8.	सल्फासीटामाइड सोडियम आई ड्राप्स 10%	10% डब्ल्यू वी सल्फासीटामाइड सोडियम	14 मि. लि. बोतल	1.05
9.	सल्फासीटामाइड सोडियम आई ड्राप्स 20%	20% डब्ल्यू बी सल्फासीटामाइड सोडियम	14 मि. लि. बोतल	4.86
10.	सल्फासीटामाइड सोडियम आई ड्राप्स 30%	30% डब्ल्यू बी सल्फासीटामाइड सोडियम	14 मि. ली. बोतल	5.66"

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खंड 3(ii) दिनांक 19 जून, 1982 के पृष्ठ सं. 1-2 पर सरकारी अधिसूचना, रसायन और उर्वरक मंत्रालय सं. का. आ. 427(अ) दिनांक 19 जून, 1982 के माध्यम से जारी किया गया था और तत्पश्चात् निम्न द्वारा संशोधित किया गया था :—

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3(ii), दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 की पृष्ठ संख्या 3 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 890 (अ) दिनांक 3 दिसम्बर, 1983।

[सं. 9 (19) /86-डी-II]

आर. ऐस. माथुर, संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 14th October, 1986

S.O. 736 (E):—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Price Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of Government of India in the erstwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 427(E), dated the 19th June, 1982, namely:

In the Table below the said Order, for serial numbers 8 to 10 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:

TABLE

1	2	3	4	5
"8.	Sulphacetamide Sodium Eye Drops 10%	10% w/v Sulphacetamide Sodium	14 ml bottle	4.05
9.	Sulphacetamide Sodium Eye Drops 20%	20% w/v Sulphacetamide Sodium	14 ml bottle	4.86
10.	Sulphacetamide Sodium Eye Drops 30%	30% w/v Sulphacetamide Sodium	14 ml bottle	5.66"

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 19th June, 1982 at pages 1-2 vide Government Notification, Ministry of Chemicals & Fertilizer No. S.O. 427 (E) dated 19th June, 1982 and was subsequently amended by,

(i) Government Notification No. S.O. 890 (E) dated 3rd December, 1983 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 3rd December, 1983 at page 3.

[No. 9 (19)/86-D-II.]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. . .)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 414] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 1986/आश्विन 24, 1908
No. 414] NEW DELHI, THURSDAY, OCT. 16, 1986/ASVINA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 737 (अ).—राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा-1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 16 अक्तूबर, 1986 को वह तारीख निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. के-16011/3/85-एन एस जी]
वी. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby appoints the 16th day of October, 1986, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. K. 16011/3/85-NSG]

V. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 1986/आश्विन 24, 1908
No. 415] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 1986/ASVINA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 738(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) छठा संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 के नियम 2 में, खण्ड 28 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(28) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मंजूरियों की दशा में उस विभाग में सलाहकार, परियोजना प्रबंधक, संयुक्त सलाहकार, निदेशक (वैज्ञानिक), प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी I द्वारा ; अथवा"

[सं. 23/1/86-पब्लिक]

एन.पी. भवानी, संयुक्त सचिव,

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 2297, तारीख 3 नवम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 3406, तारीख 24 अक्टूबर, 1970 द्वारा किया गया और उनका निम्नलिखित द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया है :—

1. का.आ.सं. 1270 तारीख 27-3-1971
2. का.आ.सं. 1271 तारीख 27-3-1971
3. का.आ.सं. 1521 तारीख 10-4-1971
4. का.आ.सं. 1668 तारीख 24-4-1971
5. का.आ.सं. 2996 तारीख 11-8-1971
6. का.आ.सं. 3408 तारीख 15-9-1971
7. का.आ.सं. 5079 तारीख 3-11-1971
8. का.आ.सं. 5239 तारीख 23-11-1971
9. का.आ.सं. 5252 तारीख 29-11-1971
10. का.आ.सं. 5594 तारीख 30-12-1971
11. का.आ.सं. 210(अ) तारीख 16-3-1972
12. का.आ.सं. 299(अ) तारीख 18-4-1972

13. का.आ.सं. 327(अ)तारीख 20-4-1972
14. का.आ.सं. 513(अ)तारीख 31-7-1972
15. का.आ.सं. 568(अ)तारीख 30-8-1972
16. का.आ.सं. 716(अ)तारीख 18-11-1972
17. का.आ.सं. 23(अ)तारीख 17-1-1973
18. का.आ.सं. 354(अ)तारीख 25-6-1973
19. का.आ.सं. 2683 तारीख 22-9-1973
20. का.आ.सं. 507(अ)तारीख 19-9-1973
21. का.आ.सं. 519(अ) तारीख 26-9-1973
22. का.आ.सं. 552(अ)तारीख 15-10-1973
23. का.आ.सं. 721(अ)तारीख 1-12-1973
24. का.आ.सं. 263(अ)तारीख 26-4-1974
25. का.आ.सं. 321(अ)तारीख 24-5-1974
26. का.आ.सं. 265(अ)तारीख 18-6-1975
27. का.आ.सं. 140(अ)तारीख 25-2-1976
28. का.आ.सं. 195(अ)तारीख 15-3-1976
29. का.आ.सं. 348(अ)तारीख 14-3-1976
30. का.आ.सं. 480(अ)तारीख 19-7-1976
31. का.आ.सं. 493(अ)तारीख 24-7-1976
32. का.आ.सं. 599(अ)तारीख 6-9-1976
33. का.आ.सं. 698(अ)तारीख 30-10-1976
34. का.आ.सं 19(अ)तारीख 12-1-1977
35. का.आ.सं 288(अ)तारीख 10-3-1977
36. का.आ.सं. 2255(अ)तारीख 24-3-1977
37. का.आ.सं408(अ)तारीख 23-6-1977
38. का.आ.सं. 603(अ)तारीख 2-8-1977
39. का.आ.सं. 649(अ)तारीख 3-9-1977
40. का.आ.सं. 320(अ)तारीख 12-5-1978
41. का.आ.सं. 419(अ)तारीख 30-6-1978
42. का.आ.सं. 2914(अ)तारीख 7-10-1978
43. का.आ.सं. 598(अ)तारीख 19-10-1978
44. का.आ.सं. 576(अ)तारीख 17-2-1979
45. का.आ.सं. 1020 तारीख 24-3-1979
46. का.आ.सं. 338(अ)तारीख 7-6-1979
47. का.आ.सं. 3569 तारीख 27-10-1979
48. का.आ.सं. 852(अ)तारीख 18-12-1979
49. का.आ.सं. 245(अ)तारीख 11-4-1980
50. का.आ.सं. 543(अ)तारीख7-7-1981
51. का.आ.सं. 768(अ)तारीख 23-10-1981
52. का.आ.सं. 917(अ)तारीख 28-12-1981
53. का.आ.सं. 428(अ)तारीख 13-6-1983
54. का.आ.सं. 563(अ)तारीख 8-8-1983
55. का.आ.सं. 639(अ)तारीख 5-9-1983
56. का.आ.सं. 795(अ)तारीख 7-11-1983
57. का.आ.सं. 174(अ)तारीख 21-3-1984
58. का.आ.सं. 1(अ)तारीख 3-1-1984
59. का.आ.सं. 2(अ)तारीख 5-1-1985
60. का.आ.सं. 799(अ)तारीख 30-10-1985
61. 63. का.आ.सं 46(अ) तारीख 4-2-1986

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 738(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of articles 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Sixth Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, for clause (28), the following clause shall be substituted, namely :—

"(28) in the case of sanctions relating to the Department of Science and Technology by the Adviser, Project Manager, Joint Adviser, Director (Scientific), Principal Scientific Officer or Senior Scientific Officer Grade I in that Department; or"

[No. 23|1|86-Public]

N. P. NAWANI, Jt. Secy.

Note :—Principal rules published vide notification No. 2297, dated the 3rd November, 1958, Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (ii) Subsequently amended vide notification No. 3406 dated the 24th October, 1970, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) have been amended from time to time vide :—

(1) S. O. No. 1270 dated 27-3-1971
(2) S.O. No. 1271 dated 27-3-1971
(3) S.O. No. 1521 dated 10-4-1971
(4) S.O. No. 1668 dated 24-4-1971
(5) S.O. No. 2996 dated 11-8-1971
(6) S.O. No. 3408 dated 15-9-1971
(7) S.O. No. 5079 dated 3-11-1971
(8) S.O. No. 5239 dated 23-11-1971
(9) S.O. No. 5252 dated 29-11-1971
(10) S.O. No. 5594 dated 30-12-1971
(11) S.O. No. 210(E) dated 18-3-1972
(12) S.O. No. 299(E) dated 18-4-1972
(13) S.O. No. 327(E) dated 29-4-1972
(14) S.O. No. 513(E) dated 31-7-1972
(15) S.O. No. 568(E) dated 30-8-1972
(16) S.O. No. 716(E) dated 18-11-1972
(17) S.O. No. 23(E) dated 17-1-1973
(18) S.O. No. 354(E) dated 25-6-1973
(19) S.O. No. 2683 dated 22-9-1973
(20) S O. No. 507(E) dated 19-9-1973
(21) S.O. No. 519(E) dated 26-9-1973

(22) S.O. No. 552(E) dated 19-10-1973
(23) S.O. No. 724(E) dated 1-12-1973
(24) S.O. No. 263(E) dated 26-4-1974
(25) S.O. No. 321(E) dated 24-5-1974
(26) S.O. No. 265(E) dated 18-6-1975
(27) S.O. No. 140(E) dated 25-2-1976
(28) S.O. No. 195(E) dated 15-3-1976
(29) S.O. No. 348(E) dated 14-5-1976
(30) S.O. No. 480(E) dated 19-7-1976
(31) S.O. No. 493(E) dated 24-7-1976
(32) S.O. No. 599(E) dated 6-9-1976
(33) S.O. No. 698(E) dated 30-10-1976
(34) S.O. No. 19(E) dated 12-1-1977
(35) S.O. No. 228(E) dated 10-3-1977
(36) S.O. No. 255(E) dated 24-3-1977
(37) S.O. No. 408(E) dated 23-6-1977
(38) S.O. No. 603(E) dated 2-8-1977
(39) S.O. No. 639(E) dated 3-9-1977
(40) S.O. No. 320(E) dated 12-5-1978
(41) S.O. No. 419(E) dated 30-6-1978
(42) S.O. No. 2914(E) dated 7-10-1978
(43) S.O. No. 598(E) dated 19-10-1978
(44) S.O. No. 576(E) dated 17-2-1979
(45) S.O. No. 1020 dated 24-3-1979
(46) S.O. No. 338(E) dated 7-6-1979
(47) S.O. No. 3569 dated 27-10-1979
(48) S.O. No. 852(E) dated 18-12-1979
(49) S.O. No. 245(E) dated 11-4-1980
(50) S.O. No. 543(E) dated 7-7-1981
(51) S.O. No. 768(E) dated 23-10-1981
(52) S.O. No. 917(E) dated 28-12-1981
(53) S.O. No. 428(E) dated 13-6-1983
(54) S.O. No. 563(E) dated 8-8-1983
(55) S.O. No. 639(E) dated 5-9-1983
(56) S.O. No. 795(E) dated 7-11-1983
(57) S.O. No. 174(E) dated 21-3-1984
(58) S.O. No. 1(E) dated 3-1-1984
(59) S.O. No. 2(E) dated 5-1-1985
(60) S.O. No. 799(E) dated 30-10-1985
(61) S.O. No. 46(E) dated 4-2-1986

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72. REGISTERED No. D. (D.N.)-72

11/12/86

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 416] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1986/आश्विन 25, 1908
No. 416] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1986/ASVINA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 अक्तूबर, 1986

का. आ 739 (अ)—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 36, उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित ट्रैक्टर-ट्रेलर कम्बीनेशन्ज के पंजीकरण को अनुमोदन प्रदान करती है, जिनका ब्यौरा संलग्न अनुसूची में किया गया है :—

अनुसूची

1. ट्रैलर और ट्रैक्टर का प्रकार — मैसर्स गोल्डहाफर फारज्यूगवार्के जी एम बी एच एण्ड कम्पनी, मौनस्गन पश्चिम जर्मनी द्वारा निर्मित हाईड्रोलिक हैवी ड्यूटी ट्रेलर और तीन एक्सल फोरवार्ड कंट्रोल टूक ट्रैक्टर
2. स्वामित्व — मैसर्ज एयरफरेट प्राईवेट लिमिटेड, बम्बई।
3. ट्रैलर का ब्यौरा

क्रम सं.	चेसिस सं.	सकल लदान भार आर एल डब्ल्यू कि.ग्रा.	एक्सल भार कि.ग्रा.	ट्रेलर की चौड़ाई एम एम	ट्रैलर की लम्बाई एम एम	ट्रेलर और ट्रैक्टर क कुल लम्बाई एम एम
1	2	3	4	5	5	7
1.	12470	120000	30000	3000	9030	16770
2.	12471	120000	30000	3000	9030	16770
3.	12472	120000	30000	3000	9030	16770
4.	12473	180000	30000	3000	12030	19770
5.	12474	180000	30000	3000	12030	19770

4. ट्रैक्टर का ब्यौरा एम.सं.एन. मेक (40—440बी.एफ सं. ट. 6×6

(i) चेसिज संख्या 449006006

इंजिन संख्या 436—3746-124-6121

(ii) चेसिज संख्या डब्ल्यू एम ए. 5480039 एफ 003723

इंजिन संख्या 458-5308-0576-123

(iii) हर एक का फ्रंट एकसल भार—8500 कि.ग्रा.

हर एक का रियर एक्सल भार16000×2 कि.ग्रा.

5. उपर्युक्त छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि :—

(i) ट्रैक्टर-ट्रैलर का प्रचालन किफायती तौर पर किया जाए.

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुबद्ध विभिन्न सड़कों पर लगाए गए लदान प्रतिबंध पर निगरानी रखी जाएगी तथा वाहन को सड़क पर लाने संबंधी हर बार इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी इस प्रकार की प्रत्येक गतिविधि सड़क प्राधिकारियों द्वारा अनुमति दी जायेगी और सुरक्षा की दृष्टि से मानिटर की जायेगी।

(iii) लदे हुए वाहनों को सड़क के ऊपर बने हुए पुलों पर से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा नदियों / नालों को पार करने के लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग के निर्देशन के अनुसार आवेदकों को अपना प्रबंध स्वयं करना होगा,

(iv) वाहन द्वारा सभी खतरे सूचक झंडों और बत्तियों का प्रदर्शन किया जाए, विशेष रूप से ऐसे वाहन के आगे और पीछे एक-एक वाहन हो जिस पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो कि भारी लदान वाला वाहन गुजर रहा है,

(v) सड़क की चौड़ाई के साथ-साथ ट्रेलरों के गुम्मकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) वाहन के आवागमन के कार्यक्रम की सूचना सम्बद्ध विभागीय इंजीनियरों को कम से कम 10 दिन पहले दे दी जाए तथा उनकी क्लीयरेंस भी ले ली जाये।

(vii) यह आश्वस्त किया जाए कि इस वाहन के चलते समय कोई अन्य वाहन सड़क पर न हो।

(viii) ट्रांजिट के दौरान उक्त कम्बीनेशन द्वारा अथवा उनके एजेन्टस द्वारा की जाने वाली क्षति के लिए राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग उत्तरदायी नहीं है।

(ix) उक्त वाहन ट्रैफिक की सामान्य गति में बिना कोई रूकावट डाले चलाया जायगा।

(x) वाहन राजमार्ग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्धारित की गई गति पर ही चलाय जायेगा।

[फा. स. आर.टी.-11011 (11) / 86-टी ए बी]

बी. आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1986

S.O. 739(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 36 of the Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby accords approval to the registration of following tractor trailer combinations, the description of which is given in the schedule appended hereto :—

SCHEDULE

1. Type of Trailer & Tractor — Hydraulic heavy duty trailers and three axled forward control truck tractor manufactured by M/s Goldhofer Fahrzeugwerk GMBH and Company, Memmingen, West Germany.

2. Owned by — M/s Airfreight Pvt Limited, Bombay.

3. Description of trailer:—

S.No.	Chassis number	Gross laden weight (RLW) Kgs.	Axle Weight Kgs.	Width of trailer (mm)	Length of trailer (mm)	Overall length of trailer & tractors (mm)
1	2	3	4	5	6	7
1.	12470	120000	30000	3000	9030	16770
2.	12471	120000	30000	3000	9030	16770
3.	12472	120000	30000	3000	9030	16770
4.	12473	180000	30000	3000	12030	19770
5.	12474	180000	30000	3000	12030	19770

4.	Description of tractor	MAN type (40.460 DFAT). 6×6
	(i) Chassis No.	449006006
	Engine No.	436-3746-124-6121
	(ii) Chassis No.	WMA 548-0039-F-003-723
	Engine No.	158-5308-0576-123
	Front axle load of each	8500 Kgs.
	Rear axle load of each	16000 × 2 Kgs.

2. The above relaxation is subject to the condition that :—

(i) the operation of the tractor-trailers shall be done only sparingly ;

(ii) load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department|Local Authorities will be observed and permission of such authorities will be obtained everytime the vehicle is put on the roads. Each of such movement will be approved and closely monitored by the road authorities from safety point of view.

(iii) the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads and the applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers|nallas as directed by the Public Works Department of State.

(iv) the vehicle should display all danger flags and lights, preferably the vehicle should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

(v) coupling of trailers along the width of the road shall not be permitted.

(iv) the programme of the movement of the vehicle should be intimated at least ten days in advance to the Divisional Engineers concerned and their clearance obtained.

(vii) it should be ensured that no other vehicle is on the structure while this vehicle is moved.

(viii) The Highways and Rural Works Department is not responsible for any damage that may be sustained either by the said Combination or their contents during the transit.

(ix) The said vehicle shall be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

(x) The vehicle shall be moved at a speed recommended by the State Highways and Rural Works Department.

[F. No. RT-11011 (11)|86-TAC]

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1986/आश्विन 25, 1908
No. 417] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 17, 1986/ASVINA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

का. आ. 740(अ):—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (च) के अधीन उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किस्मों के किसी पशुचारे की बाबत आदेश करने की शक्ति का प्रयोग उस राज्य में राजस्थान राज्य की सरकार द्वारा भी किया जायेगा ।

2. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर 31 जनवरी, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशुचारे की किस्में

1. सूखी घास तथा घास ।

2. खार—इसके समस्त व्युत्पादन सहित परन्तु खार गम (जो चारा नहीं है) के सिवाय ।

3. ज्वार, मक्का तथा बाजरे की करब या करबी ।
4. मोठ चारा तथा मोठ चूरी ।
5. चावल की भूसी ।
6. खाखला ।
7. चने की चूरी ।
8. गेहूं चापड़ ।

[संख्या 32-2/85-एल. डी. 2]
बी. बी. महाजन, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1986

S.O. 740(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Rajasthan in that State.

2. This order shall remain in force for the period commending from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st January, 1987.

SCHEDULE

Varieties of Catttle Fodder :

1. Hay and grass.
2. Gowar including all its derivatives but excluding Gowar gum which is not fodder.
3. Karab or karbi of Jowar, Maize and Bajra.
4. Moth-chara and Moth-churi.
5. Rice Husk.
6. Khakhala.
7. Gram churi.
8. Wheat chappad.

[No. 32-2|85-LD. II]
B. B. MAHAJAN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1986/आश्विन 25, 1908
No. 418] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 17, 1986/ASVINA 25, 1908

30/14/86

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1986

का. आ. 741(अ).—दिनांक 25-2-1984 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 20-2-1984 की अधिसूचना संख्या का. आ. 116(अ) द्वारा गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के कार्यालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री अभिताभ दत्ता को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[सं.-51016/1/83-आई. एंड ई. (एम. एस.)]
करतैय सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1986

S.O. 741(E).—Whereas a vacancy has occured in the Office of the Presiding Officer of the National Industrial Tribunal, Calcutta, constituted by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 116(E) dated 20-2-1984 published at page 2 of Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated 25-2-1984.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Amitabha Dutta as the Presiding Officer of the said National Industrial Tribunal, Calcutta.

[No. L. 51016/1/83-I&E (SS)]
KARNAIL SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 17, 1986/आश्विन 25, 1908
No. 419] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 1986/ASHVINA 25, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1986

का. आ. 742(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखते) सातवां संशोधन नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 1958 के नियम 2 में प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8-क) वित्त कार्य विभाग में करेंसी और सिक्का निर्माण प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस प्रभाग में विशेष अधिकारी (करेंसी और सिक्का निर्माण) द्वारा; अथवा"

[सं. 23/8/86-पब्लिक]
एन. पी. नवानी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 2297, तारीख 3 नवम्बर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 3406, तारीख 24 अक्तूबर, 1970 द्वारा किया गया और उनका निम्नलिखित द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है :—

1. का.आ.सं. 1270 तारीख 27-3-1971
2. का.आ.सं. 1271 तारीख 27-3-1971
3. का.आ.सं. 1521 तारीख 10-4-1971
4. का.आ.स. 1668 तारीख 24-4-1971
5. का.आ.सं. 2996 तारीख 11-8-1971
6. का.आ.सं. 3408 तारीख 15-9-1971
7. का.आ.सं. 5079 तारीख 3-11-1971
8. का.आ.सं. 5239 तारीख 23-11-1971
9. का.आ.सं. 5252 तारीख 29-11-1971
10. का.आ.सं. 5594 तारीख 30-12-1971
11. का.आ.सं. 210(अ) तारीख 18-3-1972
12. का.आ.सं. 299(अ) तारीख 18-4-1972
13. का.आ.सं. 327(अ) तारीख 29-4-1972

14. का.आ.सं. 513(अ) तारीख 31-7-1972
15. का.आ.सं. 568(अ) तारीख 30-8-1972
16. का.आ.सं. 716(अ) तारीख 18-11-1972
17. का.आ.सं. 23(अ) तारीख 17-1-1973
18. का.आ.सं. 354(अ) तारीख 25-6-1973
19. का.आ.सं. 2683 तारीख 22-9-1973
20. का.आ.सं. 507(अ) तारीख 19-9-1973
21. का.आ.सं. 519(अ) तारीख 26-9-1973
22. का.आ.सं. 552(अ) तारीख 19-10-1973
23. का.आ.सं. 724(अ) तारीख 1-12-1973
24. का.आ.सं. 263(अ) तारीख 26-4-1974
25. का.आ.सं. 321(अ) तारीख 24-5-1974
26. का.आ.सं. 265(अ) तारीख 18-6-1975
27. का.आ.सं. 140(अ) तारीख 25-2-1976
28. का.आ.सं. 195(अ) तारीख 15-3-1976
29. का.आ.सं. 348(अ) तारीख 14-5-1976
30. का.आ.सं. 480(अ) तारीख 19-7-1976
31. का.आ.सं. 493(अ) तारीख 24-7-1976
32. का.आ.सं. 599(अ) तारीख 6-9-1976
33. का.आ.सं. 698(अ) तारीख 30-10-1976
34. का.आ.सं. 19(अ) तारीख 12-1-1977
35. का.आ.सं. 228(अ) तारीख 10-3-1977
36. का.आ.सं. 2255(अ) तारीख 24-3-1977
37. का.आ.सं. 408(अ) तारीख 23-6-1977
38. का.आ.सं. 603(अ) तारीख 2-8-1977
39. का.आ.सं. 649(अ) तारीख 3-9-1977
40. का.आ.सं. 320(अ) तारीख 12-5-1978
41. का.आ.सं. 419(अ) तारीख 30-6-1978
42. का.आ.सं. 2914 तारीख 7-10-1976
43. का.आ.सं. 598(अ) तारीख 19-10-1978
44. का.आ.सं. 576 तारीख 17-2-1979
45. का.आ.सं. 1020 तारीख 24-3-1979
46. का.आ.सं. 338(अ) तारीख 7-6-1979
47. का.आ.सं. 3569 तारीख 27-10-1979
48. का.आ.सं. 852(अ) तारीख 18-12-1979
49. का.आ.सं. 245(अ) तारीख 11-4-1980
50. का.आ.सं. 543(अ) तारीख 7-7-1981
51. का.आ.सं. 768(अ) तारीख 23-10-1981
52. का.आ.सं. 917(अ) तारीख 28-12-1981
53. का.आ.सं. 428(अ) तारीख 13-6-1983
54. का.आ.सं. 563(अ) तारीख 8-8-1983
55. का.आ.सं. 639(अ) तारीख 5-9-1983
56. का.आ.सं. 795(अ) तारीख 7-11-1983
57. का.आ.सं. 174(अ) तारीख 21-3-1984
58. का.आ.सं. 1(अ) तारीख 3-1-1984
59. का.आ.सं. 2(अ) तारीख 5-1-1985
60. का.आ.सं. 799(अ) तारीख 30-10-1985
61. का.आ.सं. 46(अ) तारीख 4-2-1986

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1986

S.O. 742 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Seventh Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, in rule 2 after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

"(8-A) in the case of orders and other instruments relating to the Currency and Coinage Division in the Department of Economic Affairs by a Special Officer (Currency and Coinage) in that Division; or"

[No. 23|8|86-Public]
N.P. NAWANI, Jt. Secy.

Note :—Principal rules published vide notification No. 2297, dated the 3rd November, 1958, Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (ii), Subsequently amended vide notification No. 3406 dated the 24th October, 1970, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) have been amended from time to time vide :—

(1) SO No. 1270 dated 27-3-1971
(2) SO No. 1271 dated 27-3-1971
(3) SO No. 1521 dated 10-4-1971
(4) SO No. 1668 dated 24-4-1971
(5) SO No. 2996 dated 11-8-1971
(6) SO No. 3408 dated 15-9-1971
(7) SO No. 5079 dated 3-11-1971
(8) SO No. 5239 dated 23-11-1971
(9) SO No. 5252 dated 29-11-1971
(10) SO No. 5594 dated 30-12-1971
(11) SO No. 210(E) dated 18-3-1972
(12) SO No. 299(E) dated 18-4-1972
(13) SO No. 327(E) dated 29-4-1972
(14) SO No. 513(E) dated 31-7-1972
(15) SO No. 568(E) dated 30-8-1972
(16) SO No. 716(E) dated 18-11-1972
(17) SO No. 23(E) dated 17-1-1973
(18) SO No. 354(E) dated 25-6-1973
(19) SO No. 2683 dated 22-9-1973
(20) SO No. 507(E) dated 19-9-1973
(21) SO No. 519(E) dated 26-9-1973
(22) SO No. 552(E) dated 19-10-1973
(23) SO No. 724(E) dated 1-12-1973

(24) SO No. 263(E) dated 26-4-1974
(25) SO No. 321(E) dated 24-5-1974
(26) SO No. 265(E) dated 18-6-1975
(27) SO No. 140(E) dated 25-2-1976
(28) SO No. 195(E) dated 15-3-1976
(29) SO No. 348(E) dated14-5-1976
(30) SO No. 480(E) dated 19-7-1976
(31) SO No. 493(E) dated 24-7-1976
(32) SO No. 599(E) dated 6-9-1976
(33) SO No. 698(E) dated 30-10-1976
(34) SO No. 19(E) dated 12-1-1977
(35) SO No. 228(E) dated 10-3-1977
(36) SO No. 255(E) dated 24-3-1977
(37) SO No. 408(E) dated 23-6-1977
(38) SO No. 603(E) dated 2-8-1977
(39) SO No. 649(E) dated 3-9-1977
(40) SO No. 320(E) dated 12-5-1978
(41) SO No. 419(E) dated 30-6-1978
(42) SO No. 2914 dated 7-10-1978
(43) SO No. 598(E) dated 19-10-1978
(44) SO No. 576 dated 17-2-1979
(45) SO No. 1020 dated 24-3-1979
(46) SO No. 338(E) dated 7-6-1979
(47) SO No. 3569 dated 27-10-1979
(48) SO No. 852(E) dated 18-12-1979
(49) SO No. 245(E) dated 11-4-1980
(50) SO No. 543(E) dated 7-7-1981
(51) SO No. 768(E) dated 23-10-1981
(52) SO No. 917(E) dated 28-12-1981
(53) SO No. 428(E) dated 13-6-1983
(54) SO No. 563(E) dated 8-8-1983
(55) SO No. 639(E) dated 5-9-1983
(56) SO No. 795(E) dated 7-11-1983
(57) SO No. 174(E) dated 21-3-1984
(58) SO No. 1(E) dated 3-1-1984
(59) SO No. 2 dated 5-1-1985
(60) SO No. 799(E) dated 30-10-1985
(61) SO No. 46(E) dated 4-2-1986

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 1986/आश्विन 29, 1908
No. 420] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 1986/ASVINA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

आदेश

का० आ० 743(अ) :— केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 548(अ) तारीख 26 जुलाई, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1	2	3	4	5
2.	विटामिन "ए" कैप्सूल/टिकिया	24000 आई यू कैप्सूल/टिकिया	100 की बोतल/स्ट्रिप	15 68"

स्पष्ण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 2 अगस्त, 1982 के पृष्ठ 1–2 पर, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 548 (अ) तारीख 26 जुलाई, 1982 द्वारा प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था,

i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 12 नवम्बर, 1984 के पृष्ठ 1–2 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 831 (अ) तारीख 7 नवम्बर, 1984।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 21st October, 1986

ORDER

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers, No. S.O. 548(E), dated the 26th July, 1982, namely :—

In the Table below the said Order, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

"1	2	3	4	5
2.	Vitamin 'A' Capsules/tablets	24000 I.u. Capsules/tablet	100's bottle/strip	15.68"

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated 2nd August, 1982 at pages 1-2 vide Government Notification, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers, (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 548 (E), dated the 26th July, 1982 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. S.O. 831(E), dated 7th November, 1984 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 12th November, 1984 at pages 1-2.

का. आ. 744(अ)—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 666 (अ) तारीख 24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से संलग्न सारणी में, क्रम सं 22 से 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5
22.	विटामिन "सी" टिकिया	100 मि ग्रा /टिकिया	100 की बोतल	9.38
23.	विटामिन "सी" टिकिया	100 मि ग्रा /टिकिया	1000 की बोतल	77.49
24.	विटामिन "सी" टिकिया	100 मि ग्रा /टिकिया	100 की स्ट्रिप/बोतल	3.68"

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 24 अगस्त, 1981 के पृष्ठ 1133–34 पर, उद्योग मंत्रालय के रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग की सरकारी अधिसूचना सं का. आ. 666(अ), तारीख 24 अगस्त, 1981 द्वारा प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 10-10-85 के पृष्ठ 1–2 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं का आ 739 (अ), तारीख 10 अक्तूबर, 1985।

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 666 (E), dated the 24th August, 1981, namely :—

In the Table annexed to the said Order, for serial numbers 22 to 24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

"1	2	3	4	5	
22.	Vitamin	'C' Tablets	100mg/tab.	100's Bottle	9.38
23.	Vitamin	'C' Tablets	100mg/tab.	1000's Bottle	77.49
24.	Vitamin	'C' Tablets	500mg/tab.	10's strip/Bottle	3.68"

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 24th August, 1981 at pages 1133-34 vide Government notification, Ministry of Industry, Department of Chemicals and Petro-Chemicals No.S.O. 666(E), dated the 24th August, 1981 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. S.O. 739(E) dated 10th October, 1985 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 10-10-1985 at pages 1-2.

का आ 745 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, जिनमें उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग की, जिसकी प्रबलता और पैक आकार को क्रमशः उसके स्तम्भ 3 और 4 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किया गया है, अग्रणी कीमत के रूप में नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (रु०)
1	2	3	4	5
1.	सायनोकोबालामिन इंजेक्शन	500 मि सें ग्राम/मि लिटर	5 मि लि वायल	3 46
2.	सायनोकोबालामिन इंजेक्शन	1000 मि सें ग्रा /मि लिटर	5 मि लि वायल	4 18

[सं 9 (49)/85 – डी II]

आर० एस० माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by clause(a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Price Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 5 of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of the formulations specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulations	Strength	Pack Size	Leader Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Cyanocobalamin Inj.	500mcg/ml	5ml vial	3.46
2.	Cyanocobalamin Inj.	1000m cg/ml	5ml vial	4.18

[No. 9(49)/85-D. II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

421] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 21, 1986/आश्विन 29, 1908
No. 421] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 1986/ASVINA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषध) का कार्यालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

आदेश

का० आ० 746 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप पैरा (2) द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 157(अ), तारीख 9 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में, प्रवर्ग II विनिर्मितियों के अंतर्गत क्रम सं० 6 के सामने तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्न लिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6."	सल्फाडिपिडाइन टेबलेट	500 मि ग्रा /टेबलेट	10 का स्ट्रिप/बोतल	2.11
			50×10 का स्ट्रिप	119.57
			1000 का टिन/बोतल	220.07

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खंड 3 (ii) दिनांक 9 मार्च, 1981 के पृष्ठ सं 309–310 पर सरकारी अधिसूचना पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग), सं० का० आ० 157(अ)

दिनांक 9 मार्च, 1981, के माध्यम से जारी किया गया था और तत्पश्चात् निम्न द्वारा संशोधित किया गया था :—

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3 (ii) दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को पृष्ठ 1–2 पर प्रकाशित सरकार अधिसूचना सं० का० आ० 241(अ) दिनांक 30 मार्च, 1984 ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 21st October, 1986

ORDERS

S.O. 746 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph(2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 157(E), dated the 9th March 1981, namely:

In the Table below the said Order under Category-II formulations against S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
"6."	Sulphadimidine Tablets	500mg/Tablet	10's strip/bottle	2.11
			50x10's strip	119.57
			1000's Tin/bottle	220.07

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated 9th March, 1981, at pages 309-310 vide Government notification, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 157(E), dated 9th March, 1981 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. S.O. 241(E) dated 30th March, 1984 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3(ii), dated 2nd April, 1984 at pages 1-2.

का० आ० 747 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग), के आदेश संख्या का० आ० 116(अ), तारीख 2 मार्च, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में, क्रम संख्या 4 और 5 व उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां, प्रतिस्थापित की जाएंगी ; अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4"	सल्फाडिमिडाइन इंजैक्शन (बी विट सी)	33.33%	450 मि० लीटर बोतल	85.22
"5"	सल्फाडिमिडाइन इंजैक्शन (बी विट सी)	33.33%	100 मि० लीटर बोतल	24.03

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग – II, खंड 3 (ii) दिनांक 2 मार्च, 1982 के पृष्ठ 197–198 पर सरकारी अधिसूचना पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग), सं० का० आ० 116(अ दिनांक 2 मार्च, 1982, के माध्यम से जारी किया गया था ।

S.O. 747(E).—In exercise of the powrs conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control), Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers, No. S. O. 116(E), dated the 2nd March, 1982, namely :

In the Table below the said Order, for serial number 4&5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"4"	Sulphadimidine Inj. (B Vet C)	33.33%	450 ml Bottle	85.22
"5"	Sulphadimidine Inj. (B Vet C)	33.33%	100 ml Bottle	24.03

NOTE: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii), dated 2nd March, 1982 at pages 197-198 vide Government notification, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 116(E), dated 2nd March, 1982.

का० आ० 748 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप पैरा 6, के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 312 (अ) दिनांक 21 अप्रैल, 1981 में निम्नलिखित पुनः संशोधन करती है ; अर्थात् :

उक्त आदेश के नीचे सारणी में क्रम संख्या 39 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39"	सल्फागानाडाइन टेबलेट	500 मि० ग्रा० टेबलेट	1000 की बोतल	193.29

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग—II, खंड 3 (ii) दिनांक 21 अप्रैल, 1981 के पृष्ठ संख्या 529—530/3 पर सरकारी अधिसूचना, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) सं० का० आ० 312(अ) दिनांक 21 अप्रैल, 1981, के माध्यम से जारी किया गया था और तत्पश्चात निम्न द्वारा संशोधित किया गया था :—

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3 (ii) दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 के पृष्ठ 1—2 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं० का० आ० 923 (अ) दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 ।

[सं० 9 (62)/85 – डी II]

आर० एस० माथुर, संयुक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (औषधि)

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of Government of India the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 312(E), dated the 21st April, 1981 namely :—

In the Table below the said Order' for serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39"	Sulphaguanidine Tablets	500 mg/Tablet	1000's bottle	193.29

NOTE : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii), dated 21st April, 1981 at pages 529-530/3 vide Government notification, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 312(E), dated 21st April, 1981 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. S.O. 923(E), dated 19th Dec., 1983 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii), dated 19th December, 1983 at page 1-2.

[No. 9(62)/85-D. II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 1986/आश्विन 29, 1908
No. 422] NEW DELHI, TUESDAY, OCT 21, 1986/ASADHA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) कार्यालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 749 (अ)—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम औषधि (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 की दूसरी अनुसूची में—(i) "XXXVIII—अन्य संक्रमणरोधी" शीर्ष के नीचे प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"15 नाइट्रोफ्यूराजोन।"

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 21st October, 1986

ORDERS

S.O. 749(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Drugs (Prices Control) Order, 1979, namely :—

1. (1) This Order may be called Drugs (Prices Control) Amendment Order, 1986 ;

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs (Prices Control) Order, 1979, in the Second Schedule:—

(i) Under the heading "XXXVIII—Other Anti-infectives", after entry 14, the following entry shall be inserted, namely :

"15. Nitrofurazone."

का. आ. 750(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 228/- रुपए प्रति किलोग्राम को वह अधिकतम विक्रय कीमत नियत करती है जिस पर स्वदेश में विनिर्मित नाइट्रोफ्युराज़ोन विक्रय किया जाएगा।

[सं. 8(7)85-डी.II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव
और विकास आयुक्त (औषधि)

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes rupees 228/- per kilogram as the maximum sale price at which Nitrofurazone manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(7)/85-D.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy.
and Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 1986/आश्विन 29, 1908
No. 423] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21 1986/ASVINA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

आदेश

का० आ० 751(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग के आदेश सं का० आ० 199 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी,

सारणी

क्रम सं०	प्रपुंज औषधि का नाम	विनिर्माता का नाम	प्रतिधारण कीमत रु /किलोग्रम	साधारण विक्रय कीमत रु /किलोग्राम
1	2	3	4	5
1.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	मैसर्स सिनबायोटक्स लि०	804.79	804.79
		मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	1147.00	1147.00
		मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड	1147.00	1147.00
		मैसर्स अलैम्बिक कैमिकल्स वर्क्स लि०	1147.00	1147.00

[फा०सं० 8(37) 85-डी० II]

आर० एन० माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petrol-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, 21st October, 1986

ORDER

S.O. 751(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Chemicals and Petro-Chemicals No. S.O. 199 (E), dated the 17th April, 1986, namely :—

The Table annexed to the said Order shall be substituted by the following Table.

TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug	Name of the Manufacturer	Retention price Rs./Kg.	Common Sale price Rs./Kg.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Streptomycin Sulphate	M/s. Synbiotics Ltd.	804.79	804.79
		M/s. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	1147.00	1147.00
		M/s. Hindustan Antibiotics Ltd.	1147.00	1147.00
		M/s. Alembic Chemical Works Co. Ltd.	1147.00	1147.00

[No. 8(37)/85-D. II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 424] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 1986/आश्विन 29, 1908
No. 424] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 1986/ASVINA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मन्त्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

आदेश

का०आ० 752 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 733 (अ) तारीख 21 सितम्बर, 1984 को अधिक्रान्त करते हुए, सारणी के स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट कीमतों को उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोगों की जिनकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तम्भ 3 और 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, अग्रणी कीमत के रूप में, जिसके अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं है, नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार		अग्रणी कीमत (रु०)
1	2	3	4		5
1.	बिटामिन बी-1, बी-6 और बी-12 इंजैक्शन.	थायेमीन एच सी एल 50 मि०ग्रा० + पाइरिडाक्सिन एच सी एल 25 मि०ग्रा० + हाइड्राक्सीकोबालामाइन 500 मि०ग्रा०	प्रति मि०लि०	1 मि०लि० का एम्प्यूल	1 44

1	2	3	4		5
2.	विटामिन बी-1, बी-6, और बी-12 इंजैक्शन	थायेमीन एच सी एल 50 मि ग्रा० + पाइरिडाक्सिन एच सी एल 25 मि०ग्रा० + हाइड्राक्सीकोबालामाइन 500 एमसीजी	प्रति मि०लि	5 मि०लि० का वायल	5.09
3.	विटामिन बी-1, बी-6, और बी-12 इंजेक्शन	थायेमीन एच सी एल 100 मि०ग्रा० + पाइरिडाक्सिन एच सी एल 50 मि०ग्रा० + हाइड्राक्सीकोबालामाइन 1000 एमसीजी	प्रति मि०लि०	1 मि०लि० एम्पूल	1.96
4.	विटामिन बी-1, बी-6 और बी-12 इंजैक्शन	थायेमीन एच सी एल 100 मि०ग्रा० + पाइरिडाक्सिन एच सी एल 50 मि०ग्रा० + हाइड्राक्सीकोबालामाइन 1000 एमसीजी	प्रति मि०लि०	5 मि०लि० का वायल	7.46

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 21st October, 1986

ORDERS

S.O. 752(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, and in supersession of the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers No S.O. 733(E), dated 21st September, 1984, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below as the leader prices, exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each the formulations specified in corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respecitvely in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulations	Strength		Pack Size	Leader Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Vitamin B1, B6 and B12 Injection	Thiamine HCL +Pyriodoxine HCL +Hydroxycobalamine	50mg 25 mg 500 mcg } per ml	1 ml amp.	1.44
2.	Vitamin B1, B6 and B12 Injection	Thiamine HCL +Pyriodoxine HCL +Hydroxycobalamine	50 mg 25 mg 500 mcg } per ml	5 ml vial	5.09
3.	Vitamin B1, B6 and B12 Injection	Thiamine HCL +Pyriodoxine HCL +Hydroxycobalamine	100 mg 50 mg 1000 mcg } per ml	1 ml amp.	1.96
4.	Vitamin B1, B6 and B12 Injection	Thiamine HCL +Pyriodoxine HCL +Hydroxycobalamine	100 mg 50 mg 1000 mcg } per ml	5 ml vial	7.46

का आ 753(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979, के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का०आ० 462(अ), तारीख 28 जून, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम सं० 3 और 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4	5
"3.	हाइड्राक्सी-कोबालामाइन इंजेक्शन	500 एम सी जी प्रति मि०लि०	5 मि०लि० का वायल	4.16
4.	हाइड्राक्सी-कोबालामाइन इंजेक्शन	1000 एम सी जी प्रति मि०लि०	5 मि०लि० का वायल	5 61"।

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 (ii) तारीख 28 जून, 1982 के पृ० सं० 2 पर, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की सरकारी अधिसूचना का०आ० 462 (अ), तारीख 28 जून, 1982 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[सं 9(28)/86-डी II]

आर एस माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

S.O. 753(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-paragraph (6) of Paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilzers) No. S.O. 462(E), dated the 28th June, 1982, namely :—

In the Table to the said Order, for serial number 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"1	2	3	4	5
3.	Hydroxycobalamin Injection	500 mcg per ml.	5ml vial	4.16"
4.	Hydroxycobalamin Injection	1000 mcg per ml.	5ml vial	5.61".

NOTE :—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3(ii) dated 28th June, 1982 at page 2 vide Government notification, Ministry of Petroleum Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers)No. S.O. 462 (E), dated 28th June, 1982.

[No. 9(28)/86-D. II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1986/अश्विन 30, 1908
No. 425] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 22, 1986/ASVINA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 754 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा जिसमें उस निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, जो राज्य सभा के एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर अपने पद से 15 अप्रैल, 1986 को निवृत्त हो गया था, स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हो गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है

घोषणा

जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

मुफ्ती मुहम्मद सईद,
नं. 3, सोनवर बाग,
श्रीनगर

जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 15 अप्रैल, 1986 को निवृत्त हो गया था, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

हस्ता/-
अब्दुल रशीद,
रिटर्निंग आफिसर,
जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए।"

स्थान : श्रीनगर
तारीख : 15-10-1986

[फ. सं. 13 (2)/86-विधायी-II]
क. सुब्रमणियम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 22nd October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 754(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (48 of 1951) the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member who has retired on the 15th April, 1986, on the expiration his term of office, is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected mebers of Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that :—

Mufti Mohamad Sayeed,
No. 3, Sonwar Bagh,
Srinagar

sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House of one member retired on 15th April, 1986 on the expiration of his term of office.

Place : Srinagar

Date : 15-10-1986.

Sd/—

ABDUR RASHID, Returning Officer,

Biennial election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir."

[F. No. 13(2)/86-Leg. II]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-12

REGD. NO. D (D.L.)-12



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1986/आश्विन 30, 1908
No. 426] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 1986/ASVINA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 755 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ. 692 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 1986 के अनुसरण में जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के उस सदस्य के जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 15 अप्रैल, 1986 को पद से निवृत्त हो गया था, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है,

अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :—

क्रम सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद

[क. सं. 13 (2)/86-विधायी-II]

क. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 22nd October, 1986

NOTIFICATION

S. O. 755 (E):—Whereas elections have been held in pursuance of notification No. S.O.692(E), dated the 27th September, 1986, issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951),for the purpose of filling the seat of the member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir, who retired on 15th April 1986 on the expiration of his term of officer

Now, therefore; in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir is hereby notified for general information :—

Sl. No.	Name of the Member
1.	Shri Mufti Mohamad Sayeed

[F. No. 13(2)/86—Leg. II]
K. SUBRAMANIAN Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 427] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1986/आश्विन 30, 1908
No. 427] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 1986/ASVINA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 756 (अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, राज्य सभा में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट करने वाली निम्नलिखित घोषणा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणा

पश्चिमी बंगाल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधि-नियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं, घोषणा करता हूं कि:—

श्री रामनारायण गोस्वामी;
2 प्रकास रोड़,
डाक एवं तार घर बर्दवान
पु. स्टे. बर्दवान सदर,
जिला : बर्दवान ।

जो सी. पी. आई. (एम) द्वारा खड़े किए गए हैं उस सदन में श्री शंकर प्रसाद मित्रा की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

हस्ता/-

स्थान : विधान भवन कलकत्ता-1 (ए. के. दत्ता)
दिनांक : 9 अक्तूबर, 1986 रिटर्निंग आफिसर"

[फा. सं. 13 (1)/86-विधायी-II]
क. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 22nd October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 756(E).—In pursuance of section 67 of the Representaion of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951 read with subrule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that —

Shri Ramnarayan Goswami,

2, Parkas Road,

P.O. & T.O. Burdwan, PP.S. Burdwan Sadar,

Dist—Burdwan, Spensored by C.P.I. (M).

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri Sankar Prasad Mitra.

Place—"Assembly House"
Calcutta-1.

Date—9th October, 1986.

Sd/—
(A. K. Datta)
Returning Officer."

[F. No. 13(1)/86-Leg. II]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1986/आश्विन 30, 1908
No. 428] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 22, 1986/ASVINA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

आदेश

का.आ. 757(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1952 जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है के नियम 4 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खाद्य विभाग के सचिव को, चीनी उद्योग विकास परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त परिषद् कहा गया है) के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया है और उक्त नियमों के नियम 3 और 5 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिषद् में सदस्यों के रूप में कतिपय अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त नियमों के नियम 3, 4 और 5 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के खाद्य विभाग के सचिव को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और 30 अक्तूबर, 1986 से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सदस्य-सचिव

1. चीनी का भारसाधक संयुक्त सचिव, खाद्य विभाग, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।

सदस्य

2. श्री मिर्जा इशाबेग, सं. स. (राज्य सभा)।
3. श्री आर.एस. माने, सं. स. (लोक सभा)।
4. श्री सैयद मसूदल हुसैन, सं. स. (लोक सभा)।
5. महानिदेशक तकनीकी विकास, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. मुख्य निदेशक, चीनी निदेशालय, नई दिल्ली।

7. निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर।

8. आर्थिक सलाहकार, नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली।

9. संयुक्त सलाहकार, उद्योग और खनिज प्रभाग, योजना आयोग, नई दिल्ली।

10. कार्यपालक निदेशक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

11. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम या उसका प्रतिनिधि, 4, सीरी संस्थानीय क्षेत्र, हौज खास, नई दिल्ली-110 016।

12. अध्यक्ष, इंडियन शुगर मिल्स एशोसिएशन, शुगर हाऊस, 39, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।

13. अध्यक्ष, नेशनल फेडरेशन, ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, 'वैकुंठ' (तीसरा तल), 82-83, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।

14. निदेशक, दक्कन चीनी संस्थान, पुणे।

15. निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर।

16. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

[फा. सं. 1(6)/86-एल.पी.]

हस्ता-

बी. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 22nd October, 1986

ORDER

S.O. 757(E).—Whereas, Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), hereinafter referred to as the said Act, read with rule 4 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952 (hereinafter referred to as the said rules) decided to nominate the secretary, Department of food in the Government of India as Chairman of the Development Council for Sugar Industry (hereinafter referred to as the said Council) and has, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act read with rules 3 and 5 of the said rules, decided to appoint certain other persons as members of the said Council.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act read with rules 3, 4 and 5 of the said rules, hereby nominates the Secretary, Departments of Food in the Government of India as the Chairman and appoints, for a period of two years with effect from 30th October, 1986, the following persons as members of the said Council, namely :—

MEMBER-SECRETARY

1. Joint Secretary In-charge of Sugar, Department of Food, Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.

MEMBERS

2. Shri Mirza Irshadbaig M.P. (Rajya Sabha).

3. Shri R. S. Mane, M.P. (Lok Sabha).

4. Shri Syed Masudal Hossin, M.P. (Lok Sabha).

5. Direcor General of Technical Development, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, New Delhi.

6. Chief Director, Directorate of Sugar, New Delhi.

7. Director, National Sugar Institute, Kanpur.

8. Economic Adviser, Department of Civil Supplies, New Delhi.

9. Joint Adviser, Industry and Minerals Division, Planning Commission, New Delhi.

10. Executive Director, Industrial Finance Corporation of India, Bank of Baroda Building, 16, Sansad Marg, New Delhi.

11. Managing Director, National Cooperative Development Corporation or his representative, 4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016.

12. The President, Indian Sugar Mills Association, Sugar House, 39, Nehru Place, New Delhi-110019.

13. The President, National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd., 'Vaikunth' (IIIrd Floor), 82-83, Nehru Place, New Delhi-110019.

14. Director, Deccan Sugar Institute, Puna.

15. Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore.

16. Director, Indian Sugarcane Research Institute, Lucknow.

[File No. 1|6|86-L.P.]

B. Sahay, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1986/कार्तिक 1, 1908
No. 429] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1986/KARTIKA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1986

सं. 452/86--सीमा शुल्क

का. आ. 758 (अ):—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में उच्चागांव को भण्डागार स्टेशन घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/25/86-सीमा शुल्क-7]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd October, 1986

No. 452|86-CUSTOMS

S.O. 758 (E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Uchagaon in District Kolhapur in the State of Maharashtra to be warehousing station.

[F. No. 474|25|86-CUS.VII]

सं. 453/86—सीमा शुल्क

का. आ. 759 (अ):—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले के नांदेड को भण्डागार स्टेशन घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/26/86-सीमा शुल्क-7]

एम. माईकल, अवर सचिव

No. 453|86-CUSTOMS

S.O. 759 (E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Nanded in District Nanded in the State of Maharashtra to be a warehousing station.

[F. No. 474|26|86-CUS.VII]

M. MICHAEL, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 1986/कार्तिक 2, 1908
No. 430] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 24, 1986/KARTIKA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1986

आदेश

का. आ. 760 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "शुष्य अंतरीयों" को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु घोषित करती है।

[फा. सं 26 (21)/86-ई. सी. आर.]
डी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 24th October, 1986

ORDER

S.O. 760 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby declares "Surgical Implants" to be an essential commodity for the purposes of the said Act.

[File No. 26 (21) |86-ECR]

D. K. SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 1986/कार्तिक 2, 1908
No. 431] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 1986/KARTIKA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

दान-कर

का.आ. 761(अ):—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दान-कर नियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दान-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1987 को प्रवृत्त होंगे ।

2. दान-कर नियम, 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के प्ररूप क में,—

(1) भाग 1 में, मद 9 के सामने टिप्पणों में टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"4. उपरोक्त टिप्पण 9 के सामने जानकारी दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि विवरणी निर्धारण वर्ष 1987-88 या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से संबंधित है।";

(2) भाग 1क में, टिप्पणों में, टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"4. भाग 1क को भरे जाने की आवश्यकता नहीं है यदि विवरणी निर्धारण वर्ष 1987-88 या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष से संबंधित है ।

3. उक्त नियमों के प्ररूप ग के पैरा 3 में, "बारह प्रतिशत पर ब्याज" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत पर ब्याज" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 6980 फा. एफ. सं. 134/24/86-टीपीएल]
वी. डी. वखरकर, निदेशक (टीपीएल-2)

टिप्पणी : मूल नियम बान-कर मेनुअल, 1982 के संस्करण में प्रकाशित किए गए थे, जिनका प्रकाशन निरीक्षण निदेशालय (मुद्रण तथा प्रकाशन), आयकर विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हंस भवन, नई दिल्ली-110002 द्वारा किया गया है और 1-10-1986 के फा० आ० 704(अ) द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 24th October, 1986

NOTIFICATION

GIFT-TAX

S.O. 761(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Gift-tax Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gift-tax (Second Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1987.

2. In the Gift-tax Rules, 1958 (hereinafter referred to as the "said Rules"), in Form A,—

(1) in Part I, in the Notes below item 9, after Note 3, the following Note shall be inserted, namely :—

"4. Information against item 9 above need not be furnished if the return relates to the assessment year 1987-88 or any subsequent assessment year.";

(2) in Part IA, in the Notes, after Note 3, the following Note shall be inserted, namely :—

"4. Part IA need not be filled in if the return relates to the assessment year 1987-88 or any subsequent assessment year.".

3 In Form C to the said Rules, in paragraph 3, for the words "interest at twelve per cent", the words "interest at fifteen per cent" shall be substituted.

[No. 6980 F. No. 134|24|86-TPL]
V. D. WAKHARKAR, Director (TPL-II)

Note : The Principal Rules were published in the Gift Tax Manual, 1982 edition brought out by the Directorate of Inspection (Printing and Publications), Income-tax Department, Central Board of Direct Taxes, Hans Bhavan, New Delhi-110002 and subsequently amended by S.O. 704(E) dated 1-10-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1986

रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

8/12/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 432] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1986/कार्तिक 5, 1908
No. 432] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1986/KARTIKA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर 1986

का.आ. 762(अ)-आई डी आर ए :—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को साइकिल और साइकिल पुर्जे संबंधी विकास परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 22(6), तारीख 6 जनवरी 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 1 से 24 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1.	श्री एस डी श्रीवास्तव, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री जी वेंकटरमण संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री एन. एस. रंजन संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य

4. संयुक्त सचिव,
राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य

5. श्री वी. के. मुखोपाध्याय
संयुक्त सचिव,
इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य

6. श्री पी. पी. खन्ना,
विकास आयुक्त,
लघु उद्योग, निर्माण भवन, नई दिल्ली — सदस्य

7. सलाहकार,
उद्योग और खनिज प्रभाग, योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली — सदस्य

8. श्री वी. कुमार,
इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्
सूर्य किरण भवन,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली — सदस्य

9. श्री ए. एस. मोहन,
प्रमुख, ग्राहक सेवा,
स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड,
नई दिल्ली — सदस्य

10. श्री एस. पी. बत्रा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
1, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता — सदस्य

11. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
नेशनल साइकिल, कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि.
250, वर्ली, पी. ओ. प्रभादेवी, मुम्बई — सदस्य

12. श्री बी. एम. मुंजाल
प्रधान,
आल इण्डिया साइकिल मैन्यूफैक्चरर्स
एसोसिएशन, नई दिल्ली — सदस्य

13. श्री गुरबचन सिंह,
यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स
मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, लुधियाना — सदस्य

14. श्री अजीत सिंह ढींगरा,
प्रधान,
इंडियन पेंटस मैन्यूफैक्चरर्स,
एसोसिएशन, इण्डिया एक्सचेंज, कलकत्ता — सदस्य

15. श्री जे. एस. रंधावा,
उपमहाप्रबंधक,
बाइसिकिल एण्ड स्यूइंग
मशीन रिसर्च,
एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर, लुधियाना — सदस्य

16. श्री एस. जैन,
अध्यक्ष,
सम्राट बाइसिकल लिमिटेड,
20/1, आसफअली रोड, नई दिल्ली — सदस्य

17. श्री विश्म्बरदास कपूर,
प्रधान,
एटलस साइकिल इण्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली — सदस्य

18. श्री पालमी कुमार, विशेष निदेशक,
टी. आई. साइकिलस आॅफ इण्डिया लि., मद्रास — सदस्य

19. श्री सी. सी. उदेशी,
निदेशक,
हैमिल्टन इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
मुम्बई — सदस्य

20. श्री जे. आर. सिंघल,
ईस्टमैन इंडस्ट्रीज,
औद्योगिक क्षेत्र, लुधियाना — सदस्य

21. श्री एच. एम. मेहता, निदेशक,
न्यू हैवन बियरिंग प्रा. लि., मुम्बई — सदस्य

22. श्री के. एन. शिनॉय,
प्रधान, कन्फेडेशन आफ
इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली — सदस्य

23. श्री एस. चंद्रशेखरन,
भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली — सदस्य

24. श्री के. के. तनेजा,
औद्योगिक सलाहकार,
(उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं निदेशालय)
तकनीकि विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली — सदस्य

[सं. नं. 24(7)/83—इंजी इंण्ड.]
जी. वेंकटरमण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th October, 1986

S.O. 762 (E)- IDRA.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the following persons to be the members of the Development Council for the cycle and cycle parts and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 22(6), dated the 6th January, 1984, as follows, namely :—

In the said notification for serial numbers 1 to 24 and entries relating thereto the following entries shall be substituted, namely :—

1. Shri S.D. Srivastava — Chairman
Secretary,
Department of Industrial Development

2. Shri G. Venkataramanan, Joint Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, New Delhi. — Member

3. Shri N.N. Ranjan, Joint Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi. — Member

4. Joint Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi. — Member

5. Shri V.K. Mukhopadhyay, Joint Secretary, Ministry of Steel, New Delhi. — Member

6. Shri P.P. Khanna, Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi. — Member

7. Adviser, Industries and Minerals Division, Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi. — Member

8. Shri V. Kumar, Engg. Export Promotion Council, Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi. — Member

9. Shri A.S. Mohan, Chief, Customer Services, Steel Authority of India Limited, New Delhi. — Member

10. Shri S.P. Batra, Chairman-cum-Managing Director, Cycle Corporation of India Ltd., 1, Middleton Street, Calcutta. — Member

11. Chairman-cum-Managing Director, National Bicycle Corporation of India Ltd., 250, Worli, P.O. Prabhadevi, Bombay. — Member

12. Shri B.M. Munjal, President, All India Cycle Manufacturers Association, New Delhi. — Member

13. Shri Gurbachan Singh, United Cycle and Parts Manufacturers Association, Ludhiana — Member

14. Shri Ajit Singh Dhingra, President, Indian Paints Manufacturers Association, India Exchange, Calcutta — Member

15. Shri J.S. Randhawa, Deputy General Manager, Bicycle and Sewing Machine Research and Development Centre, Ludhiana. — Member

16. Shri S. Jain, Chairman, Samrat Bicycle Limited, 20/1 Asaf Ali Road, New Delhi. — Member

17. Shri Bishamber Dass Kapur, President, Atlas Cycles Industries Ltd., New Delhi. — Member

18. Shri Palani Kumar, Special Director, T.I. Cycles of India Limited, Madras. — Member

19. Shri C.C. Udeshi, Director, Himlton Industries Pvt. Ltd., Bombay. — Member

20. Shri J.R. Singhal, Eastman Industries, Industrial Area, Ludhiana. — Member

21. Shri H.M. Mehta, Director, New Havan Bearings Pvt. Ltd., Bombay. — Member

22. Shri K.N. Shenoy, President, Association of Indian Engineering Industries, New Delhi. — Member

23. Shri S. Chandrasekharan, Indian Standards Institution, New Delhi. — Member

24. Shri K.K. Taneja, Industrial Adviser, (Consumer Durable Directorate), Directorate General of Technical Development, New Delhi. — Member Secretary

[File No. 24(7)/83-Engg Ind.]
G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1986/कार्तिक 5, 1908
No. 433] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1986/KARTIKA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(जल भूतल परिवहन विभाग)

नई दिल्ली 27, अक्तूबर, 1986

अधिसूचनाएं

का. आ. 763 (अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अक्तूबर 1986 की सत्ताईस तारीख को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है।

[सं. टी. डब्ल्यू./आई. डब्ल्यू. आर.-4/86(i)]

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

New Delhi, the 27th October, 1986

NOTIFICATIONS

S.O. 763 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints the 27th day of October 1986 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. TW|IWR-4|86-(i)]

का. आ. 764 (अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82), की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में अक्तूबर 1986 की सत्ताईस तारीख से भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन करती है।

[सं. टी. डब्ल्यू./आई. डब्ल्यू. आर. 4/86-(ii)]

S.O. 764 (E) :—In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby constitutes the Inland Waterways Authority of India with effect from the 27th day of October, 1986.

[No. TW|IWR-4|86-(ii)]

का. आ. 765 (अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, यथा ,

(1) श्री जेवियर अराकल	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव (परिवहन) जल भूतल परिवहन मंत्रालय	सदस्य
(3) प्रोजेक्ट डायरेक्टर, केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण पर्यावरण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ।	सदस्य
(4) आयुक्त (रिवर बोर्ड) जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य

[सं. टी. डब्ल्यू./आई. डब्ल्यू. आर. 4/86-(iii)]

S.O. 765 (E) :—In pursuance of sub-section (3) of section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Inland Waterways Authority of India constituted under sub-section (1) of the said section 3, namely :—

(i) Shri Xavier Arackal .. Chairman

(ii) Joint Secretary (Transport)
Department of Surface Transport .. Member

(iii) Project Director
Central Ganga Authority
Ministry of Environment & Forest .. Member

(iv) Commissioner (River basin)
Ministry of Water Resources .. Member

[No. TW|IWR-4|86-(iii)]

का. आ. 766 (अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री जेवियर अराकाल को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष दिनांक 27 अक्तूबर 1986 से ऐसे समय के लिए जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा, नियुक्त करती है।

[सं. टी. डब्ल्यू/आई. डब्ल्यू आर. 4/86-(iv)]

S.O. 766 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints Shri Xavier Arackal as the Chairman of the Inland Waterways Authority of India for a period not exceeding three years with effect from 27th October, 1986.

[No. TW|IWR-4|86-(iv)]

का. आ. 767 (अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 82) की धारा 11 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा के प्रयोजन के लिए अक्तूबर 1986 की सत्ताईस तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में लागू होगी।

[सं. टी. डब्ल्यू/आई. डब्ल्यू आर. 4/86-(v)]

S.O. 767 (E) :—In exercise of the powers conferred in sub-section (1) of section 11 of the Inland Waterways Authority of India Act 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints the 27th day of October 1986 for the purposes of the said section.

[No. TW|IWR-4|86-(v)]

का. आ. 768 (अ):—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया खंड अधिनियम, 1982 (1982 का 49) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 अक्तूबर की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम लागू होगा ।

[सं. टी. डब्ल्यू./आई डब्ल्यू आर. 4/86-(vi)]
बी० आर० चवान, संयुक्त सचिव

S.O. 768 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Waterway. (Allahabad-Haldia stretch of Ganga-Bhagirathi-Hooghly river) Act, 1982 (49 of 1982), the Central Government hereby appoints the 27th day of October, 1986 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. TW|IWR-4|86-(vi)]
B. R. CHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-18 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1986/कार्तिक 5, 1908
No. 434] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 27, 1986/KARTIKA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

कलकत्ता, 27, अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 769(अ):—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै. बी.आर. बासु, पटसन आयुक्त, एतद्द्वारा बी ट्वोल्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112.4 सेंटी मीटर × 67.5 सेंटी मीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सेंटी मीटर × 67.5 सेंटी मीटर सिला, 1020 ग्राम प्रति बोरा, 6 × 8, 3-नीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा.मा. (2566—1984) अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम बहिर्निर्माणी कीमत 709.90 रुपया

प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं । इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय अक्तूबर 1986 महीने के दौरान किया जायेगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण उपकर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिर्निर्माण कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फाइल सं. 8/1/86-जूट]

बी. आर. बासु, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

Calcutta, the 27th October, 1986

NOTIFICATION

S. O. 769(E) :—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, I, B. R. Basu, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 709.90 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of Jute textiles) of the sipe 112.4 Cms. × 67.5 Cms. Hd. W.I.P. 112.0 Cms. × 67.5 Cms. Ht. 1020-Cms. per bags, 6×8.3-blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. 2566-1984 as amended up-to-date) shall be purchased or sold d the month of October, 1986.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983, and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|1|86-Jute]

B. R. BASU, Jute Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1986/कार्तिक 5, 1908
No. 435] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1986/KARTIKA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1986

आदेश

का.आ. 770(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3098 रु. को उस अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर आदेश की दूसरी अनुसूची में "6 एन्टीबायोटिक" शीर्ष के

नीचे क्रम संख्यांक 22 पर आने वाली स्वदेश में मध्यवर्ती प्रक्रम से पूर्व विनिर्मित रिफाम्पीसीन का विक्रय किया जायेगा ।

[सं. 8(49)/85-फो-II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 27th October, 1986

ORDER

S.O. 770(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order 1979, the Central Government hereby fixes rupees 3098|- per Kilogram as the maximum sale price at which Rilampicin, occurring at serial number 22 under the heading "VI ANTIBIOTICS" in the Second Schedule of the said Order, manufactured indigenously ex-intermediate stage shall be sold.

[No. 8(49)|85-D.II]

R. S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 1986/कार्तिक 6, 1908
No. 436] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 28, 1986/KARTIKA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 771 (अ) :—बिल संघ अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नवम्बर, 1986 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंध संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी पर लागू होंगे ।

[संख्या एफ. 2/26/86-बी.ओ.-1]

मन्त्रेश्वर झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 28th October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 771 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chit Fund Act, 1982 (40 of 1982), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1986 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the Union territory of Pondicherry.

[No. F. 2|26|86-BO.I]

MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.)-72

11/12/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 1986/कार्तिक 7, 1908
No. 437] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 1986/KARTIKA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1986

आदेश

का.आ. 772(अ) :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 3-1-86 को पृष्ठ 1 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 2-1-86 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3(अ) द्वारा गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी के पद को रिक्त हुई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, श्री अमिताभ दत्ता को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता का पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[एल-51041/22/84-आई.एंड ई. (एस.एस.)]

अशोक गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th October, 1986

ORDER

S.O. 772(E).—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the National Industrial Tribunal, Calcutta constituted by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3(E) dated 2-1-1986 published at page 2 of Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated 3-1-1986.

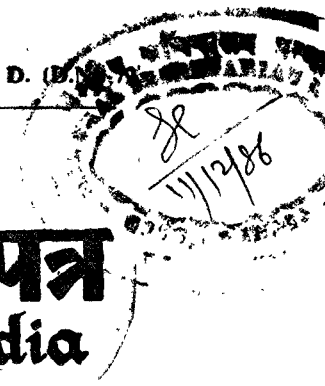
Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby appoints Shri Amitabha Dutta as the Presiding Officer of the said National Industrial Tribunal, Calcutta.

[L-51041|22|84-I&E(SS)

ASOK GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-7...



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 1986/कार्तिक 7, 1908
No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 29, 1986/KARTIKA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का. आ. 773(अ) :—जबकि आरोविल (आपत्कालीन उपबन्ध) अधिनियम, 1980 (1980 का 59) (आगे इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, आरोविल का प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1980 से दो वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार में

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72

REGD. NO. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 1986/कार्तिक 7, 1908
No. 439] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 1986/KARTIKA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1986

अधिसूचनाएं

का. आ. 774(अ) :– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, मार्बल और कैलसाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II, खंड 3 उप खंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 339 (अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3–6–86 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 6–3–86 की अधिसूचना संख्या का. आ. 82 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मार्बल और कैलसाइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, होल कटर, अर्थ कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, टेले वाला, केयर टेकर, ड्राइवर (बैल ऊंट, गधा, खच्चर) लेम्प मैन, पैट्रोल मैन, सपेदी करने वाला, पानी वाला, बेलदार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल है।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	
भिश्ती, बेकर, ड्रिलर, खनिक, माली, परिचर, रसोइया, शिशुकक्ष आया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकदम मेट, ब्रायलमैन पम्प खलासी शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरी मैन, क्वैरी आपरेटर, स्टोर मैन, स्टाकर, ब्रायलरमैन, वैचर	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
धुम्बामैन, टिंडलस, ट्रालीमैन, जमादार, बैरा, ब्रेक्समैन, मददगार (लोकों, केन ट्रक), टोपाज टोपकार (बड़ा पत्थर/संगमरमर/कैलसाइट बेकर,) एज रनर, बैंक वानर्स, टिम्बर, मैन जैक हैमर, सोने-ग्रेसर, अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिर, खान पर्यवेक्षी, वर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, वैल्डर, ब्लास्टर, मशीन, मिस्त्री, उप ओवरसियर (अनर्हित), सर्वेक्षक आपरेटर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडार लिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी (ग्रेड I और ग्रेड II), टेली लिपिक, टाइम कीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकार के हैं।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए –

1. न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं,

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है,

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

[सं. एस-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th October, 1986

NOTIFICATIONS

S.O. 774(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Marble and Calcite Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 339(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 82(E) dated the 6th March, 1986, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Marble and Calcite Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publications in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED:	
Mazdoor (Male & Female), Chowkidar, Coolie (Male & Female), Cleaner, Khalasi, Loader, Pole cutter, Earth cutter, Carrier (stone), carrier, Cartman, Caretaker, Driver (Bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Petrolman, White Washer, Waterman, Beldar, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY:	
Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Mali, Attendant, Cook, Creche, Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarry man, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (Loco, Crane, Truck), Topaz, Topkar (big stone/Marble/Calcite Breaker), Edge Runner, Pack Wallers, Timber man, Jack Hammer, Stone-Dresser, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground) Rs. 18.25 (for work below ground)
SKILLED :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine Man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (Unqualified) Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground)
CLERICAL :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store Issuer, Store keeper (Gr. I & II), Tally Clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

EXPLANATION :—For the purpose of this notification :—

(1) The minimum rates of wages are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wage payable for weekly day of rest;

(2) the minimum rates of wages are payable to employees employed by contractors also;

(3) the minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category;

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

(5) Where the existing rates of wages of any employees based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified therein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[F. No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का. आ. 775(अ) :– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (I) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार हेमाटाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3–6–1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 338(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र 3–3–1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम

मंत्रालय की तारीख 6-3-1986 की अधिसूचना संख्या का. आ. 83(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची में स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हेमाटाईट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष/महिला), चौकीदार, क्लीनर, खन सी, अर्थ कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, पेट्रोलमैन, सफेदी करने वाला, पानी ले जाने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
खनक, ब्रेकर, ग्रिलर, भिश्ती, परिचर, भिश्ती रसोइया, शिशु सदन आया, प्रधान चौकीदार, मुकदम, आयलमैन, पम्प खलासी, शाटफायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरीमैन, खदान प्रचालक, स्टोरमैन, स्टाकर, बायलर मैन, थैचर, थुम्बा-मैन, टिण्डल, ट्रालीमैन, जमादार, बैरा, ब्रेक्समैन मददगार (लोकों, क्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हैंडर, माली, मैट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), स्टोनकट और ड्रेसर, चिजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, फोर-मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वेल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, उप-ओवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक पम्प चालक मेट (धातुउत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल प्रकृति के हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, क्लिर्क, मुंशी, स्टोरलिपिक, स्टोर इशुअर, (सामग्री देने वाला), स्टोर कीपर, (ग्रेड-1 और ग्रेड-2) टेली, लिपिक, टाईम-कीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, शार्टलिपिक, अभिलेख पाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायत दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. 18 वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

6. हेमाटाइट खान में काम करने वाला वह श्रमिक, जो उत्खनन और हेमाटाइट अयस्क हटाने में तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

[फा.सं.एस-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 775(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Hematite Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 338(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 83(E) dated the 6th March, 1986, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Hematite Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notifiaciton shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED:	
Mazdoor (Male and Female) Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earth-cutter, Carrier (stone), Carrier, Petrolman, White Washer, Water Carrier, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY:	
*Miner, Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook, Creche, Ayah, Head Chowkidar Muccadam, Oilman Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mintry, Quarry Man, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakman, Helper (Loco, Crane, Truck), Timberman, Jack Hammer, Mali, Mate (without competency certificate under Metaliferous Mines Regulations, 1961), Stone Cutter and Dresser, Chiesel man, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground) Rs. 18.25 (for work below ground)
SKILLED :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Head Cook, Engineman, Welder, Blaster, Machinist, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyor, Pump Operator Mate (with competency certificate, under the Metaliferous Mines Regulations, 1961) other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground)
CLERICAL :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store issuer, Store Keeper (Grade I & II), Tally Clerk, Time Keeper, Took Keeper, Computor, Typist, Steno, Record Keeper other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

EXPLANATION :—For the purpose of this notification :—

1. the minimum rates of wages are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

3. the minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled person shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this Notification for adult workers of the appropriate category;

4. (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled Work" is one which involves skill of competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or voca-

tional institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where the existing rates of wages of any employees based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this Notification to such employees; and

*6. A worker in a Hematite mine who is engaged in extraction and removal of Hematite Ores as well as in other incidental jobs shall be designated as "Miner".

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का. आ. 776(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार रॉक फास्फेट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3-6-86 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 337(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 6 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या का. आ. 84(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राकफास्फेट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है, और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला) चौकीदार, क्लीनर खलासी, अर्थकटर, वाहक (पत्थर), वाहक, पैट्रोलमैन, सफेदा वाला, पानी वाला, पानी ले जाने वाला, सफेदी वाला, सरफेस मक्कर, भूमि के नीचे काम करने वाला मक्कर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल प्रकृति के हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
खलक, ब्रेकर, ड्रिलर, मिस्त्री, परिचर, रसोइया, शिशु सदन धाया, प्रधान चौकीदार, गुकदम, आयतमैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, कैरीमैन, खदान, प्रचालक, स्टोरमैन, रक्षा गार्ड, वरिष्ठ सफाई वाला, लैब बॉय, माली चपरासी, वार्ड बाय, स्टाकर, वायलर मैन, थैवर, थुम्बा मैन, टिंडल, ट्राली मैन, जमादार वैरा, ब्रेक्समैन, हैल्पर (लोको, क्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हैमर, मेट (धातुत्पादक खान विनियम 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) स्टोन कटर, और ड्रैसर, ब्रिजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लोडर, बढ़ई, कम्पाऊंडर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, ब्लेडर, ब्लास्टकर्ता, मशीनिस्ट, उप-पर्यवेक्षक, (अनहित), सर्वेअक, पम्प प्रचालक, प्रचालक, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इशुअर, (सामग्री देने वाला) स्टोर कीपर ग्रेड I और ग्रेड-II टेली लिपिक, टाइम कीपर, टूलकीपर, संगणक, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दर सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर दिए गए प्रदायों, का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या कुछ भी कुशलता या अनुभव व अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि की आवश्यकता है ।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

6. रॉक फास्फेट खान में काम करने वाला वह श्रमिक जो उत्खनन और रॉक फास्फेट अपस्क हटाने तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा ।

[सं. एस.-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 776(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Rock phosphate mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 337(E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 84(E) dated the 6th March 1986, the Central Government after consulting the Advisory Board revise the minimum rates of wages as specified in column (2) schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Rockphosphate mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED:	
Mazdoor (Male and Female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earth cutter, Cleaner, Carrier (stone), Carrier, Petrolman, White washer, Waterman, Water carrier, Sweeper, Surface Mukar, Underground Mukar, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY:	
*Miner Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook, Creche-Ayah, Head Chowkidar, Muccadam, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry Operator, Storeman, Security Guard, Sr. Sweeper, Lab Boy, Mali, Peon, Ward Boy, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (Loco, Crane Truck), Timberman, Jack Hammer, Mate (without competency certificate under Metaliferous Mines Regulations, 1961), Stone Cutter and dresser, Chiselman, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground) Rs. 18.25 (for work below ground)
SKILLED:	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Supervisor, Head Cook, Engineman, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Pump operator, operator, Mason, Mate (with competency certificate under Metaliferous Mines Regulations, 1961), other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below gruond)
CLERICAL:	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store Issuer, Store keeper, (Gr. I & II), Tally Clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are Clerical:	Rs. 19.00

Explanation:—For the purpose of this notification :—

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate the cost of living allowance and the cash-value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest;

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

(3) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category;

(4) (a) "'Unskilled Work" is one which involves simple operation requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calles for initiative and judgement;

(5) Where the existing rates of wages of any employees based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

*(6) A worker in a Rock Phosphate mine who is engaged in extraction and removal of rock phosphate ores as well as in other incidental jobs shall be designated as a "Miner".

[F. No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का. आ. 777(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 336(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 126 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ग्रेनाइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला खदान श्रमिक, होलकटर, अर्थकटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेलेवाला, अभिरक्षक, कंक्रीट हस्त मिश्रक, ड्राइवर (बैल, ऊँट, गधा खच्चर), लैंप मैन, माली, पैट्रोल, मैन, सफेदी करनेवाला, पानी वाला, जैली मेकर, ओवर बर्डन रिमूवर, वैस्ट रिमूविंग, मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए।) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, परिचर, रसोइया, ब्रेंच क्रायर, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकदम मेट, ऑयल मैन, पम्प खलासी, शॉट फायरर, प्रधान मिस्त्री, बबौरी मैन, खदान, प्रचालक, स्टोर मैन, स्टाकर, वायलर मैन, थेचर, थुम्बा मैन, टिडल, ट्राली मैन, जमादार, बैरा, ब्रेवसमैन, मददगार (ट्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हैमर, स्टोन कटर और ड्रैसर, विजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लौहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, बैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सब-ओवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक, प्रचालक, कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडारलिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी, (श्रेणी 1 और 2), टेली लिपिक, टाइमकीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखपाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं ।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—(1) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित हैं तथा विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के और अन्य असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों की संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

(4) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अदवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

(5) जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसी उच्चतर दरें ऐसे कर्मचारियों को लागू मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी ।

[सं. एस.-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 777(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in granite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 336(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said Notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986 ;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 126(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in granite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of Work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
UNSKILLED :	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Quarry worker, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer) Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, Jelly maker, Over Burden remover, Waste Removing mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVIOSRY :	
Bhisti, Braker, Driller, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarry man, Quarry Operator, Store man, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (crane, truck), Timberman, Jack hammer, Stone cutter and Dressor, Chisel man, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).

(1)	(2)
SKILLED :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Machinist, Sub-oversear (unqualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper (Grade I & II), Tally Clerk, Time Keeper, Tool Keeper, Computer, Typist, Steno, Record Keeper, other categories by whatever name called which are clerical	Rs. 19.00

Explanation for the purpose of this Notification —

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates proposed by this Notification the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this Notification.

(6) A worker in bauxite mines who removes the liftover burd material, extract bauxite ore and break bauxite ore into small pieces and/or sorts out bauxite ores into various grades shall be regarded as Miner Grade II.

(7) A worker in bauxite mines who performs the work of drilling or blasting or drilling-cum-blasting shall be regarded as a 'Miner Grade I'.

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का. आ. 778(अ) :—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, मैंगनेसाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.-335(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3-6-86 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 121(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मैंगनेसाइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी :—

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल है	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

(1)	(2)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
बेकर, ग्मोहया, ड्रिलर, मार्सा, प्रधान चौकीदार, मुकद्दम, मेट, खनक, तेल देने वाला, पम्प खलासी, सिपाही, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी है	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, शॉटफायरर शिशुकक्ष-परिचर, चालक, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, खान पर्यवेक्षक, राज, पम्प प्रचालक, पर्यवेक्षक, वर्जी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल है	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, रोकड़िया, सामग्री देनेवाला, मुंशी, रजिस्टर कीपर, अभिलेख-पाल, भंडार सहायक, भंडारी, आशुलिपिक, टंकक, टाइमकीपर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए : (1) प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(3) जहां संविदा का करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

(4) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से यह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

(5) 18 वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 और 100 प्रतिशत होंगी ।

[सं. 32010/1/86-डब्ल्यू. सी. (एस. डब्ल्यू.)]

S.O. 778(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in megnesite mines were puolished as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 335(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said Notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986 ;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 121(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in magnesite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
UNSKILLED :	
Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Mazdoor, other Categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Breaker, Cook, Driller, Gardener, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Miner, Oil man, Pump-khalasi, Sepoy, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory	Rs. 15.25 (for work above ground) Rs. 18.25 (for work below ground)
SKILLED :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Shot Firer, Creche Attendant, Driver, Electrician, Foreman, Mine Supervisor, Mason, Pump operator, Supervisor, Tailor, other categories by whatever name called which are skilled	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground)
CLERICAL :	
Accountant, Clerk, Cashier, Store Issuer, Munshi, Register keeper, Record keeper, Store Attendant, Store Keeper, Stenographer, Typist, Time Keepr, other categories by whatever name called which are clerical nature	Rs. 19.00

Explanations for the purpose of the Notification.—The minimum rates proposed are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly rest day.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement etc. are higher than the rates notified under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum wages for the purposes of this Notification.

4. (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or expeirence on the job.

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult worker of the appropriate category.

[No. S-32019|1|86-WC(MW)]

का. आ. 779(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, जिप्सम और बायराइटस में नियोजित कर्मचारियों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3-6-1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 334(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिसके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3-6-1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 131(अ) का अधिक्रमण करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट जिप्सम बायराइटस खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
जिप्सम खान	
अकुशल :	
आया, बेकर, (हस्तचालित साधित्रों का प्रयोग करने वाला, क्लीनर, ड्राइवर बैलगाड़ी, ऊंट, गधा या ट्रक्टर), डाक ले जाने वाला, प्रयोगशाला बॉय, मजदूर (पुरुष या महिला), पिकर (पुरुष या स्त्री), चपरासी, नमूना वाय, झाड़ूकश, (पुरुष या स्त्री), पानी वाला, चौकीदार, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, तो अकुशल है।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
बेकर (यांत्रिक साधित्रों का प्रयोग करने वाला बेकर, रसोइया, केयरटेकर, औषधालय, परिचर, गार्डनर/माली, हैल्पर, बढ़ई, प्रेशर आपरेटर, हलवाई, प्रधान चौकीदार, खलासी (बुलडोजर, प्रयागशाला परिचार, मेट, मुक्कदम (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), प्लाइंटसमैन, सैम्पलर, टेलीफोन परिचर, अप्रशिक्षित, शिशुकक्ष, परिचर, खनक, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल पर्यवेक्षी है।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
सहायक नमूना लेने वाला, वायु संपीडिज, सहायक रसायनज्ञ, सहायक फोरमैन, लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, रसायनज्ञ, डीजल मैकेनिक, ड्राइवर, ड्रिलर, नक्शानवीस, बिजली मिस्त्री, फिटर, फरेरी मुद्रक और वैन मैन, जनरेटर आपरेटर, लाइनमैन, लोडिंग फोरमैन, लेथ मिस्त्री, राज, मिडवाइफ, मेट (जिसके पास धातुमय खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र है), पम्प परिचर, रंगसाज, कुशल मजदूर, शाटफायरर, स्थायी परिचर, सोवेत आपरेटर, उप ओवरसियर, पर्यवेक्षक, टर्नर, टब मरम्मत करने वाला, टिम्बर, मैन, वायर मैन, वैल्डर अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो कुशल हों।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)। 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लिपिक, बाथ और बार्ड का भारसाधक, मुंशी कार्यालय सहायक, सामग्री देने वाला, आशुलिपिक, टंकक, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रुपये

1	2
बाराइटीज खान	
अकुशल :	
क्लर्क, ट्रेसर, लोडर, मजदूर, (स्त्री/पुरुष), खनक, चौकीदार, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल है।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
गार्डनर/माली, हथोड़ेवाला, लोडर (पुरुष/स्त्री) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर करने के लिए)। 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
विस्फोटकर्ता (शाटफायरर), संपीडिज, ड्राइवर, ड्रिलर, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे, उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो कुशल हैं।	19.00 रु.)भूमि के ऊपर कार्य के लिए)। 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)।
लिपिकीय :	
लिपिक, मुंशी, आशुलिपिक, टंकक, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण : —

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दर हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दरों पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. 18 वर्ष से कम आयु के और अप्रशिक्षित व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों के लिए प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अर्द्धकुशल कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वतंत्रता और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों के उच्चतर है वहां वे इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएगी ।

6. जिप्सम खान में काम करने वाले श्रमिक को जो अधिभार हटाने और जिप्सम के उत्खनन के कार्य में लगा है "खनक" माना जायेगा ।

[सं. 32019/1/86-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.यू.]

S.O. 779(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Gypsum and Barytes Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 334(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 131(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Gypsum and Barytes Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of Work	Minimum rates of wages per day
1	2
GYPSUM MINES	
UNSKILLED :	
Ayah, Breaker (using manual appliances) Cleaner, Driver, (Bullock cart, camel donkey or mule, Dak runner Laboratery boy Mazdoor (male/female), picker (male/female) Peon, Sample boy, Sweeper (male/female) Waterman, Watchman, Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.25 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY :	
Breaker, (using mechanical appliances), Checker, Cook, Caretaker, Dispensary, attendant, Gardener, Malli, Helper, (Carpenter, Crueher operator), Halwai, Laboratory attendant, Mate/Muccadam (with out competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) Pointsman, Sampler, Telephone attendant, Untrained creche attendant, Miners, Other categories by whtever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED :	
Assistant sample takeer, Air compressor attendant, Assistant chemist, Assistant foreman, Blacksmith, Carpenter, Compounder, Chemist, Diesel mechanic, Driver, Driller, Draftsman, Electrician Fitter, Ferro printer-cum-chainman, Generator operator, Lineman, Leading foreman, Lathe/Mistry, Mason, Midwife, Mate (*with competency certificate under Mettaliferous Mines Regulations 1961*). Pump attendant, painter, Skilled Mazdoor, Shot firer, Stationary engine attendant, Shovel Operator, Sub-over-seer, Supervisor, Turner, Tube repairer, Timberman, Wireman, Welder, Other categories by whatever name called which skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL :	
Clerk, Incharge watch and ward, Munshi Office assistant, Store issuer, Stenographer Timekeeper, Typist, Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00
BARYTES MINES	
UNSKILLED :	
Chipper, Dresser, Loader, Mazdoor (Male/female) Miner, Watchman, Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY :	
Gardener/Mali, Hammerman, Loader (Male/female), Other categories of whatever name called which are semi skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED :	
Blaster (short-firer), Compressor Driver, Driller, Other categories by whatever name called which are skilled	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL :	
Clerk, Munshi, Stenographer, Typist Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanations.—The minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of appropriate category.

4. For the purpose of this notification :

(a) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" means work which involves skill or competence, acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

6. Worker in Gypsum mine who is engaged in the removal of over-burden and excavation of gypsum should be regarded as miner.

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का.आ. 780(अ) :—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार क्रोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (2) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 333(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 के जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का.आ. 115(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्रोमाइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश करती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
आया, परिचर, ब्रेकर (हस्त चालित उपकरण का प्रयोग करने वाला), वेलदार (कैंटीन), चौकीदार, क्लीनर, रसोइया, मददगार, हथौड़ा चलाने वाला, लदाई करने वाला, लारी मददगार, मजदूर (पुरुष/स्त्री), आफिस बॉय, चपरासी, संदेशवाहक, सर्वेक्षण खलासी, झाड़ूकश (पुरुष/स्त्री), सरफेश लेंडर, चौकीदार, पानीवाला, पानी ले जाने वाला, लकड़ी काटने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं ।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	
विस्फोटक सहायक, फिटर सहायक ड्रिल प्रचालक सहायक, परिचालक "ग" प्रवर्ग सहायक, मैकेनिक, बैंकसमैन, ब्रेकर, (यांत्रिक उपकरणों के लिए) का प्रयोग करने वाला, बटलर, सह-रसोइया, अग्नि-रक्षक, रसोइया, चिकर, चार्जरूम सहायक, औषधालय परिचारक, मददगार (बढ़ई लोहार, मिस्त्री), मैकेनिक, हथौड़ा चलाने वाला, लैम्प रूम परिचालक, चुनने वाला, पम्प परिचालक, माली, खनन मेट, खनन मैकेनिक मददगार, मेल रनर, प्वाइन्ट्समैन, पारखी, टेलीफोन परिचालक, छंटाई करने वाला, टिम्बरमैन, अप्रशिक्षित क्रेन परिचालक, रोशनदान, पंखा परिचारक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं ।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए) ।
कुशल :	
एयर विच हालेज प्रचालक, आटो बिजली मिस्त्री/पेंटर, लौहार, विस्फोट संपीड़क, प्रचालक/चालक, कंक्रीट मिक्सर प्रचालक, चार्जमैन, बढ़ई, कम्पाउंडर, कैमिस्ट, ड्रिल प्रचालक, ड्राइवर, आटो बिजली मिस्त्री, बेतार प्रचालक, फोरेन फिटर, फेरी ड्राइवर, होस्ट प्रचालक/चालक, आई.एम.सी.ओ.	19.00 रुपये (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) । 22.50 रुपये (भूमि के नीचे कार्य के लिए)

1	2
ड्राइवर, लोको ड्राइवर, लोडर प्रचालक, लाइन मैन, मैकेनिक मिस्त्री, मिडवाइफ, मिस्त्री/ पम्प प्रचालक/ चालक, कुशल मजदूर, पर्यवेक्षी (बिजली), पत्थर दलित प्रचालक, सर्वेक्षक, ज्येष्ठ मैकेनिक, टर्नर, टिम्बर, मिस्त्री, वायर मैनलेंडर, वर्क मिस्त्री, खनन इंजन चालक, पहरा और निगरानी प्रभारी, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	
लिपिकीय :	
लेखाकार, सहायक, लिपिक, मैगजीन-लिपिक, रोकड़िया, मुंशी, अभिलेखपाल/ फाइल लिपिक, भंडारी, आशुलिपिक, टाइम-कीपर, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो लिपिकीय है।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण : —इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

1. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य का बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षी या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दरे जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

4. जहां संविदा/करार आदि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां एसे उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. क्रोमाइट खान में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और क्रोमाइट अयस्क हटाने तथा इनसे सम्बद्ध कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

[सं. एस-32 19/1/86-डब्ल्यू.सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 780(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Chromite Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, number S.O. 333(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 115(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Chromite Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED :	
Ayah, Attendant, Breaker (using manual appliances), Belder (Canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-helper, hammerman, Loader lorry, helper, mazdoor (male/female), Office-boy, Peon/Messenger, Sweeper, Khalasi, Sweeper (Male/female), Surface loader Watchman, Waterman, Water carrier, Wood cutter, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY :	
Assistant to blaster, Assistant to fitter, Asstt. Drill Operator, Attendant (C) category Asstt. machanic, Banksman, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Charge Room assistant, Dispensary attendant Helper (Carpenter, Blacksmith, Mason, Mechanic, Mining), Hammerman, *Miner,, Lamp-room attendant, Pickers, Pump attendant, Mali Mining mate, Mechanical helper, Mail runner, Points-man, Sampler, Sorters, Telephone attendant, Timberman, Untrained crech attendant, Ventilation-fan-attednant. Other categores by whatever name called which are semi-skilled/unskilled/supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground) Rs. 18.25 (for work below ground).

1	2
SKILLED :	
Airwinch haulage operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor-operator/Driver, Concrete Mixer Operator, Chargeman, Carpenter, Compounder, Chemist, Drill Operator, Drill Mechanic, Driver auto, Electrician, Wireless operator, Foreman, Fitter, Ferry Driver, Hoist Operator/Driver, IMCO driver, Issuer Lorry driver, Loco-driver, Loader operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump operator/Driver, Skilled mazdoor, Supervisory (Mechanic), Supervisor, Senior mechanic, Turner, Timber mistry Electrical, stone crusher operator Surveyor, Wireman, Welder, Work Mistry, Mining Engine Driver, Incharge of Watch and Ward. Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL :	
Accountant, Asstt., Clerk, Magazine Clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, Store keeper, Stenographer, Time-keeper, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs.19.00

Explanation.—For the purpose of this notification :

(a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) 'Semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) 'Skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages proposed are all-incluisve artes including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

4. Where the prevailing rates of wages based on contract, agreement, etc., are higher than the rates notified under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum wages.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

6. A worker in a chromite mine who is engaged in extraction and removal of chromite ores, as well as incidental jobs shall be designated as a 'Miner'.

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

1036 GI/86—3

का.आ. 781(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार क्रोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिये कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड(ii) में भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ 332(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिये प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 के जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अत; अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उप धारा (2) के साठ पठित धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना सं. का आ 123 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबंध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्रोमाइट खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
(1) मजदूर (2) ड्रेसिंग मजदूर (3) चपरासी (4) सफाई वाला (4) पानी वाला (6) चौकीदार (7) अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हो, जो अकुशल हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिये)
अर्द्धकुशल :	
(1) सहायक ड्रिलर (2) मददगार (3) केन्टीन परिचर (4) मेट (एम.ए.म. आर. 61 के अधीन प्रमाण पत्र के बिना) (5) सिग्नल मैन (6) श्रम सीरदार (7) डाक बाँय (8) अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी है।	15.25 रु० भूमि के ऊपर कार्य के लिये। 18.25 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिये)

1	2
कुशल : (1) हैण्ड होल ड्रिलर (2) मेट (एम. एम आर. 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण पत्र सहित) (3) बढ़ई (4) लौहार (5) मकेनिक (6 डिस्पेन्सरी परिचर (7) राज, अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हो, जो कुशल है।	19.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 22.50 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)।
लिपिकीय : लेखाकार, टंकण/आशुलिपिक, लिपिक, भंडारी भंडार का भारसाधक, टाइमकीपर, रोकड़िया अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हो, जो लिपिकीय प्रकार के हैं।	19.00 रु०

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं और इसमें साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी को न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और निःशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिये इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के कुछ भी कुशलता का कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्ध कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है।

और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

[सं. एस. 32019/1/86-डब्ल्यू सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 781(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Wolfram mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 332(E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 123(E) dated the 12th February 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Wolfram mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED : (1) Mazdoor (2) Dressing mazdoor (3) Peon (4) Sweeper (5) Waterman (6) Chowkidar (7) other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs.12.75 (for work above ground). Rs.14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED : (1) Assistant driller (2) Helper (3) Canteen attendent (4) Mate (without competency certificate under MMR 1961) (5) Signal Man (6) Labour Sirdar (7) Dak Boy (8) Miner (9) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/un killed supervisory.	Rs.15.75 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).

1	2
SKILLED :	
(1) Handhole driller (2) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Rules 1961) () Carpenter (4) Blacksmity (5) Haulage operator (6) Mechanic (7) Dispensary attendant (8) Mason (9) Any other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL :	
Accountant, Typist/Steno, clerk, Store Keeper, Store incharge, Time Keeper, Cashier, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.	Rs. 19.00

Explanation.—For the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates and include also wage payable for the weekly day of rest;

(2) the minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

(3) the minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience of the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience of the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience of the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where in any area, the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the prevailing rates of wages of any employee, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

नई दिल्ली 29 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का०आ० 782(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार लौह अयस्क खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिये कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड (ii) में भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 329 (अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो मास की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, (1948 की धारा 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना सं० का० आ० 118(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट लौह अयस्क खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड, से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
बटलर, अभिरक्षक, चौकीदार, क्लीनर, ड्रेसर-श्रमिक, लदाई करने वाला, मजदूर, नम्बर-टेकर, संदेश वाहक, आफिस बॉय, चपरासी भिकर, टाइकार, माडूकश, ट्रामर, ट्रालीमैन, ट्रालीटिप्पर, पानी ले जाने वाला, खुदाई करने वाला, बजर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
आया, बैंक मैन, ब्रेक्समैन, कैंशगार्ड, चैकर, छोबी, रसोइया, कोयरमैन, ग्राइंडर, ग्रीजर, हथोड़ा चलाने वाला मददगार, (अढ़ई, टिलर, विस्फोटकर्ता, क्रेशर प्रचालक), जमादार, खलासी, (बुलडोजर आदि), लैम्प रूम इंचार्ज, मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना), ओयलर, ओइलटमैन, नमूना लेने वाला, माली, स्टोरमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने वाला)

1	2
कुशल :	
लौहार, विस्फोटकर्ता, गाटफायरर, बढई, चार्जमैन रसायनज्ञ, कम्पाउंडर नक्सामवीस, क्रीलर, ड्राईवर, बिजली मिस्त्री, फिटर, फोरमैन, राज मैकेनिक, मिडवाईफ, मिस्त्री, मोल्डर, प्रचालक, ओवरसियर, पेंटर, पाईप फिटर, पर्यवेक्षक, सर्वेक्षक, टिनस्मिथ, टिम्बरमैन, खरादिया, वैल्डर, वायरमैन, सरफेस पर्यवेक्षक, मेट, (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र सहित), शवेल प्रचालक, वैल्यू मैन, डोजर प्रचालक, डंपर ट्रैक्टर प्रचालक, पेंटर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि उपर कार्य के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
लिपिकीय :	
रोकड़िया, लिपिक, रजिस्टर कीपर, भंडारी, ट्रेसर, टाइम कीपर, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो लिपिकीय हैं।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (1) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारित दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी ।

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर है, वहां ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी ।

[सं. एस-32019/1/86-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

S.O. 782(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Iron ore Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-Section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 329(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And, whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 118(E) dated the 12th February 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Iron Ore Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED :	
Butler, Caretaker, Chowkidar, Clearner, Dresser, Labourer, Loader, Mazdoor, Messenger, Number-taker, Office boy, Peon Picker, Sorter, Sweeper, Trammer, Trollyman, Trolly Tripper, Water Carrier, Digger, Bucher, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.75 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY :	
Ayah, Bankman, Brakeman, Cash guards, checker, Dhobi, Cook, Fireman, Grinder, Greeser, Hammerman, Helper (carpenter, driller, blaster, crusher operator) Jamadar Khalasi (buldozer etc.), Lamp room incharge, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) Oiler, Pointman, Sampler, Storeman, Mali, other categories by whatever name called which are semi-skilled/Unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).

1	2
SKILLED	
Blacksmith, Blaster, (shot firer), Carpenter, Chargeman, Chemist, Compounder, Draughtsman, Driller, Driver, Electrician, Fitter, Foreman, Mason, Mechanic, Midwife, Mistry, Moulder, Operator, Overseer, Pipe-fitter, Supervisor, Surveyor, Tinsmith, Timberman, Turner, Welder, Wireman, Surface supervisor, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) Shovel operator, Value-man, Dozer operator, Dumper tractor operator, Painter, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Cashier, Clerk, Register keeper, Store-keeper, Tracer, Time-keeper, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanation for the purpose of this notification.—1. The minimum rates of wages are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. The minimum rates of wages for persons below 18 years of the age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

4. (a) "Unskilled Work" is one which involves simple operations acquiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rate notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[No. S-32019/1/86WC(MW)]

का.आ. 783 (अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, लैटराइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3-6-86 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप खंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 331(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव माँगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3-6-86 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का.आ. 128 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट लैटराइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है, और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, सफाई करने वाला, उतराई करने वाला, उत्खनन श्रमिक, खनया, खाड़ूकश, बेलदार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हों।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	
सहायक ड्रिलर, माली, खनक (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) हैड चौकीदार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/कुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)

1	2
कुशल :	
खान पर्यवेक्षक, ड्रिलर, कम्प्रेसर अटेंडर, मशीनरी अटेंडर, ब्लास्टकर्ता (शाट-फायरर), ब्लाइवर, मेट, (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), मुकदम (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), पर्यवेक्षक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हों।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
लिपिकीय :	
लिपिक, मुंशी, लेखाकार, टाइमकीपर, सामग्री देने वाला, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं)	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण : (1) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसके लिए बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसके कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सभी सम्मिलित दर हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

5. जहां संविदा या करार या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दर इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

[सं. एस-32019/1/85-डब्ल्यू.सी. (एल.डब्ल्यू.)]

S.O. 783(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Laterite Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 331 (E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986.

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 128(E) dated the 12th February 1985 the Central Government after consulting the Advisoy Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the catgeries of employees in employments in laterite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Unloader, Excavating Labour, Khannya, Sweeper, Beldar, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 13.15 (for work above ground), Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Assistant Driller, Mali, Miner, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Head Chowkidar, other categories by whatever name called which are semi-skilled/un-skilled supervisory.	Rs. 15.75 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).

1	2
SKILLED	
Mine Supervisor, Driller, Compressor attender, Machinery attender, Blaster (Shot firer), Driver, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Maccadam (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Supervisor, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground)
CLERICAL	
Clerk, Munshi, Accountant, Time Keeper, Store issuer, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanations: 1. For the purpose of this notification:—

(a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages proposed by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly rest day.

3. The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

4. The minimum rates of wages proposed by this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification.

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का. आ. 784 (अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, डोलोमाईट खानों में नियोजित कर्मचारियों की देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 330 (अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से 2 माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3 जून 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 127 (अ) का अधिक्रमण करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में डोलोमाईट खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष/स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, होल कटर, अर्ध कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेकेवाला, केयरटेकर, कंक्रीट (हैंड मिक्सर), ड्राईवर, (बैल ऊंट, गधा, खच्चर), लैम्प मैन, पैट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं ।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्द्धकुशल :	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसोईया, शिशुकक्ष आया, प्रधान, चौकीदार, मददगार, मुक्कदम, मेट, आयलमैन, पम्प खलासी, माली, प्रधान मिस्त्री, खदान मजदूर, क्वैरी आपरेटर, स्टोन मैन, स्टाकर, वायर मैन, थैंचर, थुम्बामैन, टिन्डल, ट्रालीमैन, जमादार, ब्रेक्समैन बैरा, मददगार (लोको, केन, ट्रक) तोपास, टोपाकार, (बड़ा पत्थर/क्यानाईट ब्रेकर), एज रनर, पैक पालर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायरक्ले प्रेस या शुष्कन और परिष्करण कर्मकार, अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अर्द्धकुशल है।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.25 रु (भूमि के नीचे कार्य के लिए)

1	2
कुशल :	
मोहार, बढ़ई, कम्पांउडर, बिजली मिस्त्री, फौरमैन, फिटर, खान, पर्यवेक्षी, दर्जी, शाटफायरर, प्रधान एसोईया, इंजन मैन, वेल्डर, प्लास्टर, मशीन मिस्त्री, उप ओवरसियर (अनर्हित), सर्वेक्षक, आपरेटर, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडार लिपिक सामान देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और 2) टेली क्लर्क, टाईपकीपर, टूल कीपर, संगणक, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे किसी नाम से बुलाया जाता हो जो लिपिकीय हैं।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण : 1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें, जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नगदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है, सर्व सम्मिलित दरें हैं।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहाँ संविदा या करार पर आधारित या अन्य मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं,

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने चाहिए हैं और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अक्षमर्थ व्यक्तियों और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दर समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों पर क्रमशः 100 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होगी।

[संख्या एस-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू)]

S.O. 784(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Dolomite Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 330(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 127(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in dolomite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole Cutter, Earth Cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule) Lampman Petrolman, White washer, waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs.12.25 (for work above ground) Rs.14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED	
Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Mali, Head Mistry, Quarry man, Quarry operator, Store man, Stocker, Boilerman, Thatcher, Toombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (loco, crane, truck), Topaz, Topker (big stone/kyanite breaker), Edge runner, Pack wallers; Timberman, Jack hammer, Fire clay preis or drying and refining workers, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs.15.25 (for work above ground) Rs.18.25 (for work below ground)

SKILLED	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Shot Firer, Head cook, Engine-man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store issuer, Store keeper (Grade I & and II), Tally Clerk, Time Keeper, Tool Keeper, Computor, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanations.—1. The minimum rates of wages proposed by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" is one which involves simple operation requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का.आ. 785(अ) :—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार ग्रेफाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिये कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून 1986 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 328(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिये प्रकाशित किये गये थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो मास की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र, 3 जून, 1986 की जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का.आ. 119(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ग्रेफाइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, वाचमैन, खलासी, क्लीनर, सफाई करने वाला, रसोइया, मददगार, झाड़ूकश, बेयरर (हस्तचालित उपकरणों का प्रयोग करने वाले), आफिस बाय, चपरासी, संदेशवाहक, पानी वाला, (वाटर कैरियर), सफेदी वाला, लैंप मैन और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
बेकर, ड्रिलर, खलक, रसोइया, फेव आया, हैड चौकीदार, मेट, मुकदम, (खान उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), आयलमैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, हैड मिस्त्री, आयरमोल्डर मैन, बेयरर, टिण्डल, ट्रालीमैन, जमादार, सफेदी वाला, मददगार (लोको, केन, ट्रक), मददगार (ब्रेकडाउन क्रेन), फिटर, ड्रिलर, लोहार, मिस्त्री), प्रचालक, सहायक मैकेनिक, ब्लास्टर और रसोइया, अभिरक्षक, हथौड़ा चलाने वाला, माली और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)

कुशल :

लोहार, बढ़ई कंपाउंडर, बिजली मिस्त्री, शीत फायरर, सफेदी वाला, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, मुख्य रसोइया पंजनमैन, बैलर, बिस्फीटकर्ता, मशीन मिस्त्री, हैड मिस्त्री, सियर, (अ र्हित), सर्वेक्षक, प्रचालक वायलर मैन, कम्प्रेशर प्रचालक, ट्रैक्टर ड्राइवर, और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं। — 19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)

लिपिकीय :

लेखाकार, सहायक लिपिक , मुंशी, टंकक, आशु-लिपिक, टूल कीपर, टाईम कीपर, और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय है। — 19 00 रु.

स्पष्टीकरण :—1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्व सम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये गये प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां उच्चतर दरें संरक्षित की जायेंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जायेंगी।

4. निःशक्त व्यक्तियों को और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिये इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः सौ प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत होगी ।

5. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलियत हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी का कार्य भी है ।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या क्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

[सं. एस. 32019/1/86-डब्ल्यू.सी. (एम. डब्ल्यू]

S.O. 785(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in graphite mines were published as required by clause (b) of Sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 328 (E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of Sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 119 (E) dated the 12th February 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the Minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in graphite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Mazdoor, (male and female), Chowkidar, Waterman, Khalasi, Cleaner, Loader, Cook-helper, Sweeper, Breaker (Using manual appliances) Office Boy, Peon Messenger, Waterman, Water carrier, White-washer, Lampman and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs.12.25 (for work above ground) Rs.14.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED UNSKILLED SUPERVISORY	
Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Aya, Head Chowkidar, Mate/Mukaddam (without competency certificate under Mettaliferous Mines Regulations 1961), Oilman, Pump Khalasi, Shot firer, Head Mistry, Boiler-man, Thatcher, Tindles, Trolly man, Jamadar, White-washer, helper (Loco, Crane, Truck), Helper, (Carpenter, Blaster, Fitter, Driller, Blacksmith, Mason), Operator, Asstt. Mechanic, Butler-cum-cook, care-taker, Hammerman, Mali and other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs.15.25 (for work above ground) Rs. 18.25 (for work below ground).

SKILLED	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines supervisor, Tailor, Head Cook, Engine Man, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boilerman, Compressor Operator, Tractor Driver and any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs. 22.50 (for work below ground)
CLERICAL	
Accountant, Assistant, Clerk, Munshi, Typist, Stenographer, Tool keeper, Time keeper, and other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

EXPLANATIONS.—1. The minimum rates of wages proposed by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allownace and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates proposed by this notification, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate categories.

For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" means work involves simple operations requiring little or no skill or experience o nthe job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job of through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32819|1|86-WC(MW)]

का.आ. 786(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार बाक्साइट खानों में नियोजित कर्मकारों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिये कतिपय प्रस्ताव दिनांक 3-6-86 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 327(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिये प्रकाशित किये गये थे, और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनके आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा, दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का.आ. 130(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट बाक्साइट खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल : (1) क्लीनर (2) मजदूर (पुरुष/महिला) (3) आफिस बाय (4) चपरासी (5) पिकर (पुरुष/महिला) (6) झाड़कश (7) वाचमैन (8) वाटर कैरियर (9) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)

1	2
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) सहायक ड्रिलर (2) बुलडोजर खलासी (3) बढ़ई मददगार (4) क्रेशर प्रचालक मददगार (5) कैंटीन बाय (6) बागवानी माली (7) मेट (खनि उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (8) मुकद्दम (खनि उत्पादक खान विनियम 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (9) नमूने लेने वाला (10) औजार तेज करने वाला (11) खनक श्रेणी-II, (12) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)
कुशल :	
(1) लोहार (2) विस्फोटकर्ता (शाट-फायरर) (3) बढ़ई (4) क्रेशर प्रचालक (5) कम्प्रेसर परिचर (6) कम्प्रेसर ड्रिलर (7) ड्रिलर (8) ड्राइवर (9) बिजली मिस्त्री (10) फिटर (11) मैकेनिक (12) मेट (खनि उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण-पत्र सहित (13) पावर शावेल प्रचालक (14) पम्प ड्राइवर (15) पावर और पम्प हार्स प्रचालक (16) पम्प परिचर (17) पर्यवेक्षक (18) ट्रैक्टर प्रचालक (19) खनक श्रेणी-I तथा अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)
लिपिकीय :	
(1) लिपिक (2) मुंशी (3) आशुलिपिक (4) टंकक (5) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये—

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्व सम्मिलित दरें हैं, जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये गये प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों के लिये इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य में अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक या मार्गदर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में हस्तप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जायेंगी।

6. बाक्साइट खानों में काम करने वाला श्रमिक, जो शेष रही अधिभार सामग्री हटाता है, बाक्साइट अयस्क निकालता है और बाक्साइट अयस्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और या बाक्साइट अयस्कों को विभिन्न ग्रेडों में छांटता है, "खनक ग्रेड-2" माना जायेगा।

7. बाक्साइट खानों में काम करने वाला श्रमिक, जो वेधन या विस्फोटक या वेधन एवं विस्फोटक का कार्य करता है, "खनक ग्रेड-I" माना जायेगा।

[सं. एस.-32019/1/86-डब्ल्यू.सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 786(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Bauxite Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 327(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and sugestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and sugestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 130 (E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Bauxite Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the dae of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Cleaner, Mazdoor (Male/Female), Office Boy, Peon, Picker (Male/Female), Sweeper, Watchman, Water Carrier, Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs.12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Assistant Driller, Bull-Dozer Khalasi, Carpenter, Helper, Crusher Operator, Helper, Canteen Boy, Gardener/Mali, Mate (without copetency certificate under Mettaliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam (without competency certificate under Mettaliferous Mines Regulations, 1961), Sampler, Tool Sharpener, Miner (Grade-II), Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs.15.25 (for work above ground) Rs.18.25 (for work below ground).
SKILLED	
Blacksmith, Blaster, (short Firer), Carpenter, Crusher operator, Compressor Attendant, Compressor Driller, Driller, Driver, Electrician Fitter, Machanic, Mate (with competency certificate under Mettaliferous Mines Regulations, 1961) Power Shovel Operator, Pump Driver, Power and Pump House Operator, Pump Attendant, Supervisor, Tractor operator, Miner Grade-I, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 19.00 (for work above ground) Rs.22.50 (for work below ground)
CLERICAL	
Clerk, Munshi, Stenographer, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

EXPLANATIONS : 1. The minimum rates of wages Proposed by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. For the purposes of this notification—

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operation requiring little or no skilled or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision of guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiatve and judgement.

5. Where the existing rates of wages of any employees based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified therein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का.आ. 787(अ) :—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षित करने के लिये कतिपय प्रस्ताव 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 326(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिये प्रकाशित किये गये थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र 3-6-86 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का.आ. 132(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे

उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मैंगनीज खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि वह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
(1) आया (2) बटलर (3) अभिरक्षक (4) चौकीदार (5) क्लीनर (6) ड्रैसर (7) श्रमिक (8) लदाई करने वाला (9) मजदूर (पुरुष/महिला) (10) संदेशवाहक (11) सम्बरटेकर (12) आफिस बाय (13) चपरासी (14) पिकर (पुरुष/महिला) (15) सार्टर (16) झाड़कश (पुरुष/महिला) (17) ट्रैमर (18) ट्राली मैन (19) ट्राली ट्रियर (20) वाटर कैरियर (21) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो अकुशल है।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	
(1) बेकमैन (2) ब्रेकसमैन (3) कैच गार्ड (4) चैकर (5) रसोइया (6) धोबी (पुरुष/महिला) (7) फायरमैन (8) ग्रीजर (9) ग्राईंडर (10) हथौड़ा चलाने वाला (11) मददगार (बढ़ई, क्रशर-प्रचालक) (12) जमादार (13) खलासी (बुलडोजर आदि) (14) लैम्पकक्ष भार-साधक (15) मेट/माली (खनि उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन दक्षता प्रमाणपत्र के बिना) (16) ग्रायलर (17) प्लान्ट मैन (18) सैम्पलर (19) स्टोर मैन (20) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के उप कार्य के लिये) 18.25 रु. (भूमि नीचे कार्य के लिये)
कुशल :	
(1) असेयर (2) लौहार (3) विस्फोट कर्ता (4) बढ़ई (5) चार्जमैन (6) रसायनज्ञ (7) कम्पाउंडर (8) क्रेच परिचारक (9) नक्शानवीस (10) ड्रिलर (11) ड्राइवर (12) बिजली मिस्त्री (13) फिटर (14) फोरमैन (15) मिस्त्री (16) मैकेनिक (17) मिडवाइफ (18) मिस्त्री (19) मोल्डर (20) चालक (21) ओवरसियर (22) पेंटर (23) पाइप फिटर (24) पर्यवेक्षक (25) सर्वेक्षक (26) टिन स्मिथ (27) टिम्बर मैन (28) टर्नर (29) वैल्डर (30) वायर मैन (31) वर्क सरदार (32) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिये) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिये)
लिपिकीय :	
(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर पाल (4) भंडारी (5) शिक्षक (6) टाइपकीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका नाम कोई भी हो, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रुपये

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये स्पष्टीकरण—

1. न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरे हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है ।

3. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और निःशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिये इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी ।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है।

5. जहां मजदूरी की विद्यमान दरे इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मकारों को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जायेंगी।

[सं. एम.-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू)]

S.O. 787(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Manganese Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 326(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And, whereas, the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1985;

And, whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 132(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Manganese Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

In column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.
1	2
UNSKILLED	
Ayah, Butler, Care-taker, Chowkidar, Cleaner, Dresser, Labourer, Loader, Mazdoor (Male/Female) Messenger, Numbertaker, Office Boy, Peon, Picker (Male/Female), Sorter, Sweeper (Male/Female), Trammer, Trollyman, Trolly triper, Water-carrier, Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Bankman, Brakesman, Cash Guards, Checker, Cook, Dhobi (Male/Female) Fireman, Greaser, Grinder, Hammerman, Helper, (Carpenter, crusher operator), Jamadar, Khalasi (Bulldozer, etc.) Lamp Room Incharge, Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous mines Regulations 1961), Oiler, Pointsman, Sampler, Storeman, Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED	
Asayer, Blacksmith, Blaster (Shot Firer) Carpenter, Chargeman, Chemist, Compounder, Creche Attendant, Draughtsman, Driller, Driver, Electrician, Fitter, Foreman, Mason, Mechanic, Midwife, Mistry, Moulder, Operator, Overseer, Painter, Pipe-fitter, Supervisory Surveyor, Tin-smith, Timberman, Turner, Welder, Wireman, Work-sarkar, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Cashier, Clerk, Register-keeper, Store-keeper, Teacher, Time-keeper, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanations for the purposes of this notification :—1. The minimum rates of wages are all inclusive rates including basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or comptence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where the prevailing rates of wage of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S-32019/1/86-WZ(MW)]

का. आ. 788(अ):—अन्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) का अपेक्षानुसार, चीनी मृत्तिका, मृत्तिका और सफेद मृत्तिका खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 325(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए, प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3-6-86 की जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 120(अ) का अधिक्रमण करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट चीनी मृत्तिका, मृत्तिका और सफेद मृत्तिका खानों में, उनके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
मजदूर, लोडर, सफाई वाला, क्लीनर, चौकीदार, मिट्टी काटने वाला, खलासी और अन्य प्रवर्गों के वे मजदूर, चाहे जो भी नाम हो, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी :	
मुकद्दम, मेट, रसोइया, तेल वाला, पम्प खलासी, परिचालक, मशीनर, पुजारी, माली, मदरसार, पर्यवेक्षी, फायरमैन, ब्रेकर, हैड चौकीदार, फेंच आया, मृत्तिका दबाने वाला या सुखाने वाला, परिष्कृत करने वाला कर्मकार, (भूमि काटने के लिए अधिक दबाव से भिन्न) और वे अन्य प्रवर्ग, चाहे जो भी नाम हो, जो अर्द्धकुशल है।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लौहार, काष्ठकार, दर्जी, राजगीर, बिजली मिस्त्री, भूविज्ञानी, खान पर्यवेक्षक, ड्राइवर, पम्प प्रचालक या ड्राइवर, पर्यवेक्षक, फोरमैन और वे अन्य प्रवर्ग, चाहे जो भी नाम हो, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय:	
रोकड़िया, लेखाकार, लिपिक, टाइमकीपर, भंडारी, भंडार-परिचर, अभिलेखपाल, रजिस्टर कीपर, मुंशी, टंकक, आशुलिपिक, और वे अन्य प्रवर्ग, चाहे जो भी नाम हो, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रु०

स्पष्टीकरण :—

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता का कार्य या अनुभव न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पास में सक्षमता और विशेष सूझ आवश्यक है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरों में धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अधीन सभी दरें सम्मिलित हैं तथा साप्ताहिक विश्राम दिन के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. 18 वर्ष से कम आयु के और अप्रशिक्षित व्यक्तियों को देय मजदूरी की दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

5. जहां किसी कर्मचारी को संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मचारी को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

[सं. एस.-32019/1/86-डब्ल्यू. सी./(एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 788(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages paybale to the categories of employees employed in China clay, clay and white clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India, Ministry of Labour Number S.O. 325(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 120 (E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in china clay, clay and white clay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.
1	2
UNSKILLED	
Mazdoor, Loader, Sweeper, Cleaner, Chowkidar, Earth-cutter, Khalasi and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12 25 (for work above ground). Rs. 14 75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED OR UNSKILLED SUPERVISORY	
Muradams, Mate, Cook, Oilman, Pump-Khalasi, Attendant, Miner, Priost, Gardener, Helper, Supervisory fireman, Breaker, Head Chowkidar, Creche Ayah, Clay Press or dying and refining workers (Except over burden requiring earth cutting) and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12 25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED	
Blacksmith, Carpenter Tailor, Mason, Electrician, Geologist, Mine Supervisor, Driver, Pump Operator or driver, supervisor foreman, and other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs.2 2. 50 (for work below ground).
CLERICAL	
Cashier, Accountant, Clerk, Time Keeper, Store-keeper, Store attendant, Record-keeper, Register keeper, Munshi, Typist, Stenographer, and other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanation :—1. For the purpose of this notification—

(a) "Unsiklled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence aquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance, the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate categories.

4. The minimum rates of wages fixed as per this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the prevailing rates of wages of any employees based on contract or agreement are higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[No. S-32019|1|86-WC(MW)]

का. आ. 789 (अ) :—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार रेड आकसाइड खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 324 (अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 114 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रेड आक्साइड खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
अकुशल :	
(1) बटलर (2) केयरटेकर (3) चौकीदार (4) क्लीनर (5) ड्रेसर (6) श्रमिक (7) लदाई करने वाला (8) मजदूर (पुरुष/स्त्री) (9) संदेश वाहक (10) सम्भरटेकर (11) आफिस बॉय (12) चपरासी (13) पिकर (पुरुष/स्त्री) (14) छांटने वाला (15) झाड़ूकश (पुरुष/स्त्री) (16) ट्रागर (17) ट्रालीमैन (18) ट्रालीट्रिपर (19) पानी ले जाने वाला (20) अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) आया (2) बैकमैन (3) बेक्स मैन (4) रोकड़ रक्षक (5) चैकर (6) जोशी (पुरुष/स्त्री) (7) रसोइया (8) फायरमैन (9) ग्राइंडर (10) ग्रीजर (11) हथौड़े वाला (12) मदद्गार (ड्रफ्ट्र, ड्रिलर, ब्लास्टर, ग्रेजर आपरेटर) (13) जमादार (14) खलासी (बुलडोजर आदि) (15) सैम्प कक्ष का भारसाधक (16) मेट/माली (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (17) आयलर, (18) प्वाइंट्समैन (19) सेम्पलर (20) स्टोरमैन (21) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
(1) लोहार (2) ब्लास्टर (शॉट फायरर), (3) बढ़ई (4) चार्जमैन, (5) रसायनज्ञ, (6) कम्पाउंडर (7) नक्शानवीस (8) ड्रिलर, (9) ड्राइवर, (10) बिजली (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज, (14) मैकेनिक (15) मिडवाइफ (16) मिस्त्री (17) सांचाकार (18) आपरेटर (19) ओवरसियर (20) रंगसाज (21) पाइप फिटर (22) टिनस्मिथ (23) पर्यवेक्षक (24) सर्वेक्षक (25) टिम्बरमैन (26) खरादी (27) वेल्डर (28) वायर मैन (29) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
लिपिकीय :	
(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) भंडारी (5) टंकक (6) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता है, जो लिपिकीय है।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :

1. मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्व सम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है, तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अप्रशिक्षित व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों की संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी जैसा कि ऊपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. (क) "अकुशल कार्य" से यह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्ध कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या समझता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या समझता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी को मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

[सं. एस.-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)

O. 789 (E).—Whereas certain proposals to revise the imum rates of wages payable to the categories of emp-es employed in Red Oxide Mines were published as re-ed by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the inimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of ia, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) ed the 3rd June, 1986 under the notification of the Gov-ment of Indi. in the Ministry of Labour number S.O. 4(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and in-ng objections and suggestions from all persons likely to affected thereby till the expiry of the period of two nths from the date of publication of the said notification the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the ɔlic on the 3rd June, 1986;

And, whereas the objections and suggestion received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 114(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Red Oxide Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Office Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Butler, Caretaker, Chowkidar, Cleaner, Dresser, Labourer, Leader, Mazdoor (male/female), Messenger, Number-taker, Office boy, Peon, Picker (male/female), Sorter, Sweeper (male/female), Trammer, Trollyman, Trolly triper, Water carrier, Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Ayah, Bankman, Brakesman, Cash Guards, Checker, Dhobi (male/female), Cook, Fireman, Grinder, Greaser, Hammerman, Helper (carpenter), Driller, Blaster, Crusher operator, Jamadar, Khalasi, (Bulldozer etc), Lamproom incharge, Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Oiler, Pointsman, Sampler, storeman, Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15 25 (for work above ground). Rs. 18 25 (for work below ground).
SKILLED	
Blacksmith, Blaster (shot fiter), Carpenter, Chargeman, Chemist, Compounder, Draughtsman, Driller, Driver, Electrician, Fitter, Foreman, Mason, Mechanic, Midwife, Mistry, Moulder, Operator, Overseer, Painter, Pipe-fitter, Supervisory, Surveyor, Tin-smith, Timberman, Turner, Welder, Wireman, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19 00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Cashier, Clerk, Register keeper, Store-keeper, Tracer, Time-keeper, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19 00

Explanations for the purpose of this notification :—1. The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. The minimum rates of wages for persons below 18 year of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the schedule above.

4. (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) Semi-skilled" work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee an includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for intiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[No. S-32019/1/86-WC (MW)]

का.आ. 790(अ). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार सांबा जिलों में नियोजित कर्मकारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 323(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1116(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सांबा जिलों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्णीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
आया, बेयरर (हस्ताक्षरित साक्षियों का उपयोग करने वाले), चौकीदार, बेलदार (कैंटीन), क्लीनर, रसोइया, मददगार, हथौड़ा चलाने वाला, हामर, मजदूर (पुरुष/महिला), आफिस बॉय, चपरासी/संदेशवाहक, झाड़ूदार (पुरुष/महिला), सर्वेक्षण खलासी, पानी वाला, प्रहरी, अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
विस्फोटकर्ता या मददगार, फिटर का मददगार, सहायक ड्रिल प्रचालक, बेयरर (यांत्रिक साक्षियों का उपयोग करने वाला), बटलर और रसोइया, चेकर औषधालय परिचर, मददगार, (बढ़ई, लोहार, राज, मैकेनिक, खनन), लैम्परूम परिचर, खनक, पम्प परिचर, माली, खनन पेमेट, पाइंटमैन, नमूना लेने वाला टेलीफोन, परिचर, अप्रशिक्षित शिशुपाल परिचार, संवातन पंखा परिचर, अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी है।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
वायु चिव, कार्यण प्रचालक, आटो बिजली मिस्त्री, पेंटर, लोहार, विस्फोटकर्ता, समर्पक, ड्रिल, प्रचालक, कंक्रीट मिक्सर प्रचालक, चार्जमैन, फिटर, फैरो चालक, उत्तोलक आपरेटर लाइन मैन, मैकेनिक, राज, मिस्त्रीवाहक, मिस्त्री, पंप प्रचालक, कुशल मजदूरी, पर्यवेक्षक (मैकेनिक), पत्थर ड्रिलिंग प्रचालक, इलैक्ट्रीशियन, लोकोचालक, शिमको लोडर आपरेटर, सर्वेक्षक, टर्नर, काष्ठमिस्त्री, वायरमैन, वेल्डर कार्य मिस्त्री, वाईडिंग इंजन चालक, भारक साधक निगरानी, अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, सहायक लिपिक, पार्सलक्लार्क, रोकड़िया, मुंशी, अभिलेखपाल/फाइल लिपिक, भंडारी, टाइमकीपर, आशुलिपिक, टंकक। अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, तो लिपिकीय हों।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के प्रदान किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में शिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके प्रदर्शन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. मजदूरी की प्रस्तावित न्यूनतम दरें में सर्व सम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर दिए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

4. जहां संविदा या आधार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित दरों से उच्चतर है वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रवर्तनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

5. 18 वर्ष से कम आयु के और अप्रशिक्षित व्यक्तियों की वेतन मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मचारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

*6. खानखान में काम करने वाले श्रमिक, जो बेलचों, लोहे की छड़ाहियों, आदि जैसे विभिन्न उपस्करों के प्रयोग से माईन धार का स्क्रेपर पथ या स्किम आदि में विस्फोटित खान अयस्क, अवशिष्ट या कूड़ाकरकट लाद करके खान अयस्क के निकालने, अपनी गतिविधि सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े खंडों को तोड़ने और/या कूड़ाकरकट, अवशिष्ट साफ करने और/या जब आवश्यक हो, छड़ों का प्रयोग करके सूज अयस्क नीचे गिराने की प्रक्रिया में सीधे अंतर्ग्रस्त हैं और ऐसे श्रमिक भी जो न्यूनाधिक इसी प्रकार का कार्य करते हैं, "खनक" माने जाएंगे।

[सं.एस-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्लू.)]

S.O. 790(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in copper mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 323(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And, whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 116(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in copper mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Ayah, Beldar, (using manual appliances) Beldar (Canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-Helper, Hammerman, Trammer, Mazdoor (male or female), Office-boy, Peon/Messenger, Survey Khalasi, Sweeper (male or female), Watchman, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Assistant Drill Operator, Breaker (using mechanical appliance) Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Dispensary attendant, Helper (Carpenter, Blacksmith, Mason, Mechanic, Mining) *Minor, Lamp room-attendant, Pump attendant, Untrained Mates, Pointman, Sampler, Telephone attendant, Untrained creeh attendant, ventilation-fan-attendant, other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED	
Air winch, Haulage operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator, Concrete mixer operator, Chargeman, Carpenter, Compounder, chemist, Drill operator, Drill machenic Driver Auto, Electrician, Foreman, Fitter, Ferro Driver, Hoist operator, Lineman, Mechanic, Mason, midwife, Mistry, Pump operator, skilled mazdoor, supervisor (mechanic), Steno crusher operator, JMCO Driver, Loco driver, Limco loader operator, surveyor, Turner, Timber mistry, Wireman, Welder, Work mistry, Winding Engine driver, Incharge watch and ward, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Accountant, Assistant, Clerks, Magazine Clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File Clerk, Store keeper, Time Keeper, Stenographer, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

EXPLANATION :—For the purpose of this notification :—

1. (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled" work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

2. The minimum rates of wages proposed are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages or applicable to employees employed by contractors also.

4. Where the existing rates of wages based on contract or agreement are higher than the rates notified under this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

*6. A worker in a copper mine who is directly involved in the process of extraction of a copper ore by way of loading the blasted copper ore, waste or mucks into mine car or scrapper path, or skip, etc. with the use of various equipments, like showels, iron pans, etc. and breaking of larger houlders to facilitate their movement and/or cleaning much piles/scrap and/or using cars to bring down loose ore as and when required and also each of those who performs more or less similar jobs shall be regarded as 'miner'.

[No. S-32019/1/86-W.C.(M.W.)]

का. आ. 791(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप धारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 5, उप-खंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 322(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके लिए इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र, 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उप धारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 19-1-85 की अधिसूचना संख्या का. आ. 117(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अभ्रक खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मकारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), क्लीनर संदेशवाहक, ऑफिसर बॉय, वाचमैन, पानी वाला, मवेशीगार, सफाई करने वाला, माली, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल :	
थोड़ा चलाने वाला, अभ्रक कटर श्रेणी-2, सार्टर ड्रेसर, श्रेणी-2, गेज कर्मकार, खनक, डिस्क कर्मकार, परिचर, रसोइया, विस्फोटक, वाहक, गनमैन, वाइंडिंग इंजन चालक श्रेणी-2, शियरर, वेस्ट कटर, सहायक कटर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो, अर्धकुशल प्रकृति के हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए
कुशल :	
ड्रिलर, विस्फोटकर्ता, मिस्त्री, अभ्रक कटर, श्रेणी-I, बढ़ई, लोहार, ड्रैसर श्रेणी-I, खनन, मेट, इंजन चालक, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्त्री, मोल्डर, वैल्डर, यांत्र चालक, राज, वाइंडिंग इंजन चालक श्रेणी-I, फायरमैन, शॉटफायरर, कंप्रेसर चालक, मैकेनिक, पम्प पैन चालक, ग्राइंडर सीरदार, लैपमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, टंकक/शीघ्रलिपिक, कपाउंडर, भंडारी/भंडारकार साधक, स्लिप भार-साधक टाइमकीपर, रोकड़िया, सिग्नलमैन परिचर, पर्यवेक्षी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।	19.00 रु.

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. प्रस्तावित मजदूरी दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या क्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

4. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें ऊपर विनिर्दिष्ट दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जायेंगी और न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जायेंगी।

5. अभ्रक कटर श्रेणी-I और ड्रेसर श्रेणी-1 (कुशल) वे कर्मकार हैं जो ग्रेड-5 और इससे ऊपर वाले ग्रेड में अभ्रक के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं और अभ्रक कटर श्रेणी-2 (अर्धकुशल) वे कर्मकार हैं जो निम्नतर ग्रेड वाले 'अभ्रक' के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं।

6. अभ्रक खान में काम करने वाला श्रमिक जो मलबों और मलबों की गंदगी से अभ्रक की छंटाई करके अभ्रक निकालने, बोरियों में अभ्रक के टुकड़ों/बेलों को भरने और हाल्टिंगस्टेशन या किसी अन्य निर्धारित स्थान तक ले जाने, मलबा एकत्र करने और हाल्टिंग स्थान या अन्य किसी निर्धारित स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में या न्यूनाधिक इसी प्रकार के कार्यों में सीधे अन्तर्ग्रस्त हैं, को "खनक" माना जाएगा।

7. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

[संख्या एस-32019/1/86-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)]

NOTIFICATION

S.O. 791(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in mica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 322(E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and Suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And whereas the objection and suggestions received on the said porposals had been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of subsection (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 117 (E) dated the 12th February 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in mica mines as specified in the corresponding entries in the column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Mazdoor, (Male and female) Cleaner, Messenger/office Boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Mali, any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED	
Hammerman, Mica cutter-Grade II, Sorter, Dresser-Grade II, Gauge worker, Disc worker, Attendant, cook, Explosive Carrier, Gunman, *Miner, Winding, Engiher Driver Grade II, Shearors, Waste Cutter, Assistant fitter any other categories by whatever name called which are of semi skilled nature.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED	
Driller, Blaster, Mistry, Mica cutters Grade I, Carpenter, Blacksmith Dresser Grade-I, Mining Mate, Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle Driver, Mason, Winding Engine Driver Grade I Fireman, Shot firer, Compressor, Driver, Mechanic, Pump Fan Driver, Grinders, Sridhar, Latheman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Accountant, Typist/Steno, Clerk, Compounder, Store Keeper/Incharge, Shift Incharge, Time Keeper, Cashier, Creche Attendant, Supervisor, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.	Rs. 19.00

EXPLANATION : For the purpose of this notification :

1. The Minimum rates of wages proposed are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest ;

2. The minimum rates are applicable to employees engaged by contractors also ;

3. (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job ;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job; and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) 'Skilled work' is one which involves skill of competence acquired through experience on the job or through training as an apprence in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

4. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above the higher rates would be protected and treated as minimum wages.

5. Mica cutters and Dressers, Grade I (Skilled) are those who are engaged in the production of Mica Grade V and above; and the Mica cutters and Dressers, Grade II (semi-skilled) are those who are engaged in the production of inferior grade of mica.

*6. A worker in a mica mine who is directly involved in the process of extraction of mica by way of sorting them from debris and mucking of debris, putting mica pieces/lumps in gunny bags and carry them upto either hoisting station or any other assigned places collecting debris and carrying them to hoisting points or any other assigned places or performs more or less similar jobs shall be regarded as "MINER".

7. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rate fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

[No. S-32019/1/86-W.C. (M.W.)]

का.आ. 792(अ).—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार (1) पत्थर खानों (2) क्यानाइट खानों (3) सेलखड़ी खानों (जिनके अंतर्गत साबुन प्रस्तर और टेल्कों उत्पादक खाने भी हैं (4) गैरिक खानों (5) एस्बेस्टोस खानों और (6) अग्निसह मिट्टी खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनर क्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 321 (अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः; अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा 2 के साथ पठित 3 की उपधारा (1) के खंड ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 125 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के संतम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट 1. पत्थर खानों, 2. क्यानाईट खानों, 3 सेलखड़ी खानों (जिनके अंतर्गत साबुन प्रस्तर और टेल्कों उत्पादन खानें भी हैं, गैरिक खानों 5. एस्बेस्टेस खानों और 6. अग्निसह मिट्टी खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दर
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष/स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, होलकटर, भूकर्तक, वाहक (प्रस्तर), वाहक, कार्टमैन अभिरक्षक, कंक्रीट (हैंड मिक्सर), चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर) लैम्प वाला, माली, पैट्रोल मैन, सफेदी वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) ।
अर्धकुशल :	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, परिचर, रसोइया, शिशुरक्ष आया, प्रधान चौकीदार, हैल्पर, मुकद्दम, मेट, आयलमैन, पम्प खलासी शाटफायरर, प्रधान मिस्त्री क्वेरीमैन क्वैरी प्रचालक स्टोर मैन, स्टाकर, वायलर मैन थेचर, बैरा ब्रेक्समैन हैल्पर (लोको, क्रेन ट्रक) टोपाले, पोपकार, भार प्रस्तार/क्यानाब्रेकर), एज रनर, पैक्वालर, टिम्बर मैन जैक हैमर, अग्नि सहमृत्तका प्रेस करने या सुखाने और रिफाइन करने वाले कर्मकार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो अर्द्धकुशल हैं।	15.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) ।

कुशल :

लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, वैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशाल मिस्त्री, उप ओवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक, प्रचालक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इशुअर, भंडारी (श्रेणी-1 और 2) मिलान लिपिक, समयपाल, टूलक पर, कम्पयूटर, टंकक, आशुलिपिक, अधि-लेखापाल, अन्य, प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय है।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण:—

इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सभी सम्मिलित दरें है जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की भी लागू हैं।

3. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

4. अठारह वर्ष से कम आयु के और अनभ्यर्थ व्यक्तियों की देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यवस्क कर्मकारों की संदेय दरों पर क्रमश: 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

5 जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियोजित मजदूरी को न्यूनतम दरें किसी खान या खानों में पत्थर तोड़ने या पत्थर खानों की प्रक्रियाओं के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा या किसी अन्य व्यवस्था के अधीन नियत दरों से कम है तो वहां पत्थर खानों के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों की मजदूरी का ऐसा उच्चतर दरें देय होंगी और उन मजदूरी को इस अधिसूचना के अधीन नियोजित मजदूरी का न्यूनतम दर माना जाएगा।

[सं. एस-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. एम. डब्ल्यू)]

S.O. 792(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in (i) stone mines, (ii) Kyanite mines, (iii) stealite mines (including mines producing soap stone and talc), (iv) octire mines, (v) asbestos mines and (vi) fine clay mines, were published as required by clause (4) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 3rd June 1986, under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 321(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 125(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in (i) stone mines, (ii) Kyanite mines, (iii) stealite mines (including mines producing soap-stone and talc), (iv) octire mines, (v) asbestos mines and (vi) fire clay mines, as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
UNSKILLED	
Mazdoor (Male and Female), Chowkidar, Coolie, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole Cutter, Earth Cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartman, (ground) Caretaker, Concrete (Hand Mixer), Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Lampman, Mali, Patrolman, White Washer, Waterman, Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12 25 (for work above ground). Rs. 14 75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED	
Bhisti, Breadker, Driller, Miner, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarry Man, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thermoman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (Loco, Crane, Truck), Topaz, Topkar (Big Stone/Kyanite Breaker), Edge Runner, Pack Wallers, Timberman, Jack Hammer, Fire Clay Presser drying and refining workers, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 15 25 (for work above ground). Rs. 18 25 (for work below ground).
SKILLED	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine Man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19 00 (for work above ground). Rs. 22. 50 (for work below ground).
CLERICAL	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store Issuer, Store Keeper (Grade I and II), Taller Clerk, Time Keeper, Tool Keeper, Computer, Typist, Steno, Record Keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19 00

EXPLANATIONS :—1. The minimum rates of wagess fixed as per this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. For the purposes of this notification,

(a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be 100 per cent and 80 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. Where in any area the minimum rates of wages proposed by this notification in relation to stone mines are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for the employees employed in the employment of stone breaking or stone crushing operation carried on in any mine or quarry or under some other arrangement, the higher rates of wages shall be payable to the workers employed in the employment in the stone mines and that wage shall be considered to be the minimum rates of wages fixed under this notification.

[F. No. S-32019/1/86-WC(MW)]

का०आ० 793 (अ)—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार फेल्सपार खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 3 उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 320(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह तक की अवधि तक उसे और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3 जून 1986 के जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख, 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 124 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के संतभ (1) की तत्सस्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट फेल्सपार खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय है, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
अकुशल:	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार चपरासी, क्लीनर, लदाई करने वाला, होल करटर, भूमि कटर, वाहक (पत्थर) वाहक, कार्टमैन, अभिरक्षक, कंक्रीट (हैंड मिक्सर), चालक (बल ऊंट, गधा, खच्चर), लैंप मैन, माली, पैट्रोल मैन, सफेदी वाला, पानीवाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल:	
भिश्ती, बेकर, ड्रिलर, खनन, रसोईया, शिशु कक्ष आया, मददगार, मुकद्दम, मेट, आयलमैन, पंप चपरासी, मिस्त्री, कवेरीमैन, पैचर, यूम्या मैन, टिण्डल, ट्राली मैन, जमादार, बैरा, सफेदी वाला, ब्रेकर मैन, मददगार (लोको क्रेन, ट्रक), टोपाज टोपकर (बड़ा/क्वार्टजाईट/क्वार्टर ब्रेकर), एज रनर, रैंक वालर, टिम्बर मैन, जैक हैमर, पायर क्ले प्रेस, या शुष्क करने और साफ करने वाले अन्य कर्मकार और अन्य चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्धकुशल हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
फटर, लोहार, बढ़ई, कम्पांउडर, बिजली मिस्त्री, शाट, फायरर सफेदी वाला, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान, रसोईया, इंजनमैन, वैल्डर, ब्लास्ट फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री, उप-ओवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक, प्रचालक, वायरमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल है।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय:	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी श्रेणी 1 और 2, मिलयान लिपिक, टाईमकीपर, टूल कीपर, टंकक, आशुलिपिक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण:

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह करता भता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए किए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों का क्रमशः 60 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

5. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन बनाए किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

[सं. एस-32019/1/86-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 793(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Felspar mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 320(E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas, the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And, whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section read with clause (iii) of sub-section (1) of section and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 124 (E) dated the 12th February 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Felspar mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.
UNSKILLED	
Mazdoor (male/female), Chowkidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Care-taker Concrete (hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12 25 (for work above ground). Rs. 14 75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED	
Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ahya, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Mistry, Quarryman, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Tarpaulinman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Beater, White Washer, Breakman, Helper (loco, Crane, truck), Topaz, topkar (big/quartzite/quartz breaker), Edge runner, Rock Wellers, Timberman, Jack Hammer, Fire clay press or drying and refining workers and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 15 25 (for work above ground). Rs. 18 25 (for work below ground).
SKILLED	
Cutter, Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White Washer, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head Cook, Engineman, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boilerman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19 00 (for work above ground). Rs. 22 50 (for work below ground).
CLERICAL	
Accountant, Clerk, Munshi, Store Clerk, Store Issuer, Storekeeper (Grade I & II), Talley clerk, Time Keeper, Tool Keeper, Computer, Typist, Steno, Record Keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19 00

EXPLANATION :—1. The minimum rates of wages proposed by this notification are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2 The minimum rates of wages proposed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates proposed by this notification the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. This minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skikll or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S. 32019|1|86-WC(MW)]

का. आ. 794 (अ):— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की अपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार, (1) क्वार्टज खानों, (2) क्वार्टजाइट खानों, और (3) सीलिका खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव तारीख 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 319(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो मास की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3 जून, 1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की अपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की अपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार श्रम मंत्रालय की तारीख 12-2-85 की अधिसूचना संख्या का. आ. 122 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट (1) क्वार्टज खानों (2) क्वार्टजाइट खानों और (3) सीलिका खानों में, उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष/महिला), चौकीदार, खलासी, क्लीनर, लोडर, होलकटर, अर्थ कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेलेवाला, केयरटेकर, कंक्रीट (हस्त मिश्रक), ड्राइवर (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), लैम्पमैन, माली, पेट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल :	
भिस्ती, भंजक, भेदक, खनक, रसोइया,, शिशुकक्ष आया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, मेट, तेलवाला, पम्प खलासी, शॉट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वेरी मैन, खदान आपरेटर, भंडारी, स्टोकर, बायलरमैन, वेचर, थम्बामैन, टिंडल, ट्राली वाला, जमादार, बैरा, सफेदी करने वाला, बेक्समैन, मददगार, (लोको, क्रेन ट्रक), टोपाज, टोपकार (जड़ा, क्वार्टजाईट/क्वार्टिज ब्रेकर), एजरनर, पैकर्स वाला, टिम्बर मैन, जैक हैमर, फायर क्ले प्रेस, या शुष्क और परिष्करण श्रमिक, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्ध कुशल हैं।,	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए), 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री शॉट फायरर, सफेदी करने वाला, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, वर्जी, प्रधान रसोइया, इंजन, मैन, झलाईगार, प्लास्टर, मशीन मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री, उप ओवरसियर (अनहिंत) कार्य सर्वेक्षक, आपरेटर, वायलर मैन, (अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो) जो कुशल हैं।	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 22.50 रु. (भूमि के नीचे करने के लिए),
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडार, लिपिक, सामान देने वाला, भंडारी श्रेणी, 1 और 2 टेली लिपिक, टाईम कीपर, टूल कीपर, संगणक टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय है।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें है जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित दरें है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं, वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम दरें मजदूरी की दरें जानी जाएंगी ।

4. 18 वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमश 70 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी ।

5. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्ध कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत कुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

[संख्या एस - 32019/1/86 - डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O. 794(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Quartz, Quartzite and Silica Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 319(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 122(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Quartz, Quartzite and Silica Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.
1	2
UNSKILLED :	
Mazdoor (male & female), Chowkidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth-cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hard mixer,), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 for work below ground).
SEMI-SKILLED:	
Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Store man, Stocker, Pillerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White Washer, Breaksman, Helper (loco, crane, truck), Topaz, Topkar (big quart-zite/quartz breaker), Edge runner, Pack wallers, Timberman, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining workers, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).
SKILLED :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head cook, Engine man, Welder, Blaster, machinist, Head mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor Operator, Boiler man, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (Grade I & II), Tally clerk, Time keeper, Tool keeper, Computor, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanation.—The minimum rates of wages proposed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwies are higher than the rates proposed by this notification the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification—

(a) "Unskilled work" is work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" is work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" is work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019|1|86-WC(MW)]

का. आ. 795(अ).:— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की अपधारा (i) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीटाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3 जून, 1986 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, अपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 318(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक अनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 3-6-86 को जनता को आनब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की अपधारा (i) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (ii) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का. आ. 129 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे अपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (i) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मैंगनीटाइट खानों में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण,	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, अर्थ कटर, वाहक, (पत्थर), वाहक, माली, पेट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, पानी ले जाने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल हैं,।	12.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए), 14.75 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) ,
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
*खनक, ब्रेकर, ड्रिलर, भिश्ती, परिचर, रसोइया, क्रेच आया, प्रधान चौकीदार, मुक्कदम, आयल-मैन, पम्प खलासी, शाटफायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरी मैन, खदान प्रवालक, स्टोर मैन, स्टाकर वायलर मैन, वैचर, थुम्बा मैन, टिंडल, ट्राली-मैन, जमादार, बैरा, बैक्समैन, मददगार,(लोको, क्रेन, ट्रक), टिम्बर, मैन, जैक हैमर, माली, मैट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के, अधीन क्षमता प्रमाण पत्र के बिना), स्टोन कटर, और ड्रेसर, चिजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्धकुशल/ पर्यवेक्षी हैं।	15.25 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) , 18.25 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) ,
कुशल :	
लौहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री फोर-मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट	19.00 रु. (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) ,
सब ओवरसियर (अनर्हित), सर्वेक्षक प्रवालक, मैट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के, अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कुशल , प्रकृति के हैं।	22.50 रु. (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए) ,
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इशुअर, सामग्री देने वाला, स्टोरकीपर, ग्रेड-(i) और (ii) टेली लिपिक, टाइमकीपर, , टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक आशुलिपिक, अभि-लेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम, से ज्ञात हो, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।	19.00 रुपये

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. 18 वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) 'अर्द्धकुशल' कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षक या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर है वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

6. मैग्नेटाइट खान में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और मैग्नेटाइट अयस्क हटाने में तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है को "खनक" माना जाएगा।

[संख्या एस – 32019/1/86 – डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]

S.O 795(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Magnetite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 318(E) dated the 3rd June 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 129(E) dated the 12th February 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revise the minimum rates of wages as specified in column (2) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Magnetite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day.
1	2
UNSKILLED :	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earth-cutter, Carrier (Stone), Carrier, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, Water carrier, other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY :	
*Miner, Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Maccadam, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarry man, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thocmbaman, Tindal, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (Loco, Crane, Truck), Timberman, Jack Hammer, Mali, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961). Stone cutter and dresser, Chisel man, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 15.25 (for work above ground). Rs. 18.25 (for work below ground).

SKILLED	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Head Cook, Engine Man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer, (Unqualified) Surveyor, Pump Operator, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 19.00 (for work above ground). Rs. 22.50 (for work below ground).
CLERICAL	
Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store Keeper (grade I and II) Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computor, Typist Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 19.00

Explanation.—For the purpose of this notification.

(1) The minimum rates of wages are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6) A workers in a magnetite mine who is engaged in extraction and removal of magnetite ores as well as in other incidental jobs shall be designated as a 'Miner'.

[No. S-32019|1|86-W.C.(M.W.)]

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1986

का.आ. 796 (अ):—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1987 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार (1) सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में (2) पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने में (3) भवनों के अनुरक्षण में, और (4) धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मकारों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव 3-6-86 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 317(अ) के तहत उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे और राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से दो माह की अवधि तक उनसे आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 3-6-1986 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार श्रम मंत्रालय की तारीख 12 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या का.आ. 113(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट (1) सड़कों के निर्माण या अनुसरण या निर्माण संक्रियाओं में, (2) पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने में, (3) भवनों के अनुसरण में, और (4) धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में उसके नियोजन में नियोजित प्रवर्ग के कर्मचारियों को संदेय हैं, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

अनुसूची

काम का प्रवर्ग	प्रतिदिन मजदूरी की सर्वग्राही न्यूनतम दरें				
	क्षेत्र–क	क्षेत्र–ख 1	क्षेत्र ख–2	क्षेत्र–ग	क्षेत्र–घ
1	2	3	4	5	6
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
अकुशल :					
बजरी बछाने वाला, बेलदार, वयस्क पुरुष/आदमी, वयस्क स्त्री/महिला, किशोर, 12 वर्ष से ऊपर के लड़के/लड़कियां, बालक, बीटर, महिला, धोकनीवाला, जरीबी, केह्द्द, बाल्टो वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवान, केयरटेकर (पुल), क्लीनर (ट्रेन पथ रखरखाव के लिए सिटर), चौकीदार, कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला), दफेदार, चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), झंडेवाला (बैलास्ट ट्रेन), द्वारपाल, गेंगमैन, गैगमैन स्थायी पथ, हैंडलमैन, जम्परमैन, कभीन, (महिलाकार्य), खलासी, खलासी आदमी/पुरुष स्त्री/महिला, लड़के/लड़कियां, 1/2, पुल विद्युत, समुद्री, मोफला, तट भंडारा, स्टीम रोड रोलर, सर्वेक्षण, श्रमिक (बाग), बत्ती वाला, माली, मजदूर (वयस्क पुरुष/नर वयस्क महिला/नारी), मजदूर किशोर, बालक 12 वर्ष की आयु से ऊपर के लड़के, लड़कियां, बालक नारी प्रशिक्षित, पैट्रोल वाला, चपरासी, तलासी-कर्ता, सिगनल मैन, स्ट्राइकर, आइकर, मोफलागेंग, झाड़ूकश, टटी बाय, टाइल टर्नर, ट्राली वाला, बाल्व नियंत्रण, बाल्वमैन, संतरी, पानी वाला, सफेदी वाला, बुडमैन, बूटब्रूमैन, बोरी मैन, कोयले वाला, कंडेंसर परिसर, घास काटने वाला मुछेरे, जमादार, स्लिंगर, शंटर, अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हो, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाए।	14.50	12.50	11.75	10.25	9.50
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :					
तेलचे वाला, भिश्ती, भिश्ती (मुश्क सहित) नाव वाला, (प्रधान), भंजक भंजक चट्टान, चट्टान पत्थर, प्रस्तर धातु पत्थर, बेंत बुनने वाला, जरीबी, चारपाई करने वाला, जांच पड़ताल कर्ता, चौकीदार प्रधान, केकर, दफ्तरी, डालीमैन, ड्रिलर, ड्रिलर (छिद्र चट्टान), चालक (रिकन), उत्खनक, फैरीवाला, फायरमैन, फायरमैन ईंटों का भट्टा (स्टीम रोड रोलर), द्वारा रक्षक, धरासी (थ्रोचर), शीशेवाला, ग्रीसर, ग्रीसर एवं फोरमैन, ग्राइंडर, हथौड़े वाला, सहायक (कारीगर), सहायक आरेखण, जमादार, की मैन, खलासी (प्रधान), सर्वेक्षण, सर्विटर्स मोषालगेंग (पर्यवेक्षक), श्रमिक (चट्टान-कर्तन), लस्कर, माली (प्रधान), मैट, मैट लोहकार, सड़क काष्ठकार, इंजन चालक और या फीटर, फीटर गेंग, खलासी, मजदूर, राज स्थायी पथ, पम्प ड्राइवर, टर्नर मजदूर (भारी वजन, चार्जमैन, मिस्त्री, प्रधान), मुकदम, राति गार्ड, हरकारा (डाक), तेलवाला, खदानकार, समदान प्रचालक, भंडार वाला, स्टोकर, स्टोकर और बायलर-मैन, थ्रोचर, थूम्बामैन, (स्पैडकर्मी), टिंडल, ट्रालीमैन वाला प्रधान (प्रधान मोटर), फिटर सहायक (अर्द्धकुशल), जमादार (अर्द्धकुशल), मेट भंडार, पम्प परिचर, वाहक, वैक्समैन, क्रोबारमैन, रमोइया, डांडी, हैक्सामैन, सहायक (लोको, ग्रेन, ट्रक), कसाव, खलासी (संरचनात्मक), प्रयोगशाला परिचर, मांझी नाव वाला, मशालची, पी.एफ. मेटस, प्वाइंटउ मैन, सीग्मी, तोपाज, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला), ट्राली जमादार, विचमैन, सहायक वायर मैन अन्य कोई प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जोकि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों।	17.50	15.75	14.50	13.00	12.00

1	2	3	4	5	6	
कुशल :						
	सहायक मिस्त्री, आमर्चर, ब्राइडर श्रेणी-II और III भंजारी, लोहकार, चलन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III, प्रधान, बायलरमैन, बायलरमैन, श्रेणी II और III, बायलरफोरमैन श्रेणी II, कार्य (सहायक), ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर (चयन श्रेणी, वर्ग) (II), विस्फोटक, काष्ठकार, काष्ठकार चयन श्रेणी II और III, वर्ग, II और III, सहायक जी.आई.एम. रोड ,केबिनेट बनाने वाला, बेंतवाला, सेलोटेकसटर, मेकर, चार्जमैन वर्ग II और वर्ग III काष्ठार साधारण जांच पड़ताल कर्ता कनिष्ठ, चिक बनाने वाला, चिकवाला, कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, मोची, कोरहली, निर्माता, चालक, चालक मोटर, यान मोटरयान चयन श्रेणी, मोटरलारी, मोटर लारी श्रेणी–II, डीजल इंजन, डीजल इंजन, श्रेणी II, यांत्रिक मिश्रक, रोड रोलर आई.सी. और सीमेंट मिश्रक आदि रोड रोलर, रोड रोलर चालक श्रेणी-II, चालक/इंजन स्थित/स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर, बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, जल पम्प यांत्रिक, सहायक रोड रोलर, यांत्रिक स्टीमक, क्रेन, बुलडोजर सहित ट्रैक्टर यांत्राक परिवहन, इंजन, स्केलिक और रोड रोलर, वायलर परिचर इंजन स्टेटिक, प्रचालन, (स्टोन क्रशर यांत्रिक), डिस्टप्पर करने वाला, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री श्रेणी II (वर्ग II, III, फिटर चयन श्रेणी II, III वर्ग II, III, सहायक पाइप, लाइन वर्ग, II, पाइप लाइन, कुमुक के लिए छड़े मोड़ना एवं यांत्रिक और नलकार (प्लम्बर), धरामी (प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए ड्रिलर, जायनर, जायनर (केवल श्रेणी II), लाइनमैन श्रेणी, (II, III) एच.टी./एल.टी., राज, राज चयन श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II और III, वर्ग-ख मिस्त्री, स्टोन, स्टोन वर्ग II ईंट का काम, पत्थर का कार्य, ईंट बिछाने वाला मेसन, टाइल फ्लोरिंग वी.टी.एम., मुकदम, प्रधान पत्थर कर्तन, (साधारण), मशीनी मिस्त्री, यांत्रिक, यांत्रिक वर्ग II, वातानुकूल, वातानुकूल श्रेणी II, डीजल श्रेणी–II, रोड रोलर, श्रेणी–II, सहायक, रेडियो, राज (चरानी), मिस्त्री, मिस्त्री श्रेणी–II, वातानुकूलर श्रेणी–II, स्थायी पथ, सर्वेक्षण संगराश, संकर्म, राज, वर्ग क, सांचागार, सांचागार, (ईंट टाइल), रंगसाज रंगसाज, चयन श्रेणी–II, और III, वर्ग II, सहायक लाटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ, प्लास्टरकर्ता पलास्टरकर्ता, (राज श्रेणी–II) नलसाज, नलसाज, चयन श्रेणी, वर्ग–II, सहायक ज्येष्ठ कनिष्ठ, मिस्त्री श्रेणी–II, नलसाज मिस्त्री, नलसाज एवं फिटर, पालिशगर, पालिशगर (फर्श), पम्प चालक, पम्प चालक चयन श्रेणी, श्रेणी–II और III, वर्ग–II, पम्प इंजन चालक, पी. ई. चालक, पम्प वाला, पम्प वाला (सहायक), पम्पर, पालिशगर (स्प्रे सहित श्रेणी II), रतनमैन, रिवेट कटर, (सहायक) रिवेटर, रिवेट कटर, सड़क निरीक्षक श्रेणी II, रेलवे स्लेटलेयर, राड बाइन्डर, आराकश, आराकश, (चयन श्रेणी वर्ग II) संरग, संरग पाइल ड्राइविंग पैटर्म्स वायलर सहित, सनेप्समैन, पारी भारसाधक, स्प्रेमैन, स्प्रैमैन रोड्स, संगतराश, संगतराश चयन (श्रेणी II) और वर्ग II, स्टोन चिजलर, स्टोन चिजलर वर्ग, पाषाण विस्फोटक, उप ओवरसियर (अनंहित), सर्वेक्षक, सर्वेक्षक (सहायक), दर्जी, दर्जी (पोशिश), तार स्प्रेयर, तारमैन, लाइन मैन, टाइलरर्वंग, दीवार फर्श, छतें, टाइलर चयन श्रेणी, टीनकार, टीनकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II), फलाईगर, टेलर्स, टर्नर अपोलिशसाज, अपोलिशज (श्रेणी II और श्रेणी III), रंगसाज, स्प्रे वर्ग II) काष्ठ कल्कें चयन श्रेणी II, कार्पेंट कलर्क चयन श्रेणी, वर्क सरकार, झलाईगर, गैर झलाईगर, झलाईगर वेंग II, पुल कार्य, कूप निर्भेज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला, (चयन श्रेणी वर्ग II), वायरमैन, मिस्त्री, वायरमैन मिस्त्री श्रेणी, II और III, वर्ग I, यांत्रिक, विद्युत, सफेदी पुताई और रंगीन पुताई वाला, वातिक औजार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), बोरमैन, बेधक, छिवाईगार, छिलाईगार एवं पिसाईगार, रसोइया (प्रधान), ड्रिलर, (कूप बेधन), चालक (लोको), ट्रक, बिजली मिस्त्री (सहायक), यांत्रिक (नलकूप), सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शैल, संपीड़िक, मीटर वाचक, मौसम प्रेक्षक, सावधानी, प्रचालक, (बेंचिंग संयंत्र), सिनेमा परियोजना क्लैम्प शैल संपीडिक क्रेन, डेरिक डीजल इंजन, डोजर, डेगलाइन, ड्रिल, डम्पर उत्खनक, फोर्क लिफ्ट जनित ग्रेडर, हैक हैम्पर और पटरी तोड़ने वाला, लोडर पम्प पाइप चालन, स्क्रैम्ट, स्क्रीनिंग संयंत्र, शावैल ट्रैक्टर, शाइलेटर, वे-ब्रेकर, रेल गार्ड, मरम्मत कर्ता (बैटरी), शारपेर स्लोटर, स्प्रेयर, (अग्रफास्ट), स्टेशन मास्टर, सर्वेक्षक, (सिस्ट), दस्तकार, गाड़ी परीक्षक, टर्नर/मिलर, टायर बाल्केनाइजर, कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जोकि कुशल प्रकृति के हों।	22.25 रु०	20.25 रु०	18.00 रु०	17.00 रु०	15.00 रु०

1	2	3	4	5	6
अत्यधिक कुशल :					
आर्मेचर वाइंडर श्रेणी, लौहकार श्रेणी 1 वर्ग 1, वायरलमैन श्रेणी 1, वायरलमैन/फोरमैन श्रेणी 1, ईंट बिछाने वाला वर्ग 1, केवल संयोजक श्रेणी 1, काष्ठकार श्रेणी 1 और वर्ग 1, सेलोटैक्स कटर और सज्जावटकर्ता, चार्जमैन वर्ग 1, जांच पड़ताल कर्ता, (ज्येष्ठ), चालक लारी श्रेणी 1, मोटर लारी श्रेणी 1, मोटर यान वर्ग 1 और डीजल इंजन श्रेणी 1, रोड रोलर श्रेणी, 1, मोटर यान वर्ग 1 और डीजल इंजन श्रेणी 1, रोड रोलर श्रेणी 1, पम्प श्रेणी 1 वर्ग 1, बिजली मिस्त्री श्रेणी 1, और वर्ग 1, फिटर श्रेणी 1, वर्ग 1, पाइप वर्ग 1 (प्रधान), फोरमैन (सहायक), लाइनमैन श्रेणी 1, राज (कुशल श्रेणी) 1 वर्ग 1, मास्टरगिरि यांत्रिक वर्ग 1, और वर्ग 2, यांत्रिक (प्रधान) या बिजली मिस्त्री, यांत्रिक (डीजल) श्रेणी 1, रोड रोलर श्रेणी 1, वातानुकूल श्रेणी 1, वर्ग 1 वातानुकूल), मिस्त्री श्रेणी 1, मिस्त्री वातानुकूल श्रेणी 1, ओवरसियर, ओवरसियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ), रंग-साज श्रेणी-1, वर्ग-1, (स्प्रे), प्लास्टरकर्ता (मिस्त्री), वर्ग-1, नलसाज (प्रधान), वर्ग-1, मिस्त्री श्रेणी 1, आराकश वर्ग-1, संगतराश, वर्ग-1, संगतराश श्रेणी-1, स्टोन चिजलर वर्ग 1, पाषाण मिस्त्री वर्ग 1, उप ओवरसियर (अहर्ता) टाइलर वर्ग-1, टीनकार श्रेणी-1 और वर्ग-1, पोलिशसाज श्रेणी-1, वार्निशकार वर्ग-1, सलाईगर एवं फिटर और वातानुकूलित यांत्रिक, सलाईक सलाईगर (गैस) वर्ग-1, सफेदी वाला वर्ग-1, वायरमैन श्रेणी-1, वर्ग-1, काष्ठकर्ता वर्ग-1, पिसाईकार श्रेणी, औजार श्रेणी-1, प्रचालक वैचिंग प्रचालक, श्रेणी-1, क्लैम्प शैल श्रेणी-1, संजीवित श्रेणी-1, क्रेन श्रेणी-1, डीजल इंजन श्रेणी-1, ड्रिल श्रेणी-1, डम्पटर श्रेणी-1, उत्खनक श्रेणी-1, फौर्क लिफ्ट श्रेणी-1, जनित्र श्रेणी-1, स्क्रेपर श्रेणी-1, स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी-1, शावल श्रेणी-1, शावेल और ड्रैगलाइन, ट्रैक्टर श्रेणी-1, वाइब्रेटर श्रेणी-1, रिगर श्रेणी-1, रिगर श्रेणी-2, शार्पर/स्लेटर श्रेणी-1, वस्तकार वर्ग-1, टर्नर/मिलर श्रेणी-1, ट्रैक्टर ट्रांसकेनाइजर, श्रेणी-1, सड़क निरीक्षक श्रेणी-1, स्वापर वर्ग-1, कर्मी (सहायक) श्रेणी-1, कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।	27.75 रु.	25.25 रु.	23.00 रु.	20.50 रु.	19.25 रु.
लिपिकीय :					
एम.सी. लिपिक, मुंशी (मैट्रिकुलेश, नान-मैट्रिकुलेट) भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट), भंडार निगमकर्ता, भंडार रक्षक, भंडार रक्षक (श्रेणी-1, 2, मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, समय पाल, समयपाल (मैट्रिकुलेट मैट्रिकुलेट), औजार कीपर, कार्य-मुंशी, कार्य मुंशी (अधीनस्थ), लेख लिपिक, लिपिक, संगणक, टेलीफोन, प्रकालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारे जाएं जो कि लिपिकीय प्रकृति के हैं।	22.25. रु.	20.25 रु.	18.00 रु.	17.00 रु.	15.00 रु.

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ:—

1. (क) क्षेत्र क, ख-1, ख-2, और ग में इस अधिसूचना के उपाबंध 1 में यथा विनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट हैं जिनमें नगर निगम या नगर-पालिका या छावनी बोर्ड तथा किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी स्थान सम्मिलित हैं, और क्षेत्र "घ" में वे सभी स्थान हैं जो क, ख-1, ख-2 और ग क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को न.प्र. भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या ऊंची श्रेणी में लाए गए स्थान को भी उपबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा।

2. "घ" वर्ग क्षेत्रों में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्र वार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने सर्दी भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों को उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन नियत या पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी से इस प्रतिशत अधिक संदत्त किया जाएगा।

3. जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण, संक्रियाओं पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है, वहां उन क्षेत्रों की बाबत इस अधिसूचना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई मजदूरी की संदेय होगी।

4. सुरंग कार्य में काम करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संदत्त किया जाएगा ।

5. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं,

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग-दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि अपेक्षित हैं,

(घ) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्षों से व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित उच्चस्तर की पूर्णता और सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन की बाबत लिए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ।

6. इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी ।

7. मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरें हैं और उसमें विश्राम के साप्ताहिक विराम के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है ।

8. 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 100 प्रतिशत होगी ।

अनुबन्ध – 1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नगरों			उपनगरों का वर्ग	
	क	ख–1	ख–2	ग	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	—	विजयवाड़ा (बैजवाडा) विशाखापत्तनम (विजागापट्टम)	अंदोनी, अंकापल्ले, अनन्तपुर, अन्दार (मेसोली-पत्तनम), भीमावरम, चिराला, चिपुर, कुडाप्पाह ऐलुरु गुडी–वडा गूठाफल, गुन्तुर, काकीनाडा, करीमनगर, खम्मास, कोथा–गुडम, करनूल, महबूब नगर, नलगोंडा, नैलोर, निजामाबाद, ओंगोल, प्रोवादुर, राजा छेमुन्दरी, श्रीकाकुलम, तैनाली, तिरूपति, विजयपुरी, विजयानगरम, वारंगल ।	
असम	—	—	गोहाटी	—	
बिहार	—	—	पटना, धनबाद, जमशेदपुर ।	आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार-शरीफ, बोकारो, इस्पात, नगर, छपरा, दरभंगा, बानापुर, गया, हजारीबाग, कटिहार, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया, रांची ।	
चंडीगढ़	—	—	—	चण्डीगढ़	
दिल्ली	दिल्ली	—	—	—	
गुजरात	अहमदाबाद	—	सुरत, वडोदरा, (बड़ौदा) भावनगर, राजकोट	आनन्द, भुज, भडोच, कम्बे, धोराजी, मोधरा, गोंडल, जामनगर, जूनागढ़, कलोला, मेहसाना, मोरवी, नाडियाय, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, सुरेन्द्रनगर, वेरावल ।	
हरियाणा	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर ।	

1	2	3	4	5
जम्मू-कश्मीर	—	—	श्रीनगर, जम्मू	—
कर्नाटक	मंगलौर	—	हुबली, धारवाड	बागलकोट, बेलगांव, बैल्लारी, भद्रावती, बिदार, बीजापुर, चित्रदुर्ग, दोबनगिरि, गडाग, बेतगारी, मूलबर्ग, हसन, होस्पेट, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, मांड्य, मंगलौर, मैसूर, रायपुर, शिमोगा तुमकुर, चनापटना, चिकमगलूर, गंगावटी, हरिहर, रबिकार्या-बनहरी, रामीबेनूर ।
केरल	—	—	कोचीन, त्रिवेन्द्रम, आलबे, कालीकट, (काजीकोड)	अलेपी थाडागारा, कन्नूर, चंगनाचेरी, कायम-कुलम, कोट्टायम, पालघाट, तेलीचेरी, त्रिचूर विदलोन ।
मध्य प्रदेश	—	इंदौर, जबलपुर	ग्वालियर, (लस्कर), भिलाई भोपाल ।	बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दमोह, देवास, दुर्ग, इटारसी, खडवा, खंडवा, महू (छावनी), भूडवारा, मुरेना, रायपुर, सीमक, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, विदिशा ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर, पिम्परी, छिंदवाड़ा ।	पूणे, शोलापुर, नासिक ।	अकलपुर, उपनगर, सभूड, अहमदनगर, अकोल, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी, भिवंडी, भूसावल, चांदा, चन्द्रपुर, धूलिया, डोम्बीवली, गोंदिया, इचलकरंजि, जलगांव, जालना, कल्याण, कम्प्टी, खामगांव, कोल्हापुर, लातुर, मरसेगांव, नांदेड़, नन्दरबार, नासिक मार्ग, पेवलाली, पंढरपुर, परभनी, सांगली, मिराज, सतारा, उल्हासनगर, वोतमाल वर्धा ।
उड़ीसा	—	—	राउरकेला	बालासौर, बिहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक पुरी, सम्बलपुर ।
पांडिचेरी	—	—	—	पांडिचेरी ।
पंजाब	—	—	अमृतसर, लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिण्डा, फिरोजपुर, होशियार-पुर, जलंधर, मलेर-कोरला, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान	—	जयपुर	अजमेर	अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर ।
तमिलनाडु	मद्रास	कोयम्बटूर, मदुराई	सलेम, तिरूचिरापल्ली (त्रिचिनापल्ली)	अम्बूर, अरूपकोटाई, चिद्दाम्बरम, कोटो नायकनूर, कडालोर, डिंडीगुल, इरोड, गूडिय यामकडयानल्लूर, कोचीपुरम, करूर कुडी करूर, कोम्बकोनम, मथुरम, कोविलयट्टी, मेट्टूपालयम, नागापट्टीनम, नगरकोइल, पलायमकोट्टाई, पोलच्ची, पुडुकोट्टाई, राजा-पलयम, सिवाकाशी, श्रीरंगम, श्रीविल्लीपुर, साम्बरम, संजबूर, (तंजौर), छिदीवनम, तिरूनेलवेली, तिरूपुर, तिरूवन्नमलाई, तूतीकोरीम, वालपराई, वानियाम्बाडी, वेलोर, विलुपुरम, विरूद्ध नगर ।

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	—	कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी (बनारस)	मेरठ	अलीगढ़, (कोयल अलीगढ़), अमरोहा, बलिया, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौसी, देहरादून, इावटा, फैजाबाद, एवं अयोध्या, फर्रूखाबाद एंव फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्दवानी एवं काठगोदाम, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, खुर्जा, काशगंज, मथुरा, मउनाथ भंजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुज्फरपुरनगर, रामपुर, रूड़की, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर सीतापुर ।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	—	आसनसोल, दुर्गापुर	बेथवती, बाली, बनगांव, बकुंरा, बासबेरिया, बेरकपुर, बशीरहट, बेरहानपुर, भाटापारा बजबुज, बर्द्धवान, चकहडा, चम्पदानी, चन्दरनगर, कुच-बिहार, इंशलिश बाजार, हालीशहर, हुगली, चिनसूरा, जलपाईगुडी, कमरहटी,, कंचनपारा, खडगपुर, कृष्णनगर, मिदनापुर, नवाबद्वीप, नैहाटी, उत्तरी दम-दम, पानीहाटी, पूरूलिया शनाघाट, रिशरा, शान्तिपुर, सेरामपुर, सिलीगुडी, टीटागढ़ ।
गोवा, दमन और दीव	—	—	गोवा, मरमूगोवा	—

[संख्या एस – 32019/1/86 – डब्ल्यू. सी (एम. यब्ल्यू.)]

अश्विनी लूथरा, उप सचिव

S.O. 796(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed (i) in the Construction or maintenance of roads or in building operations (ii) in stone breaking or stone crushing, (iii) in the maintenance of buildings and (iv) in the construction and maintenance of runways, were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd June, 1986 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 317(E) dated the 3rd June, 1986 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 3rd June, 1986;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 113(E) dated the 12th February, 1985, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) to (6) of schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings and in the construction and maintenance of runways as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Category of work	All inclusive minimum rates of wages per day. Area A	Area B-I	Area B 2	Area C	Area D
	Rs. p.	Rs. p.	Rs. p.	Rs. p.	Rs. P
1	2	3	4	5	6
UNSKILLED					
Bajri Sreader, Beldar (Adult Male/Female), Adolescent (Boy above 12 years, Girls, Child), Beater Woman, Bellowman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cartman, Caretaker (bridge), Cleaner (Crane Track, Cinder for Ash Pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffadar, Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule), Flag Man, Flagman (Blast Train), Gate man, Gangman, Gangman (Permanent Way), Handle man, Jumper man, Kamin (Female Work), Khalasi, Khalasi (Male/Female, Boy/Girls I/II, Bridge, Electrical, Marine, Moplah Shore, Store, Steam Road, Roller, Survey), Labourer (Garden), Lampman, Mali, Mazdoor, Mazdoor (Adult Male/Female, Mazdoor (Adolscent/Boys above 12 years age, Girls Child, Lorry Trains), Petrolman, Peon, Searcher, Signal man, Strikers, Striker (moplah Gang), Sweeper. Tatti Boy, Tile Turner, Trolly man, Valve Controller, Valveman, Watchman, Waterman, White Washer, Wooderman, Wooder Woman, Borryman, Coalman, Condenser Attendant, Grass Cutter, Muchhers Jamadars, Condenser Attendant, Shunters, Any other categories by whatever name called which are of an unskilled nature	14.25	12.50	11.75	10.25	9.50
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY					
Balchawala, Bhisti, Bhisti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker, Breaker (Rock), Rock Stone, Stone Metal, Stone), Cane Weaver, Chain man (Head), Charpoy Stringer, Checker, Chowkidar (Head), Cracker, Daftri, Dollyman, Driller, Driller, (Hole, Rock), Driver (skin), Excavator, Ferroman, Fireman, Fireman, (Brick Kiln, Steam Road Roller), Gate keeper, Gharami (Thatcher, Glass man, Greater, Greaser-cum-fireman, Grinder, Hammerman, Falper (Artisan), Selper (Sawyer, Jamadar, Keyman, Khalasi (Head Survey, Riveatterse Moplah Gang, Supervisor), Labourer (Rock-cutting), Lascar, Mali (Head), Mate, Mate (Blacksmith, Road, Carpenter, Engine Driver and/or Feeder, Fitter, Gang, Khalasi, Mazdoor Mason, Permanent Way, Pump-Driver, Turner), Mazdoor (Heavy-Weight, Chargeman, Mistri Head) Muccadam, Night Guard, Runner (Post dak), Oil man, Quarry man, Quarry Operator, Store man, Stocker, Thatcher, Stockers and boiler man, Thoombaman (Spade worker), Tindals, Trollyman (Head, Motor), Fitter (Asstt. semi-skilled), Jamadar (Semi skilled), Mate (Store), Pump Attendant, Bearer, Breakesman, Crowbler man, Cook, Dandee, Farash, Hackshaw man, Helper (Locco-Crane/Truck), Kasab, Khalasi (Structural), Laboratory Boy, Manjee (Boatman), Masalchi, P.M. Mates, Pontsman, Seacummy, Topaz, Topkar (Big Stone Breaker), Trolly Jamadar, Winchman, Asstt. Wireman, Any other categories by whatever name called which are of semi-skilled nature	17.50	15.75	14.50	13.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
SKILLED						
Asstt. Mistry, Armature Winder Grade-II and III, Bhandari, Blacksmith, Blacksmith (selection Gr; Grade II, III, Class II & III, Head), Boilerman, Boiler man Grade II & III, Boiler Foreman Grade-II, Work (Asstt.), Brick Layer, Bricklayer (Selection Grade Class-II), Blaster, Carpenter, Carpenter (selection Grade, Grade II & III, Class I & III, Asstt. B.I.M. Road), Cabinet Maker, Caneman, Celotax cutter Maker, Chargeman Class II, and Class III, Carpenter (Ordinary), Checker (Junior), Chick maker, Chick man (Junior), Concrete Mixture Mixer, concrete mixer operator, Cobbler, Coremaker, Driver, Driver (Motor, Vehicle, Motor vehicle selection Grade, Motor Lorry, Motor Lorry Grade II, Lorry, Lorry Grade II, Diesel Engine, Diesel Engine Grade II, Mechanical, Road Roller, I.C. and Cement Mixer etc., Road Roller, Road Roller Driver Grade II, Driver (Engine Static, Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump Mechanical, Asstt. Road Roller Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static & Roader Roller, Boiler Attendant Engine), Operator (Stone Crusher Mechanical), Distemperer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II, Class III), Fitter, Fitter (selection Grade, Grade II & III, Class II & III, Asstt., Pipe Class II, Pipe Line, Bending Bars for reinforcement cum-Mechanic, Mechanic & Plumber), Gharami (head), Glazier, Hole Driller for Blasting, Joiner, Joiner (Cable, Cable Grade II), Line man (Grade II, III, HT/LT), Mason, Mason (selection Grade, Grade II and III, Class II and III, Class B Mistry, Stone, Stone Class II, Brick work, Stone work, Brick-layer, Tile Flooring, B.I.M., Muccadame, Head, Stone Cutting, Ordinary, Machinist, Mechanic, Mechanic (Class II Air Conditioning, Air Conditioning Grade II, Diesel Grade II, Road Roller Grade II, Asstt., Radio), Mason (Gharami), Mistry, Mistry (Grade II, Air conditioning Grade II P. Way, Survey, Santras, Works). Mason Class A, Moulder, Moulder Brick, Tile), Painter, Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Asstt., Lotter and Polisher, Polisher, (Rough), Plasterer, Plasterer (Mason Grade II), Plumber, Plumber (selection Grade, Class II, Asstt. Senior, Junior, Mistry grade II), Plumbing Mistry, Plumber-cum-fitter, Polisher, Polisher (Floor), Pump Driver, Pump Driver (Selection Grade, Grade II and III, Class II), Pump Driver (selection Grade), P.E. Driver, Pump man, Pump man (Asstt)., Pumper, Polisher (with spray) Grade II, Ratan man, Rivet Cutter (Asstt.), Rivetter, Rivetter (cutter), Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer, Rod Binder, Sawyer, Sawyer (selection Grade Class II), Serang, Serangpile Driving Pantooms with Boiler, Shapsman, Shift-incharge, Sprayman, Sprayman (Roads), Stone cutter, Stone Cutter (selection Grade, Grade II, Class II), Stone Chisler, Stone Chisler (Class II), Stone Blasterer, Sub-Overseer (Unqualified), Surveyors, Surveyors (Asstt.), Tailor, Tailor (Upholstry), Tar-sprayer, Tar man, Line man, Tiler Class II, (Wall, Floor, Roof), Tiler (selection Grade), Tin-Smith, Tin-Smith (selection Grade, Grade II and III, Class II), Tinker, Trailors, Turner, Upholsterer, Upholsterer (Grade II and III), Painter spray (Class II), Wood cutter, Wood cutter selection Grade, Wood cutter Class II, Work Sircar, Welder, Welder Gas, Welder (Class II, Bridge Work), Well Sinker, White Washer, White Washer (selection Grade, Class II), Wireman, Wireman (Grade II & III) Mechanic (Electrical), White Washing & Colour Washing Man, Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter), Boreman, Borer, Chipper, Chipper-cum-Grinder, Cook (Head), Driller, (well boring), Driver (Loco/Truck), Electrician (Asstt.), Mechanic (Tube-well), Mistry (steel, Tube Well, Telephone), Meter Reader, Metrological Observer, Navghani, Operator (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Crane, Dorrick, Diesel, Engine, Doser, Dragline, Drill, Dumper, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and pavement breaker Loader, Pump, Pile Driving, Scrapper, Screening Plant, Shovel, Tractor, Vibrator, Weight Batcher), Railway Guards, Repairer (Battery), Sharper/Slotter, Sprayer (Asphalt), Station Master, Surveyor (Silt), Trades-man, Train Examiner, Turner/Miller, Tyre Vulcanisor, Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature		22.25	20.25	18.00	17.00	15.00

1	2	3	4	5	6
HIGHLY SKILLED					
Armature Winder Grade I, Blacksmith Grade I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman Foreman Grade I, Brick Layer Class I, Cable Joiner Grade I, Carpenter Grade I and Class I, Celotes Cutter and Decorator, Chargeman Class I, Checker (Senior), Drivery Lorry Grade I, Motor Lorry Grade I, Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I, Road Roller Grade I, Pump Grade I, Pump Class I, Electrician Grade I and Class I, Fitter (Grade I, Class I, Pipe Class I (Head), Foreman (Asstt.), Line man Grade I, Mason (skilled Grade I, Class I), Mast Rigger Mechanic Class I and Class II, Mechanic (Head) or Electrician Mechanic (Diesel Grade I, and Road Roller Grade I, Airconditioning Grade I, Class I, Air conditioning), Mistry Grade I, Mistry (Air-conditioning Grade I, Overseer, Overseer (Senior & Junior), Painter (Grade I, Class I, Spray), Pasterer (Mason) Class II, Plumber (Head, Class I, Mistry Grade I, Polisher (with spray) Grade I, Road Inspector Grade I, Sawyer Class I, Stone cutter Class I, Stone cutter Gr. I, Stone Chiseler Class I, Stone Mason Class I, Sub-overseer (qualified), Tiler Class I, Tinsmith Grade I and class I, Upholsterer Grade I, Varnisher Class I, Welder-cum-Fitter and Air conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class I, White Washer Class I, Wireman Grade I, Class I, Wood cutter Class I, Grinder (Tool) Grade I, Operator (Batching Plant Grade I, Camp Shell Grade I, Compressor Gr. I, Crane Gr. I, Diesel Engine Gr. I, Dozer Gr. I, Dragline Gr. I, Drill Gr. I, Dumper Gr. I, Excavator Gr. I, Fork Lift Gr. I, Generator Gr. I,, Grader Gr. I, Loader Gr. I, Pile Driving Gr. I, Pump Gr. I, Scrapper Gr. I, Screening Plant Gr. I, Shovel Gr. I, Shovel and Dragline, Tractor Gr. I, Vibrator Gr. I, Rigger Gr. I, Rigger Gr. II, Sharper/Slotter Gr. I, Shovel & Dragline Tractor Gr. I, Tradesman Class I, Turner/Miller Gr. I, Tyre Vulcaniser Gr. I, Work (Asstt.) Gr. I, Any other categories by whatever name called which are of a highly skilled nature.	27.75	25.25	23.00	20.00	19.25
CLERICAL					
M.C. Clerk, Munshi (Matriculate, non-matriculate), Store Clerks (Matriculate; Non-matriculate), Store Issuer, Store keeper, Store keeper (Gr. I; II; Matriculate II; Non-matriculate), Tally Clerk, Time keeper, Time keeper (Matriculate; Non matriculate), Tool keeper, Work Munshi, Work Munshi (Subordinate), Accounts clerk, Clerks, Comparator, Telephone Operator, Typist, any other categories by whatever name called which are of a clerical nature.	22.75	20.25	18.00	17.00	15.00

Explanation.—For the purpose of this notification :

(1) (a) Area A, B-1, B-2 and C shall comprise all places as specified in the Annexure I to this notification including all places within a distance of eight kilometres from the periphery of the Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board, Notified Area Committee of particular place; and Area 'D' shall comprise all the places not included in Areas A, B-1, B-2 and C.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensatory allowance to Central Government employees shall be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

(2) Employees employed in the employments in the construction or maintenance of roads on in building operations, in stone breaking and stone crushing, in the maintenance of buildings and stone crushing, in the construction and maintenance of runways, in D class area, where the minimum rates of wages have been fixed on area-wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance shall be paid in addition to the minimum rates of wages fixed by this notification, an amount equal to 10 per cent of the minimum rates of wages so fixed.

(3) Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in employment in the construction or maintenance of roads or in building operation in stone breaking or stone crushing in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of runways, in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification.

(4) Workers employed on tunnel working shall be paid 20 per cent extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate Category.

(5) (a) "Unskilled Work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable

of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for intitative and judgment.

(d) "Highly skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical work-experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement of decisions involves in the execution of these tasks.

(6) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

(7) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also the wages for weekly day of rest.

(8) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disable persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(9) Workers employed on high rise buildings over 30 ft. in height or four floors in the construction industry shall be paid 20 per cent extra wages of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.

ANNEXURE I

Name of the State/ Union Territory	Class of Cities/Towns			
	A	B-1	B-2	C
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh Hyderabad		Vijayawada (Bezwada) Vishakhapatnam (Vizagapatnam)		Adoni, Anakhapalli, Anantapur, Bandar (Masulipatam), Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakhal, Guntur, Kakinada, Karimnagar, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddar, Rajahmundry, Srikakulam Tenali, Tirupati, Vijapuri, Vizianagaram, Warangal.
Assam	..	..	Gauhati	..
Bihar	..	..	Patna, Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Bihar-Shariff, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	..	..	..	Chandigarh.
Delhi	Delhi	..	..	..
Gujarat	Ahmedabad	..	Surat, Vadodara (Baroda), Bhavanagar, Rajkot.	Anand, Bhuj, Broach, Cambey, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehasana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.
Haryana	..	..	..	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kaithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonepat, Yamunanagar.
Jammu & Kashmir	..	..	Srinagar, Jammu	
Karnataka	Bangalore	..	Hubli, Dharwar, Mysore	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devangere, Gadag, Betgari, Gulbarga, Mas an, Hospet, Kolar Gold Fields, Manaya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur, Channapatna, Chikmagalur, Gangawati, Harihar, Rabikari-Banhati, Ranni bennur.
Kerala	..	..	Cochin, Trivandrum, Alwaya, Calicut (Kozhikode)	Allepay, Badagar, Cannanore, Changenacherry, Kayamkulam, Kottayam, Palighat, Tellicherry, Trichur, Quilon.

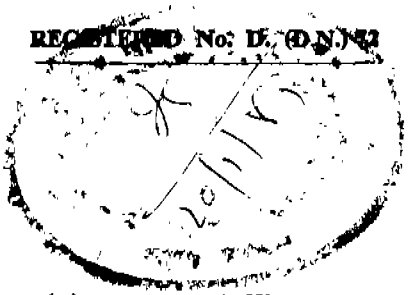
1	2	3	4	5
Madhya Pradesh	..	Indore	Bhopal Bhilai,, Gwalior (Laskar)	Bilaspur, Burhanpur, Chindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandsaur, Mhow, (Cantt.), Morena, Murware, Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poone, Pimpri, Chindwada	Sholapur, Nasik	Achalpur Town group, Ahmadnagar, Akola, Ammalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Pombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamtee, Khamgaon, Kohlapur, Latur, Melegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Bpandharpur, Parbhani, Sangli-Miraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha
Orissa	..	..	Rourkela	Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur.
Pondicherry	..	..	..	Pondicherry.
Punjab	..	..	Amritsar, Ludhiana	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	..	Jaipur	Ajmer	Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	Coimbatore, Madurai	Salem, Tiruchirapalli (Trichinopoly)	Ambur, Arunppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Guddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayanallur, Kancheepuram, Keraikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam, Negerecoil, Palayamkottai, Pollachi, Mettu-Palayam, Pudukkotai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunveli, Tiruppur, Tiruvannomalai, Tuticorin, Valparai Vaniyambodi, Vellore, Vellipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	..	Kanpur, Lucknow, Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras)	Meerut	Aligarh (Koli Aligarh) Amroha, Balia, Baharaich, Banda, Bareilly, Basti, Budaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukkabad-cum-Fatehgarh Fatepur, Ferozabad, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathigodam, Hapur, Hardoi, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Maunthbhajan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhla, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	..	Assansol, Durgapur	Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankura, Bansbaria, Barrakpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Budge, Budge, Burdwan, Chakdaha, Chapdani, Chandernagore, Cooch Bihar, English Bazar, Halishapur, Hoogly-Chinsura, Jalpaiguir, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnan, Midnapur, Nabodwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra, Santipur, Serampur, Silliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.
Goa, Daman & Diu	..	..	Goa, Marmagoa	

[F. No. S-32019/1/86-WC (MW)]
A.K. LUTHRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 1986/कार्तिक 7, 1908
No. 440] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 1986/KARTIKA 7, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सा. आ. 797(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) एक सौ इक्कीसवां संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(i) प्रथम अनुसूची में,—

(क) "1. कृषि मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"1क. नागर विमानन मंत्रालय।";

(ख) "21. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्ष के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष किया जाएगा, अर्थात् :—

"21क. रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)।";

(ग) "23. इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"23क. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय।";

(घ) "25. परिवहन मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

"नागर विमानन मंत्रालय

1. वायुयान और विमान नौचालन; हवाई अड्डों की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का, विमान नौचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय विनियमन और संगठन।

2. वायुयान की सुरक्षा के लिए बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएं ।

3. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन ।

4. इंटरनेशनल सिविल एविऐशन आर्गनाईजेशन (आई. सी ए. ओ)।

5. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई ए टी ए) ।

6. कामनवैल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी ए टी सी)

7. कामनवैल्थ ऐडवाईजरी एरोनाटीकल रिसर्च काउंसिल (सी ए ए आर सी) ।

8. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम ।

9. भारतीय होटल निगम ।

10. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा ।

11. भारतीय अन्तरीक्षीय विमान पत्तन प्राधिकरण ।

12. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध ।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं आती हैं ।

15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबद्ध संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।

16. भारतीय हैलीकाप्टर निगम ।"

(ख) "कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"रेल मंत्रालय

रेल बोर्ड

1. सरकारी रेलें—सब विषय, जिनके अन्तर्गत वे विषय भी हैं, जो रेल राजस्व और व्यय से संबंधित हैं किन्तु जिनमें रेल निरीक्षणालय और रेल लेखा परीक्षा नहीं आते हैं।

2. गैर सरकारी रेलें—यहां तक वे विषय जहां तक उनके लिए भारतीय रेल अधिनियम में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ों इत्यादि विषयक विनियमों में, यह उपबन्ध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) करेगा ।

3. रेल सम्पत्ति के ऊपण से संबंधित अपराधों, सरकारी रेलों और गैर सरकारी रेलों में अपराधों से संबंधित अपराधों से भिन्न, की बाबत संसदीय प्रश्न ।

4. रेल कर्मचारियों पर लागू पेंशन नियमों का प्रशासन ।";

(ग) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"जल-सूत्रण परिवहन मंत्रालय

I निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अन्तर्गत हैं :—

1. समुद्रीय नौवहन और नौपरिवहन; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

2. दीपस्तम्भ और दीपपोत ।

3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) का प्रशासन और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तन ।

4. मोटर गाड़ियों का अनिवार्य बीमा ।

5. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन ।

6. राजमार्ग जिन्हें संसद् द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

7. नौवहन और परिवहन जिसके अन्तर्गत ऐसे अन्तर्वेशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है जो संसद् द्वारा विधि द्वारा यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किया गया है; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम ।

8. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग ।

9. मत्स्य ग्रहण नौका उद्योग ।

10. प्लवमान-यान उद्योग ।

II. संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

11. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग ।

12. नगरपालिका सीमाओं के भीतर ट्रामवे ।

13. अन्तर्वेशीय जलमार्ग और उन पर यातायात ।

14. मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) का प्रशासन और मोटर यानों पर कराधान ।

15. यंत्रनोदित गाड़ियों से भिन्न गाड़ियां ।

III. अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत :

16. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच नौवहन सेवाओं का संगठन और अनुरक्षण ।

4. अन्य विषय जो पूर्ववर्ती उप शीर्षकों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं :

17. केन्द्रीय सड़क निधि ।

18. सड़क संकर्मों से सम्बद्ध समन्वय और अनुसंधान ।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित सड़क संकर्म जिनके अन्तर्गत संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट, असम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रायोग सड़कें और सड़क संकर्म नहीं हैं ।

20. मोटर यान विधान ।

21. अन्तर्वेशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक नौवहन और नौपरिवहन तथा अन्तर्वेशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधान ।

22. सड़क और अन्तर्वेशीय जलमार्ग परिवहन की योजना ।

23. मोटर परिवहन और अन्तर्वेशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिता का उन्नयन ।

24. गांधीधाम नगरी का विकास ।

25. लघु पत्तनों के विकास के संबंध में विधान और उसका समन्वय ।

26. उन स्टाफ कारों के सिवाय; जो रेल विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रण और प्रयोग के अधीन हैं, केन्द्रीय सरकार के स्टाफ कारों की सर्विस और मरम्मत के लिए केन्द्रित व्यवस्थायें ।

27. पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) का प्रशासन और पत्तन कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न तदधीन निर्मित स्कीम ।

28. राष्ट्रीय पत्तन प्रबन्ध संस्थान ।

29. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन ।

30. भारतीय पोत परिवहन निगम ।

31. मुगल लाइन लिमिटेड ।

32. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ।

33. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ।

34. भारतीय समाई निगम ।

35. केन्द्रीय अन्तर्वेशीय जल परिवहन निगम ।

36. भारतीय सड़क संनिर्माण निगम ।

37. दिल्ली परिवहन निगम ।

38. हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. ।";

(च) "परिवहन मंत्रालय" शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(छ) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14क. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन मद 22 और 23 के अधीन रहते हुए सड़क पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना और समन्वय तथा रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) के अधीन मद 1 और 2 के अधीन रहते हुए रेल पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना ।" ।

जैल सिंह, राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/86-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 29th October, 1986

NOTIFICATION

S.O. 797(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighty eighth Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 :—

(1) in the First Schedule,—

(a) after the heading "1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading shall be inserted, namely :—

"1A. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya");

(b) after the heading "21. Ministry of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely :—

"21A. Ministry of Railways (Rail Mantralaya) Railway Board (Rail Board)";

(c) after the heading "23. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading shall be inserted, namely :—

"23A. Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya).";

(d) the heading "25. Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)" and the entries thereunder shall be omitted;

(2) in the Second Schedule,—

(a) after the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)

1. Aircraft and air navigation; provision of aerodromes; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary Control of air navigation.

2. Beacons and other provisions of the safety of aircraft.

3. Carriage of passengers and goods by air.

4. International Civil Aviation Organisation (ICAO).

5. International Air Transport Association (IATA).

6. Commonwealth Air Transport Council (CATC).

7. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (CAARC).

8. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

9. Hotel Corporation of India.

10. Chief Commissioner of Railway Safety.

11. International Airports Authority of India.

12. Offences aaginst laws with respect to any of the matters specified in this list.

13. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.

14. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.

15. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.

16. Helicopter Corporation of India.";

(b) after the heading "Ministry of Programme Implementation (Karyakram Karyanvayan Mantralaya)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board)

1. Government Railways—All matters, including those relating to Railway revenues and expenditure, but excluding Railway Inspectorate and Railway Audit.

2. Non-Government Railways—Matters in so far as provision for control by the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board) is provided in

the Indian Railways Act, 1890 or in the contracts between the Government and the Railways, or in any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, etc.

3. Parliament Questions regarding offences relating to pilferage of railway property other than offences relating to crime on Government Railways and Non-Government Railways.

4. Administration of pension rules applicable to railway employees.";

(c) after the heading "Ministry of Steel and Mines (Ispat Aur Khan Mantralaya)' and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya)

I. The following subjects will fall within list I of the 7th Schedule to the Constitution of India :

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the merchantile marine.

2. Lighthouses and lightships.

3. Administration of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and ports declared as major ports.

4. Compulsory insurance of motor vehicles.

5. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

6. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

7. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.

8. Ship-building and Ship-repair industry.

9. Fishing vessels Industry.

10. Floating craft industry.

II. In respect of the Union Territories :

11. Roads other than National Highways.

12. Tramways within municipal limits.

13. Inland waterways and traffic thereon.

14. Administration of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and taxation of motor vehicles.

15. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III. In respect of the Union territories of the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands :

16. Organisation and maintenance of mainland— islands and inter-island shipping services.

IV. Other subjects which have not been included under the previous sub-heads :

17. Central Road Fund.

18. Coordination and Research pertaining to Road Works.

19. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas of Assam specified in Parts I and II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

20. Motor vehicles legislation.

21. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.

22. Planning of Road and inland waterways Transport.

23. Promotion of Transport Cooperatives in the field of motor transport and inland water transport.

24. Development of townships of Gandhidham.

25. Legislation relating to and co-ordination of the development of minor ports.

26. Centralised arrangements for the servicing and repairs of staff cars belonging to the Central Government, except those under the control and use of Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

27. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.

28. National Institute of Port Management.

29 Minor Ports Survey Organisation.

30. Shipping Corporation of India.

31. Mogul Lines Limited.

32. Cochin Shipyard Limited.

33. Hindustan Shipyard Limited.

34. Dredging Corporation of India.

35. Central Inland Water Transport Corporation.

36. Indian Roads Construction Corporation.

37. Delhi Transport Corporation.

38. Hooghly Dock and Port Engineers Ltd."

(d) the heading "Ministry of Transport (Pariwahan Mantralaya)", and the entries thereunder shall be omitted;

(e) under the heading "Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)", after entry 14, the following shall be inserted, namely :—

"14A. Planning and Coordination of urban transport systems, with technical planning of road based systems being subject to items 22 and 23 under the Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya) and technical planning of rail based systems being subject to items 1 and 2 under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board).".

ZAIL SINGH,
PRESIDENT

[No. 74|2|J|86-Cab]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.

1037 GI/86—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 30, 1986/कार्तिक 8, 1908
No. 441] NEW DELHI, THURSDAY, OCT. 30, 1986/KARTIKA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 798(अ) :—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह विचार करते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक तथा समीचीन है, एतद्द्वारा प्रत्येक लाइसेंसधारी व्यापारी को अपनी फर्म की आलेखाओं में